राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 7] बारहवीं विधान सभा के सातवें सत्र का छठा दिवस [संख्या : 4

मंगलवार

6 मार्च, 2007

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, जिस सरकार के कैबिनेट मंत्री पर विधान सभा के बिलकुल सामने हमला हो गया..।

श्री अध्यक्ष: आप क्वेश्चन आवर के बाद यह बात उठाइए। गलत बात है। क्वेश्चन आवर होने दीजिए। (व्यवधान) क्वेश्चन आवर होने दीजिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मंत्रिमण्डल के सदस्य के ऊपर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमला कर रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, प्रश्नकाल होने दीजिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे कहना चाहूंगी कि यह सदन नियमों से चलता है, खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित न हो।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री अध्यक्ष: आपकी तबीयत खराब है। आप आसन ग्रहण कर लें। आपकी तबीयत खराब है, स्थान ग्रहण करिए।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण। आप प्रश्न काल होने दीजिए। प्रश्नकाल के बाद इन बातों को उठाया जाता है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): ×××

श्री अध्यक्ष: श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: आप लगातार चौथे दिन प्रश्नों की बलि क्यों चढ़ाए जा रहे हैं? आप स्थान ग्रहण करिए। (व्यवधान) खण्डार से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर न करें। आप चार दिन से प्रश्नों की बलि चढ़ाए जा रहे हैं। लोगों के इतने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। (व्यवधान) मैंने कहा सिट डाउन। सदन के नियम हैं, आपको कोई भी महत्वपूर्ण बात, चर्चा करनी है तो आप प्रश्नकाल के बाद करिएगा। आप महत्व कम कर रहे हैं इस बात का इस समय उठा कर। जीरो आवर में उठाइए यह बात। उसके बाद उठा सकते हैं यह बात। प्रश्नकाल शुरू होते ही, चार दिन हो गए, मैं देख रही हूं ...(व्यवधान) अब प्लीज बैठिए। श्री नन्दलाल पूनिया।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): प्रश्न संख्या 38.

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल है। आप तो बैठिए। आप विराजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): ×××

श्री महावीर प्रसाद जैन : ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह : ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण, सदन के कुछ नियम हैं। मैंने आपसे कहा था प्रारंभ में कि क्वेश्चन आवर हो जाने दीजिए। न किसी की पर्ची आई इस मामले में, यदि आप गंभीर थे इस मामले में, आपको यह प्रश्न उठाना था, तो पर्ची के माध्यम से, स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ...(व्यवधान) बीच में नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बीच में बोलेगा। स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से आप इस प्रश्न को उठा सकते थे और मैं मंजूर करती उसे। लेकिन तब तो किसी को भी यह याद नहीं आया। अख़बार सब ने पढ़ा, किसी को याद नहीं आया। यहां आकर सब शेर बन रहे हैं और सब अपनी-अपनी, जिसे कहना चाहिए लंग पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अब प्रश्न काल होने दीजिए उसके बाद में इस बारे में आपके गृह मंत्रीजी अपना वक्तव्य दे देंगे, बता देंगे। लेकिन अब प्रश्न काल चार दिन हो गये हैं, अब प्रश्नकाल होने दीजिए। अब बीच में न बोलें, प्रश्न संख्या एक, श्री नन्दलाल पूनिया।

कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय नेसल एवं डिगली (चूरू) का क्रमोन्नयन

38. **श्री नन्दलाल पूनिया** (सादुलपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कन्या माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नति/स्वीकृति के क्या मापदण्ड हैं?

(श्री नन्दलाल पूनिया)

(2) क्या यह सही है कि कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय नेसल एवं डिगली तहसील राजगढ़ उक्त मापदण्ड में आते हैं ? यदि हां, तो उक्त गांवों के कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को कब तक क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, शिक्षा (श्री वासुदेव देवनानी): (1) विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मापदण्ड की प्रति का परिशिष्ट 'क' संलग्न है।

(2) राज्य सरकार के उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत निर्धारित मानदण्ड की पूर्ति करने वाले विद्यालयों के प्रस्तावों पर गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार करने के पश्चात् विद्यालय क्रमोन्नति की स्वीकृति प्रदान करती है। नेसल एवं डिगली के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्य प्रस्तावों के साथ गुणावगुण के आधार पर समग्र विचार किया जाकर उपलब्ध वित्तीय प्रावधानों के तहत ही निर्णय लिया जाना संभव हो सकेगा।

(मानदण्ड की प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री अध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यदि मैं भूलती नहीं हूं तो यहां पर शिक्षा मंत्रीजी ने घोषणा की थी, घनश्याम जी तिवाड़ी ने कि कन्याओं के जितने भी स्कूल हैं, किसी भी स्तर के हों, उन स्कूलों की क्रमोन्नति की जाएगी। यह घोषणा सदन में की थी और अब आप गुणावगुण पर आ गये।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन सुन लें। इन्होंने डिगली और नेसल के बारे में कहा है। डिगली की जनसंख्या केवल 1847 है, मानदण्ड के अनुसार ढाई हजार चाहिए।

श्री अध्यक्ष: उस समय जनसंख्या की बात नहीं थी, क्यों की फिर इन्होंने घोषणा?

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नेसल के अन्दर हमने सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत कर रखा है।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): नहीं, नेसल में मानदण्ड से ज्यादा है आपकी पापुलेशन।

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): नेसल में मानदण्ड के आधार पर केवल सैकण्डरी स्कूल चाहिए था, हमने उसकी जगह सीनियर सैकण्डरी स्कूल जिसके लिए जनसंख्या चार हजार चाहिए केवल 2582 होने पर भी हमने यह सीनियर सैकण्डरी स्कूल बना दिया है, सारी छात्राएं वहां पढ़ रही हैं, किसी

(श्री वासुदेव देवनानी)

भी छात्रा को इस कारण से पढ़ाई में व्यवधान नहीं है। सरकार जो है वह बालिका शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए हमने जितने कदम उठाये हैं, इस आधार पर विद्यालयों में नामांकन पिछले तीन वर्षों के अन्दर 18 प्रतिशत से बढ़कर 32.7 प्रतिशत हो गया है और 6 लाख से अधिक नामांकन हुआ है। (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): अध्यक्ष महोदय ने जो कहा है उसका यह कोई जवाब नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने जो प्रश्न किया है उसका यह जवाब नहीं है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): निशुल्क पाठ्यपुस्तकें व साइकिलें उपलब्ध कराई हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता पूछना चाहें तो पूछें, आपको क्या आवश्यकता है? जब बात हो गई, आसन ने कह दिया, आप क्यों खड़े हैं? बिराजिए, स्थान ग्रहण करिये, बीच में न बोलें। मुझे सपोर्ट की आवश्यकता नहीं है आपकी, आसन को आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने याद दिलाया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हमको आसन की गरिमा को मेंटेन रखना है।

श्री अध्यक्ष: सुनिए, मैंने याद दिलाया है उन्हें लेकिन आप कहें हम आसन को सपोर्ट कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आसन की गरिमा का प्रश्न है, यह आसन का आब्जर्वेशन है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपने कहा उसका जवाब कह दिया है?

श्री अध्यक्ष: अब आपको गरिमा की याद आई और उस दिन तो शोकाभिव्यक्ति पर गरिमा की नहीं याद आई थी। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (राज्य मंत्री, शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, हमने 1262 छात्राओं के पीएस को यूपीस में क्रमोन्नत कर दिया है। (व्यवधान) यह 1262 गर्ल्स पीएस से यूपीस किये हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय मंत्रीजी ने जो हाउस में कमिटमेंट दिया है उसके बारे में बोलिए, बाकी के बारे में क्या बोलते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, हां, बोल देंगे हाउस में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले कहा था, आपने मेरी भावना ठीक से शायद, मैं समझता हूं, मैंने पहले कहा था कि जितनी भी लड़कियों के स्कूल हैं, उनको हम लगातार क्रमोन्नत करना चाहते हैं। और इसलिए पहली बार हमने जितनी लड़कियों के प्राथमिक विद्यालय राजस्थान में थे इस बार एक आदेश से सारे के सारे प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बदल दिया है। इसमें कांग्रेस के विधायकों की भी कांस्टीट्यूएंसी है और बी.जे.पी. के विधायकों की भी हैं। इसी प्रकार से अब जो बजट आएगा...

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): आपको मैं नाम से बता दूंगा, क्या बात करते हो आप? बहुत प्राइमरी बालिका विद्यालय अभी तक क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं हो गये हैं न आदेश। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): सभी बालिका विद्यालय क्रमोन्नत नहीं हुए हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप नहीं सुनना चाहते हैं, आप मत सुनें। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सारे राजस्थान में प्राथमिक बालिका विद्यालय जितने भी हैं, उनको उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नति के आदेश जारी हो चुके हैं।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह बिलकुल नहीं हुए हैं, मैं आपको नाम से बता दूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 8-9 प्राथमिक विद्यालय हैं, क्रमोन्नत नहीं हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: ये प्राथमिक शालाओं के आये थे प्रस्ताव इनके पास उनको तो किया है। जिनके नहीं प्रस्ताव आ पाये वह नहीं हुए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, ऐसा नहीं है। जोशीजी, सुनिए राजस्थान में जितने प्राथमिक विद्यालय लड़कियों के थे...

श्री अध्यक्ष: यह तो ठीक है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): 1500 बालिका विद्यालयों, उनमें से 1200 के तो आदेश जारी हो चुके हैं, 300 जो बचे हैं उनकी संख्या कम थी उनके भी आदेश कर दिये हैं। इस साल का जो सत्र चालू होगा उस सत्र से वह

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

भी उच्च प्राथमिक विद्यालय हो जाएंगे। (व्यवधान) सुन लीजिए अग्रवाल साहब, पहले। नम्बर एक।

श्री अध्यक्षः पूरी सुन लें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नम्बर दूसरी, तीन प्रकार के आदेश किये हैं अध्यक्ष महोदय। नम्बर एक, जितनी राजीव गांधी पाठशालाएं थी सारे राजस्थान भर में, उन पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में परिवर्तित कर दिया गया है। जितनी संस्कृत, इनको प्राथमिक किया राजीव गांधी पाठशालाओं को, राजीव गांधी पाठशालाओं को सब को प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत कर दिया गया है सारे राजस्थान भर में । इसी प्रकार से, जितनी बालिका विद्यालय प्राथमिक थे उन सारे बालिका विद्यालयों को उच्च प्राथमिक में परिवर्तित कर दिया गया है। नम्बर तीन, संस्कृत की जितनी पाठशालाएं थी प्राथमिक की उन सब को भी उच्च प्राथमिक में परिवर्तित कर दिया गया है जिनमें अगर रूक गई हैं कोई किसी कारण से लड़कियों की संख्या कम अधिक होने से, उन स्कूलों को भी नया जो शिक्षा सत्र प्रारंभ होगा, उच्च प्राथमिक में परिवर्तित कर दिया जाएगा, सब विधान सभा क्षेत्रों में, एक। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि माध्यमिक शिक्षा के बारे में जो प्रश्न था, वैसे जो नेसल है, नेसल में वहां तो सीनियर सैकण्डरी स्कूल है और 256 बालिका वहां पर पढ़ रही हैं। इसलिए पूनिया साहब, यह संभव नहीं है कि हर पंचायत पर लड़के और लड़कियों की दो अलग-अलग सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी रखें। फिर भी लड़कियों के लिए कोई व्यवस्था और करनी होगी। (व्यवधान) 256 ....

श्री अध्यक्षः यह तो कन्या उच्च प्राथमिक को माध्यमिक में क्रमोन्नत करने का प्रश्न है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): नहीं, नहीं, मैं भी यही कह रहा था। कन्या उच्च प्राथमिक को माध्यमिक चाहते हैं। लेकिन वहां पर आलरेडी सीनियर सैकण्डरी है जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं और 256 लड़कियां उसमें आलरेडी पढ़ रही हैं। तो सरकार के संसाधनों को देखते हुए यह संभव नहीं है, सब जगह जहां सीनियर और सैकण्डरी स्कूल हैं, सब जगह लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग किया जाय, संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि इस बार हम कोशिश करेंगे। भारत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

सरकार से प्रयत्न किया और मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि जिस कमेटी का मुझे चेयरमैन बनाया था मानव संसाधन मंत्रालय ने, उस कमेटी की सिफारिशें भारत सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और सैकण्डरी शिक्षा में भी इस बार ऊपर से हमको मदद मिलेगी। तो पूरी कोशिश करेंगे जो सदन में मैंने बात कही थी आपके निर्देश पर उसकी पालना करने कर पूरा प्रयत्न करेंगे।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): कोशिश नहीं, साहब, यह तो आप घोषणा ही करो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि शिक्षाकर्मी जो विद्यालय हैं...

श्री अध्यक्ष: यह डिगली, नेसल का प्रश्न था। (व्यवधान) नो, नो, डिगली और नेसल का सवाल था उसका जवाब उन्होंने दे दिया है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): नहीं, जवाब पूरा नहीं आया है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): मेरा छोटा सा प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): मेरा सवाल अधूरा रह गया है। जैसे डिगली का मामला है, डिगली में कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय और वहां पर प्राइमरी स्कूल बच्चों का है। छठी कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चे दूसरे गांवों, सुलखनियां, नौरंगपुरा, थिरपाली बड़ी में जाते हैं तो क्यों नहीं उनको छठी कक्षा में उस कन्या स्कूल में एडमिशन दे दिया जाए? यह आप नहीं कर सकते तो कम से कम आठवीं की स्कूल खोल दीजिये बच्चों के लिए। कुछ तो करो साहब, मैं तीन साल से आपसे इस सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): आप चाहते हैं कि लड़कियों की स्कूल को कामन कर दें?

श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर): जी सर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): हां, कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या समस्या है, कर देंगे।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न संख्या 39, श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री कैलाश त्रिवेदी। मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

चौधरी विनोद कुमार (हनुमानगढ़): जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं उनमें क्या अध्यापकों के पद सृजित किये गये हैं? मेरे ख्याल में नहीं किया गया है।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। श्री कैलाश त्रिवेदी।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): शिक्षा मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह निवेदन है कि वजीरपुर में कन्या माध्यमिक विद्यालय है और पिछले 9 वर्ष से वह क्रमोन्नत नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: मिस्टर त्रिवेदी। (व्यवधान) मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): वहां पर साढ़े तीन सौ लड़कियां पढ़ती हैं। आपने यह कहा है, आपने अपने उत्तर में परिशिष्ट 'क' में यह लिखा है कि सामान्य क्षेत्र में तीन हजार लड़कियां होनी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्र में ढाई हजार लड़कियां होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): लड़कियां नहीं, जनसंख्या।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): जनसंख्या है। तो मैं इसलिए आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जहां... (व्यवधान) कन्या माध्यमिक विद्यालय हैं और....(व्यवधान)

सहाड़ा के अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त नहर/सड़कें

39. **श्री कैलाश त्रिवेदी** (सहाड़ा): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्ष 2006 में हुई अतिवृष्टि से नहरें, तालाब, सड़कें, पुलिया आदि क्षतिग्रस्त हुई हैं तथा सरकार द्वारा उनका सर्वे कराया जा चुका है? यदि हां, तो सर्वे रिपोर्ट की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार इनकी मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): उसमें साढ़े तीन सौ लड़कियां पढ़ती हैं। आपने मेरे बार-बार निवेदन करने के उपरांत भी उसको क्रमोन्नत क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सहायता मंत्री प्लीज। स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान)

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): वजीरपुर का मेरा निवेदन है आपसे। आप मुझे आश्वासन दे दीजियेगा। मैं कई बार कह चुका हूं। अध्यक्ष महोदय, मेरा जब डेलिगेशन इनके पास में गया तो इन्होंने यह कहा कि कांग्रेसी जमाने में क्रमोन्नत करवा लीजियेगा। (व्यवधान) तो यह कोई जवाब हुआ?

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लीजिये। स्थान ग्रहण करें। गंगापुर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लीजिये।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, हमारी भी तो बात कहने दीजियेगा। हम यहां पर जो आये हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए आये हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज। पूरे क्षेत्र की समस्या का प्रश्न नहीं है। यह केवल डिगली और नेसल का प्रश्न है। और समस्या का प्रश्न बाद में उठाइयेगा।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): कन्या विद्यालय को क्रमोन्नत करने की बात है।

श्री अध्यक्ष: क्षेत्र की समस्या बाद में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह जो जवाब दिया है मंत्रीजी ने कि गुणावगुण के आधार पर किया जाता है। तो गुण तो यह है कि बीजेपी के एमएलए हों और अवगुण यह कि कांग्रेस का एमएलए हो और उस आधार पर पूरे राजस्थान में कर रहे हो। पूरे राजस्थान में भेदभाव कर रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपकी परिभाषा है, धन्यवाद। (व्यवधान) आपकी परिभाषा के लिए धन्यवाद आपको।

श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल (गंगापुर): आपने यह बात कही है डेलिगेशन से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सहायता मंत्री। बीच में नहीं बोलें।

सहायता मंत्री (डा. किरोड़ी लाल मीणा): (1) जी हां। यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में वर्ष 2006 में हुई अतिवृष्टि से नहरें, तालाब, सड़कें,

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

पुलिया आदि क्षतिग्रस्त हुई हैं। जी हां, सर्वे कराया जा चुका है। सर्वे की रिपोर्ट संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की तत्काल मरम्मत कराने के लिए सी.आर.एफ. नार्म्स के अनुसार सहायता दी जाती है। इस दृष्टि से अतिवृष्टि से नुकसान की तत्काल सहायता हेतु जिला कलक्टर, भीलवाड़ा को 43 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई थी जिसमें से जिला कलक्टर द्वारा 42 लाख रुपये का व्यय किया जा चुका है। इन सम्पत्तियों का पुनर्निर्माण सम्बन्धित विभाग के स्तर पर उनके पास उपलब्ध राशि अनुसार ही किया जाता है।

(सर्वे रिपोर्ट विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय मंत्री महोदय, यह 43 लाख रुपये की राशि भीलवाड़ा जिला कलक्टर को कब प्रदान की गई? नम्बर एक। आपने जो सर्वे रिपोर्ट दी है इसमें इर्रिगेशन के टैंक्स टूटे हैं, इर्रिगेशन के एनीकट्स टूटे हैं उसकी सर्वे रिपोर्ट भी इस जवाब के साथ नहीं है। सिर्फ दोनों पंचायत समितियों की है और पीडब्ल्यूडी की है। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि एक तो भीलवाड़ा जिला कलक्टर को आपने यह 43 लाख रुपये की राशि कब दी? और मेरे विधान सभा क्षेत्र की दोनों पंचायत समितियों में कलक्टर द्वारा कितनी-कितनी राशि इस 43 लाख रुपये में से ट्रांसफर की गई? सहाड़ा पंचायत समिति में 35 तालाब और रायपुर पंचायत समिति में 58 तालाब टूटे, इनमें से कितने आज तक रिपेयर किये? 43 लाख रुपये में से कितना धन इन पंचायत समितियों को दिया गया और कितने अभी तक टूटे पड़े हैं? यह रिपोर्ट बतायें आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): माननीय सदस्य, यह 22.9.2006 के बाद राशि दिलाई गई। इसमें 23 एनीकट और 69 तालाब, 9 नहरें और 20 सड़कें हैं। सीआरएफ की जो गाइड लाइन है उसमें अतिवृष्टि से हुए नुकसान के लिए मरम्मत का पैसा नहीं दिया जाता है। जहां बाढ़ आई हो, बाढ़ग्रस्त जिलों में यह राशि दी जाती है और 12 जिलों में बाढ़ आई थीं वहीं पर सीआरएफ की गाइड लाइंस के हिसाब से राशि उपलब्ध कराई गई थी।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): तो भीलवाड़ा को आपने 43 लाख रुपये बाढ़ नहीं आई तो क्यों दिया? विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्दर सबसे ज्यादा

(श्री कैलाश त्रिवेदी)

अतिवृष्टि और सबसे ज्यादा पानी गिरा है और जिले की सबसे ज्यादा बारिश वहां हुई है और उस बारिश की वजह से ऊपर से तालाब टूटता आया तो ठेठ तक तालाब टूटते गये। आज की तारीख में सारे टैंक टूटे हुए हैं। 80 तालाब जिस इलाके में टूटे हुए हों और आप कह रहे हो कि अतिवृष्टि नहीं हुई, इससे बड़ा मजाक मेरे इलाके के साथ में आप क्या करोगे?

श्री अध्यक्षः आप प्रश्न पूछें, आप प्रश्न पूछें।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप यह तो बतायें कि 43 लाख रुपये में से हमारे यहां कितनी राशि गई?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): मैं मान रहा हूं, मैं मान रहा हूं अतिवृष्टि हुई है लेकिन बाढ़ नहीं आई।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अतिवृष्टि का पैसा दिया वह हमारे को कितना दिया यही पूछ रहा हूं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): बाढ़ का एक लैटर भारत सरकार ने हमको दिया था 28.6.2005 को। सीआरएफ की गाइड लाइंस के पैरा नम्बर तीन में आपदा जो परिभाषित की है उसमें तूफान है, सूखा है, भूकम्प है, अग्निकांड है, बाढ़ है, ओलावृष्टि है और भू-स्खलन है। ये चीजें कैटेगराइज की हैं। इसमें अतिवृष्टि नहीं है। अतिवृष्टि होती तो सहाड़ा में भी हम पैसा दे देते जो 12 जिलों को दिये हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सीआरएफ की गाइड लाइंस से भीलवाड़ा को 43 लाख रुपये कैसे मिले? मतलब आप सीआरएफ की गाइड लाइंस की बात कर रहे हैं, सीआरएफ की गाइड लाइंस के अन्तर्गत पैसा अतिवृष्टि में नहीं मिलता है तो भीलवाड़ा में सी आर एफ के अन्तर्गत यह 43 लाख रुपये कैसे ट्रांसफर किये?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): वह हमने इस बात का दिया कि राजस्थान में 12 जिलों के अलावा जिन जिलों में मकान टूट गये हैं, कच्चे मकान ढह गये या पक्के मकान नष्ट हो गये या बिजली के कारण कोई मर गया और कोई इस ढंग की आपदा आ गई उस दृष्टि से यह 43 लाख रुपये का अकाउंट है। बाकी और तालाब... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मतलब आप सीआरएफ की गाइड

(डा. सी. पी. जोशी)

लाइंस से पैसे नहीं दे सकते थे और सीआरएफ की गाइड लाइंस का वायलेशन करके 43 लाख रुपये भीलवाड़ा को दिये तो आपने दिये, कोई बात नहीं। आप यह बता दें कि क्या 43 लाख रुपये का उपयोग, जैसा आप कह रहे हैं, केवल मात्र मकान गिरे उन्हीं पर खर्च हुए, सड़क और रिपेयर के अन्दर खर्च नहीं हुए?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): नहीं हुए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): आप यह देख लेना। एक बात और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि अब जैसे ओलावृष्टि हुई है, जहां 50 प्रतिशत से ऊपर का खराबा हुआ है वहां हम उनको मानते हैं लेकिन जहां बिजली गिर गई, कहीं भी गिर गई हो और उसके कारण से कोई मर गया उसको भी हम अनुग्रह सहायता देते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सी.आर.एफ. की गाइड लाइंस में तो नहीं आता था तो अतिवृष्टि के कारण, एक्सेसिव रेन की वजह से जो नुकसान हुआ, सरकारी प्रोपर्टी डैमेज हुई उसकी लुक-आफ्टर करने में राजस्थान सरकार है या नहीं है? आपका भी बजट है या नहीं है? आपका भी खजाना है, आपका भरा हुआ है फिर क्या करोगे?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): वह पहले बनाकर नहीं गये। हम तो आपको ही फालो कर रहे हैं। जो दिशा-निर्देश इस सीआरएफ की गाइड लाइंस में हैं उसके बाहर हम नहीं जा सकते। अगर आप इसमें रिलैक्स करा सकें तो बड़ी कृपा होगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आपके फण्ड से क्यों नहीं जा सकते?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): हमने भारत सरकार को भेज रखा है।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो राजस्थान सरकार का काम है, भारत सरकार इसमें कहां आती है? आपके बांध टूटे हैं, तालाब टूटे हैं...

श्री जीतराम (मालपुरा): हमारे भी बिजली गिरी है, आदमी मर गये हमारे तो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): सरकारी प्रोपर्टी डैमेज हुई है तो आप अपने खजाने से उनकी पूर्ति कराओ, उनकी मरम्मत कराओ। हर मामले में भारत सरकार की रट क्यों लगाते हो?

श्री अध्यक्ष: सीआरएफ तो भारत सरकार का ही है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): यह राजस्थान सरकार क्या कर रही है हमारे नेता महोदय का यह कहना है। आप अपने संसाधनों से कराइये जहां अतिवृष्टि हुई है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): आप बैठो तो सही। (व्यवधान) कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारी गाइड लाइंस भारत सरकार की तरफ से जारी की जाती हैं। मैं बोल रहा हूं। तदनुकूल सहायता दी जाती है लेकिन पिछली बार ओलावृष्टि हुई थी तो आपको ध्यान होगा कि राजस्थान सरकार ने अपने फण्ड से बिजली माफी की थी। जहां-जहां होता है, जितनी हम मदद करने की कोशिश करते हैं। हमारी मद से भी हम करते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन प्रतिपक्ष के नेता से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारत सरकार को हम तीन पत्र लिख चुके, मुख्य मंत्रीजी भी मिलकर के आ गईं, मैं भी मिलकर के आया हूं, थोड़ा सीआरएफ की गाइड लाइंस को रिलैक्स करा दें। (व्यवधान) मैं इसको पालिटिकलाइज नहीं करना चाहता। थोड़ा भारत सरकार पर दबाव डालें तो यह रिलैक्स हो सकता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): आप सीआरएफ गाइड लाइंस को रिलैक्स कराना चाहते हैं, भारत सरकार से सी आर एफ गाइड लाइंस को अमेंड कराना चाहते हैं फिर आपकी सरकार का खजाना है उसका क्या होगा? उसमें हिस्सा नहीं है?

डा. किरोड़ी लाल मीणा (सहायता मंत्री): मैं बता तो रहा हूं उसका। आपको मैं बताता हूं। 50 करोड़ रुपये तो हमने अकाल में दिये हैं और 32 करोड़ रुपये के हमने बिजली के बिल माफ किये हैं, यह सब बता दूं। (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था जिसका जवाब नहीं आया। सहाड़ा को 43 लाख रुपये में से कितना पैसा मिला और किसलिए मिला? यह बताओ ना आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो सुनिये।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितने पैसों की मांग की है और केन्द्रीय सरकार ने उसमें से कितना पैसा आपको दिया है, यह बोलिये। माननीय अध्यक्ष महोदय, कितने पैसों की आपने मांग की है और कितना पैसा दिया है केन्द्रीय सरकार ने?

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहाड़ा का मामला था। अध्यक्ष महोदय, 43 लाख रुपये भीलवाड़ा को मिले और 43 लाख रुपयों में से सहाड़ा को कितना पैसा मिला? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूं।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, एक मिनट। मंत्री महोदय, एक मिनट आप मेरी बात सुन लें, फिर जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं यह पूछना चाहता हूं कि 79 तालाब, 19 एनीकट्स जो टूटे पड़े हैं, वे सी.आर.एफ. के नोर्म्स में नहीं आते हैं। क्या राज्य सरकार उनको ठीक करने की कोई व्यवस्था करना चाहती है तीन महीनों के अन्दर या ये टूटे ही रहेंगे, नम्बर एक?

नम्बर दो, 43 लाख में से इतनी भारी वर्षा से सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मकान गिरे, उनको आपने कितनी राशि आवंटित की और अन्य जगहों पर कितनी की, यह तो बताइये। या यह बता दो, आपने कितना पैसा दिया? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): तो फिर तो यह पूरा ही बता देता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन तरह के प्रश्न आये हैं। जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आपने ज्ञापन कितने का दिया।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): आप बात सहाड़ा की करो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं सभी का जवाब दे रहा हूं। हमने 3200 करोड़ रुपये का ज्ञापन दिया था, जिसमें मात्र 100 करोड़ रुपये हमको मिला। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अब देखो केन्द्रीय सरकार को। (व्यवधान) केन्द्रीय सरकार से हमने 3200 करोड़ रुपये मांगे और हमको 100 करोड़ रुपये मिला।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी सरकार ने कितना दिया था जब अटल बिहारीजी वाजपेयी की सरकार थी? हमारी सरकार ने ज्ञापन दिया था, आपकी भाजपा की सरकार ने कितना दिया था?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो ज्ञापन देते हैं आप मांगते हो? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था, कितनी राशि का ज्ञापन दिया और कितना मिला। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): हमने केन्द्रीय सरकार से 3200 करोड़ रुपये मांगे और भारत सरकार वहां राजनैतिक भेदभाव करती है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): भारत सरकार की भी नीति है। हमारी सरकार ने जब ज्ञापन दिया था, अटल बिहारीजी वाजपेयी ने क्या दिया था? (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो आप। आधी जानकारी दे रहे हो। आपको मालूम ही नहीं है। भारत सरकार इसी तरह से ज्ञापन लेती है और उसी तरह से पैसा देती है। नई बात कौनसी कह रहे हो? आपके अटल बिहारीजी प्रधानमंत्री थे, तब आपकी सरकार ने क्या किया था? आप फालतू की बात कर रहे हो।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अटलजी ने 33 लाख टन गेहूं दिया था, इतना गेहूं दिया था, आप उन गेहूं का पूरा उपयोग ही नहीं कर पाये थे, इतना गेहूं दिया था। (व्यवधान) 33 लाख टन गेहूं दिया था।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हिन्दुस्तान में आपके वित्त मंत्री थे, जसवंत सिंह थे, भारत सरकार में वित्त मंत्री थे, उन्होंने क्या किया था? (व्यवधान) जसवंत सिंहजी वित्त मंत्री थे, उस समय आपने क्या किया था? (व्यवधान) क्या बात कर रहे हो। पहले भी राजस्थान के वित्त मंत्री रहे हैं, उन्होंने क्या दे दिया? भारत सरकार के जो नियम हैं। जसवंत सिंहजी तो राजस्थान के थे, वे वित्त मंत्री थे, तब भी नहीं कर सके। अब आप क्या बात कर रहे हो? यह कोई नई बात नहीं है। फालतू बात करते हो।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने पैसे लेने की जब भी बात आती है...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): राजस्थान के साथ राजनैतिक भेदभाव के कारण कुछ नहीं दिया गया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपकी सरकार ने क्या कर दिया? आप क्या नई बात कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): जब भी भारत सरकार से कुछ लेने की बात आती है तो आपको क्यों तकलीफ होती है? क्या आपकी है अकेले की भारत सरकार?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप तो पहले भी मंत्री थे। पहले भी मंत्री थे। (व्यवधान) आपको तो जानकारी होगी। इस राजस्थान की सरकार को राजीव गांधीजी ने 800 करोड़ रुपये दिये। याद है आपको, कितने रुपये दिये हैं?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पहले सी.आर.एफ. के नोर्म्स थे। पहले सी.आर.एफ. के नोर्म्स थे। (व्यवधान) जब भी आपकी सरकार राजस्थान में बनी है, इस तरह की बात हुई है।

श्री अमराराम (धोद): प्रश्न संख्या 40

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बात कर रहे हो खामख्वाह। सुबह-शाम माला जपो सोनियाजी की। (व्यवधान) खाली भाषण देने के लिए खड़े हो जाते हो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): मैं बताऊं, क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सहाड़ा को कितना पैसा दिया? इनके प्रश्न का जवाब नहीं आया।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 40 ।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़): यह पहले ही आ गया क्या?

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया है।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): आपका जवाब आ जायेगा। भारत सरकार से पैसा आने पर फटाफट आ जायेगा।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): एक धेला भी नहीं दिया उन्होंने।

श्री अध्यक्ष: यही जवाब है उनके पास।

श्री अमराराम (धोद): प्रश्न संख्या 40 (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उन्होंने जवाब दे दिया है। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया।

श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा): अतिवृष्टि में कौनसा गुणावगुण है, यह भी बता दो। एक धेला नहीं दिया और इर्रिगेशन की तो सर्वे रिपोर्ट भी नहीं दी, इससे ज्यादा निकम्मापन और क्या होगा?

श्री अध्यक्ष: मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया। मैंने नैक्स्ट प्रश्न पुकार लिया।

क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना पड़िहारा (चूरू) से पेयजल आपूर्ति

40. **श्री अमराराम** (धोद): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा ग्राम पड़िहारा जिला चूरू की क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना कब स्वीकृत की गई एवं इस पर कितनी राशि व्यय की गई तथा इसे कब पूर्ण किया गया?

(2) इस योजना से कितने ग्राम लाभान्वित होने थे तथा कितने ग्रामों को कितने पेयजल की आपूर्ति की जा रही है? इस योजना को डिजाइन करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) सरकार द्वारा इन ग्रामों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अब क्या योजना बनाई गई तथा इन्हें कब तक पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा?

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): (1) क्षेत्रीय जल योजना आलसर-पड़िहारा, जिला चूरू की स्वीकृति माह दिसम्बर, 1995 में रुपये 216.10 लाख की जारी की गई। इस योजना पर कुल 236.54 लाख का व्यय किया गया तथा यह योजना माह जून, 1998 में पूर्ण की गई।

(2) उक्त योजना में कुल पांच ग्राम लाभान्वित होने थे। वर्तमान में उक्त योजना से चार ग्राम पड़िहारा, पड़िहारी, जेगनिया बीकान एवं धातरी को लाभान्वित किया जा रहा है। विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(श्री सांवर लाल)

(3) दीमक की समस्या व इसके कारण लीकेज समस्या तथा इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन पर काम विद्युत प्राप्ति को दृष्टिगत रखते हुए निदान हेतु दो संवर्द्धन जल योजनाएं क्रमशः संवर्द्धन योजना आलसर-पड़िहारा (आलसर, जेगनिया बीकान, धातरी, पड़िहारा व पड़िहारी ग्रामों हेतु) रुपये 149.63 लाख अनुमानित लागत व योजना लोहा-खोतड़ी-बुधवाली (लोहा, खोतड़ी, बुधवाली, भोजासर एवं सांवतिया ग्रामों हेतु) रुपये 53.88 लाख अनुमानित लागत पर वर्ष 2021 की पेयजल मांग रखते हुए माह दिसम्बर, 2005 में स्वीकृत की गई।

इन स्वीकृत योजनाओं को मार्च, 2008 तक पूर्ण कर इन ग्रामों को लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस योजना पर 1995 तक 216.10 लाख रुपये स्वीकृत किये गये और उससे करीब 20 लाख रुपये से ज्यादा का खर्च किया गया। मंत्री महोदय, एक तो यह बताने की कृपा करें कि यह जो चार पांच गांवों को इस क्षेत्रीय जलदाय योजना से पानी मिलना था, यह 20 लाख रुपये योजना पर ज्यादा खर्चा करने के बाद भी वहां की जनसंख्या और पशुधन की संख्या को देखते हुए क्या पर्याप्त मात्रा में पानी मिला? और अगर नहीं मिला, अब आप कह रहे हैं कि यह उस समय भी वही क्षेत्र था, जिस समय आप दीमक की बात कर रहे हो, बिजली की कमी की बात कर रहे हो। मैं समझता हूं कि 1995 के बाद आज जो पड़िहारा की जनसंख्या 10 से 12,000 के करीब है, उसको आज तक शुद्ध पेयजल नहीं मिला। और जो स्थानीय जल स्रोत है, उसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा के कारण आज वहां पर 30 साल की उम्र के लोगों के जोड़ों का दर्द हो रहा है, इतना अत्यधिक फ्लोराइड है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि ऐसी योजना का फायदा जनता को ढाई करोड़ रुपये खर्च होने के बाद में भी नहीं मिला, इसके लिए कोई न कोई अधिकारी जिम्मेदार निश्चित रूप से होगा और यह आपने इनको पानी पिलाने के लिए 2005 में योजना स्वीकृत की और योजना पूरी होगी 2008 में। यानी तीन साल बाद में भी जहां इतने लोगों को, चार गांव के लोगों

(श्री अमराराम)

को फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ रहा है जिससे पूरा उनका जन स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो क्यों नहीं आप 2008 के बजाय, इसी आने वाले छह महीनों के अन्दर, तीन साल के बजाय, तो मैं समझता हूं कि आगे आने वाले छह महीनों में इस योजना को पूर्ण करके, जितने मानदण्ड आपके विभाग के हैं, उनके अनुसार उन चारों गांवों को पानी मिल जायेगा। और क्या इनमें बिजली पंपिंग स्टेशन पर बराबर मिलती रहे, इसके लिए प्लानिंग करने वालों ने उसकी योजना क्यों नहीं बनाई? क्या उसके लिए कोई दोषी है? इसका आप जवाब दें।

श्री सांवर लाल (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता से मैं बिलकुल सहमत हूं। और जिस प्रकार से राजस्थान में बरसात कम होने, अण्डरग्राउण्ड वाटर का दोहन ज्यादा होने से जितना भी भूगर्भ का जल है, वह लगभग खारा और फ्लोराइड का बचा हुआ है। और चूरू जिले में इसीलिए आपणी योजना और दूसरी योजनाओं से नहर का पानी लाकर कई गांवों को लाभान्वित किया गया। अब यह पांच गांवों की बात आपने की है, इनमें पांच गांवों में कुछ समय पानी देने के बाद में आखिरी गांव में पानी नहीं गया, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। क्योंकि वास्तव में, आप जैसा कह रहे हैं कि पानी की क्वालिटी पीने लायक नहीं है, इसको मिक्स करके इस पानी का उपयोग करते हैं। और आखिरी जो गांव है, उस गांव में 2000 के बाद पानी नहीं गया। मेरी जानकारी में जब आया, उसके बाद मैंने कोशिश की, उस समय बीच में गया, फिर बन्द हो जाता है। लोकल सोर्स वहां पर ओपनवैल और कुछ कुए हैं, जिनके माध्यम से वे अपना काम चला रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों को शुद्ध पानी मिले, इसमें हम प्रतिबद्ध हैं। और माननीय सदस्य को मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, बताना चाहता हूं कि काफी योजनाएं सरफेस वाटर की हमने इन तीन सालों में इसीलिए प्रारम्भ की है कि अण्डरग्राउण्ड वाटर शुद्ध नहीं मिलता है। जहां पर मिलता है, वहां पर उस सोर्स को हम काम में ले रहे हैं। इसीलिए मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि कुछ समय इसमें जरूर लगेगा। क्योंकि जब मैंने विभाग सम्भाला, चाहे 10 लाख की योजना हो, 20 लाख की योजना हो, उसका कम्प्लीशन पीरियड वही 18 महीने और 24 महीने होता था, अब उसको नौ माह कर दिया है। जो छोटी योजना है, उनका पीरियड घटाकर नौ महीने कर

(श्री सांवर लाल)

दिया है। अब यह योजना पहले, आते-आते ही स्वीकृत हुई थी इसलिए इनका समय कुछ ज्यादा हमने एक्जीक्युशन का रखा है। पर मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसका मिनिमम समय कितना हो सकता है, उसके आधार पर कम से कम समय में इन गांवों को, यह रतनगढ़ से सोर्स लाकर हमने किया है, इन गांवों को लाभान्वित करें ऐसी मैं व्यवस्था करने की कोशिश करूंगा। बाकी बिजली के लिए डेडिकेटेड फीडर की आवश्यकता होगी तो डेडिकेटेड लाइन हम डलवा देंगे जिससे कि व्यवधान नहीं हो। और ड्रिंकिंग वाटर पर जहां-जहां हमारी जानकारी में आता है, राजस्थान में डेडिकेटेड फीडर के लिए हम पैसा देते हैं जिससे निर्बाध रूप से पेयजल व्यवस्थाएं चलती रहें।

अब यहां पर 216 और 236 लाख का सवाल है, अब टेण्डर होते हैं, आपकी जानकारी में है, टेण्डर में ऊंची रेट पर जाते हैं तो कास्ट अपने आप बढ़ जाती है। और हम कोशिश करते हैं कि ज्यादा कहीं पुलिंग वगैरह या ज्यादा रेट नहीं हो, इस प्रकार का अंकुश लगाने के लिए सरकार करती है प्रयास। अब पैसा लगाने के बाद भी शुद्ध पानी धरती में से नहीं निकला और नहीं निकलने, कई जगह निकलने की गुंजाइश भी नहीं है, पर चूंकि पानी सबसे पहली आवश्यकता है, लोगों को पानी चाहिए। चाहे कहीं से भी मिले, कैसा भी मिले, मैं यहां की, बुधवाली गांव की बताना चाहता हूं कि जो पानी हम यहां से भेजना चाह रहे हैं वैसा पानी उनके गांव में है। कई बार वह यही कहते हैं कि आप तो, इसको आप छोड़िये, अब इसको ठीक मत करिये। हमारे तो जो दूसरी योजना सेंक्शन करी है दो-चार महीने में वह पानी पहुंचा दीजिये, पानी पीने लायक होगा, बाकी ऐसा पानी जो वहां से आ रहा है वह हमारे पास भी है। तो मैं इस आखिरी गांव के लिए तो आपको आश्वस्त करता हूं कि तीन -चार महीने के अंदर-अंदर मैं पानी पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और दूसरे जो गांव हैं उसमें योजना का समय कितना कम किया जा सकता है एक्जीक्यूशन में, वह करने का प्रयास करूंगा।

डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, चूरू का है यह, बहुत महत्वपूर्ण है, इसी से जुड़ा हुआ है।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, एक तो मैं जानना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है कि 2000 से 2007, सात साल तक पानी वहां नहीं गया। मंत्री महोदय यह बतायें कि जहां आपने यह योजना बनाई है

(श्री अमराराम)

वहां तो यह फ्लोराइडयुक्त पानी नहीं है। फ्लोराइडयुक्त पानी है उन पांच गांवों में जहां लोग फ्लोराइडयुक्त पानी पी रहे हैं, क्या जहां से आपने यह योजना बनाई है वहां अगर फ्लोराइडयुक्त है तो फिर सरफेस वाटर का ही बनाते, यह योजना आपने बनाई ही क्यों? अगर उसका पानी ठीक है, वहां इन पाँच गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी है जो करीब-करीब पी रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि पैसे ज्यादा क्यों लगे? मैं यह कह रहा हूं कि पैसे लगने के बाद भी 1995 के बाद आज तक पड़िहारा जो बारह हजार की पोपुलेशन है उनको कभी भी पूर्ण पानी नहीं मिला, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मतलब जितना आपने पैसा सैंक्शन किया उससे ज्यादा खर्च होने के बाद इस योजना से पड़िहारा गांव में पानी नहीं पहुंचा, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और सात साल तक पानी नहीं मिला है और वह पानी पी रहे हैं, मजबूरी में पी रहे हैं, वहां जो लोकल सोर्सेज हैं कुआ या बावड़ी, वह तो मजबूरी है, वहां पर यह तो है नहीं कि बिलकुल मर जायेंगे। और वहां जितना स्वास्थ्य खराब हो रहा है, आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हमने, 2005 में आपके आने के बाद यह सैंक्शन हुई। पाँच साल से पानी नहीं जा रहा...

श्री अध्यक्षः अब आप भाषण तो दें नहीं और प्रश्न पूछ लीजिये, हां।

श्री सांवर लालः अब, अध्यक्ष महोदय, आपके एक-एक बिंदु का जवाब दे दिया मैंने, और दे दूंगा।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, इनकी क्षमता यह है, इनकी सिकराना तालाब योजना जहां 22 ट्यूब वैल खुदे हुए हैं, उनमें से मात्र तीन चल रहे हैं।

श्री अध्यक्षः आप अपना प्रश्न पूछिये, क्षमता की बात न करें।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से है कि यह आपके सिकराना क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना, जिसमें 22 ट्यूब वैल खोदे हैं और मात्र तीन चल रहे हैं, यह इनकी कार्यक्षमता है, इनके विभाग की, कि 22 ट्यूब वैल खोदकर के पैसा खर्च कर दिया और उनमें से मात्र तीन चल रहे हैं। और उनमें भी इस तरह की घटिया किस्म की मोटरें, इन्होंने खुद ने स्वीकार किया है कि लगाई हैं, जिससे आउट कम सबसे कम दे रहे हैं, जो पानी होते हुए नहीं दे रहे...

श्री अध्यक्षः तो आप भाषण क्यों दे रहे हैं? प्रश्न पूछ लिया और वह बता दिया आपने। डाक्टर चन्द्रशेखर बैद। आप भी पूछ लीजिये, आप भी पूछ लीजिये। (व्यवधान)

डा. चन्द्रशेखर बैदः अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह पूछना चाह रहा हूं मंत्रीजी से...(व्यवधान)

श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): पड़िहारा की योजना जल्दी शुरू करवायें।

डा. चन्द्रशेखर बैदः मेरे प्रश्न का भी साथ में जवाब दे देना आप।

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी, उनको भी पूछने दें।

श्री सांवर लालः अब आपके तो बहुत लम्बी हुकूमत रही, चूरू, तो आप क्यों खड़े हो रहे हैं?

डा. चन्द्रशेखर बैदः कि जो पांच गांवों का नाम आपने लिया उसमें पड़िहारा गांव तो है नहीं, वह तो गैरआबाद गांव है। और बुधवाली में आज तक पानी पहुंचा ही नहीं और जहां से पानी सप्लाई करना चाहते हैं वह फ्लोराइडयुक्त है। मैं यह पूछना चाहता हूं क्या आप आपणी योजना का फेज टू शुरू करके इन गांवों को, रतनगढ़ तहसील को और सुजानगढ़ तहसील को लाभान्वित करना चाहते हैं क्या?

श्री अध्यक्षः ठीक है। उनको भी पूछ लेने दो।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जो लाभान्वित करने का सवाल है...

श्री अध्यक्षः उनका इलाका है, उनको भी पूछ लेने दो।

श्री सांवर लालः केवल यह सरकार ही चाह रही है, नहीं तो इनके तो बहुत लम्बा कार्यकाल रहा, अब काहे को इतनी बातें कर रहे हैं आप लोग। आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप बिराजिये, अभी भी मैं आपको कह रहा हूं कि हमने सारी शर्तें पूरी करके भारत सरकार के ग्रामीण मंत्रालय को भेज दिया। हमने मंत्रीजी से बार-बार रिक्वेस्ट किया है आपणी योजना फेज-टू सेंक्शन करने के लिए, अब फिर कह दोगे भारत सरकार। अब आप करो न वहां कार्यवाही कुछ, यहां बैठते हो कुर्सी पर, कुछ होता नहीं, वहां जाते हो कुछ करते नहीं हो और बातें करते हो केवल।

डा. चन्द्रशेखर बैद : आपणी योजना फेज-टू के लिए राजस्थान सरकार के सामने जो शर्तें रखीं वह शर्तें आपने मानी नहीं तो वह फेज-टू मंजूर कैसे करेंगे?

श्री राजकुमार रिणवा : अध्यक्ष महोदय, इस योजना को जल्दी शुरू करवायें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल: एक मिनट, वह पूरा करने दें।

श्री अमराराम (धोद): ऐसा ही पानी पिलाओगे, सात साल से पानी नहीं जाये और 22-22 ट्यूब वैल में से मात्र तीन चले हों और वह भी...

श्री सांवर लाल: एक मिनट, उनका कम्पलीट होने दें।

श्री राजकुमार रिणवा: वहां पानी की बहुत समस्या है, इस योजना को जल्दी शुरू करवायें आप। यह निवेदन है आपसे अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): तारानगर में अगर आज पानी की समस्या है तो उसके लिए जिम्मेदार कहीं न कहीं आप भी हैं। आज अगर तारानगर में पीने के पानी की समस्या है और राजस्थान के वित्त मंत्री रहते हुए, बहुत काबिल वित्त मंत्री मैं कहूंगा, रहते हुए और आज अगर तारानगर, चूरू और राजगढ़ में पानी की समस्या है तो you are equally responsible for that.

डा. चन्द्रशेखर बैद: यह तो रतनगढ़ की बात है, रतनगढ़ की बात है, तारानगर की बात ही नहीं है भाई साहब। यह तो रतनगढ़ की बात हो रही है, तारानगर की बात ही नहीं है। (व्यवधान) नहीं है।

श्री अध्यक्ष: उनका इलाका है।

डा. चन्द्रशेखर बैद: चूरू के हैं, वह बैठे राजेन्द्र सिंह राठौड़, पूछो उनसे। चूरू के मंत्रीजी बैठे हैं, उनसे पूछो आप, तारानगर में पानी की कमी... (व्यवधान)

डा. सुरेश चौधरी : चूरू पूरे जिले में है और चूरू पूरे जिले की व्यवस्था सुधारने का जिम्मा काफी लम्बे समय तक आपके पास रहा है...

श्री रामनारायण मीणा : आप दोनों क्यों बात कर रहे हैं?

डा. सुरेश चौधरी : और सुधार सकते थे आप।

श्री रामनारायण मीणा : देखिये, यह तो सदन को मानना पड़ेगा, अध्यक्षजी, यह तो सदन को मानना पड़ेगा कि भूमिगत जलस्तर गिरता जा रहा है। मेरे इलाके में सात-सात सौ फीट तक पानी नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप कहां, चूरू और पड़िहारा की बात हो रही है, आप अपने इलाके पर चले गये, क्या बात कर रहे हैं आप।

श्री अमराराम (धोद): हमारा तो उत्तर दिला दें अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण मीणा : मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि भारत सरकार को आप योजना भेजते हैं...

श्री अध्यक्ष: उप नेता महोदय, आपके इलाके की बात नहीं है, यह चूरू के पड़िहारा की बात है।

श्री रामनारायण मीणा : स्वीकृति लेते हैं लेकिन आप बार-बार यह कैसे कहते हैं आपकी भारत सरकार। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके मुख्य मंत्री। वह राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं, वह केन्द्र की भारत सरकार है। अब आप तालमेल नहीं रखो, समय पर पैसा नहीं लाओ, इसलिए मंत्रीजी, आप तो सक्षम आदमी हैं। आपके सामने जो समस्या है, कृपा करके उसको ठीक कर दीजिये, पैसा दे दीजिये, योजना को चालू कर दीजिये।

श्री अध्यक्ष: रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको पूछना है तो आप भी पूछ लें। रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपको पूछना है तो आप भी पूछ लीजिये। बस हो गया आपका तो। हां। माननीय मंत्रीजी, उनको भी पूछ लेने दो।

श्री राजकुमार रिणवा: अध्यक्ष महोदय, आपणी योजना को जल्दी लागू करवाने की कृपा करें और जो पडिहारा की अब योजना आई है मंत्री महोदय के पास में उसको भी अतिशीघ्र, तीन साल से पानी का स्तर नीचे जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आपणी योजना तो अलग है तो इससे। वह अलग योजना है, वह इसमें थोड़े ही है।

श्री राजकुमार रिणवा: हां, वह अलग है। उसको तो, उसको अध्यक्ष महोदय, 2031 तक के लिए टाल दिया गया है, इतनी बड़ी समस्या हो जायेगी।

डा. चन्द्रशेखर बैद: आपणी योजना में जो फेज-टू है इसके लिए के.एफ.डब्लू. ने प्रस्ताव भेज दिया राज्य सरकार को, राज्य सरकार ने उन शर्तों को मंजूर नहीं किया और इसलिए उन्होंने लोन नहीं दिया और फेज-टू योजना रतनगढ़ और सुजानगढ़ के लिए लागू नहीं हो सकी।

श्री अध्यक्ष: आप इनफोर्मेशन सीक कर रहे हैं या दे रहे हैं?

श्री राजकुमार रिणवा: वहां पर पीने के पानी की जबरदस्त समस्या है। दो साल, ढाई साल योजना को हो गये, उसको अतिशीघ्र पूरा करवाया जाय।

श्री अध्यक्ष: बोलिये। मंत्रीजी, मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी का जवाब सुनें, माननीय मंत्री का जवाब सुनें, बैठें अब आप।

श्री सांवर लाल: राजस्थान की जो स्थिति है पानी के संबंध में, सबको पता है माननीय अध्यक्ष महोदय, इसीलिए गत वर्ष हमने जल चेतना यात्रा, वाटर कंजर्वेशन, सब के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वाटर लेवल ऊपर बढ़े, क्वालिटी उसकी ठीक हो, सारी चीजों के ऊपर राजस्थान सरकार बनने के बाद में काफी कुछ किया है। (व्यवधान) अब आप सुन तो लो, जनता कोई तीन साल से ही थोड़े पी रही है।

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोलें, बैठे-बैठे नहीं।

श्री सांवर लाल: अब आप पूरी बात को सुनना ही नहीं चाहो, बीच-बीच में आब्सटेकल माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री कैलाश त्रिवेदी: आप क्या कर रहे हैं, सौ तालाब फूटे पड़े हैं और वह तो एक विधान सभा के ठीक ही नहीं हो रहे हैं...

श्री सांवर लाल: +++ सौ तालाब तो इसलिए फूटे हैं कि डेढ़ सौ को ठीक करा दिया हमने तीन साल में, बाकी पहले ध्यान रखते आप। कुछ पता तो है नहीं और पहली बार यों-यों कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यहां +++ नहीं बोलते हैं। आप +++ निकाल देना।

श्री सांवर लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को अर्ज करना चाह रहा हूं...

श्री अध्यक्ष: +++ शब्द बोला है वह निकाल देना।

श्री सांवर लाल: पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां पर भी जो व्यवस्था करने की जरूरत होती है हम कर रहे हैं बराबर। आपने जो सवाल उठाया है उसके संबंध में भी हमने कार्यवाही कर ली है। अब आप कह रहे हैं पानी खारा पानी है। लेकिन वहां पर पुराने जमाने से टांका बनाकर उसका पानी पीने के लिए पहली प्रेक्टिस इस्तेमाल करते हैं, फिर अगर पानी में कहीं कमी आती दिखती है तो जो खराब पानी और वह पानी है उसको मिक्स करके काम में लेते हैं, बाकी जानवर के लिए, नहाने धोने के लिए पानी काम में आता है। जहां-जहां पर...

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी, पांच सौ रूपये टैंकर के हिसाब से पानी ला रहे हैं लोग।

श्री अध्यक्ष : अब आपका, उसको तो आने दो आप। आपके प्रश्न का जवाब, वह तो आने दो।

श्री सांवर लाल : अब यह सब बता रहा हूं मैं।

श्री अमराराम (धोद): पांच सौ रुपये प्रति टैंकर, हर दूसरे दिन पांच सौ रुपये एक परिवार को खर्च करने पड़ रहे हैं वहां।

श्री सांवर लाल: यह दुर्भाग्य है कि वास्तव में खर्च करने पड़ते हैं और पीने का पानी पहली आवश्यकता है। इसलिए आदमी बिसलरी की बोतल खरीद कर भी पीता है, आपको पता है। यह सारी चीजें हम जानते हैं पर...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): तो बिसलरी पिलाओ फिर सब को। बिसलरी के चक्कर में आप आ गये, हां।

श्री सांवर लाल: आप तो गोल-मटोल हो रहे हो, विराज जाओ न, आपके +++ का काम है...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): यह मेरे उड़े हैं तो आप जैसे बिचौलियों से माथापच्ची करते हुए उड़े हैं। बिसलरी की बात कर रहे हैं, लोगों को भैंसों की पेशाब का पानी नहीं मिल रहा, बिसलरी की बात कर रहे हैं। मंत्री बनते ही नशा आ गया।

श्री सांवर लाल: माननीय अध्यक्ष महोदय: अगर उस जनता की चिंता होती तो आपका हुलिया कुछ अलग से लगता। दस-पन्द्रह वर्ष से मैं ही देख रहा हूं आपको यहां। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि वाटर सेक्टर में...

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): ऐसा है, आपसे तो पार नहीं पड़ेगा, डेढ़ साल में हम कर लेंगे।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप तो यह बताओ, गोल-मटोल कैसे हो रहे हो?

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर): आप इनके चक्कर में मत पड़ो।

श्री सांवर लाल मीणा : वाटर सेक्टर में जितनी योजनाएं हमने सेंक्शन की है, जितनी शुरू की है, यह अपने आप में एक रिकार्ड है और इनके पूरे होने में, माननीय अध्यक्ष, कुछ समय तो लगेगा। आज बाड़मेर लिफ्ट है, पोकरण-फलसूण्ड है, पाली वाली है...

श्री अमराराम (धोद): हम तो यह पड़िहारा की पूछ रहे हैं, आप कहां बाड़मेर जा रहे हैं, पड़िहारा का तो कल्याण कर दो आप, राजस्थान का कल्याण क्या करोगे, सात साल में एक बूंद नहीं गया, उसका कल्याण करो आप तो।

श्री सांवर लाल: पड़िहारा का तो हो जायेगा। अच्छा, आपको यही जानकारी चाहिए, पड़िहारा में आज की तारीख में 2001 के आधार पर जनसंख्या है 10069। पटियारा में आज तारीख में 2001 के आधार पर

(समय 12.00 बजे)

जनसंख्या है 10,069, वर्तमान में है 11560 अब ये सेंसेक्स तो मेरे डिपार्टमेंट ने नहीं किये। मेरे पास आंकडे हैं जो बता रहा हूं। और जो स्रोत से पानी मिल रहा है इनको 200 किलो पानी के हिसाब से प्रतिदिन मिल रहा है, लीटर के हिसाब से।

श्री अमराराम (धोद): कितना मिलना चाहिए?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह तो बहुत है, पर्याप्त है पानी, 200 तो शहरों में ही नहीं मिल पाता।

श्री अमराराम (धोद): वह लोकल स्रोत से मिल रहा है जो खारा है। अध्यक्ष महोदय, लोकल स्रोत से जो पीने लायक नहीं है, उससे बता रहे हैं आप। जो आपकी योजना है उससे मिल रहा है मात्र 200 और लोकल स्रोत से मिल रहा है 768 मतलब तीन गुणा तो जो लोकल स्रोत हैं जो पीने लायक नहीं है, उससे मिल रहा है यह तो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर आप मीठा निकाल सकते हो तो करोड़ दो करोड़ रूपए आपको सरकार की तरफ से दिलवा देता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहा रहा हूं...

श्री अमराराम (धोद): ...(व्यवधान) खारा है तो जब यह योजना कैसे बनाई आपने?

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): यह योजना जो बन रही है मीठे पानी की है।

श्री अमराराम (धोद): हां तो उसी से देने की है लोकल स्रोत से... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

श्री सांवर लाल (सिंचाई मंत्री): मैं आपको यही बता रहा हूं कि यह मीठे पानी की है इसको एक्जीक्यूशन का टाइम घटा के टाइम से उनको पानी देने की कोशिश करेंगे।

श्री अमराराम (धोद): धन्यवाद।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: बिराजे। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री भरत सिंह (106) एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद आरम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।
2. श्री खुशवीर सिंह (30) एवं श्री हेमाराम चौधरी (200) की ओर से राज्य में डोडा-पोस्त के क्रय-विक्रय मूल्य में भारी विसंगति के संबंध में।

स्थगन प्रस्ताव के रूप में तो अनुमति देने में असमर्थ हूं फिर भी माननीय सदस्य श्री भरत सिंह एवं श्री खुशवीर सिंह को अपने प्रस्ताव के विषय में तीन-तीन मिनट बोलने की अनुमति होगी।

शून्यकाल

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): मेरा नाम नहीं लिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में नहीं। No, sit down, No, please sit down. डा. श्रीगोपाल बाहेती, सदस्य की ओर से...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): आपने मेरा नाम नहीं लिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ...(व्यवधान) अध्यक्ष कहता है सिट डाउन तो सिट डाउन। यह होती है बात। प्लीज आप स्थान ग्रहण करें ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नहीं सिट डाउन का क्या अर्थ हुआ? +++

श्री अध्यक्ष: प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं बोल दूंगी, मुझे बोल लेने दीजिए...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन के विरूद्ध इस तरह की टिप्पणी अशोभनीय है, मुझे पीड़ा है, यह सर्वोच्च आसन है। आसन के प्रति इस तरह की बात अध्यक्ष महोदय यह शब्द आसन के लिए आदर योग्य है यह आसन के लिए किस तरह की बात करते हैं?...(व्यवधान)

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह धौंस शब्द निकाला जाए...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): आप जबरदस्ती करना चाहते हो... (व्यवधान) इन्होंने क्या अशोभनीय कहा है, ऐसा कुछ नहीं कहा है, आप जबरदस्ती आग लगाना चाहते हो...(व्यवधान) कुछ नहीं कहा है।

श्री अध्यक्ष: रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य कृपया स्थान ग्रहण कर लें। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, आप बहुत वरिष्ठ हैं। मैं मानती हूं कि मैं धौंस डरा नहीं रही हूं। मैं आपको नियमों की बात बता रही हूं कि स्थगन प्रस्ताव जो है वह आते हैं ऐसी इम्पोर्टेंट, इतनी महत्वपूर्ण बात होती हैं और ऐसी जो सदन में पूरी कार्यवाही को छोड़ करके और उस पर चर्चा की जाए। फिर भी इस विषय पर बोलने के लिए, चूंकि यह किसानों से संबंधित मामला था, मैंने फिर भी तीन तीन मिनट बोलने की अनुमति दी। यह केवल एक ही व्यक्ति को दी जाती है। आपने साथ में किया आप खुशवीर सिंहजी नहीं चाहे आप बोल दीजिए, मुझे क्या आपत्ति है? लेकिन यह थोड़े ही है कि मैंने अनुमति दी इसका मतलब जितनो ने दिया मैं सबको बोलने का मौका दूं। स्थगन प्रस्ताव का पहले महत्व समझिए। आप नियम-50 का महत्व समझिये कि उसका महत्व क्या है। मैं तो फिर भी सदाशयता का परिचय देती हूं, धौंस-दपट का सवाल नहीं है। लेकिन यह कोई आसन का करने लग जाएगा, आसन से बहस ही करने लग जाएगा तो आसन को भी आंख दिखानी पड़ती है Yes, you can sit here आराम से बैठिये कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठिये आप। श्री भरतसिंहजी।

(कांग्रेसी सदस्य श्री हेमाराम चौधरी द्वारा सदन कूप में आकर बैठना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हेमारामजी अब आप मत उठ जाना, किसी हालात में नहीं उठना ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): संघर्ष करना, उठना नहीं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, क्या जबरदस्ती हो रही है सदन के अन्दर धक्कामुक्की हो रही है ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नई परम्परा यहां पैदा की जा रही है। प्रतिपक्ष के द्वारा इस तरह की नई परम्परा पैदा की जा रही है। आसन सर्वोपरि है, आसन का सम्मान करना नहीं जानते हैं ये...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बोलने से पूर्व, एक सैकिण्ड आप बिराजे। डा. श्रीगोपाल बाहेती सदस्य की ओर से जयपुर में मीडिया कर्मियों पर किये गये कथित हमले के संबंध में। इस विषय पर सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायेगा। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं। लेकिन सरकार से उस समय आपको प्रश्न पूछने का निश्चित तौर से अवसर होगा।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, तत्काल का मुद्दा है मुझे इस पर बोलने की अनुमति दी जाए, दो मिनट के लिए। तत्काल का मुद्दा है, घटना कल ही हुई है कोई विलम्ब का मामला नहीं है। और मीडिया कर्मियों पर हमला हुआ है, सामान्य बात नहीं है। मुझे बोलने की अनुमति दी जाए इसके ऊपर यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको दो मिनिट का समय दूंगी आप अपनी बात कह दीजिएगा।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि ऐसी की ऐसी घटना 22 तारीख को अलवर में हुई थी ...(व्यवधान)

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: मैं व्यवस्था दे रही हूं ना, प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

1. श्री मुरारीलाल मीणा (122), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई के कस्बा बहिया कलां व गुढ़ाकटला के पास एनीकट का निर्माण करने के संबंध में।
2. श्री मोहनलाल गुप्ता (124), सदस्य की ओर से जयपुर शहर के रसोई गैस धारकों की समस्या के संबंध में।
3. श्री जोगाराम पटेल (146), सदस्य की ओर से राज्य के विभिन्न न्यायालयों में सहायक लोक अभियोजक, प्रथम एवं द्वितीय द्वारा नेक नीति से पैरवी नहीं करने के संबंध में।
4. श्री रामनारायण मीणा (138) सदस्य की ओर से कानूनगो सर्किल करवर को यथावत तहसील नैनवां में रखने के संबंध में।
5. डा. सुरेश चौधरी (186), सदस्य की ओर से सिद्ध मुख परियोजना के

(श्री अध्यक्ष)

अंतर्गत चौकों की रीफिटिंग का कार्य त्वरित गति से करवाकर बराबन्दी लागू करने के संबंध में।

6. श्री जीवाराम चौधरी (52), सदस्य की ओर से जिला जालौर एवं बाड़मेर की डोडा-पोस्त की सरकारी लाइसेंस फीस को कम करने के संबंध में।

7. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (189), सदस्य की ओर से जोधपुर शहर के सुनियोजित विकास हेतु प्राधिकरण का गठन के संबंध में।

8. श्री बंशीलाल खटीक (89), सदस्य की और से मार्बल कटर उद्योग को रायल्टी मुक्त करने के संबंध में।

9. श्री भंवरलाल राजपुरोहित (102), सदस्य की ओर से मकराना में सत्र न्यायालय खोलने के संबंध में।

10. श्री हेमराज मीणा (199), सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र किशनगंज के शाहबाद में ओलावृष्टि से प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा देने के संबंध में।

11. डा. श्रीगोपाल बाहेती (167), सदस्य की ओर से पुष्कर एवं अजमेर का जवाहरलाल नेहरू रिन्युअल मिशन के तहत विकास करने के संबंध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 22 तारीख को मीडिया कर्मियों के साथ कोर्ट के कुछ कर्मचारियों ने उनके कैमरे फेंक-फेंक कर तोड़ दिये थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डा. श्रीगोपाल बाहेती ने यह प्रश्न रख दिया और यह प्रश्न रख दिया अब आपको बोलने की अनुमति ...(व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव जब दिया जाता है जो अध्यक्षीय व्यवस्था के समय उसके पास नहीं होती है आप प्लीज स्थान ग्रहण कर लें।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सरकार को इसके ऊपर वक्तव्य, जवाब दें...

श्री अध्यक्षः सरकार के लिए कह तो दिया ...(व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): यह अलवर का मामला है 22 तारीख का है, अलवर का मामला है।

श्री अध्यक्षः अलवर का मामला है आपको लिखित में देना चाहिए। ऐसे नहीं उठता है अलवर का मामला है, मौके पर उठाइये। अब श्री भरतसिंहजी।

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्षजी, आप ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः उनको भी बोल लेने दो शून्यकाल तो है अभी आप कह देना, वह खड़े हो गये हैं।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

समर्थन मूल्य पर सरसों की खरीद शुरू नहीं होना

श्री भरत सिंह (दीगोद): माननीय अध्यक्ष जी, आपका मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि पिछले एक महीने से कोटा क्षेत्र की मण्डियों में नई सरसों की उपज बाजार की मण्डियों में आ रही हैं। सरकार ने जो है 1715 रूपए समर्थन मूल्य सरसों का निर्धारित किया है और पिछले एक महीने से किसान को मजबूरी में समर्थन मूल्य पर खरीद चालू नहीं होने की वजह से अपनी उपज कम से कम 100-150 क्विंटल कम भाव से मंडियों में बेचनी पड़ रही हैं। आज राज्य सरकार को आवश्यकता है कि तत्काल सरसों की खरीद जो है समर्थन मूल्य पर आरम्भ करें। पिछले वर्ष एक मार्च से इसकी खरीद आरम्भ करी थी और आज 6 तारीख हो चुकी हैं। हमारी समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं होने की वजह से किसानों को प्रतिदिन कोटा संभाग के अंदर ही कम से कम 25 लाख रूपए की आर्थिक हानि हो रही है और ओलावृष्टि और वर्षा से किसानों की फसल पहले ही प्रभावित हुई है और इस साल सरसों की उपज में जो पैदावार कोटा संभाग में बैठ रही है वह कम है। संभव है कि राजस्थान के अन्य प्रदेश में भी कम बैठे और क्योंकि सरसों का रकबा इस साल ज्यादा है। तो सरकार को आवश्यकता है कि तत्काल और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस पर कृषि मंत्रीजी जो हैं, और संबंधित मंत्री वक्तव्य देंगे और केन्द्र सरकार के ऊपर बात नहीं टाली जाए। सरकार अपनी खरीद आरंभ करे और इसकी जो व्यवस्था, पैसे के भुगतान की है, वह केन्द्र से बात करके राजस्थान के किसान को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उपमुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो उलटा चोर कोतवाल को डांटे। भारत सरकार को सरसों की खरीद शुरू करनी है राजस्थान सरकार सारी व्यवस्था कर चुकी है। नेफेड को करनी है। भारत सरकार सरसों की खरीद शुरू नहीं कर रही है ।

श्री अध्यक्ष: आप किस हैसियत से बोल रहे हैं?

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी इसमें यही आग्रह है कि केन्द्र सरकार तुरंत इसमें हस्तक्षेप करके तुरंत खरीद शुरू करवाये सरसों की किसान परेशान है सरसों बाजार में सस्ते भाव में बेचनी पड़ रही है।

श्री शांतिलाल चपलोत: माननीय अध्यक्षजी, सरसों की खरीद बहुत गंभीर है।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): इसलिए हम तो प्रतिपक्ष के साथियों से सहयोग चाहेंगे कि आप लोग केन्द्र सरकार से कह कर और जल्दी से जल्दी स्वीकृति करायें और इसमें हम तो चाहेंगे कि ... ।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन के माध्यम से...।

श्री गोविन्द राम मेघवाल (नोखा): ...इसमें आम सहमति बना करके और जल्दी से जल्दी सरसों खरीद के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव बनाया जाए।

श्री भरत सिंह: ...(व्यवधान) केन्द्र सरकार ने कभी मना नहीं किया।

श्री शांतिलाल चपलोत: हजारों क्विंटल सरसों प्रतिदिन आ रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सहकारिता मंत्री।

श्री शांतिलाल चपलोत: और अभी तक खरीददारी चालू नहीं हुई है मुझे लगता है कि...।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से संबंधित मामला है गत वर्ष भी ...। आप कृपा करके ...।

श्री शांतिलाल चपलोत: अभी तक केन्द्र सरकार इस बारे में गंभीरता से नहीं ले रही है। केन्द्र सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और सरकार जितनी सहायता दे सके देनी चाहिए। अब की बार गये साल से भी ड्योढ़ी सरसों हुई है । माननीय अध्यक्ष महोदय, और अभी तक केन्द्र सरकार

(श्री शांतिलाल चपलोत)

इस बारे में गम्भीर नहीं लग रही है और खरीद के लिए विशेष तैयारी उनकी लगती नहीं है।

श्री अध्यक्षः सहकारिता मंत्रीजी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय अध्यक्षजी, यह मामला जितना गम्भीर है, मेरा जहां तक ख्याल है ...।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने स्पष्ट कहा है राज्य सरकारों को कि तुरन्त खरीद शुरू करें ।

श्रीमती ममता शर्माः अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने पिछले वर्ष भी ढाई हजार करोड़ की सरसों खरीदी थी । खरीदने की जिम्मेदारी तो आपकी है पैसा देगी केन्द्र सरकार तो ।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह गलत बात कर रहे हो आप यह राज्य सरकार बिलकुल गम्भीर नहीं है इस मामले में।

श्रीमती ममता शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों का मामला है बहुत गंभीर मामला है। सरसों की खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है और जब बात आती है ये केन्द्र सरकार पर टाल देते हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): और राजस्थान का किसान लुट रहा है मंडियों में कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से।

श्रीमती ममता शर्माः केन्द्र सरकार केवल पैसा देगी खरीदने की व्यवस्था तो आप करें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जैसी प्रतिपक्ष की भावना है उस भावना को देखते हुए ...।

श्री अध्यक्षः माननीय कृषि मंत्रीजी, माननीय सदस्यों की उत्तेजना को देखते हुए यदि आप इस बारे में कुछ कहना चाहें।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट मैं एक निवेदन करूं। एक मिनट।

श्री अध्यक्षः अब क्या कहेंगे? बात हो गयी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मुझे परमीशन दें एक मिनट के लिए।

श्री अध्यक्षः जब मंत्रीजी खड़े हो गये फिर क्या बात है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कमाल यह है कि अध्यक्षजी, कृषि मंत्रीजी सहकारिता मंत्रीजी भी हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट एक निवेदन सिर्फ एक मिनट माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री शांतिलाल चपलोत: ...(व्यवधान) अभी तक केन्द्र सरकार उस बारे में कोई गंभीरता नहीं ले रही है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): केन्द्र सरकार को गाली निकालने के लिए पैदा हुए हैं क्या अपन? अपन तो किसानों की समस्याओं के लिए ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन की पूरी भावना है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी खड़े हैं। और आप बीच में क्यों खड़े हैं? मंत्री जी खड़े हो गये हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट आपकी परमीशन से एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: बात तो आ गयी न?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आपकी परमीशन से।

श्री अध्यक्ष: बात आ गयी मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक मिनट। आधा मिनट कर दें।

श्री अध्यक्ष: क्या होगा? बात उठा ली उन्होंने।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ...(व्यवधान) आपकी पंचायती काहे की है? आपको काहे की पंचायती है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य, भरत सिंहजी ने जो स्थगन प्रस्ताव जिस बात पर..।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक लाइन।

श्री अध्यक्ष: आप क्यों लेकिन? क्या मतलब?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): एक लाइन निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नो-नो, प्लीज सिट डाउन। हां माननीय कृषि मंत्रीजी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य एवं अन्य माननीय सदस्यों द्वारा जो चिन्ता जाहिर की है वास्तव में यह वाजिब है और यह किसानों से जुड़ा एक संवेदनशील मुद्दा है। लेकिन मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि समर्थन मूल्य पर सरसों की

(श्री प्रभुलाल सैनी)

खरीद भारत सरकार के नेफेड के द्वारा की जाती है और नेफेड को माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा, सहकारिता मंत्रीजी के द्वारा, राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव के द्वारा कई पत्र लिखे। हम लोगों ने राजस्थान में सरसों क्रय करने हेतु आग्रह किया है लेकिन आज दिन तक भी नेफेड के द्वारा राजस्थान सरकार को सरसों क्रय की अनुमति नहीं मिल पायी है। मैं आपको यह जानकारी देना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल सही है कि राजस्थान में इस वर्ष लगभग 28 लाख हैक्टैयर में सरसों की बुवाई की गयी है। और यह भी सही है कि 40-42 लाख मीट्रिक टन सरसों राजस्थान में इस वर्ष उत्पादित होगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के द्वारा माननीय मुख्य मंत्रीजी के द्वारा हम लोगों ने केन्द्र सरकार को नेफेड को 20 लाख मीट्रिक टन सरसों क्रय करने के लिए प्रस्ताव भेजे हैं। और जो मित्रवत राजस्थान सरकार सहयोग कर सकती है किसानों के हित में, हम लोगों ने 263 केन्द्र चिह्नित करके भारत सरकार को भेजे हैं। लेकिन सरसों क्रय की नेफेड के द्वारा अनुमति आज दिन तक हम लोगों को नहीं मिली। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि ज्यों ही आप...।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जाकर के मिले हो क्या? यह पत्र भेजे रोजाना अख़बार में पढ़ते हैं ये योजनाएं। कृपा करके आम जनता का, सभी पार्टियों के किसान हैं आप जाकर कब मिल रहे हैं? कृपा करके आप जाकर के बात करें। आपके मुख्य मंत्रीजी रोजाना दिल्ली जाती हैं आप उनको सजेस्ट करिये और आप जाकर के बात करिये। बहुत गंभीर मसला है। और आपके पास तो खजाना है बैंकों से लोन ले लीजिये बाद में पैसा मिल जाएगा आपको।

श्रीमती ममता शर्मा: माननीय अध्यक्ष महोदय, यह खरीदना तो चालू करें पैसा तो आ जाएगा केन्द्र सरकार से। आपने खरीद ही चालू नहीं की । आपने केन्द्र ही नहीं खोले अभी तक खरीद के पैसा देने को केन्द्र मना नहीं कर रही है लेकिन आप लोग खरीद ही चालू नहीं कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): पिछली बार खरीदा था ...(व्यवधान) जिसके आंदोलन करके बैठ गये।

श्रीमती ममता शर्मा: किसान परेशान हैं अभी तक आपने खरीद चालू नहीं की और आप हर बात नेफेड और केन्द्र सरकार पर टाल देते हैं।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): तो यह बात केन्द्र सरकार को क्यों नहीं बताते हो?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी खड़े हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, तारीख तो बतायें कब से शुरू करेंगे?

श्री अध्यक्ष: पूरी बात तो सुनिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): वो केन्द्र सरकार से पूछें।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या ने यह कहा कि आप लोग ...।

श्री अध्यक्ष: नहीं आप तो एक बात स्पष्ट कर दो कि जब तक नेफेड नहीं कहेगी हम नहीं कर सकते, यह बोल दो बस।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): नहीं इसके अलावा फिर भी मैं कहना चाहूंगा सदन को कि यह किसान से जुड़ा मुद्दा है इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। और हम सबको सदन में एक प्रस्ताव लाना चाहिए इस बात का कि नेफेड शीघ्र राजस्थान में सरसों का क्रय प्रारम्भ करे। क्योंकि राजस्थान सरकार और ये सदन, चाहे वो पक्ष हो या चाहे विपक्ष हो, हम सब मिलकर चाहते हैं कि राजस्थान में किसानों की सरसों समर्थन मूल्य पर जो कृषि मूल्य एवं लागत आयोग द्वारा जो राशि निर्धारित की गयी है 1715 रुपये, उसका निर्णय हम सब इस सदन के माध्यम से लेकर भारत सरकार से यह कहें कि आप शीघ्र, राजस्थान में सरसों क्रय केन्द्र खोलने की अनुमति हमें दी जाए।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप सारे मंत्रियों का सर्टिफिकेट, कल अभिभाषण के समय सब मंत्रियों का जो केन्द्र के आये हैं, उन्होंने आपकी जो तारीफें की हैं वो सब बांच चुके। आप अकेले जाकर नहीं करा कर ला सकते क्या? आपने सबको पढ़ा। आपने, माननीय सदस्य ने अभिभाषण पर पढ़ा था कि फला मंत्री ने आपकी तारीफ की सरकार की, मुख्य मंत्रीजी की। तो आप जाकर करवा लो न इसको।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): हरिमोहनजी, आप साथ जाएंगे तब होगा। आप जाइये।

श्री अध्यक्ष: हर मामले में खड़े होना उचित नहीं है।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : अध्यक्ष महोदय, किसानों के मामले में

(श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी)

केन्द्र सरकार का सहयोग मिलता नहीं है यूरिया लेट दी, आपको एड देनी थी बाड़मेर को कम दी आपने। हर काम में आपकी सरकार असहयोग करती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): किसानों के मामले में जो अत्याचार इस सरकार ने किये हैं न टीटी साहब वो तो राजस्थान में मिसाल रहेगी। 17 आदमियों को क़त्लेआम कर दिया। किसानों की बात करने वालों ने और आज किसानों के हितों की बात करते हो। खुद तो इंकंपीटेंट हो और बोझ दूसरे पर डालना चाहते हो।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी : आप किसानों को गुमराह करते हो एक भी किसान नहीं आपके कार्यकर्ता करते हैं सारा। कितने किसान आये थे आपके आंदोलन में? दो सौ किसान नहीं आये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ये युनूस खानजी पर भी हमारे कार्यकर्ताओं ने किया होगा हमला? थोड़ा बहुत तो शर्म करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दीगोद से आने वाले माननीय सदस्य को कि इन्होंने बड़ा समसामयिक और बड़ा किसान से जुड़े मुद्दे को उठाया। कृषि मंत्री महोदय ने आपसे एक आग्रह किया है सरसों न्यूनतम मूल्य पर खरीद करें नेफेड खरीद करती है और राजस्थान सरकार ने सारा प्रबंध कर लिया है। तो अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक प्रस्ताव सर्वसम्मत प्रस्ताव कृषि मंत्री महोदय ने जो रखा है उसके अनुसार सदन पारित करे। अगर हम सारे किसानों के हितैषी हैं तो हम क्यों नहीं एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार पर यह दबाव बनायें कि सरसों की समर्थन मूल्य पर खरीद करना प्रारंभ करें? अध्यक्ष महोदय, पिछले साल 1 मार्च से खरीद प्रारंभ हो गयी थी। इससे पहले 15 फरवरी को खरीद प्रारंभ हो गयी थी। आज किसान लुट रहा है। अध्यक्ष महोदय, आज किसान अपनी फसल को मंडियों में लेकर आ रहा है उसको 1650 रुपये प्रति क्विंटल बेचना पड़ रहा है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप तो हमेशा किसानों के हितैषी रहे हैं, एक प्रस्ताव आये...।

श्री अध्यक्ष: वो प्रस्ताव तो लायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): और मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रस्ताव रखें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार

बिलकुल इस मामले में गम्भीर नहीं है। सरकार तो आपस में लड़ रही है। इनके जूतियों में खीर बंट रही है इनको कहां ध्यान है किसान का।

श्री अध्यक्ष: नेता प्रतिपक्ष कुछ सुझाव दे रहे हैं आपको।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यही हालत बिजली के मामले में रही है, यही हाल यूरिया और डीएपी के मामले में हुआ है।

श्री अध्यक्ष: आपके नेता खड़े हैं आप भी खड़े हैं।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब ने सदन के सामने एक प्रस्ताव रखा है इस संबंध में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि न तो मंत्री महोदय जाकर दिल्ली मिले हैं न मुख्य मंत्रीजी जाकर वहां मिले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी ने पत्र लिखे हैं इन्होंने पत्र लिखे हैं। हमारा शिष्ट मंडल जाकर मिला है। अगर इसकी आवश्यकता नहीं है तो मजबूती से कह दो न कि हम किसानों की सरसों समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए इसके पक्ष में नहीं है और प्रस्ताव रख रहे हैं आप विरोध कर दें। आप बायकाट कर दो। रख रहे हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आवाज़ तो हम उठा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम पक्ष में नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपकी अनुमति से प्रस्ताव रखने का अधिकार हमारा है अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव रख रहे हैं आप बॉयकाट कर दो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अगर सरकार अपनी मर्जी से, बिना स्थगन प्रस्ताव सरकार अपनी मर्जी से प्रस्ताव लाती तो पहल आपकी होती। आप तो कर नहीं रहे हो। इधर से प्रस्ताव आया और आप उस पर बात कर रहे हो और किसानों के हितैषी बन रहे हो। सरकार को अपनी तरफ से प्रस्ताव लाना चाहिये था पहले। सरकार को अपनी बात कहनी चाहिये थी, सरकार को वक्तव्य देना चाहिये था । सरकार तो चुपचाप बैठ गई, सांप सूघ गया सरकार को तो काम करने में और अब उसको राजनीतिक रूप देकर इधर उधर की बात करके किसानों के हितैषी बनने का नाटक कर रही है सरकार।

श्री जोगाराम पटेल: इधर उधर की नहीं मुद्दे की बात है, यह प्रस्ताव

(श्री जोगाराम पटेल)

लाया जाये और केन्द्र सरकार को भेजा जाये यह मुद्दे की बात है। राजस्थान के किसानों के हितों की बात है तो यह पवित्र सदन आज ही प्रस्ताव लाकर केन्द्र सरकार को भेजे कि समर्थन मूल्य पर... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राजस्थान की विधान सभा अपनी भावना गत टाइम पर प्रस्तुत कर चुकी है। उस प्रस्ताव के आधार पर ही जाकर मिल लो कि हम सब की भावना यह है हमने प्रस्ताव दिया था।... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): केन्द्र सरकार किसान पर कोई दया नहीं कर रही है। केन्द्र सरकार का समर्थन मूल्य पर खरीद करना आवश्यक है और केन्द्र सरकार उसका इंतजाम करें, नेफड के द्वारा उसका इंतजाम होना चाहिये। वह बात तो करते नहीं हो। पिछली बार जो सरसों की खरीद हुई उसका पेमेंट कितने दिन बाद मिला?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): किसान विरोधी हो इसीलिए तो विपक्ष में बैठे हो आप । आप तो बहुमत के आधार पर प्रस्ताव लाइए, पारित करते हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): इसको संकल्प के रूप में लाना चाहिये, प्रस्ताव लाकर पास करना चाहिये।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, यह सरकार किसानों के प्रति बिलकुल संवेदनशील नहीं है। (व्यवधान) यह सरकार आपस में लडने में जुटी हुई है और मंत्रियों को पिटवाने में लगी हुई है। किसान लुट रहा है। (व्यवधान) आपको तो लडने से फुर्सत नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): रिकार्ड तोड फसल खरीदी उसका तो पेमेंट किया नहीं, उसका पेमेंट आया एक साल बाद ... (व्यवधान) और आज प्रस्ताव लाने में दिक्कत आने लगी।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप कहना क्या चाहते हो, संसदीय कार्य मंत्रीजी? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आप कल तो कह रहे थे हमारा खजाना भरा हुआ है। आप खरीद शुरू नहीं कर सकते, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है क्या? आप खरीद शुरू करवाओ, आप घोषणा करो कि फलां तारीख से खरीद शुरू करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपको नियम 306 के अंतर्गत अधिकार है, कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेगा कि सदन के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा । इस नियम के अंतर्गत मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, पहले भी प्रस्ताव लाये जाते रहे हैं और आपको याद होगा कि पंजाब में रावी व्यास के पानी के मुद्दे पर मुख्य मंत्री को अधिकृत किया गया था। लेकिन पंजाब में जाकर मुख्य मंत्री ने राजस्थान की विधान के द्वारा पारित किये गये प्रस्ताव के साथ धोखा किया और उन लोगों के लिये पंजाब में वोट मांगे जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह कहा कि हम राजस्थान को पानी नहीं देंगे। धोखा किया, राजस्थान की मुख्य मंत्री ने और इस पवित्र सदन का अपमान करने का काम किया। जिस सर्वसम्मत प्रस्ताव से मुख्य मंत्री को सशक्त किया गया अधिकार दिया गया, उसके खिलाफ जाकर पंजाब में वोट मांगने का काम किया है। आप क्या सर्वसम्मत प्रस्ताव की बात करते हो? मुख्य मंत्री ने इस सदन के द्वारा पारित प्रस्ताव की भावना के साथ धोखा करने का काम किया है चुनावों में। कौनसे प्रस्ताव की बात करते हो आप? राजस्थान की जनता के साथ इस सदन के द्वारा दी गई....(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): (व्यवधान) पंजाब में तब कांग्रेस का राज था (व्यवधान) केन्द्र में कांग्रेस का राज था। दिल्ली और पंजाब दोनों जगह कांग्रेस का राज था। (व्यवधान) और आज बादल का राज आये दो दिन नहीं हुए और आज दो दिन में आपको इतनी चिंता हो गई।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): चिंता नहीं हुई हमारे प्रस्ताव का दुरुपयोग हुआ है। वहां जाकर पंजाब के चुनाव में (व्यवधान) जो आपकी पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र था उसका आपने समर्थन किया उसके आधार पर वोट मांगे, हमारे प्रस्ताव का दुरुपयोग किया। हमारी भावनाओं के खिलाफ पंजाब का चुनाव घोषणा पत्र लिखा गया तो उसमें कहा गया कि हम इसको परिवर्तन करेंगे, हमारी भावनाओं के विपरीत सर्वसम्मत प्रस्ताव के विरोध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब में जाकर प्रदर्शन किया है उससे बड़े शर्म की बात... (व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): यह कह कर आप काश्तकारों को गुमराह कर रहे हैं, सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): दो दिन में तो आपको इतनी चिंता हो गई (व्यवधान) दिल्ली और पंजाब में साल भर तक राज था तब नहीं बोले आप और आज दो दिन में बादल की चिंता हो गई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण । सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी को सर्वसम्मति से अधिकार दिया था रावी व्यास के पानी के मुद्दे पर और अभी चुनाव में जाकर उन्होंने इस सदन के द्वारा जो ताकत उनको दी गई है...

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): ×××

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: प्लीज। (व्यवधान) आपने जो मुद्दा उठाया है वह एक अलग से प्रश्न है उसके साथ इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर, आसन पांवों पर है। लेकिन क्या इसमें कोई विवाद हो सकता है क्या कि यहां सरसों की खरीद आपके समर्थन मूल्य पर हो, यह तो कोई विवाद का विषय नहीं है। क्या दिक्कत है, विवाद का विषय है, क्यों है?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: पहले बात सुनिए, आप पहले बात सुनिए।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर ।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं यह पूछ रही हूं कि सदन यदि कोई प्रस्ताव पास करे....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, मेरे बात यह समझ में नहीं आ रही है कि यदि सदन इस संबंध में कोई सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करे कि सरसों की खरीद समर्थन मूल्य पर हो, और यह समर्थन मूल्य हो, तो उसमें कोई आपत्ति है क्या?

अनेक माननीय सदस्य (प्रतिपक्ष) : आपत्ति है, आपत्ति है ।

श्री अध्यक्ष: आप किसान के हित में काम नहीं करना चाहते?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसमें इनको आपत्ति है, यह विरोध करना चाहते हैं ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह टीटी (राज्य मंत्री, कृषि): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): 306 में अध्यक्षजी को अधिकार है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियम 306 में स्पष्ट प्रावधान है कि आप प्रस्ताव ला सकते हैं। कोई भी सदस्य प्रस्ताव ला सकते हैं, इसके संबंध में, 306 में यह स्पष्ट प्रावधान है। विरोध कर दें (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल (देसूरी): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): प्रस्ताव का विरोध कर दो, आपको अधिकार है।

श्री अमराराम (धोद): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ×××

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय.....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं (व्यवधान) बोलने दें ना उनको।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): ×××

श्री अध्यक्ष: उद्योग मंत्री खड़े हैं, आप क्यों खड़े हो गए? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): यह आपने ध्यान नहीं दिया (व्यवधान) फूड पोमोइल पर कम कर दी है, खतम कर दी है, उसका आयात इतना यहां पर बढ़ेगा, सरसों की कीमत उसके आधार पर घटेगी यह कोई, कौन खरीदेगा, नेफेड के माध्यम से आज तक खरीदते आये हैं। कौनसी नई बात है? (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आप खरीद शुरू करवाइये। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): प्रस्ताव आप लाये ना, बहुत प्रेम उमड रहा है भारतीय जनता पार्टी को। स्थगन प्रस्ताव तो पास करें क्या तकलीफ है? स्थगन प्रस्ताव पास करिये। आप सर्वसम्मति से पास करिये क्या तकलीफ है? पास करें सर्व सम्मति से...(व्यवधान) प्रेम उमड़ रहा है। पास करिये। बहुत प्रेम उमड़ रहा है, किसानों का प्रेम उमड़ रहा है आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था श्रीमुख से फरमा दी। आपने स्थगन प्रस्ताव निरस्त करते हुए..(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत प्रेम उमड रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय मेरी प्रार्थना यह थी कि आपने स्थगन प्रस्ताव पर अपनी व्यवस्था श्रीमुख से फरमा दी थी। स्थगन प्रस्ताव को रद्द करते हुए माननीय सदस्य को दो मिनिट बोलने की अनुमति दी थी और उस पर कृषि मंत्रीजी ने अपनी बात कही। और फिर मैंने आपका ध्यान नियम 306 की ओर आकर्षित किया (व्यवधान) जिसमें नियमों को निलंबित करके शिथिलता देकर आपको अधिकार है, हम आपकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अनुमति से, आपकी अनुमति से कृषि मंत्री महोदय इस सन्दर्भ में प्रस्ताव इसलिए रखना चाहते हैं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री भारत सरकार के कृषि मंत्री से मिली, भारत सरकार के प्रधानमंत्री से मिली, पत्र लिखा। यह कह रहे हैं मिले नहीं। प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री दोनों से मुख्य मंत्री मिली, उसके बाद भी सरसों की खरीद प्रारम्भ नहीं होना, आज राजस्थान का एक कोने से दूसरे कोने तक बैठा हुआ किसान इस मामले में दुःखी है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि 306 के नियमों में आपको अधिकार है उसका प्रयोग करते हुए... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): वह तो अपनी विदेश यात्रा की अनुमति के लिए मिली थी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सर्वसम्मत संकल्प आये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विदेश यात्रा की अनुमति के लिए मिली थी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अगर सर्वसम्मत संकल्प पारित नहीं हो तो ध्वनि मत से करायें, बहुमत से करायें। और उसके बाद भी प्रतिपक्ष के नेता सहित अगर इस बात का विरोध कर कहें हम सरसों के समर्थन मूल्य पर खरीद के पक्ष में नहीं है, तो बायकाट कर दें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): विरोध नहीं कर रहे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): विरोध नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर अपनी फेलियर को छिपाना चाहते हैं। आपको इतना प्रेम है, स्थगन प्रस्ताव आप पास करिये क्या तकलीफ है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बहुत प्रेम उमड़ रहा है आपको किसान का।

एक माननीय सदस्य: स्थगन प्रस्ताव पर रूलिंग पहले ही दे दी, स्थगन प्रस्ताव पर अध्यक्ष महोदय रूलिंग पहले ही दे चुके हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, तीस दिन से सरकार आपस में लड़ रही है, किसान हित का उन्हें ध्यान नहीं है। स्थगन प्रस्ताव

(डा. सी. पी. जोशी)

कांग्रेस वाले लाये। इतने हितेषी हैं किसान के तो प्रस्ताव पास करें, क्या तकलीफ है? केवल हाथी के दांत दिखाने के और व खाने के और। किसानों का इनमें प्रेम नहीं है, किसान के नाम से नेतागिरी करना चाहते हैं। यदि इनके मन में यह होता तो पिछली बार भी दीगोद वाले माननीय सदस्य स्थगन प्रस्ताव लेकर आये, अभी भी लेकर आये हैं। हम प्रस्ताव करते हैं(व्यवधान) स्थगन प्रस्ताव पास किया जाए।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, पिछले साल केन्द्र सरकार ने 2700 करोड़ रूपये की सरसों खरीदी और इस बार भी राजस्थान सरकार को उन्होंने तैयारी के लिए बोल रखा है, आप क्यों नहीं खरीद रहे हो? सरसों की खरीद में हमेशा...(व्यवधान) आप एक मिनिट सुनिये। राजस्थान सरकार सरसों खरीदती है उसको रिम्बर्स करती है, नैफेड के द्वारा रिम्बर्स किया जाता है। कहीं कोई मना नहीं किया है आपको सरसों खरीदने के लिए। इसलिए आप सरसों की खरीद शुरू करें, हम रिम्बर्स करायेंगे आपका। इन छोटी-छोटी बातों के लिए विधान सभा का प्रस्ताव, इन छोटी-छोटी बातों के लिए....(व्यवधान) सदन का दुरूपयोग है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): कहां दिक्कत है, आप आदेश लेकर आओ खरीद के लिए..(व्यवधान) केन्द्र सरकार की इच्छा है तो दो ना आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष यह कह रहे हैं कि सरसों की न्यूनतम मूल्य पर खरीद छोटी बात है। यह सदन में नहीं आनी चाहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार का ध्यान आकर्षित नहीं था, हमने आकर्षित किया, बडी बात होती...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): बहुत अच्छी भावना है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप तो असत्य के पुलिंदे हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि यह बात, चर्चा नहीं होनी चाहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सरकार सो रही थी, नहीं तो प्रस्ताव पहले लाती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह रिकार्ड पर है, आपने जो अभी शब्द इस्तेमाल किया है वह रिकार्ड पर है, छोटी बात है यह... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मेरी सब बातें रिकार्ड पर हैं, मैं तो यह कहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): छोटी बात है सरसों की खरीद की बात?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं तो यह कहता हूं कि सरसों की खरीद हम करवाएंगे। 2700 करोड रूपये की सरसों पिछले साल खरीदी गई थी। (व्यवधान) एक मिनिट बिराजे। 2700 करोड रूपये की सरसों पिछले साल केन्द्र सरकार ने खरीदी, रिम्बर्स किया। मैं समझता हूं कि पूरे हिन्दुस्तान में जहां पांच हजार करोड़ रूपये की सरसों खरीदी अकेले राजस्थान से, 2700 करोड़ की सरसों खरीदकर केन्द्र सरकार ने हमको सहयोग दिया। इनको धन्यवाद देना तो आता नहीं है। दूसरी बात, इस बार भी सरसों की खरीद के कहां मना किया है आप बताइये। आप ख्वामख्वाह बिना बात की बात कर रहे हैं। कोई प्रस्ताव लाना है तो आपके चैम्बर में सबको बिठाकर बात करिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): केन्द्रीय कृषि मंत्रीजी ने, माननीय मुख्यमंत्री ने भरपूर तारीफ की है, और उन्होंने भी उनकी की है। अब क्या चक्कर पड़ रहा है? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनिट मेरे को पूरा करने दें।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): हो गया, पूरा हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनिट बिराजें आप। मेरा आपसे यह निवेदन है कि इनको किसी ने मना किया क्या सरसों खरीदने के लिए? पत्र बतायें हमको (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरसों की खरीद के लिए इनके पास भण्डार नहीं है। इनके पास रखने के लिए जगह नहीं है। सरकार की कोई तैयारी नहीं है। यह जानबूझकर बिचौलियों को लाभ देने के लिये सरसों की खरीद शुरू नहीं कर रहे हैं। (व्यवधान) आपको शुरू करनी चाहिए। और कहीं दिक्कत आती है तो हमारे विपक्ष के नेता शरद पंवारजी से, प्रधानमंत्रीजी से बात करेंगे और किसानों के लिये पूरा सहयोग करेंगे। (व्यवधान)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): एक मिनट, खाली एक करोड़ रुपये दिये हैं। क्या भरोसा कि आप सरसों के पैसे भी नहीं दो? सौ करोड़ रुपये दिये हैं, बाढ़ में खाली। तीन हजार करोड़ रुपये की डिमाण्ड थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक हजार करोड़ रुपया आया हुआ है। आप यह बात ..(व्यवधान) आपको मालूम नहीं है। नेचुरल केलेमिटी फण्ड में आपके पास एक हजार करोड़ रुपया आया हुआ है। सौ करोड़ रुपये तो एक्स्ट्रा दिये हैं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आज भी कवास में पानी भरा हुआ है और आप राजनीति कर रहे हो उसमें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन आपसे यह है, (व्यवधान) एक मिनट, आप मेरी एक बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी खड़े हैं, मंत्रीजी को सुनें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): किसान को लेकर इस सरकार की नीति और नीयत, दोनों में खोट है। पहले इन्होंने प्रस्ताव पास करने की बात कही पानी के लिये, उसका क्या हश्र हुआ, आपके सामने है। अब जब प्रोसेस शुरू करना चाहिए इनको वह शुरू करते नहीं है और केवल सेण्ट्रल पर डाल करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं। आप कृपा करके उनसे कहिये कि खरीद चालू करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से आग्रह करना चाहूंगा कि किसानों का जब भी कोई मुद्दा आता है सदन में पक्ष और विपक्ष को चिन्ता करनी चाहिए। एक छोटा सा विषय, सरसों की खरीद कब होगी...।

श्री अध्यक्ष: छोटा कैसे, बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा विषय है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): इस विषय को लेकर आधा घण्टा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आधा घण्टा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अब सरकार बोल रही है, सरकार पर एतराज क्यों नहीं है। यह छोटा सा मुद्दा है, माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): निश्चित रूप से सर्वसम्मति से यह बात कहनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): राजस्थान की सबसे ज्यादा बहुमूल्य फसल है।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसकी चिन्ता कांग्रेस के लोगों को होती तो निश्चित रूप से सर्वसम्मति से यह बात

(श्री प्रभुलाल सैनी)

होनी चाहिए कि किसानों के हित में हमें निर्णय करना चाहिए। लेकिन एक इतने बड़े विषय पर किताबें निकल गयीं और किताबें निकलकर नियम कानून बताने लग गये, माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ा दुर्भाग्य सदन के लिये नहीं हो सकता है। एक डिबेट का विषय बन गया। हम लोगों ने सद् भावना से यह आग्रह किया था आप सबसे कि निश्चित रूप से राजस्थान में सरसों के समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिये हम लोगों ने गोदाम की पूरी व्यवस्था की है, 22 लाख मीट्रिक टन की अब तक हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। इसके अलावा हमने क्रय केन्द्र स्थापित करने की व्यवस्था की हुई है। सारी व्यवस्था करने के बाद भी मैं आग्रह करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, गत वर्ष एक मार्च से सरसों क्रय करना प्रारम्भ किया लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि 3-3 महीने तक माननीय अध्यक्ष महोदय....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): खजाना भरा हुआ है तो खरीद शुरू करो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): खरीद शुरू कर दो, खरीदेगी तो नेफेड। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): और किसानों को हड़ताल करनी पड़ी, धरने देने पड़े। इसलिये हम लोग सब मिलकर, हमारा सबका नैतिक दायित्व यह बनता है कि भारत सरकार को इस प्रकार का एक प्रस्ताव भेजें कि सरसों शीघ्र क्रय करने के लिये सरकार अनुमति दे। और ज्योंही अनुमति मिलेगी, मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा, दूसरे दिन से सम्पूर्ण राजस्थान में जो हमारे केन्द्र स्थापित हम लोगों ने किये हैं, सरसों का क्रय हम आरम्भ कर देंगे। यह मैं सदन को जानकारी दे रहा हूं। इसलिये मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में सरसों को समर्थन मूल्य पर क्रय करने के लिये... (व्यवधान) शीघ्र राजस्थान में सरसों की खरीद की जाए। धन्यवाद।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कौनसा तरीका है प्रस्ताव का, अध्यक्ष महोदय? ऐसे आया है क्या प्रस्ताव? यह कौनसा तरीका है प्रस्ताव का, आज से पहले भी कभी ऐसे प्रस्ताव आये हैं क्या? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सरकार को आथोराइज किया जाए कि नेफेड से कहे कि खरीद लिया जाए, पैसा भारत सरकार से लायेंगे हम। करिये, प्रस्ताव पास करिये। करिये, प्रस्ताव, हम समर्थन करते हैं आपको। खजाना बहुत है ना आपको। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): बाढ़ के पैसे में सौ करोड़ रुपये दिये हैं पहले आप वह तो दिला दें। पहले वह 32 सौ करोड़ तो दिला दें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आपके पास तो वह खजाना भरा हुआ है। (व्यवधान) आपके पास खजाना भरा हुआ है। हम प्रस्ताव पास करते हैं कि राजस्थान सरकार को आथोराइज किया जाए कि सरसों की खरीद की जाए, जब तक नेफेड को कहीं से पैसा नहीं मिले, आप प्रस्ताव पास करिये, आप करिये प्रस्ताव। आपके पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है, क्या तकलीफ है?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सदन सरकार को अधिकृत करता है कि सरसों की खरीद शुरू की जाए। (व्यवधान) आप कराइये पास।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): केन्द्र अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सदन राजस्थान सरकार को अधिकृत करता है कि सरसों की खरीद तुरंत अपने पैसे से कराई जाए और बाद में केन्द्र सरकार से उसका पैसा वसूल किया जाए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): केन्द्र अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है क्या? केन्द्र मुकर रहा है क्या अपनी जिम्मेदारियों से। (व्यवधान) केन्द्र अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहा है क्या? केन्द्र सरकार इस सदन के... (व्यवधान) आपके पैसों का पुनर्भरण करके, आपका एक पैसा बाकी नहीं रहेगा। (व्यवधान) आप खरीददारी शुरू कर दीजिये।

श्री कालूलाल गुर्जर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): ऐसा है, केन्द्र सरकार का काम भी राजस्थान सरकार करेगी क्या? (व्यवधान) आप लोगों की नहीं चलती, आप लोगों की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्रीगण। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, ऐसे 300 करोड़ रुपये पेट्रोल और डीजल का राजस्थान सरकार वसूल कर रही है, 300 करोड़ की खरीददारी कीजिये। किससे परमीशन लेनी है आपको? 300 करोड़ रुपये आपके पास हैं। इस किसान के टैक्स का पैसा आ रहा है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जोशीजी, एक हजार करोड़ रुपये रिजर्व

बैंक से ब्याज खा रहे हैं बैठे-बैठे। सिक्योरिटी में जमा है एक हजार करोड़ राजस्थान सरकार का। (व्यवधान) उसका ब्याज खा रहे हैं, बैठे हुए ये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): खरीदिये, खरीदिये, आप। अब बोलिये।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): और इनके पास पैसा नहीं है, कौन कह रहा है, एक हजार करोड़ रुपया, अध्यक्ष महोदय, रिजर्व बैंक के पास शोर्ट-टर्म सिक्योरिटी में इनका पडा हुआ है। जिसके ऊपर खर्चा नहीं कर रहे हैं, केवल ब्याज खा रहे हैं बैठे हुए ये।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): खरीदिये, उससे सरसों खरीदिये, क्या तकलीफ है?

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूर्व में वित्त मंत्री रहे हुए हैं। क्या आप यही व्यवस्था पहले कर सकते थे? नहीं कर सकते थे।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कर सकते थे, नया नियम है, नया राज है।

श्री नरपत सिंह राजवी (उद्योग मंत्री): नया नियम कौनसा आ गया?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हौसलों से उड़ान भर रहे हैं। हौसलों से उड़ान भर रहे हैं, पंखों की जरुरत नहीं है। हौसलों से उड़ान भर रहे हैं हम लोग। हम तो हौसलों से उड़ान भर रहे हैं, क्या तकलीफ है? पंखों की जरूरत नहीं है, हम तो हौसलों से उड़ान भर रहे हैं। करिये हौसला। इसमें क्या तकलीफ है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने जिस नियम 306 का उदाहरण यहां पर दिया है, मैं उसका उपयोग तब करूंगी जब ऑल पार्टी, आप सारे, मीटिंग में बैठकर के सबको बुलाकर के और इस बारे में कोई निर्णय पर पहुंचे और उसके बाद मैं इस नियम के अन्दर अपना प्रयोग करके, अधिकार का प्रयोग करते हुए, आप इस सदन में लाइये, और फिर उसे पास किया जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, पहले आपने कहा था कि वे बोल लें, उसके बाद बोल लूं, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं, इसके बारे में अब आप कोई बात नहीं करेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं, इसके बारे में नहीं कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, अगर इसके बारे में ये बात कहेंगे, फिर मैं भी कहूंगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने जो व्यवस्था दे दी, वह सर्वोपरि है।

श्री अध्यक्ष: ये कह रहे हैं तो नहीं कहेंगे। कह दिया ना, नहीं करेंगे। यह कह दिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): नहीं करुंगा।

आपने स्थगन प्रस्तावों के बारे में जो व्यवस्था दी है, स्थगन प्रस्ताव नियम 50 के अन्तर्गत दिये जाते हैं। उसमें कई बार सदन में 10-10 माननीय सदस्य एक साथ प्रस्ताव देते हैं और उसमें आप रिजेक्ट करते हैं तो 2-2 मिनट की अनुमति सबको देते हैं। आज हेमारामजी ने जो खुशवीरसिंहजी के साथ, खारची से आने वाले माननीय सदस्य के साथ स्थगन प्रस्ताव रखा, मैं आपको कई उदाहरण देकर के कह सकता हूं। आप भी यहां पर इस सदन में बहुत वर्षों तक सदस्य रही हैं, आप बहुत सीनियर, यहां इस सदन की सदस्य और मंत्री रही हैं। आज स्पीकर हैं। यहां सभी सदस्यों को, दस्तखत करने वालों को, तभी तो लोग दस्तखत करते हैं, उसमें हमको भी दो मिनट बोलने का मौका मिलेगा। यह आप एक नई परम्परा डाल रहे हैं। इस पर आप पुनर्विचार कर लें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थगन प्रस्ताव, मैं समझती हूं, कोई बहुत महत्वपूर्ण ऐसा प्रश्न हो कि जिस के ऊपर कभी दो या तीन को बोलने का मौका दिया गया हो, वरना नहीं दिया जाता है। 131 में, 127 में जो लोग हस्ताक्षर करते हैं, उनको तो अवसर मिलता है लेकिन स्थगन प्रस्ताव पर कभी नहीं मिलता है। फिर भी आप मुझे पूर्व का कोई इंस्टांस बताइये। यदि आप पूर्व का इंस्टांस बतायेंगे तो भविष्य में मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। लेकिन यह जो आप कह रहे हैं, मुझे याद नहीं पड़ता है कि स्थगन प्रस्ताव के ऊपर इस प्रकार से कोई 10-10 को बोलने का मौका दिया गया हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): एक मिनट, यहां पर प्रथम सत्र में हम लोगों ने अकाल के बारे में जो स्थगन प्रस्ताव रखा था उसमें कम से कम

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

30-31 आदमियों ने दस्तखत किये थे और आपने कम से कम 10-15 सदस्यों को अलाऊ किया था।

श्री अध्यक्ष: अकाल और अफीम-डोडा एक ही बात है?

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): बात परम्परा की है, अध्यक्ष महोदय। स्थगन प्रस्ताव दो ही माननीय सदस्यों ने रखा है, उस पर आपको अनुमति देनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में नहीं बोलें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अफीम भी किसान ही बोता है, वह किसान नहीं है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह। आप चाहें तो वे बड़े व्यथित हैं, आप उनको बोल लेने दें। काफी व्यथित नजर आ रहे हैं।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): एक-एक मिनट हम दोनों बोल लेंगे। आपने 3 मिनट की व्यवस्था दी है। एक मिनट मैं बोलूं, दो मिनट वे बोलें।

श्री अध्यक्ष: 3 मिनट नहीं। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, आप स्वयं सदस्य रहे हैं, 1998 से 2003 तक। जो बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, यदि वह नहीं है तो रिकार्ड चेक कर लें। स्थगन प्रस्ताव पर एक से ज्यादा सदस्यों को बोलने की परम्परा इस सदन में रही है। आप स्वयं अपोजीशन में बैठी हुई थीं, यह रिकार्ड उठाकर देख लीजिये। हमारे साथी, हेमारामजी नहीं बोलेंगे, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): एक बार अगर पिछले 5 साल में अनुमति दी हो...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड मंगा लीजिये, अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड मंगा लीजिये। उसके बाद ही बात कहेंगे, आप रिकार्ड मंगा लीजिये।

श्री अध्यक्ष: मैंने कह दिया है, आप गलत कह रहे हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम सही कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, पिछले 5 साल तक माननीय अध्यक्षजी भी मेम्बर थीं इस विधान

(श्री धर्मपाल चौधरी)

सभा की और आप भी मेम्बर थे। 5 साल में स्थगन प्रस्ताव पर कितने लोगों को बोलने दिया? (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां देख लो, रिकार्ड देख लो। रिकार्ड देख लें ना। धर्मपालजी, आप तो बाय-इलेक्शन जीतकर आये हैं, विराजो आप। आप तो बाय-इलेक्शन जीतकर आये हैं। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिये, नहीं हो तो हेमारामजी नहीं बोलेंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : हम भी तो कह रहे हैं, देख लें। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप रिकार्ड मंगा लीजिये, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आपने मेरी व्यवस्था नहीं सुनी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, आपने मेरी व्यवस्था सुनी नहीं थी ठीक से। मैंने यह कहा कि यदि आप मुझे इस तरह के इन्स्टांसेज कोई भी बताएंगे, जो कि रिकार्ड देखकर, तो मैं इस बारे में सोचूंगी कि आगे के लिए क्या करना है... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश सर्वमान्य है पर आपने साथ में यह कहा कि यह सदस्य व्यथित है इसलिए पहले बोल लीजिए। यह कमेंट ठीक नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि व्यथित है व्यथित क्यों है? इनका राइट है बोलने का। व्यथित किस बात का है? उन्होंने स्थगन प्रस्ताव पर साइन किये हैं। उनका अधिकार बनता है दो मिनट बोलने का।

श्री अध्यक्ष: राइट तो नहीं है। (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राइट है, साहब। अपनी परम्परा रही है, देख लीजिए आप। आप अपने उदाहरण, परम्परा देख लीजिए। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सदन में, पूरे सदन में नहीं बोलेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसे तो कोई भी माननीय सदस्य...(व्यवधान) यूज कर सकता है, आप भी कर लेते हैं...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): किसका?

श्री अध्यक्ष: कोई भी यूज करता है...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे पिछली बार भी हमने प्रश्न उठाया है। स्थगन प्रस्ताव पर आप हरदम यह कर रहे हैं कि, एक आदमी को बोलने का मौका दे रहे हैं जबकि सदन में पांच आदमी साइन करते हैं। स्थगन प्रस्ताव पर पूर्व में भी मैं आज बोलना नहीं चाहता, माननीय पार्लियामैंट्री अफेयर मिनिस्टर और माननीय खाद्य मंत्रीजी, इसी सदन के मैम्बर थे। कटारियाजी भी मैम्बर थे। माननीय राजेन्द्रजी और किरोड़ीलालजी स्थगन प्रस्ताव पर तीन-तीन बार बोले हैं। रोज यह (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: खुशवीर सिंहजी, आपका समय जा रहा है। खुशवीर सिंहजी, आपका समय जा रहा है। आपका समय जा रहा है, खुशवीर सिंहजी।...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): समय जाएगा इसका मतलब क्या हुआ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: समय जा रहा है।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): समय तो जा रहा है, साहब।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मतलब परम्पराओं के लिए पाइंट आउट करें तो आप ध्यान नहीं दें। आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलने के बाद दो घंटे तक चर्चा करा लें। मतलब कोई एक माननीय सदस्य की भावना है, वह अपने अधिकार की बात कर रहे हैं तो...(व्यवधान) करते नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय,।...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तो इनको बोलने दें और भविष्य में आपकी व्यवस्था जो होगी वह मान लेंगे। अभी तो आप इनको टाइम दे दीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) मैं तो, बोल लेंगे, एक मिनट...(व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): और इसके बाद रिकार्ड देख लीजिए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह पाइंट आउट किया था कि ए.डी.सी. नहीं बोलता, इसमें रिकार्ड है, मैं लेकर दे रहा हूं। और आपने कह दिया कि ए.डी.सी. एड्रेस करता है। 1978 के बाद हाउस को एड्रेस करता है मार्शल, यह इसमें, पार्लियामैंट प्रेक्टिस में है। और आपने मुझे कह दिया कि ए.डी.सी. एड्रेस करता है। हां, माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ परम्पराओं के निर्वहन की जिम्मेदारी आपकी और हमारी भी है।

(डा. सी. पी. जोशी)

आपकी भावनाओं से सहमत हैं। लेकिन आपको एक बार चैक करने में क्या तकलीफ है? यह इश्यू पिछली बार भी उठा था कि स्थगन प्रस्ताव पर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने उस दिन भी व्यवस्था दी थी। तब भी मैंने यही कहा था कि पार्लियामैंट के अन्दर कौल एण्ड शकधर का जो आप हवाला दे रहे हो, 1978 से पहले ए.डी.सी. अनाउंस किया करते थे और उसके बाद फिर सैक्रेटरी अनाउंस करने लगे। उस दिन भी मैंने यह बात कही थी और आज फिर दोहरा रही हूं। लेकिन विधान सभा के अन्दर आज दिन तक ए.डी.सी. ही यह घोषणा करते आये हैं, मार्शल...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मार्शल...(व्यवधान) फिर बता दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इतनी देर में तो, यह इतने पुराने माननीय सदस्य हैं...

श्री अध्यक्ष: आपके ही माननीय सदस्य समय ले रहे हैं, मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? खुशवीर सिंहजी को तो बोलने दें। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं निवेदन करूं। आप तो बड़ी... (व्यवधान) खुशवीर सिंहजी के बाद हेमारामजी को अलाऊ कर दीजिए। कहां फर्क पड़ रहा है दो मिनट में? खुशवीर सिंहजी के बाद हेमारामजी को अलाऊ कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष: सवाल समय का नहीं है।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): हेमारामजी और श्रवण कुमार की तो दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सवाल इस बात का है, परम्पराओं का है और इस तरह की परम्परा पड़ जाएगी। फिर सब बोलने लगेंगे।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): यहां पर दिक्कत हेमारामजी की और श्रवणकुमार की ही तो है। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप विराजिये। एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आप परम्परा की बात कर रही हैं तो आप 1967 में मेरे साथ मंत्री थीं सुखाडियाजी की सरकार में। जीरो ऑवर पांच-पांच बजे तक

चलता था और निरंजननाथजी आचार्य इतने एडजोर्नमैंट मोशन लगाते थे, कितने लोग बोलते थे? पूनमचन्दजी विश्नोई के समय के अन्दर कितने लोग एडजोर्नमैंट मोशन के ऊपर बोलते थे और एक-एक दिन में एक-एक मंत्री से तीन-तीन स्टेटमैंट दिलवाते थे तो परम्पराएं तो खुद निर्धारित करते हैं यहां पर।

श्री अध्यक्ष: स्टेटमैंट सदन में ... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आसन परम्पराएं स्वयं निर्धारित करता है लेकिन आप कभी-कभी बिलकुल रिजिड हो जाती हैं, यह मुझे ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा मुझे प्रतीत होता है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है, उस समय न तो पर्ची थी और न उस समय 295 था। अब तो 295 भी है और पर्ची भी है। उस समय नहीं था। उस समय केवल स्थगन प्रस्ताव था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपने, इस प्रश्न का महत्व समझते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने अलाऊ किया। आम तौर पर एडजोर्नमैंट मोशन अलाऊ भी होता नहीं है। आपने स्वयं स्वीकार किया कि महत्वपूर्ण मुद्दा है, मैं अलाऊ करती हूं।

श्री अध्यक्ष: इसीलिए कर दिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके लिए आभार। आपके लिए आभार कि आपने सहृदयता, लेकिन सिर्फ हेमारामजी के बोलने के ऊपर ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैंने महत्वपूर्ण नहीं बताया। मैंने कहा किसानों से संबंधित मुद्दा है, यह कहा है मैंने। मैंने महत्वपूर्ण नहीं बताया था। मैंने महत्वपूर्ण नहीं बताया था। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। किसानों की समस्याओं की जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: किसानों से संबंधित मुद्दा है इसीलिए मैं दो मिनट बोलने का समय दूंगी। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): लेकिन आप कभी-कभी इतनी रिजिड हो जाती हैं, जितनी देर हम बहस-मुलाहजा कर रहे हैं, उतनी देर में तो बोलकर खतम हो जाता मामला अब तक।

श्री अध्यक्षः बहस तो आप कर रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो अब आप स्वीकार कर लीजिए।

श्री अध्यक्षः फिर सोफ्ट कार्नर का चार्ज लग जाएगा।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): केवल साहब, हेमारामजी और श्रवणकुमार से दिक्कत है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): निरन्जन नाथजी आचार्य यहां पर रिजैक्ट करते थे और रिजैक्ट करने के बाद वह बुलवाते थे। ज्यादा बुलवाते तो कहते कि यह परम्परा नहीं बनेगी। मैं एज ए स्पेसिफिक केस इसको बोलने की अनुमति देता हूं। आप भी कृपा करके...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः यह तो कहते थे न कि यह परम्परा नहीं बनेगी।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष): वही परम्पराएं तो आप यहां कायम रख लीजिए लेकिन आप इसमें रिलेक्स कर दीजिए। यह परम्परा नहीं बनेगी। व्यवस्था दे दीजिए। हम मानेंगे उसको।

श्री अध्यक्षः इसका मतलब यह हुआ कि आसन को दबा करके और आसन को विवश करके और आप मर्जी आये जो करवाएंगे। परम्पराओं को भी तुड़वाएंगे और आसन को, जिसे कहते हैं, सम्मान भी नहीं करेंगे। आसन की गरिमा भी गिराएंगे। गरिमा गिराएंगे, मतलब यही है न?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हम आसन का सम्मान करते हैं।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आसन तो इतना सक्षम है कि किसी को बोलने ही नहीं दिया जाए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह समय क्यों बरबाद किया जा रहा है? जब खुशवीर सिंहजी कह चुके हैं कि एक मिनट मैं बोलूंगा और दो मिनट वे बोल लेंगे फिर ... (व्यवधान)

श्री सी. डी. देवल (रायपुर): इनको बुलवा दो आप।

श्री अध्यक्षः श्री खुशवीर सिंहजी को बोलने दें।

श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : और भविष्य में आप चाहे जैसी व्यवस्था दे दें। आज तो इनको बोलने का मौका दें। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): व्यवस्था उन्होंने खुद ही कर ली है फिर बार-बार बीच में भंवर-पंछी क्यों?

डोडा-पोस्त के क्रय-विक्रय मूल्य में भारी विसंगित

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस विषय पर लम्बी चर्चा चल गयी है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रदेश में, यहां पर सभी माननीय सदस्य विराजमान हैं और सभी की भावना है कि नशा मुक्ति एक जरूरी कदम है। और उसमें सभी को सहयोग करना चाहिए कि प्रदेश के अन्दर जितने भी नशा, अलग-अलग तरीके के जो नशे हैं, उससे मुक्ति कैसे हम दिला सकें, हमारा कर्तव्य बनता है। और जन-प्रतिनिधि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मुद्दे पर आइये। मुद्दे पर, मुद्दे पर आओ आप फटाफट।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): तो माननीय अध्यक्ष महोदय, उसी मुद्दे की बात मैं कर रहा हूं कि...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भूमिका बना रहे हैं आप तो ।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): किसानों से संबंधित मुद्दा है। किसान सरकार से परमिट लेकर डोडा-पोस्त की खेती करता है। और उसके बाद किसान की जो उपज का सरकार ने मूल्य निर्धारित किया है, डोडा-पोस्त का, उस बारे में मेरा अनुरोध यह है कि मात्र 15 रुपये किलो किसान से खरीद मूल्य सरकार ने निर्धारित किया है। और जो इसका उपभोग करने वाले हैं वे मुख्यत: पश्चिमी राजस्थान में बहुत अधिक है और वे लोग हैं जो बी.पी.एल. परिवार के हैं या गरीब हैं। और वह है जो अपने जीवन के पचास बसंत पार कर चुके हैं। वे लोग इसके आदी हैं और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि जो 15 रुपये किलो खरीद मूल्य सरकार ने रखा किसान से, और जो वह गरीब उपभोक्ता है वह 600 से 900 रुपये प्रति किलो के हिसाब से आबकारी विभाग से परमिट लेता है, और प्रति वर्ष नवीनीकरण के पैसे जमा करवाता है और मात्र उसको तहसील हैडक्वार्टर पर जाकर ही दुकान से खरीदना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध यह है कि जो इतना, क्रय और विक्रय में इतना भारी अन्तर है, उस अन्तर में जो अधिकांश इसमें पैसा है इस अन्तर का, वह चंद लोगों के हाथ में जा रहा है। ठेकेदारों के हाथ में। न सरकार के पास आ रहा है और न गरीब को उससे राहत मिल रही है। तो मैं यह चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि उन गरीबों को कम से कम 200 रुपये, एक मूल्य निर्धारित कर लिया जाए किसान को भी फायदा हो जाएगा, सरकार को भी उसका राजस्व बढ़ेगा और बिचौलिये हैं

(श्री खुशवीर सिंह जोजावर)

उनको जरूर नुकसान होगा। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर निवेदन करना चाहूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अभी सरकार, अब न्यूज आयी है कि 212 करोड़ रुपये, 212 करोड़ रुपये शराब के ठेकेदारों के पास से सरकार के आज दिन तक वसूल नहीं हो पाये क्योंकि उन्होंने गलत हैसियत प्रमाण-पत्र जारी किये।

श्री अध्यक्षः अब डोडा-पोस्त की बात पर बोलते-बोलते शराब पर आ गये आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह चाह रहा हूं कि 212 करोड़ रुपये सरकार की गलत हैसियत प्रमाण पत्र देने से वह आज दिन तक सरकार वसूल नहीं कर पायी है। कई वर्ष हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि गरीब लोगों को जो गरीब उपभोक्ता है, उनको कम से कम मूल्य में जो 600 और 900 रुपये मूल्य जो हैं, कोई निर्धारित नहीं किया हुआ है तो इनको सहकारी समितियों के माध्यम से जो लाइसेंस होल्डर्स हैं या परमिट होल्डर्स हैं, उनको सहकारी समितियों के माध्यम से मिनिमम कम से कम 200-250 रुपये के मूल्य से इनको उपलब्ध कराया जाए। यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः 295, किसने नाम लिया आपका? किसने नाम लिया, किसने पुकारा?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नाम तो नहीं लिया आपने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः क्या?

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): नाम तो आपने नहीं लिया लेकिन अगर किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, उस जुल्म की बात सरकार के कानों में डाल दूं तो उससे कौनसा अनर्थ हो जाएगा? कौनसा पहाड़ गिर जाएगा और कौनसा आज विधान सभा में अनर्थ होकर ऐसा उदाहरण बन जाएगा जो कहेंगे कि ऐसा इतिहास में नहीं हुआ? आपने अपनी +++

श्री अध्यक्षः अब आप यह बात करेंगे तो please sit down. I will not allow you.

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): मत बोलने दो, मत बोलने दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: I would not allow you.

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): यह क्या बात हुई? मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात है? I would not allow. 295 श्री मुरारीलाल मीणा।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): दो हठ जब साथ हो जाती है, दो हठ जब साथ हो जाती है तो उनका विनाश होगा, विनाश होकर रहेगा। (व्यवधान)

(समय 13.00 बजे)

मैं निवेदन करना चाहता हूं सरकार 15 रुपये किलो में डोडे खरीद रही है और 600 से 900 रुपये के बीच में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा, 295 पढ़ें। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा।

(व्यवस्था-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कह दी आपने बात। अब स्थान ग्रहण कर लें। गुढ़ामालानी से आने वाले माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। श्री मुरारीलाल मीणा, आप बोलें।

श्री हेमाराम चौधरी : ×××

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको कहा न मंत्रीजी जब वक्तव्य देंगे तो आपको उस समय बोलने का मौका दूंगी मैं। मंत्रीजी जब वक्तव्य देंगे तब मैं आपको बोलने का मौका दूंगी मिस्टर बाहेती।

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रही हूं, जब मंत्रीजी वक्तव्य देंगे तब आपको बोलने का मौका दूंगी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह पोस्त डोडा की जो स्थिति ध्यान में लाई गई है, स्टेटमैंट तो कराओ गवर्नमैंट का। सरकार का वक्तव्य तो दिलवाओ आप इस पर।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, आप मुझे आश्वासन दीजिये, क्योंकि यह कल ही घटना घटी है और मैंने स्थगन प्रस्ताव दिया है। इसलिए आसन से मेरा निवेदन है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पोस्त डोडा पर स्टेटमैंट कराओ। बाहेतीजी, आप एक मिनट बैठिये।

श्री अध्यक्ष : जब आबकारी विधेयक आयेगा, 8 तारीख को आबकारी विधेयक आ रहा है, उस समय दे देंगे इसका जवाब।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य ने पोस्त डोडा की स्थिति ध्यान में लायी है, सरकार का वक्तव्य तो दिलवाओ आप।

श्री अध्यक्ष: जब आबकारी विधेयक आयेगा 8 तारीख को उस समय उसका जवाब दे देंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): लोग तो त्राहिमाम्-त्राहिमाम् कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: सदियों से हो रहा है, लोग आज त्राहिमाम् कर रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 600 रुपये किलो है, पहले 250-300 रूपये किलो मिलता था।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): आप इसका विरोध मत करो। (व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारीलाल मीणा। प्लीज, आप बोलें।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): माननीय सदस्य जो-जो विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी): जो आये, सो लूटे। ठेकेदार के सिवाय 100 ग्राम डोडा नहीं मिल सकता। डोडा पीने वालों को डोडा पीये बिना उसका काम चल नहीं सकता। बाड़मेर कलक्टर के सामने डोडा पीने वाले वहां लेट गये थे। अख़बार के अंदर फोटो आज आपने देखा होगा। क्या हालत हो रही है बाड़मेर के अंदर? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो । (व्यवधान) ...बिना इजाजत के बोले, उनका कोई भी अंकित नहीं करें।

श्री हेमाराम चौधरी : ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): ×××

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री अध्यक्ष: श्री मुरारी लाल मीणा । (व्यवधान) ...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर (खारची): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आपने व्यवस्था दे दी, आबकारी का विधेयक 8 तारीख को आ रहा है।

श्री सी. डी. देवल : ×××

श्री अध्यक्ष : श्री मुरारी लाल मीणा, पढ़िये 295.

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं आपको मौका दूंगी, मैंने कह दिया न। जब वह स्टेटमेन्ट देंगे तब आप सवाल करना उनसे। आप बोलो न मुरारी लालजी, 295.

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

बांदीकुई में एनीकट निर्माण

श्री मुरारी लाल मीणा (बांदीकुई): अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं। विधान सभा क्षेत्र बांदीकुई में चार बड़े कस्बे हैं जिनमें से कस्बा बड़ियाल कलां व कस्बा गुढ़ाकटला की आबादी करीब 15-15, 20-20 हजार है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा दोनों कस्बों में पीने के पानी की सुचारू सप्लाई पिछले 15-20 वर्षों से संचालित है। इन दोनों कस्बों के पास होकर सांवा नदी गुजरती है। पिछले 10-15 साल से वर्षा कम हो रही है व नदी से लगातार बजरी का दोहन किया जा रहा है। इस कारण से भू-जल स्तर बहुत अधिक गिर गया है। जमीन में करीब 150-175 फीट की गहराई के बाद कठोर परत (पलई) आ जाती है। इसके बाद जमीन में पानी है ही नहीं। अगर इस तरह से भू-जल स्तर गिरता रहा तथा नदी पर दोनों कस्बों के पास "भांवता-बगदेडा के पास व चोरवाड़ा-बड़ियाल के मध्य एनीकट" नहीं बनाया गया तो बहुत जल्दी पीने का पानी उपलब्ध ही नहीं होगा।

(श्री मुरारी लाल मीणा)

अतः एनीकट निर्माण हेतु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर मैं माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः श्री मोहन लाल गुप्ता।

जयपुर शहर में रसोई गैस की समस्या

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी का ध्यान जयपुर शहर में रसोई गैस धारकों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

जयपुर शहर में घरेलू गैस कनेक्शनधारियों को गैस की बुकिंग कराने की कम्पनियों द्वारा 21 दिन की सीलिंग लगा रखी है। इसके कारण गैस एजेन्सियों द्वारा मनमानी की जा रही है और कई गैस एजेन्सियों द्वारा डेढ़-डेढ़ महीने से गैस सप्लाई की जा रही है, जिसके कारण आम जनता को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इसी कारण गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी भी हो रही है।

महोदय, राज्य सरकार के रसद विभाग, गैस एजेन्सियों और गैस कम्पनियों के मध्य भी उचित सामंजस्य नहीं है, जिसके कारण भी गैस की सप्लाई में गैस एजेन्सियों द्वारा मनमानी की जा रही है। इसके साथ ही आम जनता से जुड़े एक महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। किसी परिवार में शादी-विवाह या पारिवारिक समारोह में गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिये उसे कई गैस सिलेण्डरों की आवश्यकता होती है, जिनकी पूर्ति उसके स्वयं के कनेक्शन के सिलेण्डरों से नहीं हो पाती है। मजबूरन उसे अन्य व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिये राज्य सरकार को गैस सप्लाई संबंधी बने नियमों एवं शर्तों में यह संशोधन करना चाहिये कि जिसके परिवार में कोई शादी-विवाह या अन्य समारोह हो, उसके निमन्त्रण पत्र आदि से सन्तुष्ट होकर गैस एजेन्सी को घरेलू गैस की दर पर समुचित गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जाना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था से गैस सिलेण्डरों की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगेगी, साथ ही जनता को भी राहत मिलेगी।

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

(समय 13.09 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अत: मेरा माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री महोदय से निवेदन है कि प्रदेश में गैस एजेन्सियों द्वारा की जा रही मनमानी पर तुरन्त रोक लगाने संबंधी कार्यवाही एवं गैस सप्लाई संबंधी नियमों में संशोधन कर जनता को राहत प्रदान करने का श्रम करें।

श्री उपाध्यक्ष: श्री जोगाराम पटेल।

सहायक लोक अभियोजकों की प्रबन्ध व्यवस्था

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

राजस्थान राज्य के विभिन्न न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु सहायक लोक अभियोजक प्रथम व द्वितीय कार्यरत हैं। परिवादी व सरकार की ओर से पैरवी करने का पूरा दारोमदार इन सहायक लोक अभियोजकों पर ही है। राजस्थान राज्य में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने व अपराधियों की अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने, अपराधियों को उनके अपराध के अनुसार सज़ा दिलाने का पूरा दायित्व व जिम्मेदारी सहायक लोक अभियोजक प्रथम व द्वितीय पर है।

दुर्भाग्य से अनेक सहायक लोक अभियोजकों द्वारा नियमानुसार नेक नियति से पूरी तरह पैरवी नहीं करने अथवा अन्य कारणों से अपराधियों को कठोर दण्ड नहीं मिल रहा है। इन परिस्थितियों में राज्य सरकार के अभियोजन विभाग का दायित्व बहुत बढ़ जाता है। इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार की भी बहुत शिकायतें मिलती रही हैं।

नियमानुसार कोई भी सहायक लोक अभियोजक अपने गृह जिलों में नियुक्त नहीं हो सकता। परन्तु यह देखने में आया है कि अक्सर सहायक लोक अभियोजक जैसे-तैसे तिकड़म भिड़ाकर अपने गृह जिलों में नियुक्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कई ऐसे सहायक लोक अभियोजक हैं जो पिछले लम्बे समय से एक ही स्थान पर अपने प्रभुत्व से अथवा अन्य कारणों से कार्यरत हैं व अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। कई ऐसे सहायक लोक अभियोजक

(श्री जोगाराम पटेल)

दिखाने के लिए तो इधर-उधर की नियुक्ति बता देते हैं परन्तु वास्तव में लम्बे समय से एक ही स्थान पर कार्यरत हैं व घुमा-फिराकर पुनः उसी स्थान पर नियुक्त हो जाते हैं जिससे सरकार व परिवादी की बराबर पैरोकारी नहीं हो पा रही है और अपराध प्रवृत्ति को रोकने पर अंकुश नहीं लग रहा है। इन विकट परिस्थितियों में अभियोजन विभाग की स्थापना जिस उद्देश्य व मंशा से की गयी थी उसकी पालना नहीं हो पा रही है जिससे राज्य सरकार व विभाग की साख को भी धक्का लग रहा है। अक्सर यह भी देखने में आया है कि राजनैतिक प्रभाव रखने वाले अथवा सिफारिशी सहायक लोक अभियोजक अपनी मनमर्जी अनुसार नियुक्ति पा लेते हैं। सरकार बराबर पैरवी नहीं करने से सरकार की साख पर भी असर पड़ता है व अपराध प्रवृत्ति बढ़ती है। इस हेतु उचित कार्यवाही करना न्यायोचित है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, जोगारामजी। श्री रामनारायण मीणा।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): आप तो उप नेता हो ...(व्यवधान) पढ़ा हुआ हमेशा माना ही जाता है आपका तो।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं विपक्षी भी हूं। (व्यवधान) विपक्ष का हूं, सरकार को चेताना मेरा काम है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): विपक्षी तो अपने दुर्भाग्य से हैं। आप तो उप नेता हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सुन लो, जोगारामजी, आप बन जाओगे तब मुझे पढ़ने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही काम हो जायेगा। आप बनोगे तो नुक्ताचीनी करोगे, वो बनेंगे तो काम करेंगे किसान का।

नैनवां के कानूनगो सर्किल करवर को तहसील नैनवां में ही यथावत सम्मिलित रखा जाना

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र नैनवां के कानूनगो सर्किल करवर को यथावत् तहसील नैनवां में रखे जाने हेतु नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, बूंदी रियासत के समय तथा देश की आजादी के समय से अब तक कानूनगो सर्किल करवर की तहसील नैनवां एवं उपखण्ड नैनवां चला आ रहा है। इस क्षेत्र के समस्त निवासीगण तहसील नैनवां में रहना चाहते हैं

(श्री रामनारायण मीणा)

तथा आम जनता का लगाव भी नैनवां तहसील में ही रहने का है। कानूनगो सर्किल की पंचायत समिति नैनवां है। सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड मुख्यालय, उपखण्ड मुख्यालय, जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियन्ता का कार्यालय, जन प्रदाय विभाग के सहायक अभियन्ता का कार्यालय, उप अधीक्षक पुलिस के कार्यालय सहित विभिन्न कार्यालय नैनवां में ही लगते हैं। यदि इस कानूनगो सर्किल को तहसील इन्द्रगढ़ में मिला दिया गया तो इस क्षेत्र के बाशिन्दों के समक्ष काफी परेशानियां पैदा हो जायेंगी तथा नैनवां से पुराना ऐतिहासिक लगाव होने से मानसिक कष्ट भी होगा।

पिछले बजट सत्र के दौरान माननीय विधायक, पीपल्दा क्षरा नियम 295 के तहत प्रस्तुत एक प्रस्ताव के कारण बिना क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की तथा आम नागरिकों की राय जाने ही बूंदी जिले के प्रशासनिक स्तर पर एक रिपोर्ट राजस्व विभाग को भेजे जाने से एक प्रक्रिया के तहत करवर क्षेत्र को तहसील इन्द्रगढ़ में सम्मिलित करने के आदेश राजस्व मंत्रीजी के यहां से हो गये थे जिनका क्रियान्वयन रोकने से आम जनता की भावना का आदर हो गया है। सही तथ्य यह है कि कानूनगो क्षेत्र करवर में विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा का एक भी गांव नहीं है। ऐसी स्थिति में माननीय विधायक पीपल्दा का यह कथन कि 'विधान सभा क्षेत्र की दृष्टि से भी यह क्षेत्र केशवरायपाटन क्षेत्र में सम्मिलित है तथा आने वाले समय में इस क्षेत्र के समस्त राजनीतिक समीकरण भी केशवरायपाटन के साथ ही जुड़ते हैं। वर्तमान में भी करवर क्षेत्र के लोगों के व्यावसायिक एवं पारिवारिक सम्बन्ध इन्द्रगढ़ से ही है', पूर्णतः गलत है। वास्तव में करवर से केशवरायपाटन काफी ज्यादा दूरी पर है और सीधा कोई सम्बन्ध इस क्षेत्र का केशवरायपाटन से नहीं है। स्वयं विधायक पीपल्दा का अधिकतर क्षेत्र कोटा जिले में पड़ता है और पीपल्दा एवं करवर के बीच किसी भी तरह का कोई सम्बन्ध तथा लगाव नहीं है। तहसील नैनवां में आने वाली ग्राम पंचायत तलवास के मात्र चार ग्राम कोटड़ी केमला, हीरापुर एवं बांसी को तहसील एवं पुलिस थाना इन्द्रगढ़ में मिलाया जा सकता है।

अतः अनुरोध है कि कानूनगो सर्किल करवर को तहसील नैनवां में यथावत रखा जाने की कृपा करें। पुलिस थाना, देई के चार ग्राम कोटड़ी, केमला, हीरापुर एवं बांसी (ग्राम पंचायत तलवास की सीमा में आने वाले) को ही पुलिस थाना इन्द्रगढ़ तथा तहसील इन्द्रगढ़ में सम्मिलित किया जावे।

(श्री रामनारायण मीणा)

पुलिस थाना, देई के अन्य किसी भी गांव को पुलिस थाना, इन्द्रगढ़ में नहीं मिलाया जावे। इसी मुताबिक आदेश संशोधित किए जाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, मीणा साहब। डा. सुरेश चौधरी।

सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत चकों की रीफिटिंग का कार्य

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत राजीव गांधी सिद्धमुख परियोजना के अन्तर्गत चकों की रीफिटिंग का कार्य त्वरित गति से करवा कर बाराबंदी लागू करने हेतु निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना के 293 चकों का सिंचित कृष्य क्षेत्र (सी.सी.ए.) 84 हजार हैक्टेयर है जिसमें से लगभग 65 चकों का सिंचित कृष्य क्षेत्र (सी.सी.ए.) 18 हजार हैक्टेयर का रीफिटिंग कार्य पूर्व में भांखड़ा प्रणाली के अन्तर्गत हो चुका है। शेष 227 चकों का सिंचित कृष्य क्षेत्र (सी.सी.ए.) 66 हजार हैक्टेयर है जिससे लगभग सकल सिंचित क्षेत्र (जी.सी.ए.) 132 हजार हैक्टेयर होगा। रीफिटिंग का कार्य सकल सिंचित क्षेत्र का किया जाना है अत: इतने बड़े सिंचित क्षेत्र को रीफिटिंग (चकबन्दी/सर्व एवं किलाबन्दी) कार्य तकनीकि प्रकृति का है जिसे अनुभवी एवं दक्ष कर्मचारियों के माध्यम से ही किया जाना सम्भव है अन्यथा इतने बड़े सिंचित क्षेत्र का रीफिटिंग कार्य कई वर्षों तक सम्भव नहीं हो पायेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चूंकि सिद्धमुख परियोजना का समस्त कार्य लगभग सम्पन्न हो चुका है, मोघे भी बन चुके हैं। हरियाणा राज्य द्वारा हमारा रीफिटिंग का कार्य पूरा न होने के फलस्वरूप हमें 30 प्रतिशत पानी ही दिया जा रहा है, शेष 70 प्रतिशत पानी का उपयोग हरियाणा व पंजाब राज्य कर रहे हैं। उपरोक्त 30 प्रतिशत पानी का उपयोग मात्र पेयजल व खाला निर्माण के लिये ही किया जा रहा है। यदि बाकी बचा 70 प्रतिशत पानी हमें मिल जावे तो इस क्षेत्र के किसानों की किस्मत बदल सकती है व राज्य सरकार को भारी मात्रा में राजस्व प्राप्ति हो सकती है।

(श्री सुरेश चौधरी)

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने घड़साना में आयोजित किसान सम्मेलन में नोहर-भादरा क्षेत्रों में रीफिटिंग का कार्य तुरन्त शुरू करवाने की घोषणा के फलस्वरूप राज्य सरकार ने 25 पटवारियों, तीन गिरदावरों व एक सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी की नियुक्ति इस काम को अंजाम देने के लिए एक टीम रूप में गठित की है लेकिन कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है।

रीफिटिंग कार्य को त्वरित गति से कराये जाने के सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि भादरा-नोहर क्षेत्र में रीफिटिंग कार्य के अन्तर्गत पूर्व में सी.ए.डी. द्वारा कराये गये सर्वे में गलत पत्थर गढ़ी होने के कारण भूप्रबन्ध विभाग के पटवारियों, गिरदावरों को ब्लॉक के पत्थर न मिलने की वजह से रीफिटिंग कार्य में परेशानी आ रही है। अतः इस कार्य हेतु सी.ए.डी., राजस्व व भूप्रबन्ध विभाग के उच्चाधिकारियों की एक सामूहिक बैठक बुलाई जाकर इस कार्य को त्वरित गति से सम्पादित कराया जाये।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे न केवल इस परियोजना का 70 प्रतिशत सिंचाई जल नोहर-भादरा क्षेत्र को मिल सकेगा अपितु वर्षों से लगातार अकाल की मार झेल रहे किसानों व खेतों की दिशा व दशा दोनों बदल जायेंगे जिससे क्षेत्र के विकास में नये आयाम स्थापित हो सकेंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री जीवाराम चौधरी।

डोडा-पोस्त के उपयोग हेतु सरकारी लाइसेंस फीस

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला जालौर के विधान सभा क्षेत्र आहोर, जालौर, भीनमाल, रानीवाड़ा एवं सांचौर में कई सालों से सैंकड़ों लोग डोडा पोस्त के आदी हैं जिनमें किसान एवं मजदूर की संख्या ज्यादा है। इनके आदी हो चुके लोगों को रोज सुबह इसका सेवन करना पड़ता है वरना बिना सेवन किये ये लोग शारीरिक लाचार हो जाते हैं। पूर्व में डोडा पोस्त का भाव 150 रुपये से 200 रुपये के बीच में था मगर वर्तमान में सरकारी लाइसेंस फीस बढ़ाने के कारण जिला जालौर एवं बाड़मेर में डोडा का भाव 600 रुपये प्रति

(श्री जीवाराम चौधरी)

किलो है जो कि बहुत ज्यादा है। गरीब, मजदूरी करने वाले लोगों के लिए इस भाव से डोडा खरीदना सम्भव नहीं है। डोडा न मिलने की स्थिति में मनुष्य मर भी सकता है अत: मेरा सरकार से विशेष अनुरोध है कि उन गरीब लोगों की मांग के अनुसार जिला जालौर, बाड़मेर की सरकारी लाइसेंस फीस कम करवा कर उन गरीब लोगों को 150 रुपये से 200 रुपये प्रति किलो डोडा उपलब्ध हो, ऐसी व्यवस्था करवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

जोधपुर शहर में सुनियोजित विकास की आवश्यकता

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जोधपुर शहर में सुनियोजित विकास की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं।

जोधपुर राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है। पिछले कुछ वर्षो में बड़ी लाइन आने के पश्चात यहां पर्यटन उद्योग व हैण्डीक्राफ्ट उद्योग, खनिज उद्योग बढ़ने के साथ ही आबादी भी बढ़ी है। इस कारण शहर को एक सुनियोजित विकास की आवश्यकता है जिससे इन उद्योगों का और भी विकास हो और राज्य सरकार को भी इन उद्योगों से लाभ पहुंचे।

शहर के सुनियोजित विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता जयपुर की ही तर्ज पर जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना करने की है। यहां अभी नगर विकास न्यास कार्यरत है परन्तु न्यास की भी अपनी सीमाएं हैं। इसके वित्तीय संसाधन एवं अधिकार भी सीमित हैं। शहर में हो रहे विकास की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए न्यास से यह कार्य सम्पादित होना बहुत ही कठिन है। अत: मेरा आपके माध्यम से माननीय नगरीय विकास मंत्री से आग्रह है कि जोधपुर में भी जयपुर की ही तर्ज पर जोधपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना की जाय।

शहर की दूसरी बड़ी समस्या है खस्ता हाल सड़कें। शहर का फैलाव होने व वाहनों की तादाद बढ़ने के साथ ही सड़कों के सुधार की महती आवश्यकता है। ए डी बी परियोजना में सीवर लाइन डालने के काम ने सड़कों की स्थिति पूरे शहर में दयनीय कर दी है। न तो नगर निगम और न ही नगर सुधार न्यास के पास इतने संसाधान हैं कि इन सड़कों का सुधार कर सके। मेरा आपके माध्यम से माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से आग्रह है कि शहर

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

की सिवांची गेट चान्दपोल सड़क, जालोरी गेट सोजती गेट (वाया बाई जी का तालाब) सड़क, कन्दोई बाजार से नागौरी गेट सड़क व गुलाब सागर से सोजती गेट सड़क को सार्वजनिक निर्माण विभाग को हस्तानांतरित कर इस विभाग से सड़कों का सुधार करवाने की व्यवस्था करें।

इसके अतिरिक्त शहर में इधर उधर लटक रहे पुराने बिजली के तारों को भी ठीक करवाने की बड़ी आवश्यकता है जिससे दुर्घटनाओं विशेषकर बारिश के मौसम में होने वाली आकस्मिक दुर्घटनाओं से बचा जा सके। मैं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि शहर क्षेत्र में पुराने समस्त बिजली के तारों को बदलवाया जाय और जहां भी सम्भव हो वहां भूमिगत तार डाले जाएं।

इसके साथ ही शहर के सौन्दर्यीकरण हेतु गंगलाव तालाब व बाइजी का तालाब जैसे प्राचीन जल स्रोतों की सम्पूर्ण सफाई करवाकर यहां रिक्रियेशन पार्क विकसित करने की आवश्यकता है जिससे शहर के सौन्दर्यीकरण के साथ ही पर्यावरण का भी सुधार हो सके। मेरा माननीय नगरीय विकास मंत्रीजी से अनुरोध है कि इस कार्य हेतु आवश्यक धनराशि उपलब्ध करवाकर रिक्रियेशन पार्क विकसित करने की व्यवस्था करावें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री बंशीलाल खटीक।

मार्बल कटर उद्योग को रायल्टी मुक्त कराने के सम्बन्ध में

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मार्बल कटर उद्योग को रायल्टी मुक्त करने के संबंध में 295 के तहत निवेदन है कि राजसमन्द जिले के अन्तर्गत मार्बल रायल्टी का ठेका पुनः होने जा रहा है। पूर्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ठेकेदार के बीच में मध्यस्थता से ठेकेदार के साथ जिला कटर एसोसिएशन का समझौता हुआ जिसके आधार पर कटर वाले तैयार माल पर रायल्टी का भुगतान ठेकेदार को कर रहे हैं। तब कटर वालों को आश्वस्त किया गया था कि इसका स्थाई समाधान ढूंढा जायेगा।

पुनः मार्बल रायल्टी की निविदाएं होने जा रही हैं। मार्बल कटर वाले ज्यादातर माइन्सों का वेस्टेज काम में लेते हैं। यदि इन्हें रायल्टी से मुक्त कर दिया जाता है तो माइन्सों का समस्त वेस्टेज भी जल्दी उठ जाएगा। माइन्स अच्छी चलेंगीं तो सरकार को भी राजस्व बढ़ेगा। वेस्टेज डालने के लिए जमीन की भी आवश्यकता कम होगी तथा पर्यावरण को भी नुकसान कम होगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री भंवरलाल राजपुरोहित।

मकराना में सत्र न्यायालय की स्थापना

डा. भंवरलाल राजपुरोहित (मकराना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख में निवेदन है कि मकराना नागौर जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है जहां सवा लाख से ज्यादा संख्या बसती है उसके पास ही बोरावड ग्राम की पंचायत भी नागौर की सबसे बड़ी पंचायत है। यहां ज्यादा संख्या की वजह एवं मजदूर संख्या ज्यादा होने से कई लिटिगेशन झगड़े होते रहते हैं। नागौर में सबसे ज्यादा मुकदमें दर्ज होते हैं । यहां पर इतने भारी मुकदमें निपटाने हेतु एक सिविल कोर्ट एवं एक ए सी जी एम कोर्ट संचालित है जबकि पड़ोसी परबतसर तहसील मुख्यालय में उपरोक्त सारे कोर्ट के अलावा एक अतिरिक्त सत्र न्यायालय एवं फास्टट्रेक कोर्ट स्थापित है। परबतसर की जनसंख्या पन्द्रह हजार से ऊपर नहीं है। नागौर की छोटी एवं अन्तिम एक छोर में तहसील स्थित है। यहां पर इतने बड़े दो न्यायालय स्थापित होने से जो सरकार का सस्ता एवं सुलभ न्याय दिलाने का दावा थोथा साबित हुआ है। कारण कि मकराना क्षेत्र एवं नावां तहसील क्षेत्र तक के मुकदमें हमारी दो तहसीलों के मुकदमों की पैरवी करने हेतु काफी दूर जाना पड़ रहा है। नावां कुचामन एवं परबतसर तहसील के दोनों के मिलाकर मुकदमें मकराना तहसील से ज्यादा नहीं हैं। इससे अन्दाजा लगाया जा सकता है कि गरीब लोगों को एवं इफेक्टेड जनता को परबतसर जाना कितना मंहगा पड़ता है। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदयाजी को धन्यवाद देता हूं कि मेरी प्रार्थना पर मकराना में अतिरिक्त सत्र न्यायालय खोलने की माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिफारिश की है किन्तु अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया है। सरकार पुन: माननीय उच्च न्यायाधीशजी को लिखे कि मकराना में जनता की न्यायोचित मांग पर पुन: विचार कर शीघ्र इसी वर्ष सत्र न्यायालय खोलने का आदेश प्रदान कर जनता को सस्ता सुलभ न्याय दिलाने की असीम कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री हेमराज मीणा।

किशनगंज, शाहबाद (जिला बारां) में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के

(श्री हेमाराज मीणा)

नियम 295 के अन्तर्गत किशनगंज एवं शाहबाद बारां जिले में ओलावृष्टि से उत्पन्न स्थिति के संबंध में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगंज शाहबाद में दिनांक 28.2.2007 एवं 1.3.2007 को ओलावृष्टि व जमकर वर्षा हुई इससे करीबन सत्तर गांव प्रभावित हुए। समरानिया, गदेरेटा, फरेदुआ, खोडा, सहरोल मुडीयर, बामोनी, राजपुर बैटा, रातई, ईश्वरपुरा, जालोदा, तेजाजी आदि गांवों में धनिये व सरसों की फसलें पूर्णतया नष्ट हो गई। अभी तक भी राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं हुआ है और जो राशि किसानों को दी जाती है वह मात्र ऊंट के मुंह में जीरे के समान व कई महीनों के बाद किसान को राशि मिलती है। अत: मेरा निवेदन है कि किसान को चार हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से नष्ट फसल का मुआवजा मिलना चाहिए व नुकसान का सर्वे तुरन्त प्रभाव से हो। राजस्व, विद्युत वसूलियां, सिंचाई वसूली, व्यवसायिक बैंक, कोआपरेटिव बैंक आदि की वसूली दो वर्षो तक स्थगित की जावे, ब्याज में छूट दी जावे। ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को बीमा कम्पनी से बीमे की राशि का भुगतान करवाया जाना चाहिए जिससे किसानों की माली हालत सुधर सके। फसल की तकनीकी कमियां हैं उन्हें दूर किया जावे, तहसील को यूनिट न मानकर ग्राम को यूनिट माना जावे।

अत: तत्काल मुआवजा दिलवाया जावे, सभी ऋण व राजस्व वसूली स्थगित की जावे। प्रभावित किसानों के साथ में उसकी जमीन व ट्रेक्टर आदि की नीलामी पर रोक लगाई जाए एवं मवेशियों के लिए चारा डिपो खोले जाएं एवं राहत कार्य उन प्रभावित गांवों में चलाए जाएं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान और दिलाना चाहूंगा कि ...

श्री उपाध्यक्ष: यह अंकित नहीं होगा।

श्री हेमराज मीणा (किशनगंज): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। डा. श्रीगोपाल बाहेती।

जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के तहत चयनित तीन शहरों के विकास प्रस्ताव

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

नियम 295 के तहत निवेदन है कि जवाहरलाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन के तहत राजस्थान के तीन शहरों का चयन किया गया जिसमें जयपुर, अजमेर एवं पुष्कर हैं। इस मिशन के तहत करोड़ों रुपए केन्द्र सरकार का शहरी विकास मंत्रालय राजस्थान को प्रदान करेगा। इस मिशन के तहत ट्रेफिक, कच्ची बस्ती विकास सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन व हैरीटेज के विकास के काम कराए जा सकते हैं तथा नाम मात्र की राज की भागीदारी से करोड़ों रुपए आने को हैं। खेद है कि पुष्कर एवं अजमेर के विकास के लिए सरकार अब तक कोई प्रस्ताव तैयार नहीं कर पाई और प्रस्ताव अभी भी चर्चा में है जबकि जयपुर का ट्रेफिक प्रस्ताव शायद भेजा जा चुका है। अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान अभी भी पीछे है जबकि दूसरे प्रांत काम प्रारम्भ कर चुके हैं। जब केन्द्र सरकार की ओर से धन देने में न कोताही है और न कमी फिर समझ में नहीं आता कि सरकार कार्य योजना बनाकर क्यों नहीं भेजती है? जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल मिशन का काम का स्कोप इतना विस्तृत है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में इन शहरों को बहुत लाभ मिल सकता है सिर्फ आवश्यकता है सरकार की ओर से मुस्तैदी की। पुष्कर अजमेर में इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास की काफी सम्भावना है तथा इसके विकास से एक ओर जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक व धार्मिक स्थलों का संरक्षण भी होगा। अजमेर और पुष्कर की झीलें आनासागर एवं पुष्कर झील दोनों की स्थिति सुधारने की भी त्वरित आवश्यकता है जिसके लिए भी इस मिशन में स्कोप है। जब यह काम सम्भव है तब क्यों विलम्ब किया जा रहा है, समझ से बाहर है। आशा है नगरीय विकास मंत्रीजी इस ओर ध्यान देंगे तथा योजना शीघ्र बनवाकर काम प्रारम्भ करायेंगे। साथ ही सरकार यह भी व्यवस्था करे कि जमीन अथवा मकान अधिग्रहण के लिए धन का प्रावधान राज्य सरकार से कराया जाय क्योंकि न तो इस मिशन में इसका प्रावधान है और न ही स्थानीय निकाय आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

पुलिस सुधार हेतु कानून बनाने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश

श्री उपाध्यक्ष: परची के माध्यम से उठाये जाने वाले विषय।

श्रीराव राजेन्द्र सिंह पुलिस रिफार्म्स पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के सम्बन्ध में।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 22.9.2006 का, जिसके माध्यम से राष्ट्र के समस्त प्रदेशों को यह निर्देश दिया गया है कि पुलिस बिल, जो पुलिस बिल 1861 का है, उसकी जगह एक नया पुलिस बिल लेकर आएं। और इसके आधार पर प्रदेशों को बाध्य कर दिया गया है कि 31 मार्च के पहले-पहले यह बिल प्रतिस्थापित करके और विधान सभाओं के माध्यम से इसको कानून का जामा पहना दिया जाए। कारण जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिये हैं आज मेरा सौभाग्य है कि आप बिराजे हुए हैं और कांस्टीट्यूशन के हरेक पहलू से आप वाकिफ हैं। यह जजमेंट जो सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है it is got too far reaching consequences. It is a direct infringement on the federal status of the Constitution of this country.

श्री उपाध्यक्ष: डैड लाइन कौनसी नियुक्त की है अभी ?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): डैड लाइन 31 मार्च है। और 31 मार्च के पहले बाध्य कर दिया है लेजिसलेचर्स को कि उनको कानून बनाकर पेश करना है। और कानून बनाकर पेश करने की लिबर्टी भी विधान सभाओं को नहीं दी है। उन्होंने अपने तरीके से एक मोटा-सा जामा जिसको कहते हैं स्केलेटन बनाकर दे दिया है कि इसी स्केलेटन के ऊपर आप फ्लैश और ब्लड स्थापित करेंगे। यानि लेजिसलेचर के, लेजिसलेटर्स के विवेक को, कांस्टीट्यूशन के फैडरल स्टेटस को दोनों को इन्फ्रिंज किया। अगर यह बात हम लागू कर देते हैं तो हमारा हश्र वही होगा जो किसी एक ऐसी संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन करने पर होता है कि यह सर्वोच्च सदन, जो किसी प्रदेश का सर्वोच्च सदन होता है, इसी तरीके से अगर इसके अधिकारों पर, न्याय के नाम पर सर्वोच्च न्यायालय अतिक्रमण करता रहा तो एक दिन वह आ जायेगा कि फैडरल स्टेटस की यह स्टेट्स एक टूथलैस ऑर्गन के रूप में ही काम करेगी। कानून कैसे बनाना है, लोगों के हित के लिये हमें क्या करना है यह अधिकार सर्वोपरि कांस्टीट्यूशन के माध्यम से यहां की जनता को है। जनता ही सबसे बड़ा सर्वोपरि सदन है और जन प्रतिनिधियों का यह सदन है। अगर इसको यह कहा जाए कि किस तरीके का कानून बनाया जाए, कैसे कानून बनाया जाए और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कानून की परिधि को भी डिफाइन करके अगर इसके सामने रखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे हमें बाध्य कर दिया गया है कि उनकी जबानी, उनका कहा हुआ सिर्फ हमारे मुख से निकले। इस तरह की बाध्यता न तो इस लेजिसलेचर को है और न ही हम इसको स्वीकार करेंगे। आज की जो महती आवश्यकता है, आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, वह यह है कि हमें दल से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। यह सदन इस बात को स्वीकार ना करे कि अगर बिल आया तो हमारी बाध्यता हो जायेगी हम सरकार में हैं इस बिल को पास करवाएं। इससे पहले आदरणीय अध्यक्षजी को इस बात के लिये सदन के समस्त वरिष्ठ नेताओं को, दल के नेताओं को बिठाकर इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या इस तरीके का स्ट्रिक्चर जो सर्वोच्च न्यायालय ने पास किया है उसको लेजिसलेचर स्वीकार करने के लिये बाध्य है या नहीं? वरना इसको लाया जाए और सदन के पटल पर रखकर यहां डिफीट करा कर वापस सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाए। हम इस तरीके का जो फैडरल स्ट्रक्चर पर, जो कुठाराघात करेंगे वह बर्दाश्त नहीं कर सकते।

मैं आदरणीय उपाध्यक्षजी को एक बात कहना चाहूंगा कि जिसके आधार पर इन्होंने यह सारी की सारी चीज को आमूलचूल परिवर्तन करने के लिये सरकार को बाध्य किया है। उसमें, क्योंकि यह अंग्रेजी में है, इसलिये I ask your permission to quote it in English. "The Commission was required to..." यह नेशनल कमीशन है, नेशनल पुलिस कमीशन है 1977 में जिसको फार्म किया था रिकमंडेशन करने के लिये। एक बात और बताऊंगा 1861 के एक्ट पर उन्होंने प्रश्नचिन्ह लगाया है। यह आप सबको विदित है कि जब 1950 में, when India became Republic, this Act was already 100 years old. You mean to say after another 50 years the Constitution will become 100 years old that the Supreme Court will have the authority to ask the Parliament to change the Constitution. If you go behind this spirit, in fact, I will say that the Supreme Court has gone overboard in trying to actually justify certain things. They say : "The Commission was required to recommend measures and institutional arrangements to prevent misuse of powers by the police, by administrative or executive instructions, political or other pressures or oral orders of any type, which are contrary to law, for the quick and impartial inquiry..." That means we justify it that since last 100 years, and 50 years of the Independence this country has got, we have been passing the oral orders. Their political indifferences have been there. No justice has been given to the public at large. If you concede to this you also concede to this. That means we accept

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

that there has been a corruption. We accept that there has been a corruption in the feelings, in the minds of the public representatives whether they are sitting in the Parliament or they are sitting here in the Legislative House. Again the reason for it. The petitioner himself refers to a research paper 'Political and Administrative Manipulation of the Police Published in 1979," Wonder research paper of science which probably codifies that there has been infringement in the workings of the police. We come out with the legislation. I will quote, in fact, if they need to do it, I want for a sort of quoting. "Here are some of the probings into the views of that segment of the society, which postulates judicial activism…." यह सिर्फ जुडिशियल एक्टिरिजिम के नाम पर सारा कुछ किया जा रहा है। इसमें इनके खुद के जो जजेज हैं, जस्टिस कुलदीप नायर क्या कहते हैं मैं उसको कोट कर देता हूं "So much so that Justice Kuldip Singh, former judge of the Supreme Court of India, felt that 'although the judiciary is independent, there may still have skeletons in their cupboard. Judges too have their mafia of unworthy servants. These remarks also by Justice PB Sawant are apt in this direction that 'autocracy of the judges, the judiciary is to be more dreaded than that of the politicians, for there is no recourse against it. The healer becomes a killer, and the savior becomes a captor." These are the strictures in the comments of the Judges of the Supreme Court and here we have been asked to form a Bill and pass it before 31st March. Who the Supreme Court is to instruct the legislative functioning of this country to ask us what we want to do? At the given time frame we have been compelled to go to the public and ask for their goodwill and their renewal. You mean to say anything wrong that the Supreme Court does, there can be a renewal of whatever misdeed they have done. एक छोटा सा उदाहरण है जो इस पब्लिक के सामने है, यह सदन के सामने है। कुछ सालों पहले हाई कोर्ट आफ राजस्थान ने एक स्ट्रिक्चर पास कर दिया था कि रामनिवास बाग़ में किसी तरह का ट्रैफिक नहीं जायेगा। वहां सड़कें बंद करके और घास उगा दी गयी थी। दो साल बाद वापस वहां ट्रैफिक जाने लग गया The same court. अगर पॉलीटिशियन ऐसा कर देता, अगर यह लेजिसलेचर ऐसा कर देता तो बाध्य कर देते यह सड़क पर ले जाकर, और हमको कहीं का भी नहीं छोड़ते। इस तरीके की चीज। और मेरा, it is my humble submission, एक बात और अर्ज करना चाहूंगा I am running out of time.

श्री उपाध्यक्षः राव साहब यह तो नेशनल इश्यु हो गया है Every State is concerned with it.

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): यह नेशनल इश्यु हो गया है लेकिन राजस्थान का इतिहास इस बात को कहता है हमने अनेकों युद्ध लड़े। जरूरी

नहीं कि हरेक युद्ध लड़ा लेकिन युद्ध सिद्वान्त पर लड़ा। यह आज लेजिसलेचर प्रोसेस का युद्ध है। इसमें अगर राजस्थान अग्रणी राज्य बनता है और इसको कंडेम करता है तो हम इतिहास को पुनः सुनहरे अक्षरों में लिखेंगे यह मेरा आपसे कथन है। किसी सुप्रीम कोर्ट का स्ट्रिक्चर या किसी सुप्रीम कोर्ट का सिर्फ यह कह देना मात्र कि आप इस तरीके का लॉ फ्रेम करें। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर आप पुलिस कमीशन बनायेंगे तो कैसे बनायेंगे। या तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है उसके प्रारूप में बनायेंगे या रिबेरो कमीशन ने कहा है उसके प्रारूप में बनायेंगे या ऐसा बनायेंगे जो उन्होंने लिखकर दे दिया। यानि they are trying to put the words in our mouths. What we are going to do here, say yes to what they say.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): This is a very important issue..

श्री उपाध्यक्ष: Definitely.

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह राज्य की स्वायत्ता के अन्दर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के तहत इंटरफियरेंस है।

श्री उपाध्यक्ष: यही आप कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसलिए जो कह रहे हैं शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, यह बहुत भारी इम्पोर्टेंट इश्यु है, सारे राज्यों ने इसका विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक नहीं सुनी। यह राज्यों की ऑटोनामी के ऊपर हस्तक्षेप है, संवैधानिक व्यवस्था के ऊपर हस्तक्षेप है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं इस पर सरकार को गौर करना चाहिए, जो शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यदि इस सदन की और अन्य सदनों की संवैधानिक ऑटोनामी है और संवैधानिक ऑटोनामी पर आघात जिस प्रकार आपने कहा कि हो रहा है, तो फिर वह संविधान की मंशा की जहां तक बात करते हैं कि उसकी मंशा बराबर रहनी चाहिए। फिर तो उसकी मंशा पर भी आघात सुप्रीम कोर्ट का है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय गृह मंत्रीजी अपनी तरफ से जो भावनाएं हैं उसके हिसाब से राजस्थान पुलिस एक्ट का कोई नया मॉडल सब लोगों की भावनाओं के हिसाब से अलग बनाकर के पेश करें।

एक माननीय सदस्य: वह आ रहा है, आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जो विषय शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया है, इस विषय पर केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने भी सारे स्टेट्स के मुख्य मंत्री और गृह मंत्री के साथ में एक मीटिंग की। और उसमें लगभग सभी स्टेट्स की एक ही राय थी कि कानून-व्यवस्था स्टेट का विषय है जिसमें किसी की भी दखलंदाजी ना तो सम्भव है और ना हम इसको होने देंगे। उसमें उन्होंने यह जरूर लिखा था कि आप अपने स्वयं का एक्ट लेकर के आयेंगे। यह 1861 वाला है यह इतना पुराना हो गया, कई कमीशन इस पर बैठ गये, लम्बी-चौड़ी चर्चाएं हुई, इसका तुरंत हल निकाला जाना चाहिए। लेकिन उसके लिए उन्होंने जो समय सीमा दी वह बहुत कम दी थी।

श्री उपाध्यक्ष: हां। वह कम दी थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): उसके लिए हम लोगों ने अपना रिप्रजेंटेशन दिया और उसके बाद उन्होंने चार वीक का समय और बढ़ा दिया। यह तो कोर्ट के लेवल पर है। जिस दिन यह फैसला हुआ, हमने आकर के राजस्थान में अपना एक्ट बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ की। और हमने विभिन्न स्टेजों के जो भी लॉ के जानने वाले लोग हैं उनसे चर्चा की। अपनी विधान सभा के भी कई माननीय सदस्यों के साथ बैठकर के उसके ऊपर रीडिंग की है और उसमें जहां-जहां हमें लगा कि इसमें करेक्शन करना चाहिए वह की है। और कोशिश यही कर रहे हैं कि यह सत्र समाप्त होने के पहले-पहले हम अपना जो एक्ट है वह हम स्वयं लेकर के आयेंगे और हाउस में आप सब लोगों के साथ डिसकस करके उसमें जिस प्रकार से भी सब लोगों की राय बनेगी, क्योंकि 1861 का कानून बदलकर के हम एक नया एक्ट ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके प्रत्येक बिन्दु जो रहे हैं तो हम उसको कोई मॉडल रूप दे सकें इसके लिए प्रयासरत हैं। वैसे कई स्टेट्स ने तो इस कोर्ट के डिसीजन के कारण से जल्दी से निकालकर के आर्डिनेंस भी जारी कर दिया, किसी ने कुछ किया लेकिन राजस्थान में हम इस बात का बराबर एक तरह से रेजिस्ट कर रहे हैं कि हम अपना स्वयं का मॉडल एक्ट लाकर के ही हाउस में पास कराकर के इसको आगे की जो कुछ भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करेंगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट... (व्यवधान) जस्ट ए मिनट, यह राज्य के हित का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्षः नेशनल इश्यु है, सारे ही चिंतित हैं इसमें ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपके प्रयत्नों की तो सराहना मैं करता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इतना गंभीर विषय है अगर इसमें कोई विचार आता है तो पांच-सात मिनट के लिए ...(व्यवधान) फिर मौका ही कहां मिलता है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्षः हां, कर रखा है ...(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी सराहना करते हैं, गृह मंत्रीजी आपने बड़े ओपन माइंड से इसमें कटिंग अक्रोस दी पार्टी लाइन, चाहे बीजेपी के लोग थे, चाहे कांग्रेस के लोग थे, सबकी राय को आपने बहुत ही अच्छी तरह से समावेश किया, गिवन सरकमस्टांसेज के अंदर जो हालात हैं, उनके तहत आपने बखूबी उसको रखा, यहां मैं उन बातों को कहना नहीं चाहता हूं। लेकिन यह इतना ज्वलंत मुद्दा है कि आज तो एक मुद्दे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन आया है, कल विभिन्न मुद्दों पर इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शंस आयेंगे और राज्यों की स्वायत्ता के अंदर, क्योंकि पुलिस के कार्य-कलापों के लिए लोग आंसरेबल हैं। इस विधान सभा के लिए, राजस्थान की जनता के प्रति, लेकिन अनेक विषयों में यह शुरूआत है Police is a very important department. अन्य में भी इस प्रकार का हस्तक्षेप अगर सुप्रीम कोर्ट का होता रहा तो जैसा बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि इसको रेजिस्ट करने की स्थिति है नहीं। क्योंकि धीरे-धीरे करके सुप्रीम कोर्ट के डंडे के आगे सारे राज्य फॉल इन लाइन जिसको कहते हैं, आपने गिवन सर्कमटांसेज के अंदर, जनता की जवाबदेही के प्रति, जिस प्रकार से आपने बचाने की कोशिश की है उसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे निवेदन करूंगा कि जब आप बिल लेकर के आयेंगे और कई अच्छे सुझाव उसमें आयेंगे तो कृपया करके उनके ऊपर एक तरह से रीडिंग होगी यहां पर, आप उनको समावेश करने की चेष्टा करें। इसको यही अंत करूंगा क्योंकि यह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है, मैंने आपका समय लिया मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा यह बात आप स्वीकार कर लें I mean if there is no other alternative left and probably we feel we are compelling to come up with the Bill then also

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

make it very clear in your mind that you are redefining the democracy. Democracy vests on the substance of the civilian control. It does not vest on the judicial control. The civilian control in the hands of the general public at large.The general public exercise civilian control through its elected representatives whether it is Vidhan Sabha there or the Parliament of the country. If you are trying to take strictures and definitions and instructions from the Supreme Court who has gone and done something to erroneously try and target the federal structure of this country. They have not only done that but they have also question the definition of democracy. It is not possible. It is not possible Sir. Why can't you bring the Bill here without having any whip here? Let the Legislature decide whether they want to pass this Bill on the directions of the Supreme Court or they want that the Bill should be defeated on the Floor of the House. Let the whole House stand in contempt before the Supreme Court. Let us see what the Judge will put 200 Members of the Rajasthan Vidhan Sabha behind he locks. We will not give up like that. We have a history and chivalry which dates back to ages. The Government of Rajasthan should take it up with the Leader of the Opposition cutting across the party lines. We should bring the Bill. We are the Supreme Court. Yes, we need to do something for the general public at large but we can not do it is the way you want do it. We defeat the sentiments of this bill because we feel it is an extra constitutional trail

There is one thing which I want to put on record. There is the International Organization called by the name 'Transparency International" They do survey. I am quoting the survey of 2005.

"62% citizens according to the Transparency International feel that the first hand experience of paying bribe to the police." Politician does not want that to do. It is not because of the politician. The reason why the Supreme Court has given us is that because of the politicians interfering in the workings of the police. You mean to say that this bribe is taken by the police on the interference of the politicians.

3899 crores is the amount of petty bribes paid to the police according to the Transparency International. These are the recorded facts which I have got from the Bureau of Public Research and Development, which is not something that I have got it from somewhere else.

"22389 department proceedings were pending against the policemen as on January." Do you mean to say that the politician has gone and done it?

"5.2 lakhs exhibits were waiting for examination in the State and regional forensic." Who is stopping them from doing that? The politician?

"712 is the number of people per policeman in India." Still want to

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

police too. Where are these facts? Facts don't match with the declaration of the Supreme Court.

"70,000 applications every year." The National Human Right Counsil says. Here is again policemen. You mean to say that the politicians are doing that? The very reason why this is there is trying to put the control over the legislative functions. I am again on the Floor of this House trying to put it up across to you in clear and loud words, the Constitution of India was not created to take directions from the Judiciary. We are the ones who give birth to the Act. The Act has to be interpreted by the Judiciary. The Judiciary can not preempt an Act. The Act is the absolute right of the Legislature. The Legislature will see to it that the birth take place on the Floor of the House and not on the direction of the Supreme Court.

I have humbly submitted and I leave it to the wisdom of all the senior Members to accept it and put it across. Thank you very much.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, गृह मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अब आप मेरी बात सुन लें। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है कि आपके लेजिस्लेटर की पावर को हम विद्ड्रा करते हैं।

दो चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। हम इतने टिमिड हो गए हैं कि उनके डाइरेक्शन पर हम घुटनों के बल नहीं हम तो साष्टांग दण्डवत होकर चलना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो पार्लियामेंट के मैम्बर्स को डिसक्वालीफाई किया था, उसमें भी कांस्टीट्यूशनल जजमेंट यह किया कि कानून बनाने का अधिकार असेम्बली और पार्लियामेण्ट को है। किसी भी स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहीं नहीं कहा कि कानून बनाने का अधिकार लेजिस्लेचर का नहीं है, कानून बनाने का अधिकार हमारा है। इस अधिकार को यह कहकर डाइरेक्शन दिया कि हम सबवर्ट कर दें और हम कह दें कि नहीं, उन डाइरेक्शन को हमें मानना है, इस प्रश्न पर जो चिन्ता माननीय सदस्य ने व्यक्त की है उस पर हम सबको चिन्तित होना आवश्यक है। क्योंकि हम वह करते हैं जिस जनता ने इलेक्ट करके हमें हाउस में भेजा। यह सोचकर भेजा कि कानून बनाने का

(डा. सी. पी. जोशी)

काम यह लेजिस्लेचर करेगा। उस कानून को बनाने के काम की जगह पर हम इतने कमजोर हो गए, इतने नि:शक्त हो गए, इतनी हमारी दुर्गति हो गई कि हम उस डाइरेक्शन के आधार पर इस अधिकार को भी खोना चाहते हैं। तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, न आपको करेगा, न हमको करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसा माननीय सदस्य ने कहा, दो ऑप्शन है। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल लाएं और सब पोलिटिकल पार्टी इसमें व्हिप जारी नहीं करें। और बिल को डिफिट कर दे। This is one option available. We have exhausted the directions given by the Supreme Court. The Supreme Court says only this thing कि हमारे डाइरेक्शन का पालन किया जाए। Let it be the wisdom of the House ki उन्होंने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया है तो सुप्रीम कोर्ट उससे ज्यादा आगे कर सके इसकी सम्भावना को अभी हमने तलाशा नहीं है। हम भी यह मानकर चल रहे हैं, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की सेलरी का मामला था, उस सेलरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और जजों ने यही निर्णय लिया और सारी लेजिस्लेचर ने उस बात को मान लिया। यह दूसरा प्रयास है हिन्दुस्तान के इतिहास में जब कोर्ट के डाइरेक्शन के आधार पर कानून बनाने का जो हमारा अधिकार है उसको हम सरेण्डर कर रहे हैं। एक ऑप्शन तो यह बचता है जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि आप बिल लेकर आएं। आपकी जो गवर्नमेंट का काम है वह गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन को मानना है, आपने पालन किया, यह आपका उत्तरदायित्व है। उससे हम वंचित नहीं करते। लेकिन हम निश्चित तौर पर जितनी भी पार्टी के चीफ व्हिप हैं, जो पार्टी के लीडर हैं उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि वह व्हिप जारी नहीं करे। Let it be on the Floor of the House. Let it be on the conscious of the Members of the House whether they want to surrender this right or not. If the Bill is rejected by the House then . सुप्रीम कोर्ट हमें बाउण्ड करके सज़ा नहीं दे सकता है। इसलिए निश्चित तौर पर माननीय गृह मंत्रीजी, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं। लेकिन माननीय गृह मंत्रीजी, यह भी आवश्यक है कि हिन्दुस्तान की जनता ने यह जो अधिकार दिया है संविधान में, उस अधिकार को हम सरेण्डर नहीं करें। इसलिए निश्चित तौर पर इस बिल को यहां पर डिसकस ओपन माइण्ड से करवाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह डाइरेक्शन है कि आप यह बिल

लाएं। आपको सुप्रीम कोर्ट ने यह डाइरेक्शन नहीं दिया है कि इसको पास करवाओ। यदि ऐसा डाइरेक्शन होता, पास करवाने का होता तो मैं समझता हूं कि हमें कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन व्हिप के आधार पर यदि हम पास करवाते हैं तो पहला ओनस तो आप पर जाएगा, क्योंकि सरकार आपकी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपकी सरकार व्हिप के आधार पर बिल पास करवाती है तो भारतीय जनता पार्टी सरेण्डर कर रही है अपने कांस्टीट्यूशनल अधिकार को, इसके लिए दोषी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी होगी। और हमारी पार्टी में भी हम चर्चा करेंगे कि क्या इस एक्स्ट्रीम पर जाया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन जो अवेलेबल है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य शाहपुरा से आए हैं जो कॉन्शियसली फील करते हैं, मैं भी उनकी भावनाओं में अपने आप को सम्मिलित करता हूं। एक अधिकार बनता है जिसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए कि एक मैम्बर की हैसियत से हम दुबारा सुप्रीम कोर्ट में अपने केस को लड़ें कि मेरा जो अधिकार है एक एम एल ए का, उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट विड्रा नहीं कर सकता। इस केस को हम दुबारा एम एल ए की हैसियत से भी कोर्ट में केस लड़ें और राजस्थान सरकार उसके लिए पैसा दे। The word I am saying differently. I don't want to contest the case, as a Legislator, on my own expenditure. I want that this should be done at the state exchequer. The second option is available. एक बार दुबारा इस बात पर कांस्टीट्यूशनल बैंच के सामने जाकर हम यह बात करें कि कांस्टीट्यूशनल बैंच इस बात पर डाइरेक्शन करे कि या तो राष्ट्रपति का जो अधिकार है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह जो फैसला है वह संवैधानिक पीठ का ही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): संवैधानिक पीठ का फैसला है, राठौर साहब कि आपको निर्देश दिए हैं कि आप बिल बनाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अब किसको अपील करें? रिव्यू में चाहे तो जा सकते हैं। किसको अपील करें? सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन चार महीने के अन्दर एक्ट बनाकर उनके सामने प्रस्तुत करने का है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नहीं तो उसी को मान लिया जाएगा जो उन्होंने माडल दिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं, उन्होंने दो पार्ट किए हैं। एक तो पार्ट उन्होंने यह किया है कि आप एक्ट नहीं बनाए तब तक इन-इन डाइरेक्शन को फोलो करना है। ऑप्शन में दो चीजों को कंफ्यूज नहीं करें। आपके पास यह मेंडटरी है कि आप यदि कानून नहीं बनाते हैं तो बनाना मस्ट नहीं है। इन दैट केस, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन-इन डाइरेक्शन को फोलो करिए तो दैट ऑप्शन इज आलरेडी देयर। ऐसा नहीं है कि आपको कानून बनाने की स्थिति उन्होंने पैदा कर दी कि निर्देश को मानना कम्पलसरी है। यह हम मानते हैं, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम मानते हैं, इसलिए निर्देशों को मानने के आधार पर कानून बनाए। यह तो सरकमवेट करना है कि कानून पास करने के लिए, एक आदमी उधार लेने के बाद कम्प्लशन करे कि मेरा पैसा चुका, उस तरह की स्थिति बनी हुई है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पर इस पर किसी न किसी स्टेट को आगे आकर हिम्मत करनी पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष: करीब-करीब सभी स्टेट इसमें कंसर्ड है और उन गाइड लाइन पर नया एक्ट वगैरह बनाया गया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों की सोच है वह वास्तव में सब लोगों की एक ही तरह की है कि यहां, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन के आधार पर हम कानून बनाएं यह लोक तंत्र में सम्भव नहीं है। अगर इसके लिए आग्रह भी है तो हम उसके खिलाफ जिस ढंग से भी कानूनी दृष्टि से लड़ा जा सकता है वह अपनी जगह लड़ेंगे। लेकिन यह बात सच है कि यह फैसला बहुत ही आश्चर्यजनक है कि जब तक आप नया कानून नहीं बनाएं तब तक आपको इस डाइरेक्शन का पालन करना पड़ेगा। अगर इसकी पालना हो जाए तो फिर तो लोकतंत्र की हत्या ही हो गई एक तरह से कि वह जो डाइरेक्शन दे उसके आधार पर यहां की कानून व्यवस्था चलाएं। यह सम्भव नहीं है। लेकिन चूंकि, अब सुप्रीम कोर्ट सब से ऊपर मानी जाती है, सारे राज्यों ने बैठकर इस पर विचार किया। सबने अपना-अपना रिव्यू फाइल किया हरेक ने, कानून की लड़ाई अपनी जगह लड़ी जाएगी। लेकिन उस बात को ध्यान में रखकर जो एक्ट बनाने के बारे में केवल इन्होंने ही नहीं पूर्व में भी कई बार यहां पर हाउस में भी चर्चा करते हैं कि यह 1861 का कानून कब तक चलेगा। तो निश्चित रूप से यह भी बहाना मान लीजिए और हम अपना स्वयं का कानून बनाकर उसके लिए सुप्रीम कोर्ट

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

ने मना नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपना कानून बनाएं। लेकिन यह जरूर राइडर उन्होंने डाला कि जब तक आपका कानून नहीं बनता है एक समय सीमा बांधी कि तब तक आप इन गाइड लाइन के अनुसार चलेंगे। हमने इन गाइड लाइन को नहीं माना। हमने अपना रिव्यू पिटीशन किया और समय बढ़ाने के लिए जो समय दिया था उसमें बढ़ाने का था। लेकिन अभी भी चार सप्ताह का केवल समय बढ़ाया और चार सप्ताह में यह नहीं बनेगा, सम्भव ही नहीं है कि चार सप्ताह में हम उसकी लाइन को भी क्रोस कर गए हैं। आज की तारीख में कानूनन चाहे तो हमारे खिलाफ कार्यवाही हो सकती है। हमने उसको स्वीकार नहीं किया अगर कोई कार्यवाही भी करेगा तो हम उसको फेस करेंगे। लेकिन हम अपनी स्वयं की समझ से और सब लोगों की राय से जो भी अच्छा कानून तैयार हो सकता है उसको हम हाउस में लाएंगे। सब लोगों से विचार विमर्श करेंगे क्योंकि यह कानून न तो पार्टी के लिए बन रहा है। यह सारे के सारे प्रदेश के लॉ एण्ड ऑर्डर के लिए बन रहा है। उसमें हर जगह जहां कहीं भी खामी नजर आती है उसको ठीक करके परफैक्ट बनाएंगे ताकि आने वाली कई पीढ़ियों तक यह कानून काम आ सके। इसी मंशा को ध्यान में रखकर हम कई बार बैठे भी हैं और हम इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि उन्होंने जो डाइरेक्शन दिए हैं उसका हम अक्षरश: पालन करेंगे। और यहां तक कि हमारे चीफ सेक्रेटरी को तो इस बात का नोटिस भी मिला हुआ है तो भी उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि नहीं, जल्दी में हम कोई कानून बनाकर ले आएंगे और कानून पास कर देंगे यह सम्भव नहीं है। और हमको यह कहा गया था कि नहीं आप आर्डिनेंस लाकर भी करो, हमने कहा कि ना, हम आर्डिनेंस नहीं लाएंगे। यह कानून है और इस कानून को ठीक, परफैक्टली सब लोगों की राय से, मैं तो चाहता हूं कि लॉ को जानने वाले भी और जो कोई लोग हों उनसे भी राय लेकर अगर इसमें कहीं कोई कमी खामी है तो निश्चित रूप से उसका प्रयास करके परफैक्टली यह कर रहे हैं। इस सत्र की समाप्ति के पहले-पहले हम इस कानून को लेकर आएं, इस प्रक्रिया में हम चल रहे हैं। मैं माननीय सदस्य, शाहपुरा से आने वाले और नाथद्वारा से आने वाले और बाकी माननीय सदस्यों, आप ही नहीं, मैं सारे सदन की और लोकतंत्र की तरफ से यह विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने पावर को कभी भी इस तरह से किसी के हाथों में सुपुर्द करके इस व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बारे में हम कमिटेड हैं और हमेशा रहेंगे।

श्री उपाध्यक्षः धन्यवाद। डाक्टर सुरेश चौधरी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुन लीजिए। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा हुई है, माननीय राव राजेन्द्र सिंहजी, शाहपुरा से नहीं, बैराठ से सदस्य हैं। रिकार्ड में यह कोट हो जाए क्योंकि गृह मंत्रीजी ने शाहपुरा कहा है, इसके स्थान पर बैराठ लिख दिया जाए।

श्री उपाध्यक्षः वह कर देंगे अपने आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): बैराठ से आने वाले माननीय सदस्य, क्योंकि आने वाले समय के लिए यह महत्वपूर्ण डिबेट है, ऐतिहासिक चर्चा मानी जाएगी। इसलिए आप शाहपुरा के स्थान पर बैराठ करा दें।

श्री उपाध्यक्षः कर लेंगे, कर लेंगे, वह ध्यान रखते हैं।

सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना में निर्धारित पूरा पानी देना

डा. **सुरेश चौधरी** (भादरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मुझे बोलने का मौका मिला, आपने अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं वह विधान सभा क्षेत्र राजस्थान के उन दो जिलों में पड़ता है जो कृषि प्रधान माने जाते हैं और सिंचाई के पानी से परिपूर्ण माने जाते हैं जबकि नोहर भादरा चूरू जिले के नजदीक लगता है और आज तक यह हमेशा सूखा और अकाल झेलता रहा और जहां सिंचाई पानी नाम की कोई चीज नहीं है। 1989 में पहली बार 1982 का भारत सरकार का सिंचाई मंत्रालय था उसका रावी व्यास बेसिन का रावी व्यास समझौता हमारा हुआ उसमें राजस्थान के हिस्से में 8.6 एमएएफ

(14.00 बजे)

पानी राजस्थान के लिए निर्धारित किया। उसमें हनुमानगढ़, गंगानगर जिले के उस रेगिस्तानी इलाके के लिए भादरा, नोहर की उस असिंचित भूमि को, उस प्यासी भूमि को सिंचित करने के लिए .47 एमएएफ पानी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना के लिए आबंटित किया गया था। उस समय स्वर्गीय राजीव गांधीजी ने 1989 में भादरा में हरियाणा सीमा के नजदीक भिरानी हैड पर सिद्धमुख नोहर परियोजना की आधारशिला रखी, उसका काम चालू हुआ। उसमें सिद्धमुख, नोहर और भादरा, राजगढ़, तारानगर के हजारों, लाखों काश्तकारों ने एक सपना संजोया था कि जल्दी ही यह कार्य पूरा हो जाएगा और उसमें हमारा जो इलाका है, जो आज तक डेजर्ट इलाके के रूप में माना जाता रहा है

(डा. सुरेश चौधरी)

वह भी एक ग्रीन बेल्ट के रूप में जैसा संगरिया, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, सादुलशहर, घड़साना, रावला, अनूपगढ़, गंगानगर, केसरीसिंहपुर का एरिया होता था उसी तरह का हो जाएगा, लेकिन 16-17 साल बाद भी हम उस .47 एमएएफ पानी को आज भी लेने में कामयाब नहीं हुए हैं। मैं किसी सरकार को दोष नहीं दे रहा, मैं किसी पार्टी या पूर्व सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार या किसी पार्टी, किसी संगठन या जन-प्रतिनिधियों को चाहे कोई भी रहे हों मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता। जिसका भी दोष रहा है निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है आज से पूर्व जो भी रहे, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे बीजेपी की सरकार रही, चाहे जनता दल और जनता पार्टी मिलजुलकर आपस में रहे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल (दिग्विजय) आपस में मिल-जुलकर रहे, जो भी रहे किसी न किसी का दोष निश्चित है। पानी आग बुझाने के काम आता है और इस सदन में पानी में आग लगाने वाले सदस्य भी मौजूद हैं और मेरे पड़ोस में घड़साना, रावला में पानी में आग लगाने की कोशिश की और पानी में आग लगायी भी गयी। मैं नहीं चाहता हमारा जो शांत एरिया है सिद्धमुख नोहर, तारानगर, राजगढ़, भादरा और इंटरस्टेट बोर्डर के काफी लम्बे-चौड़े एरिया में आपस में सीमाएं लगती हैं उस एरिया की भी कोई पानी में आग लगाये।

मैं टोहाना, जहां से सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना शुरू होती है वहां तक सिंचाई विभाग के अधिकारियों को लेकर गया। वहां हमारा करीब 850 क्यूसेक पानी सिद्धमुख नोहर परियोजना के लिए निर्धारित है। उस समय 8.6 एमएएफ पानी 1982 में रावी व्यास समझौते में, कांग्रेस सरकार उस समय राजस्थान में थी, दिल्ली में भी कांग्रेस सरकार थी, उस समय जो समझौता हुआ उस समय 8.6 एमएएफ पानी आबंटित हुआ। उसमें .6 एमएएफ आज भी हम लेने में नाकाम हैं। उस समय नाकाम थे, कारण समझ में आता है कि उस समय इसलिए थे कि हमारा कैनाल सिस्टम डवलप नहीं था, हमारी नहरी परियोजनाएं पूरी विकसित नहीं थीं और हम हमारा 850 क्यूसेक पानी लेने की स्थिति में नहीं थे या हमारा 8.6 एमएएफ पानी लेने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन चूंकि आज 8.6 एमएएफ में .47 एमएएफ पानी सिद्धमुख नहर परियोजना का सिर्फ राजगढ़, तारानगर, नोहर, भादरा का है और वहां पर करोड़ों रुपये, अरबों रुपये लगाकर सिंचाई परियोजना विकसित

(डा. सुरेश चौधरी)

की जा चुकी है। आज मौका है वह .17 एमएएफ पानी जो करीब 300 क्यूसेक बनता है वह आज हम टोहाना हैड पर ले सकते हैं। मैं मेरे प्रतिपक्ष के माननीय साथियों से, चूंकि सदन में हम बीच के आदमी हैं तो लेफ्ट में भी और राइट में भी दोनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि यहां पर पार्टी लाइन से ऊपर उठकर हरियाणा में आपकी सरकार है। हरियाणा में आपके मुख्य मंत्री हैं। और टोहाना में जिस जगह मैं जाकर आया हूं उससे अपस्ट्रीम में कांग्रेस के आपके मुख्य मंत्री माननीय हूडाजी रोहतक में यह कैनाल ले जाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि एक सराहनीय प्रयास है। रोहतक, भिवानी के काश्तकारों की जमीन भी सिंचित हो। हमारे अपस्ट्रीम में से पानी वे ले रहे हैं, एक कैनाल निकालेंगे। मैं टोहाना हैड पर गया, भाखड़ा मेन ब्रांच, फतेहाबाद डिस्ट्रीब्युटरी, फिरथला डिस्ट्रीब्युटरी उसके बाद फतेहाबाद ब्रांच, सिद्धमुख नोहर फीडर मैन डिस्ट्रीब्युटरी फिरथला और घिंगताना लिंक चैनल ये टोहाना हैड से निकलने वाली कैनाल्स हैं, लेकिन इसका जो अपस्ट्रीम है उसके करीब एक किलोमीटर के एरिया में उस अपस्ट्रीम में और लोअरस्ट्रीम में पड़ने वाला प्रांत राजस्थान है, पंजाब नहीं है, हरियाणा नहीं है। वहां इस समय आपत्ति हम कर सकते हैं। कांग्रेस, बीजेपी और सभी माननीय सदस्य जो इस पवित्र हाउस में हैं वे सभी मिलकर इसमें आपत्ति कर सकते हैं कि जब तक .17 एमएएफ करीब 300 क्यूसेक पानी सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना का नहीं दिया जाएगा तब तक हमारी अपस्ट्रीम में से आपको कोई भी लिंक चैनल नहीं निकालने देंगे। कोई बड़ी बात नहीं है वह पानी हम आने वाले कुछ महीनों में लेने में कामयाब हो जाएं।

इसके अलावा जो पुराना भाखड़ा सिस्टम है सीपी-फाइव, (कांटेक्ट पाइंट फाइव) हरियाणा और राजस्थान की सीमा, हरियाणा और राजस्थान प्रांत की वहां पर कांटेक्ट पाइंट फाइव है वहां पर भाखड़ा का जो पुराना सिस्टम है वहां पर स्वचालित गेज रिकार्डर लगा हुआ है। हमें किसी को बैठाने की आवश्यकता नहीं है, उस स्वचालित गेज रिकार्डर से ही पता चल जाएगा कि हमारा हरियाणा से पानी आ रहा है और जो राजस्थान को अमर सिंह सब ब्रांच के माध्यम से आगे नोहर भादरा को दिया जा रहा है वह पानी पूरा हमारा 255-300 क्यूसेक नहीं है वह पूरा उस गेज रिकार्डर से पता चल जाता है। मेरा इस पवित्र सदन के माध्यम से, पर्ची के माध्यम से इस मामले को उठाने

(डा. सुरेश चौधरी)

का मौका दिया तो उसमें भी मैं कहना चाहूंगा कि चूंकि सिद्धमुख नोहर फीडर का करीब 49 किलोमीटर और 38 किलोमीटर का करीब 87 किलोमीटर का हिस्सा सिर्फ हरियाणा से होकर गुजरता है और उसका पूरा का पूरा मेंटिनेंस का काम पूरा हरियाणा पर है। और हरियाणा जहां राजस्थान को सिद्धमुख नोहर फीडर के नाम से पानी देता है वह काजल हेड और वहां का सीपी फाइव है। मेरा सदन के माध्यम से मांग है, माननीय सिंचाई मंत्रीजी भी सुन रहे हों तो उनके भी ध्यान में आ जाए जिस तरह से पुरानी भाखड़ा सिस्टम पर आटोमैटिक गेज रिकार्डर लगाया हुआ है उसी तरह से सीपी-फाइव या काजल हैड पर, जहां पर हरियाणा से हमें पानी मिलता है, करीब 87 किलोमीटर में तो पूरी नहर है। जो 850 क्यूसेक चलती है और वहां राजस्थान की सीमा में आकर राजस्थान के सिद्धमुख नोहर जैसे प्यासे इलाके को कितना पानी देंगे वह हमारे पास रिकार्ड ही नहीं है। हम कहते हैं हमें 850 क्यूसेक मिलना चाहिए और वे करीब 750 क्यूसेक ही देकर कह देंगे, हमारे पास गेज रिकार्डर है नहीं, वे 750 देकर कह देंगे कि हमने 850 दे दिया तो हमें मानना पड़ेगा। वहां सिद्धमुख फीडर इनकी डिस्ट्रीब्युटरी है रतनपुरा डिस्ट्रीब्युटरी और बोर्डर माइनर। आज उस सिद्धमुख फीडर में पूरा पानी जितना हम पिछले चार महीने से छोड़ रहे हैं उतना पानी पिछले 10 सालों से नोहर भादरा क्षेत्र के काश्तकारों को नहीं मिला। लेकिन इस मेन फीडर में जो करीब 650 क्यूसेक की है और यह रतनपुरा डिस्ट्रीब्युटरी और बोर्डर माइनर निकल रही है इसमें हमने अनधिकृत रूप से पम्प से पानी डालकर फीडर से ले जाना पड़ता है जहां क्रोस रेगुलेर नहीं लेंगे, गेज नहीं लेंगे। आज समझ में आता है एक मकान बनाओ, भव्य मकान बनाओ, आप महल बना दो। लेकिन उस महल में खिड़कियां नहीं है, आज हवामहल विश्व प्रसिद्ध है तो अपने झरोखों, खिड़कियों की वजह से है। हमने वह नहर बना दी, लेकिन उस नहर में आज तक आउटलेट नहीं लगाया। हमने नहर बना दी, उसमें क्रोस रेगुलेटर नहीं लगाया। आज 350 क्यूसेक पानी मिल रहा है। 65 क्यूसेक हमने पीछे से नहीं दिया, 65 क्यूसेक रतनपुरा डिस्ट्रीब्युटरी का फुल वाटर लेवल है, उसके हिसाब से उसका आउटलेट दो फीट पर लगा दिया। हम 65 क्यूसेक की बजाय 22 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं और 22 क्यूसेक में दो फीट नीचे पानी जा रहा है। कैसे उस आउटलेट में पानी जाएगा, कैसे उस रतनपुरा वितरिका का काश्तकार पानी ले पाएगा। जब तक

(डा. सुरेश चौधरी)

गेट नहीं लगाएंगे, जब तक क्रोस रेगुलेटर नहीं लगाएंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब तक 17 साल के प्रयास के बावजूद भी नहर में पानी नहीं आना उसका सबसे बड़ा कारण रहा कि नोहर भादरा में जो क्षेत्र पड़ता है उस जमीन की मुरब्बाबंदी नहीं हुई, किलाबंदी नहीं हुई और जो माइनर डिस्ट्रीब्युटरी है वह बिना हैड रेगुलेटर व क्रोस रेगुलेटर के है। इसमें मेरा एक सुझाव है सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना की माइनर डिस्ट्रीब्युटरी के गेट व क्रोस रेगुलेटर और खालों के आउटलेट तुरंत प्रभाव से लगाये जाएं। सिद्धमुख फीडर की सर्विस रोड को ठीक किया जाए। मैं टोहाना तक गया, 85 और 20 करीब 105 किलोमीटर का एरिया है हमारे सिद्धमुख हैड से लेकर। कहीं भी दोनों बैंक, एक फतेहाबाद ब्रांच और सिद्धमुख नोहर ब्रांच का मिलता है, लेकिन दोनों के जो दूसरे बैंक हैं, दूसरे जो किनारे हैं, दूसरे जो पटड़े हैं उस पर वाहन चलाने की स्थिति नहीं है। वहां का सिंचाई विभाग, वहां का सीएडी विभाग, वहां का गृह विभाग चाहकर भी उसकी पेट्रोलिंग नहीं कर सकता, क्योंकि पटड़े पर चलने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। इसी तरह माइनर और चकवाइज काश्तकारों की जल उपभोग समितियां हैं, हमने प्रयोग भी किया है वहां सिद्धमुख नोहर सिंचाई परियोजना क्षेत्र में। अभी फाइनल बाराबंदी जब तक हमारी रिफिटिंग नहीं होगी, चक प्लान नहीं होगा। खसरा पर चक प्लान सुपर इम्पोज करके जब फाइनल चक प्लान हमें नहीं मिल जाएगा, रिफिटिंग सर्वे चकबंदी का नहीं मिल जाएगा तब तक हमारे पास एक मात्र रास्ता था भाईचारे की चकबंदी। मैंने खुद रातों दिनों में 24-24 घंटे काश्तकारों के बीच में जाकर के उनको उनकी माइनर्स की, उनके चक की वाटर यूजर्स कमेटी को एक अनाधिकृत रूप से बना कर भाइचारे की बाराबंदी हमने लागू करवाई तो मेरा निवेदन यही है कि सिंचाई विभाग पर बार-बार आरोप लगते हैं, सरकार पर बार-बार आरोप लगते हैं, सीएडी के अधिकारियों पर बार-बार आरोप लगते हैं कि बाराबंदी सही नहीं होती है, बाराबंदी में पानी देने के मामले में इंजिनियर और अभियंता लोग यह जो भी हैं वह भ्रष्टाचार करते हैं तो इसका सबसे बढ़िया रास्ता है कि वहां वाटर यूजर एसोसिएशन हर माइनर्स पर, हर वितरिका पर, हर चक पर बना करके चाहे उसकी बाराबंदी का काम हो, चाहे उसकी नहर का रखरखाव का काम हो, खालों का रखरखाव का काम हो और

(डा. सुरेश चौधरी)

चाहे उनसे आबियाना लेने का काम हो, वह पूरा का पूरा काम वाटर यूजर्स एसोसिएशन को सौंप दिया जाए तो मेरे ख्याल से काफी कुछ हद तक समस्याओं निदान हो सकता है।

और एक दूसरा, पुरानी भाखरा सिस्टम का एक झांसल माइनर था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं आधा मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं। इसमें 22 क्यूसेक्स की क्षमता थी जो अमरसिंह ब्रांच पुरानी भाखरा का जो सिस्टम था उसमें निकलती थी। अब झांसल माइनर जो निकलती है 22 क्यूसेक्स की, वह साढ़े छह सौ क्यूसेक्स की सिद्धमुख के एकदम जो पश्चिमी किनारा है उसके नीचे निकलती है। एक तरफ तो वह करीब 50 फीट ऊंचा सिद्धमुख फीडर साढ़े छह सौ क्यूसेक्स का दूसरी तरफ मात्र 22 क्यूसेक का छोटा सा चैनल, वहां पशु जाते हैं, वहां पर बरसात होती है, बरसात में धारे गिर गये, धोरे में आ गया, वह पूरा का पूरा सातवें दिन सिल्ट से भर जाता है, पानी नहीं मिल पाता। मेरी मांग है सदन के माध्यम से कि वह 22 क्यूसेक्स पानी के झांसल माइनर को रद्द कर दिया जाए। झांसल माइनर को अमरसिंह ब्रांच से सीसी पाइप से जहां उधराण गांव के पास से निकलती है उसको खतम कर दिया जाए और वह 22 क्यूसेक्स पानी हमें सिद्धमुख फीडर में देकर झांसल माइनर का जेएसएल 1, 2, 3, 4, 3ए, 3बी, जितना भी चक है उन सारे चकों का पानी सिद्धमुख फीडर में 22 क्यूसेक्स देकर और सिद्धमुख फीडर में डाइरेक्ट आउटलेट देकर उन काश्तकारों को पानी दिया जाए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, सुरेशजी। श्री प्रभुलाल वर्मा। चम्बल सीएडी कोटा के सुदृढ़ीकरण के संबंध में।

चम्बल नहर की ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने विषयक

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कोटा की चम्बल सीएडी की नहरों के बारे में प्रकाश डालना चाहता हूं। कोटा नगरी शैक्षणिक नगरी व औद्योगिक नगरी से जानी जाती है। इसका कारण सिर्फ चम्बल और चम्बल की नहरों से है। अगर वहां पर चम्बल नहीं होती तो कोटा का नाम आज देश विदेश में नहीं होता। चम्बल की नहरें करीब 40 वर्ष पुरानी हैं और इन नहरों के रखरखाव के लिए पूर्व सरकार ने कोई

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

ध्यान नहीं दिया। ये नहर इतनी लम्बी चौड़ी और इतनी जीवन दायिनी है कि तीन जिलों को कोटा, बूंदी और बारां को सिंचित करती है। साथ ही, मध्य प्रदेश को भी पानी जाता है। इन नहरों में, मैं आपको कोट करना चाह रहा हूं दांयीं मुख्य नहर की लम्बाई राजस्थान में 124 किलोमीटर और इसका सिंचित एरिया 2.29 हजार हैक्टेयर है। इसी तरह से, बांईं मुख्य नहर की लम्बाई 2.4 किलोमीटर है तथा इससे 4 ब्रांचें निकलती हैं, कापरेन ब्रांच, पाटन ब्रांच, बूंदी ब्रांच और केशोरायपाटल ब्रांच। इस तरह से करीब इसकी लम्बाई भी डेढ़ सौ किलोमीटर निकलती है। सिंचित क्षेत्र एरिया इसका 1.2 हजार हैक्टेयर है। माइनरों की संख्या आरएमसी में 336 है और इसकी लम्बाई 210 किलोमीटर है। एलएमसी में 184 माइनर हैं और जिनकी लम्बाई 739 किलोमीटर के लगभग है। इसी तरह से 27 डिस्ट्रीब्यूट्रीज आरएमसी से निकलती हैं जिनकी लम्बाई 268 किलोमीटर है, एलएमसी में से 26 डिस्ट्रीब्यूट्रीज निकलती हैं जिनकी लम्बाई 343 किलोमीटर है।

मान्यवर, मेरा यहां सब कुछ बताने का कारण चम्बल की नहरों से किसानों की जीवन रक्षा करना है। यह किसानों की रीढ़ की हड्डी है। वहां के किसान केवल खेती पर ही निर्भर करते हैं लेकिन 40 साल गुजर जाने के बाद भी इन नहरों की दशा पूर्व सरकार ने नहीं सुधारी है और वह नहरें आज जर्जर हो गयी हैं। एक फूटी कोड़ी तक पैसा नहीं दिया नहरों के रखरखाव पर। माननीय यह एक कुठाराघात है किसानों के लिए, किसानों के साथ इतना बेइमानी करना पूर्व सरकार का अच्छी बात नहीं है। आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्री महोदया को, माननीय सिंचाई मंत्रीजी को जिन्होंने सरकार में आते ही ....

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण कर रहे हैं या कोई मैटर रेज कर रहे हैं ? यह भाषण कर रहे हैं या कोई महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षण करा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अपनी समस्या बता रहे हैं।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): नहरों का सुदृढ़ीकरण कराया और नहरों की दशा सुधारी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, यह परम्परा नहीं रही है

(श्री जुबेर खान)

कि जीरो ऑवर में पर्ची के माध्यम से पुरानी सरकारों ने यह किया, सरकार को धन्यवाद देने की आप नई परम्परा डालें, आप स्पेसिफिक बताइए कि यह मुद्दा सदन के माध्यम से राजस्थान सरकार के सामने लाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जुबेर खानजी अलग-अलग कहने के तरीके हैं, आप वाला तरीका नहीं आता उनको।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): वह नहरें बनी उसमें यह ए.ईएन. और जे.ईएन. थे ये खुद ही।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): 17 साल तक नहरों में पानी नहीं पहुंचा था।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उन नहरों में इन्होंने कितना चूना मिलाया है यह पूछो ना।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, नई-नई परम्पराएं मत बनाइए। (व्यवधान) और फिर आप आज की तारीख याद रख लीजिए, आप आगे भी लोगों को अलाउ करिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इन्होंने कितना चूना लगाया और जर्जर हो रही हैं। उस जर्जर के होने में आपका कितना योगदान है, यह तो बताएं जरा।

श्री उपाध्यक्ष: सभी का कहने का अलग-अलग तरीका होता है।

श्री प्रभुलाल वर्मा (पीपल्दा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष नहरों को चलाने के लिए सुचारू रूप से व्यवस्था की गई। नहरों के रखरखाव के लिए तुरन्त 17 करोड़ रुपये दिये गये और 104 करोड़ की जो योजनाएं बनी हुई हैं उसके लिए भी विचार विमर्श किया जा रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्रीजी को बार-बार धन्यवाद देता हूं और वहां की जनता गीत गा-गा कर यह कह रही है कि 17 साल में पहली बार पानी पहुंचा है। मंत्री हो तो ऐसा हो।

आज इस मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बार-बार धन्यवाद । साथ ही लास्ट एक बात और कहना चाहूंगा कि

(श्री प्रभुलाल वर्मा)

हमारे क्षेत्र में नहरें चल रही हैं, पानी खूब है लेकिन ड्रेनेज सिस्टम जो है वह खराब हो चुका है। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने की वजह से आज वाटर लागिंग की स्थिति आ गई है। पहले वहां पर ड्रेनेज डिवीजन हुआ करता था लेकिन मई 1983 में वहां ड्रेनेज डिवीजन टूट गई है तो ड्रेनेज के सिस्टम को ठीक किया जाए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि ड्रेनेज की वहां पर सफाई हो जाती है, डि-सिल्टिंग हो जाती है ड्रेनेज की तो वाटर लागिंग की स्थिति बिलकुल नहीं आएगी और फसलें भी और ज्यादा अच्छी होंगी। दूसरा, इस बार पानी पहुंचने से टेलों पर करीब-करीब दो ढाई करोड़ रुपये का किसान डीजल फूंकते थे वह डीजल बचा है। यह धन्यवाद देना चाहते हैं आपको, पूरी सरकार को, वहां की जनता। मैं इस मौके के बाद में अब आपसे अंत में एक लाइन और पढ़ना चाहता हूं।

मां भारती के भाल की बिंदिया वसुंधरा,

और तेज की कहूं तो दुर्गा समान है।

धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रताप सिंह सिंघवी से आगे आ गये आज आप।

श्री उपाध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत। समाज कल्याण विभाग के नियमों में संशोधन के संबंध में।

समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं को जनकल्याणकारी बनाने विषयक

श्री हरीसिंह रावत (भीम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज पर्ची के माध्यम से समाज कल्याण विभाग के जो कुछ नियम और योजनाएं हैं उनमें मैं कुछ संशोधन चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें असहाय और गरीब लोगों को सहायता दी जाती है। इनमें कुछ विसंगतियां हैं उनके सम्बन्ध में मैं कुछ संशोधन प्रस्ताव देना चाहता हूं। हमारे यहां पर विकलांगों के लिए ट्राई-साइकिल दी जाती है। उस ट्राई-साइकिल के जो दाम हैं वह तीन हजार रुपये हैं लेकिन सरकार केवल दो हजार रुपये उसके लिए देती है जिसकी वजह से यह एक हजार रुपये की कमी के कारण विकलांगों को परेशानी होती है। अभी हमारी

(श्री हरीसिंह रावत)

सरकार ने ग्राम सम्पर्क योजना चलाई तब मैं गांव-गांव घूमा तो मुझे महसूस हुआ कि ट्राई-साइकिल के लिए विकलांग लोग थे वो आये लेकिन दो हजार का ही सरकार का प्रावधान होने की वजह से कई लोगों को साइकिल नहीं मिल सकी। मेरा निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन करके दो हजार की जगह तीन हजार रुपया कराया जाए।

इसी सम्बन्ध में राज्य सरकार के सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में भी कुछ विसंगतियां हैं। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार केस सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने के पात्र व्यक्तियों की वार्षिक आय 1500 रुपये मानी है जो बहुत ही कम है। यानि प्रतिदिन करीब 4 रुपया 10 पैसे आय मानी गई है तथा विधवा पेंशन एवं वृद्धावस्था पेंशन के लिए 30 रुपये प्रतिमाह मानी गई है जो एक विचारणीय बिन्दु है। उपाध्यक्ष महोदय, उक्त आय बहुत ही कम है। इसलिए इस परिधि में कोई भी पात्र नहीं होता। लेखाविज्ञ माह जनवरी, 2002 के पेज नम्बर 108-109 पर एवं ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के पत्र क्रमांक एफ. 4-6 आरपीजी/एनएलएपी/97/1136 दिनांक 8.9.1998, इसमें यह कोट किया गया है। तो मेरा यह निवेदन है कि इसमें कुछ संशोधन करके कुछ और राशि बढ़ाई जाए ताकि गरीब लोगों को ज्यादा राहत मिल सके।

तीसरा है पालनहार योजना। पालनहार योजना में पीड़ित बालक के माता-पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है और सर्टिफिकेट देने पर पालनहार योजना के अन्तर्गत उसको लिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में कई ऐसे समाज हैं जिनमें पति अगर मर जाता है तो वह नाता प्रथा के माध्यम से दूसरी शादी कर लेती है। जब दूसरी शादी कर लेती है तो वह जो बच्चा या बच्ची होती है वह अकेला पड़ जाता है और उसको कोई नहीं होता है जिसके कारण से जो पालनहार योजना होती है उसका उन बच्चों को फायदा नहीं मिल पाता है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें संशोधन किया जाए। जो इस टाइम की जातियां हैं, जिनमें जो नाता प्रथा होता है जिसकी वजह से वह मां दूसरी शादी कर लेती है, पुनर्विवाह कर लेती है तो वह बच्चा अनाथ हो जाता है तो इसमें भी कुछ संशोधन किया जाए।

(श्री हरीसिंह रावत)

तीसरा, राजस्थान सरकार की तरफ से विधवा के साथ-साथ परित्यक्ता महिलाओं को लाभान्वित करने का भी हमारी सरकार का वादा है। लेकिन इसमें भी कई ऐसी महिलाएं हैं या हमारे समाज में कई ऐसी जातियां हैं जिनमें कोई भी विधवा या परित्यक्ता हो जाती है तो कोई रिकार्ड नहीं होता है। यह केवल सिटी में या पढ़े लिखे लोग ही होते हैं जो कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और जब इसका रजिस्ट्रेशन होता है तब ही इसका फायदा मिलता है। लेकिन कई ऐसे समाज हैं जिनमें ऐसी कोई विधवा या परित्यक्ता हो जाती है तो उसका कहीं रजिस्ट्रेशन होता नहीं है जिसकी वजह से उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। इस प्रकार की कोई ऐसी विधवा या माता-बहनें हैं जिनको लाभ नहीं मिल पाता है इसलिए इसमें भी कुछ संशोधन करके नियमों में चैंज किया जाए ताकि ऐसी विधवा या ऐसी परित्यक्ता महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।

उपाध्यक्ष महोदय, समाज कल्याण के सम्बन्ध में ही निवेदन करना चाहूंगा कि एस सी, एस टी के पैटर्न पर राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में भी ओ बी सी का है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि ओ बी सी के भी बच्चे-बच्चियों के लिए आवासीय छात्रावास का किया जाए ताकि हमारे ओ बी सी के छात्र-छात्राएं भी आवासीय विद्यालयों का लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर सकें।

दूसरा, एक छत के नीचे सभी प्रकार के विकलांग व्यक्तियों को नि:शुल्क शिक्षा देने के सम्बन्ध में भी स्वयंसेवी संस्थाएं/सहायता ऐसी आती है लेकिन यह केवल शहरों तक ही सीमित है। मेरा निवेदन है कि इस टाइप की सहायता गांवों में भी सुचारू रूप से चालू की जाए या हर पंचायत हैडक्वार्टर पर ऐसी योजना बनाई जाए तो कई ऐसे नि:शक्त लोग हैं उनको भी उसका पूरा-पूरा फायदा मिल सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में फ्लोराइड का प्रचुर मात्रा में पानी है जिसकी वजह से मेरे क्षेत्र में काफी लोग विकलांग हैं और विकलांग होने की वजह से उनके पास रोजी-रोटी का जरिया भी नहीं है और वह अशिक्षित रह जाते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मेरे भीम क्षेत्र में भी ऐसा एक विकलांग आवासीय स्कूल चालू किया जाए ताकि वो उसका पूरा फायदा ले सके। वैसे तो कैम्प लगते हैं, कैम्प केवल 6 माह के लिए लगते हैं पर 6 माह के बाद वह

बच्चा कहां जाएगा? तो 6 माह का जो गवर्नमेंट का पैसा खर्च होता है उसका औचित्य नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि इस टाइप का हर विधान सभा क्षेत्र में विकलांग आवासीय शिविर या विकलांग आवासीय स्कूल खोला जाए ताकि जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको उसका पूरा लाभ मिल सके। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे-बच्ची विकलांग हैं और वो उनको कुछ हैल्प करने में सक्षम नहीं हैं तो मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार ऐसे विकलांग आवासीय स्कूल खोले ताकि उन बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो सके।

तीसरा, सम्भाग स्तर पर ओल्ड एज कैम्प की जो व्यवस्था है वह शहरों में है। मैं इसके ऊपर भी प्रकाश डालना चाहूंगा कि यह ओल्ड एज जो कैम्प है यह सारे विधान सभा क्षेत्र में भी लगाये जाएं ताकि हमारे जो वृद्ध या इस तरह के असहाय लोग हैं वो भी उनका पूरा फायदा उठा सकें। इसी आशा के साथ, जय भारत, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

सूचना

पैराटीचर्स का विधान सभा के बाहर प्रदर्शन

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं कि आज विधान सभा के बाहर करीब 22 हजार पैरा टीचर अपनी नौकरी के स्थायित्व के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप शिक्षा मंत्रीजी और आप सब जब विपक्ष में थे, जब यहां विपक्ष भूमिका निभा रहे थे तो आपके इनके यह वादा किया था कि कैसी निकम्मी सरकार है जो इतने कम पैसों में आपका शोषण कर रही है, अगर सरकार बदली और हम उस स्थान पर आये तो आपका स्थायीकरण करेंगे और नियमित रूप से आपको पे-स्केल देंगे। आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं। आज भी अगर ये राजीव गांधी पाठशालाएं नहीं खोली जातीं तो केन्द्र से मिलने वाली सहायता आपको नहीं मिलती। अगर इन पैरा टीचर्स की नियुक्ति नहीं की जाती तो केन्द्र से मिलने वाली आपको सहायता नहीं मिलती। मेरा विनम्र अनुरोध है कि इस परिस्थिति में जहां 22 हजार लोग सड़कों पर हैं, आंदोलनरत हैं। और इनके पुराने भाषणों को सड़कों पर याद करके इन्हीं से याचना कर रहे हैं कि जो वादा आपने हमसे

(श्री हरिमोहन शर्मा)

किया था उस वादे को निभाओ। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी पैरा टीचर नियमित टीचर नहीं बन सके उन सब पैरा टीचर्स को उसी स्थान पर नियमित करके नियमित ग्रेड उनको उपलब्ध करवायें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बिन्दु यहां पर रखा है और समाज कल्याण से सम्बन्धित जो मामला यहां सदन में रखा है वह बहुत ही गम्भीर मसला है। चाहे पालनहार योजना हो, चाहे विधवा पेंशन योजना हो, मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि....

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने नोट कर लिया है।

श्री जीतमल खांट (बागीडोरा): ऐसे गरीब, दलित और पिछड़े हुए लोगों की यह जो व्यथा है और सदन में इस मामले में, आप मंत्रीजी बैठे हुए हैं, आपसे मैं व्यवस्था चाहूंगा कि मंत्रीजी कम से कम अपनी व्यवस्था तो दें कि वहां उन्होंने गरीब और पिछड़े हुए लोगों के हित की बात की है।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्री महोदय ने नोट कर लिया है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन साल से जिस तरह के तौर-तरीके इस सरकार के रहे हैं, 19 जगह पर इन पैरा टीचर्स पर लाठी चार्ज किया है और उदयपुर में गोली चलाई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और उसी से व्यथित होकर, उसी से आंदोलित होकर राजस्थान की जालिम और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ हजारों की संख्या में पैरा टीचर वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका अंकित नहीं होगा। मैंने आपको परमिशन नहीं दी है। आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप नियमों में बोलिये। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य की बात ध्यान में आ गई है। नोटिस में आ चुका है। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री उपाध्यक्ष: शिक्षा मंत्रीजी ने नोटिस ले लिया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: सीट ग्रहण कीजिये। शिक्षा मंत्रीजी ने आपकी बात को सुन लिया है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। सीट ग्रहण कीजिये, प्लीज। मंत्रीजी इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैराटीचर्स के बारे में हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य और सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है। मैं कुछ तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पैराटीचर्स की नियुक्ति के समय दो प्रकार के पैराटीचर्स की नियुक्ति हुई। पहले सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत पैराटीचर्स में बिना ट्रेंड पैराटीचर्स की नियुक्ति हुई। यह राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात् पैराटीचर्स में जो बी.एड. और एस.टी.सी. थे, उनकी नियुक्ति हुई। इसके बाद में तत्कालीन सरकार ने एक नौकरियों का विज्ञापन निकाला था पैराटीचर्स के लिए रिजर्वेशन का 7500 नौकरियों का विज्ञापन निकाला, उसमें 75 प्रतिशत रिजर्वेशन पैराटीचर्स का किया था, उस पर राजस्थान उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश आ गया और उसके बाद में उसका फैसला हुआ कि रिजर्वेशन पर आप रिजर्वेशन नहीं कर सकते। इस कारण से पैराटीचर्स को नहीं लगाया गया। जब मैंने आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की तो मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, राजाखेड़ा से आने वाले महान हमारे जो विद्वान और वित्तीय मामलों के जानकार सदस्य हैं, उन्होंने यहां खड़े होकर चुनौती दी, चेतावनी दी कि मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता। यह कह दें तो फिर काम कैसे हो जाये। मैंने कहा विनम्रता से कि हो जायेगा साहब, इतना गुस्सा मत करो लेकिन फिर भी हमने उनको एडजस्ट करने के लिए इसमें एक प्रावधान किया कि एक जनवरी, 1999 को जिसकी जो उम्र थी, उस उम्र को मानकर उसको परीक्षा में बैठने की छूट दी। इसके कारण से पहली बार जो आर.पी.एस.सी. की 38,000 अध्यापकों की नियुक्ति हुईं, उनमें 10 से 12,000 तक जो हमारे, 14,000 होंगे, जितने हमारे पैराटीचर्स थे, एग्जेक्ट संख्या मुझे याद नहीं है, उनकी नियुक्ति भी परमानेंट उसके अन्तर्गत हो गई। उसके पश्चात् हमारे सामने दूसरा बड़ा मुद्दा था। मैं एक-एक बात क्लियर कर देता हूं। उसके बाद में यह जो भर्ती की प्रक्रिया हमने शुरू की तो पैराटीचर्स ने रिट याचिकाएं कीं और वे सर्वोच्च न्यायालय तक रिट याचिकाएं गईं और सर्वोच्च न्यायालय ने जब यह फैसला किया कि this is the way it should be और पैराटीचर्स को कोई अधिकार नहीं है और राज्य सरकार उनको नियुक्ति रिजर्वेशन देकर नहीं कर सकती। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ। उसके बाद में नियमित वेतन उनको या टीचर्स के रूप में नियुक्ति देने का प्रश्न सम्भव नहीं था लेकिन उनकी बात हमारे ध्यान में थी कि उनको

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

फिर से कैसे न कैसे एडजस्ट किया जाना चाहिए। मैं उनकी सेवाओं की तारीफ करता हूं, उनके कारण से शिक्षा का विस्तार हुआ, इसको भी मैं ना नहीं करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: कई बार आपके सामने वह पेश भी हुए, सुनवाई भी हुई है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं बता रहा हूं, बात सुन लें, मेरे पास आए हैं। उसके बाद में फिर उन्होंने मांग की तो हमने इस बार भी जो अभी आर.पी.एस.सी. की परीक्षा हुई है, उसमें भी एक जनवरी, 1999 को जो उम्र थी, वह उम्र मानकर उनको परीक्षा में बैठने की छूट दी है। और इस बार भी अधिकांश पैराटीचर्स उस परीक्षा में बैठे हैं। तो मुझे आशा है, बहुत से लोगों का उसमें फिर नम्बर आ जाएगा। और इसके बीच में हमने उनसे एक समझौता किया कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया और उनको हम नियुक्ति नहीं दे सकते तो हमने फैसला किया कि धीरे-धीरे उनके वेतन को बढ़ाकर, जो मानदेय मिलता है, उसको तृतीय वेतन श्रंखला के मानदेय के बराबर लेकर आएंगे। इसके हिसाब से हमने उनकी दो किश्तें बढ़ा भी दी, दो किश्तें दे भी दी।

इस बार फिर हम आग्रह करेंगे कि, आज हमारी एस.एस.सी. की मीटिंग दिल्ली में हो रही है। जो एस.एस.सी. की मीटिंग हो रही है, उसमें भी उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। एक सबसे बड़ी समस्या इस समय राज्यों के सामने आ रही है। वह यह आ रही है कि एस.एस.सी. में हमारा 10वीं पंचवर्षीय योजना तक 75 और 25 का रेशो था भारत सरकार का और राज्य सरकारों का। इस बार का जो बजट आया है, चिदम्बरम साहब ने जो पेश किया है, उसमें उसको घटाकर उन्होंने 50-50 प्रतिशत कर दिया है। 50 प्रतिशत पैसा राज्य सरकारों का होगा और 50 प्रतिशत पैसा भारत सरकार का होगा। जो भी अब बढने वाला काम है, वह सारा बोझ राज्य सरकारों पर आने वाला है। फिर भी मैं आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में आग्रह करना चाहता हूं कि कुल मिलाकर 94,000 लोगों को, यह जो प्रक्रिया अभी आर.पी.एस.सी. की प्रारम्भ हुई है, वह खतम होगी, जब तक राजस्थान के 94,000 लोग विभिन्न पदों पर नियमित रूप से सर्विस में आ जायेंगे, जो शिक्षा विभाग में अपने आपमें एक रिकार्ड है और इसीलिए हमने इस समस्या का समाधान किया।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हमने समाधान इनका ही नहीं किया, शिक्षाकर्मी जो 11,000 की संख्या में है, जिनका समय समाप्त हो गया था, उन्होंने भी विधान सभा पर प्रदर्शन किया था, उनका टाइम खतम हो गया था, उनका समय खतम हो गया था। नया शिक्षाकर्मी बोर्ड बनाकर 11,000 लोगों में से 6,000 को 8,500 की वेतन श्रृंखला देकर उन्हें नियमित किया है। लोक जुम्बिश के जो लोग थे, उनको समाहित किया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पैराटीचर्स की सेवाओं के बारे में किसी भी प्रकार से पैराटीचर्स को हटाया नहीं जायेगा, नम्बर एक। उनकी वेतन वृद्धि नियमित रूप से करके उनको तृतीय वेतन श्रृंखला के बराबर करेंगे। उनको सरकारी कर्मचारी तो नहीं मान सकते, उनको परमानेंट तो नहीं कर सकते लेकिन उनकी वेतन वृद्धि करके, वह बच्चों को पढ़ा सके मानसिक रूप से संतुष्ट होकर, यह उसकी व्यवस्था करेंगे। इसीलिए मैं सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार उन सारी समस्याओं का समाधान करना चाहती है और मुझे आशा है कि यह जो 38,000 की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, इसमें बहुत से पैराटीचर्स आ जायेंगे। जो बच जायेंगे, उसके बाद में भी उनका जो भी कल्याण किया जा सकता है, निश्चित रूप से कल्याण करने के लिए सरकार सोचेगी और इसलिए सदन के सामने मैंने सारी सूचना रख दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मानदेय बढ़ा दिया। सबका मानदेय एक-सा कर दिया। 400 रुपये एक साथ बढ़ाये। प्रतिवर्ष 200 रुपये बढ़ने वाले थे, उसको 400 रुपये किया। एक साथ बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, उस पर भी विचार करेंगे और जितने बच जायेंगे, उनको भी करेंगे। निश्चित रूप से मैं चाहूंगा, अच्छे, पढ़े-लिखे ट्रेंड टीचर्स हमारे बच्चों को पढ़ायें। इसलिए आपने यह मुद्दा उठाया, धन्यवाद, नमस्कार।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र। (व्यवधान) कोई बहस नहीं इसमें।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इसमें आपने फिक्स कर रखा है। इसमें आपने 2200 पर फिक्स कर रखा है तो फिर आपने इनको महान कैसे कहा?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, इसमें बहस का मुद्दा नहीं है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैंने जो कहा है, वह सही है।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

महान मैंने इसलिए कहा है, ये अभी कह रहे थे कि मैं फाइनेंस भी सबको पढ़ा सकता हूं, कानून भी सबको पढ़ा सकता हूं, सारा काम स्वयं कर सकते हैं तो महाराज तो महान ही होते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): नहीं, आप महाज्ञानी कह सकते हो। (व्यवधान) महाज्ञानी कह सकते हो आप।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, देखिये, मेरा नाम लेकर इन्होंने कहा है। मेरा नाम लेकर के राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य के बारे में इन्होंने कुछ टिप्पणी की है। आप कृपया मेरा निवेदन सुन लें। जिस समय यह चर्चा चल रही थी, मैंने कभी भी यह नहीं कहा था कि आप नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छा काम किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): यह कहा था।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आप सुन लीजिये। रिकार्ड निकलवा लीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): रिकार्ड मंगवा लें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो फिर मैं माफी मांग लूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं माफी मांग लूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैंने यह कहा था कि रूल्स में बिना अमेंडमेंट किये आप इन पैराटीचर्स की समस्याओं का निदान नहीं कर पायेंगे। यह आपने स्वयं स्वीकार किया था।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): चलिये आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): तो इसलिए आप यह एडजेक्टिव लगाकर आप जो वह कहते हो, बात बढ़ा-चढ़ाकर आप कह रहे हो, आपकी महारत के लिए मैं आपको बधाई देता हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): महाराज, आप तो महान ही हो। महाराज, आप महान हो। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपकी महारत के लिए पंडितजी महाराज, मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय।

डा. सी. पी. जोशी: उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी, मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं लेकिन दो-तीन चीजों को इस सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। नम्बर एक, राजीव गांधी जो पाठशालाएं थीं वह पांचवीं क्लास तक थीं, अब आप बार-बार कहते हैं कि राजीव गांधी पाठशालाओं को हमने पांचवीं तक क्रमोन्नत कर दिया, तो जो पांचवीं तक आलरेडी पढ़ाई कर रहे थे उनको क्रमोन्नत नहीं किया, आपने खाली एक काम किया है कि पिछली सरकार ने जो उसको शिक्षा के केन्द्र के रूप में भारत सरकार से पैसा लिया था वह वहां पर सूचना शिक्षा केन्द्र के नाम पर थी या पांचवीं क्लास चल रही थी। तो एक तो हमें स्पष्ट कर दें, यदि वह शिक्षा केन्द्र के रूप में राजस्थान सरकार नहीं करती तो 26 हजार....

श्री उपाध्यक्ष: जोशीजी, इनका...

डा. सी. पी. जोशी: नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक आना चाहिए, उपाध्यक्ष महोदय, आप सुन लीजिये अब, उपाध्यक्ष महोदय, सबको स्पेसिफिक, उपाध्यक्ष महोदय, सदन में पूरी बात स्पष्ट आ जानी चाहिए, पूरी बात।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी स्टेटमेंट दे चुके।

डा. सी. पी. जोशी: आप पहले पूरी बात सुन लें उपाध्यक्ष महोदय, बात सदन में सामने आनी चाहिए। 26 हजार वह शिक्षा केन्द्र यदि उस समय की सरकार नहीं लिख कर भेजती तो 26 हजार के दो पद जिसको आज प्राथमिक विद्यालय के नाम पर आप राजीव गांधी का नाम हटा कर प्राथमिक विद्यालय कर रहे हैं उनको 52 हजार पद जो आये हैं वह शिक्षा केन्द्र के नाम के कारण आये हैं। नम्बर एक। नम्बर दो, मान्यवर, पिछले पांच साल में आपके लगभग तीन से पांच हजार टीचर रिटायर हो रहे हैं प्लान में, थर्ड ग्रेड के टीचर। उनका भी लगभग बैकलाग आज के दिन, प्लान का कह रहा हूं मैं, सर्व शिक्षा अभियान, उनकी संख्या भी पच्चीस से तीस हजार से ज्यादा हो गई उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय जोशीजी, इनका...

डा. सी. पी. जोशी: उन प्लान की पोस्ट के अगेंस्ट में राजस्थान सरकार ने थर्ड ग्रेड का एक भी पद नहीं भरा है। उलटा सर्व शिक्षा अभियान के 75 प्रतिशत का जो पैसा आया है, 25 प्रतिशत आपको लगाना है, उस 75

(डा. सी. पी. जोशी)

प्रतिशत के पैसे के अगेंस्ट में जितने पद क्रियेट किये हैं, उतने पद भी आपने नहीं भरे। इसलिए माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको साधुवाद देता हूं लेकिन यह बात भी आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं कि आप पिछली सरकार के और सर्व शिक्षा अभियान का जो पैसा आ रहा है उस सर्व शिक्षा अभियान के नाम पर तृतीय श्रेणी के अध्यापक जो प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाने के लिए लगाये गये हैं उनमें से बी.ए., बी.एड. लोगों को आप सैकण्डरी स्कूल में लगा रहे हैं, वह सर्व शिक्षा अभियान का बिलकुल खुला उल्लंघन है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं आपसे, आपको साधुवाद है...

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये जोशीजी।

डा. सी. पी. जोशी: लेकिन भारत सरकार 34 प्रतिशत पैसा अब भी बढ़ा रही है सर्व शिक्षा अभियान में। आपको वोल्यूम आफ अमाउंट जो है, वह पैसा मिलने वाला है। फिफ्टी-फिफ्टी करने के बाद भी, जितना पैसा आपको अभी 75 प्रतिशत मिला है उससे ज्यादा पैसा आपको मिलेगा। इसलिए, मान्यवर, यह एक बता दें आप, क्या राजस्थान सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान में 75 प्रतिशत जो भारत सरकार ने दिया है उसके अगेंस्ट में जितनी पोस्ट हैं, क्या उतनी पोस्ट भर दी हैं?

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद जोशीजी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं, मैं एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप....

श्री घनश्याम तिवाड़ी: नहीं, सदन में सब बातें साफ-साफ रहनी चाहिए ना।

श्री उपाध्यक्ष: डिमाण्ड होगी तब बता देना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी: सदन में, यह बात सही है, मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है कि यह जो शिक्षा गारंटी केन्द्र थे, जिनको आपने राजीव गांधी पाठशालाएं नाम दिया था, यह सब पांचवीं तक नहीं थीं। यह कोई दूसरी तक थीं, कोई तीसरी तक थीं, कोई पांचवीं तक थीं। लेकिन यह भी सही है कि अगर यह शिक्षा गारंटी केन्द्र नहीं होते तो इतनी प्राथमिक पाठशालाओं में हम इनको नहीं बदल सकते थे। इसमें कोई मीनमेख ही नहीं है। एक, इनको बदलने से हमको फायदा हुआ, इसमें केवल पैरा टीचर्स थे अब

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इनके स्थान पर हमको हर जगह दो-दो ट्रेंड टीचर्स उपलब्ध होंगे और पैरा टीचर्स रहेंगे। साथ ही साथ यह जो भवन और बिल्डिंग की कमी है उसको बनाने का काम भी होगा। लेकिन जो दूसरी बात आपने कही, वह यह कही कि वर्तमान सरकार आने के बाद में जब 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दिया। तो इस पीरियड में नान प्लान के लोग रिटायर नहीं हुए और कहा अब रिटायर हुए हैं। तो अब जो रिटायर होना शुरू हो रहे हैं उनका तो अगले बजट में हम प्रावधान करने की कोशिश करेंगे, हमारे आने के बाद में नान प्लान के टीचर्स रिटायर नहीं हुए, दो साल का कार्यकाल बढ़ने के कारण से, यह बाकी दूसरी बात जो थी कि 75 प्रतिशत में, तो 300 करोड़ रुपये की योजना थी जब इस सरकार ने चार्ज लिया था सर्व शिक्षा अभियान का। इस साल 1400 करोड़ की योजना हुई है। और इसलिए राजस्थान सरकार ने अपना जो पूरा अंशदान दिया है उसके बाद भी इस साल सौ करोड़ रुपये हमको भारत सरकार से कम मिला है हमारे अंशदान के अगेंस्ट में, उसके लिए हमने उनको डिमाण्ड कर रखी है और हम फिर मांग कर रहे हैं। आज भी, आज भी मैंने मानव संसाधन मंत्रीजी से बात करी है कि राज्यों पर यह बहुत बोझ बढ़ जायेगा फिफ्टी-फिफ्टी होने के कारण, उन्होंने इसको कहा है कि मैं केबिनेट में लेकर जाऊंगा, क्योंकि यह जो पैसा भारत सरकार दे रही है, इस पर राज्यों का हक है। यह जो सेस लगाया जा रहा है, इस सेस में से हमको हिस्सा राशि नहीं मिलती है, सब टैक्स में राज्य सरकार का हिस्सा है तो जो तीन प्रतिशत सेस है उसमें राज्यों का हक भी है। इसी प्रकार से बाहर से जो पैसा आता है उसमें भी भारत सरकार का पैसा अनुदान के रूप में आता है। इसलिए हमने फिर पुरजोर शब्दों में मांग की है और मैं ही नहीं, सिर्फ राजस्थान ने नहीं, हिन्दुस्तान के सारे शिक्षा मंत्री और मुख्य मंत्री, कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट किसी भी पार्टी से संबंधित हों, सब लोग यह मांग कर रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 75 और 25 का जो रेश्यो है वह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक चलते रहना चाहिए। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमने जो दूसरी मांग की थी, इस सैकण्डरी एजुकेशन में भी सर्व शिक्षा अभियान लागू किया जाना चाहिए उसके लिए भारत सरकार ने स्वीकृति दी है, उसके लिए हमने उनको धन्यवाद दिया है। इसलिए उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपने जो ध्यान खींचा है मैंने उसको दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है।

श्री प्रद्युम्न सिंह: आप बहुत तिलमिलाते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गजेन्द्र सिंह, ऊर्जा राज्य मंत्री राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेद एवं लेखे

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-06

श्री गजेन्द्र सिंह (राज्य मंत्री, ऊर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए के अंतर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 11वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006 सदन की मेज पर रखता हूं।

विधायी कार्य : विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री उपाध्यक्ष: पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। श्री वीरेन्द्र मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगे।

श्री वीरेन्द्र मीणा (राज्य मंत्री, वित्त): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। श्री टीकम चन्द कांत। (व्यवधान) बीच में नहीं।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी का जवाब आना था उस पर, मीडिया कर्मियों के हमले पर, पहले उस पर चर्चा हो जाय। मीडिया कर्मियों पर जो हमला हुआ है, यह व्यवस्था दी गई थी...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, अभी बीच में नहीं, अभी मैंने शुरू कर दिया है।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** : यह व्यवस्था, बीच में ही घोषणा कर गये थे इस बात की।

श्री जुबेर खान: बीच में कैसे नहीं। यहां से व्यवस्था दी थी अध्यक्ष महोदय ने कि शून्य काल के तुरंत बाद गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे। मंत्रीजी के ऊपर हमले के ऊपर भी और यह मीडिया कर्मियों के ऊपर हमला हुआ, उस पर भी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: गृह मंत्रीजी दे देंगे। (व्यवधान) दे देंगे।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** : स्पीकर साहब से बात हुई थी इस बात की। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: दे देंगे वह, चलने दीजिये।

श्री संयम लोढ़ा: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री की सुरक्षा को खतरा है और हम चार घंटे से इंतजार कर रहे हैं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान: आसन से व्यवस्था हुई थी शून्य काल खतम होने के तुरंत बाद गृह मंत्रीजी वक्तव्य देंगे।

श्री उपाध्यक्ष: वह तैयार हैं, दे देंगे वक्तव्य, थोड़ा तसल्ली रखिये।

श्री संयम लोढ़ा: अब हम और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। सरकार का...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य देंगे, आप स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान)

डा. **श्रीगोपाल बाहेती:** नहीं, अध्यक्ष महोदय ने यह...

श्री संयम लोढ़ा: बहुत गम्भीर मामला है यह...

श्री अमराराम (धोद): आसन से व्यवस्था हो गई कि जीरो आवर के जस्ट बाद मंत्री वक्तव्य देंगे।

श्री संयम लोढ़ा: एक मंत्री के ऊपर हमला हुआ है और इसलिए हुआ है कि वह मुख्य मंत्री का नजदीकी मंत्री है।

श्री उपाध्यक्ष: वक्तव्य दे देंगे। अभी आप तसल्ली रखिये जरा। वह दे देंगे। (व्यवधान)

श्री जुबेर खान: यह इंडाइरेक्टली हमला मुख्य मंत्री के ऊपर हुआ है। यह इंडाइरेक्टली मुख्य मंत्री के ऊपर हमला हुआ है इसलिए जवाब देना चाहिए, आप जवाब दिलवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: दे देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी: संसद पर हमला हुआ तब कहां चले गये थे? अफजल को फांसी नहीं देने में... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप पहले कार्यवाही चलने दीजिये। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी: मंत्री की बहुत चिंता लग रही है, अफजल के बारे में क्या कहते हो? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय तैयार हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी: संसद पर हमला हुआ, पूरे देश के जितने सांसद थे उनको खतरा था और अफजल को फांसी देनी थी उसमें क्या हुआ महाराज? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: वोट चाहिए वहां तो, वोटों में नुकसान हो जायेगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा: उस एवज में इनको फांसी पर चढ़ाना है क्या?

श्री संयम लोढ़ा: उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से यह जानना चाहते हैं कि कल यातायात मंत्री पर हमला होने के बाद सरकार ने मुख्य मंत्री की हिफाजत के लिए क्या-क्या इंतजाम किये हैं, वह जानना चाहते हैं। क्योंकि हमें पूरी आशंका है कि अगला हमला आर.एस.एस. और विद्यार्थी परिषद की ओर से मुख्य मंत्री पर हो सकता है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इस तरह से...(व्यवधान) मंत्री महोदय दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा: पूरी आशंका है हमको यह। पूरा खतरा बना हुआ है मुख्य मंत्री के लिए। यह बहुत गम्भीर बात है, कोई साधारण बात नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी वक्तव्य दे देंगे। (व्यवधान)

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनको मुख्य मंत्री की चिंता नहीं है, हमें चिंता है मुख्य मंत्री की।

एक माननीय सदस्य : गृह मंत्रीजी का वक्तव्य कराया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) वक्तव्य दे रहे हैं। स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) गृह मंत्री महोदय वक्तव्य दे रहे हैं, स्थान ग्रहण कीजिये आप।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान की पांच करोड़ जनता को चिंता है इस बात की।

श्री उपाध्यक्ष : स्थान ग्रहण कीजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, बैठिये-बैठिये, माननीय सदस्य। बीच में नहीं।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मुझे सूचना मिली है उपाध्यक्ष महोदय, संयम लोढ़ाजी ने कुछ आरएसएस स्टाइल की नेकरें सिलवाई हैं उनको पहना कर अपने कार्यकर्ताओं को भिजवा कर हमला करवायेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है असली षड्यंत्र।

श्री जितेन्द्र सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले सदस्य ने सिर्फ मुख्य मंत्रीजी की सुरक्षा के बारे में जानकारी चाही है, इनको तो किसी को चिंता नहीं है मुख्य मंत्री की सिक्योरिटी की। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा : यह जालौर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि संयमजी ने नेकरें सिलवाई हैं, आपने ठेका ले लिया क्या नेकरें पहनने का?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा है कि अब आशंका है कि मुख्य मंत्रीजी पर हमला होगा तो इनको कैसे पता? क्या आपने करवाया है हमला? आपके पास सारी जानकारी है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य...

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): चोर को भी चोरी करने के लिए कहते हैं और मकान मालिक को कहते हैं कि सावधान रहो। यह योजना इनकी है। इनकी प्लानिंग ही से यह सब कुछ हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मीणा साहब आप बैठिये, वह वक्तव्य दे रहे हैं आप बाद में कहना ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक लाइन में बात करना चाहूंगा कि परिवहन मंत्रीजी पर हमला तो हुआ है, हमला करने वाले आर एस एस, बजरंग दल के लोग हैं। पर मंत्रीजी आपसे भी तो किसी न किसी का लगाव होगा। खेमे दो हैं एक गृहमंत्री का और एक मुख्य मंत्री का। इसलिए कृपा करके ऐसी कोई बातें नहीं आने दें, आप इनकी सुरक्षा करें ...(व्यवधान) बदले में कितने को पकड़ा और कितनों को पकड़ेंगे यह बता दीजिए।

शासकीय वक्तव्य

जयपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में होली मिलन समारोह पर कानून व्यवस्था बिगड़ने विषयक

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कानून तोड़ने वाला न हिन्दू होता है, न मुसलमान होता है, न आरएसएस होती है, न बीजेपी होती है, न कांग्रेस होती है, जो कानून तोड़ता है कानून उसके खिलाफ कार्यवाही करता है इसमें आपको कहीं संदेह करने की जरूरत नहीं। केवल बात के लिए बात कहना है तो एक अलग बात है जिसने अपराध किया वह दण्ड पायेगा चाहे वह मैं हूं, चाहे कोई भी हो, उसमें क्या फर्क पड़ने वाला है।

उपाध्यक्ष महोदय, जिला कलक्ट्रेट जयपुर में कर्मचारियों और पत्रकारों के मध्य हुए विवाद के संबंध में दिनांक 2.3.2007 सायंकाल के लगभग 5 बजे जिला कलक्ट्रेट कर्मचारियों की विभागीय समिति द्वारा होली की पूर्व संध्या पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में कुछ समय के लिए जिला कलक्टर और अन्य अधिकारी भी सम्मिलित हुए थे। अधिकारियों के प्रस्थान के उपरान्त इस कार्यक्रम के दौरान कुछ कर्मचारियों द्वारा आर्केस्ट्रा की महिलाओं, कलाकारों के साथ नृत्य करने, उन्हें रुपए इत्यादि देने एवं परिसर में नशे की हालत में पत्रकारों से गाली-गलौच करने आदि के आरोप सहित कुछ समाचार पत्रों में दिनांक 3.3.2007 को प्रकाशित हुए थे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तथा कुछ फोटोग्राफ भी प्रकाशित हुए थे। इस आशय की शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर द्वारा मौखिक आदेश प्रदान कर अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) से तथ्यात्मक प्रतिवेदन लिया गया। इस तथ्यात्मक प्रतिवेदन में चार कर्मचारियों के द्वारा कार्यालय परिसर में अशोभनीय आचरण करने के आरोप में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई तथा यह भी अंकित किया गया कि कुछ कर्मचारियों द्वारा शराब का सेवन किया गया। जिसकी विस्तृत जांच किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इस तथ्यात्मक प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर जिला कलक्टर द्वारा चारों कर्मचारियों के विरूद्ध 166 सी.सी. के अंतर्गत आरोप पत्र जारी किये तथा कुछ कर्मचारियों द्वारा कलक्ट्रेट में शराब पीने अथवा शराब पीकर कलक्ट्रेट परिसर में आने के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) को एक जांच और दी है। दिनांक 5.3.2007 को कलक्ट्रेट कर्मचारियों द्वारा अपरान्ह् डेढ़ बजे एक बैठक का आयोजन कर होली मिलन समारोह के बारे में समाचार पत्रों में छपे समाचारों का विरोध प्रकट किया था। लगभग दो बजे कर्मचारी कलक्ट्रेट परिसर में नारे लगाते आये, जहां

(समय 14.53 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

लगभग 200 कर्मचारी एकत्रित हुए। कुछ कर्मचारी ऊपर की मंजिल के बरामदे में भी खड़े होकर देख रहे थे तथा कुछ पत्रकारों और फोटोग्राफर इस संपूर्ण गतिविधि का कवरेज कर रहे थे। पत्रकारों द्वारा फोटो खींचने का आरोप कर्मचारियों द्वारा चिल्लाकार विरोध किया तो ऊपर और नीचे मौजूद कर्मचारी और पत्रकारों के बीच में विवाद हुआ। पत्रकारों और समाचार पत्रों के फोटोग्राफरों से कलक्ट्रेट कर्मचारियों के द्वारा मारपीट और धक्कामुक्की की स्थिति बनी। इस विवाद के उपरान्त कर्मचारीगण अपने कार्यालयों में चले गये और पत्रकार एकत्रित होकर कलक्टर, जयपुर को ज्ञापन देने गये। ज्ञापन देने के उपरान्त कर्मचारियों के विरुद्ध नारेबाजी, नारे लगाते हुए, कर्मचारियों के विरोध में नारे लगाते हुए पत्रकारों से कलक्ट्रेट के एक अधिवक्ता की भी झड़प हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में कर्मचारी, पत्रकार और एक अधिवक्ता द्वारा आपसी मारपीट, लड़ाई-झगड़े, कैमरा, फ्लैस और मोबाइल आदि छिनने लगे, के संबंध में कुल तीन मुकदमे थाना बनीपार्क जयपुर शहर (दक्षिण) में दर्ज कराये गये। जो निम्नलिखित हैं :-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मुकदमा संख्या 42/07 अपराध अंतर्गत धारा 147, 149, 342, 323, 392 समय 4.30 पी.एम. दिनांक 5.3.2007 यह अभियोग श्री प्रमोद शर्मा, पत्रकार, दैनिक नवज्योति एवं अन्य पत्रकार प्रेस फोटोग्राफरों की रिपोर्ट पर उनके साथ कर्मचारियों द्वारा मारपीट और कैमरा इत्यादि छीनने के संबंध में दर्ज हुआ।

मुकदमा नम्बर-43/07 अपराध अंतर्गत धारा 143, 341, 323 समय 5.45 पी.एम. दिनांक 5.3.2007 यह अभियोग श्री जितेन्द्र भारद्वाज एडवोकेट जो कि कर्मचारी नेता श्री रामावतार भारद्वाज के पुत्र हैं, की रिपोर्ट पर उसके साथ मीडिया-कर्मियों द्वारा तथाकथित मारपीट और धरने के आरोप की शिकायत पर दर्ज कराया गया।

मुकदमा नम्बर-44/07 अपराध अंतर्गत धारा 143, 353, 504 समय 8.00 पी.एम. दिनांक 5.3.2007, यह अभियोग कर्मचारी नेता श्री रामावतार भारद्वाज, अध्यक्ष, मंत्रालयिक कर्मचारी संघ और अन्य की रिपोर्ट पर पत्रकारों और प्रेस फोटोग्राफर के विरुद्ध गाली-गलौच और राज कार्य में बाधा डालने की शिकायत पर दर्ज किया गया।

इन तीन मुकदमों का अनुसंधान एल.एल.एन. शर्माजी ने रात को मुझे टेलीफोन किया था, लगभग साढे 8-9 बजे। अच्छा हो कि यह, एडीशनल एस.पी. स्तर से इस मुकदमे की जांच कराई जाये। उनकी बात को उसी समय एलीफोनिक कह करके यह मुकदमा एडीशनल एस.पी. को दिया है और इसमें जिनके खिलाफ जो मुकदमें बने हैं, उसके आधार पर जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह निश्चित रूप से हम कार्यवाही करेंगे। इसमें किसी को किसी प्रकार का संदेह होने का कोई कारण नहीं है। चाहे वह मेरे द्वारा हुआ अपराध या किसी के द्वारा, मैं इस बात के हमेशा पक्षधर रहा हूं कि अगर किसी ने गलती की है तो उसे निश्चित रूप से दण्ड मिलना चाहिए, उसको बचाने की कोई न मंशा है, न कभी विचार है और उसके बाद भी अगर किसी को कोई संदेह लगता है कि इस जांच में कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करने की जिम्मेदारी मेरी है। मुझे आप बताइए, मैं उसको उस आधार पर भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करूंगा।

श्री सुरेश मीणा (करौली): आप कार्यवाही कर रहे हैं लेकिन कलक्टर के सामने तक ये सारे काम हुए। कलक्टर के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष: पहले आप उनको बोलने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कलक्टर के बारे में आपकी जो सोच है कि कलक्टर को बुला लाये थे और कलक्टर आया था और जैसे ही थोड़ी देर बाद ही कलक्टर वहां से चला गया। उसकी उपस्थिति में जो रिपोर्ट मेरे सामने आई है उस रिपोर्ट में कलक्टर के जाने के बाद....

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप उसको बोलने दीजिएगा। अजमेर से आने वाले माननीय सदस्य, अभी सुन लें आप, बैठ जाइये आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): कलक्टर के जाने के बाद यह जो भी अश्लील नृत्य हो सकते हैं या रुपये उताकर के उनको देने का, यह उसके बाद हुआ। जो मेरे पास अभी तक रिपोर्ट है अगर इसमें कोई कमी-खामी है तो इसको भी देखा जा सकता है। इसमें कोई यह नहीं है कि इसमें कोई बचाने का सवाल है कुछ नहीं है। जो रिपोर्ट मुझे आज प्राप्त हुई है उसको मैंने आपके सामने रखा है अगर इसमें कहीं गलती है तो आप में से बताये तो उसके आधार पर भी उसको देखने का हमारा काम है।

श्री सुरेश मीणा (करौली): उस प्रोग्राम में कलक्टर साहब मौजूद थे इसलिए ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह कोई पहला मौका नहीं है कि जब पत्रकार पिटे हो और हमेशा सरकार मूकदर्शक बनी रही हो। इस पूरे प्रकरण के अन्दर जितने जिम्मेदार कलक्टर हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदार वही है जिस कलक्ट्रेट के अंदर डांस पार्टी हो, शराब पार्टी हो, जिस कलक्ट्रेट में पत्रकारों को पीटा जाए, उसमें कलक्टर को स्पेयर करके आप जांच कराएंगे। यह कैसे पोसिबल है? या तो कलक्टर वहां से हटे फिर आप जांच करायें। क्योंकि यह पहला हादसा नहीं है। ऐसे हादसे अजमेर में भी हुए हैं, ब्यावर में भी हुए हैं, पुष्कर में भी हुए हैं, अलवर में भी हुए हैं और हमेशा सरकार मूकदर्शक हो इसको देखती रही। इजराइली बालाओं ने डांस किया पुष्कर में तो आपने कलक्टर को हटाया, अजमेर से वह बाहर हुआ था। यह कैम्पस के

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

अन्दर हुआ है। क्या उसको उचित मानते हैं कि सरकारी कार्यालय अयासी के अड्डे बनें, इसको आप ठीक मानते हैं कि शराब के अड्डे बनें, इसको आप ठीक मानते हैं कि जो पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको लाठी के बल से दबाया जाए? सरकार इसमें क्यों नहीं गम्भीर होती है कि जो जिम्मेदार अफसर हैं, उस पर कार्यवाही करे। आप छोटी-मोटी मछलियों को फंसाकर के यह सब बरी होना चाहते हैं। कैसे बात चलेगी? एक एडीशनल एस.पी. या ए.डी.एम. क्या जांच करेगा कलक्टर के होते हुए? जब तक कलक्टर को आप वहां से नहीं हटाएंगे आप उसको हटाकर के जांच नहीं कराएंगे तब तक न तो आप न्याय करेंगे पत्रकारिता के साथ और जो पत्रकारों के साथ आप न्याय नहीं करोगे तो कहीं-न-कहीं यह प्रहार इन-डायरेक्टली लोकतंत्र पर होगा। पत्रकार आपकी बात को उजागर करता है। आज चूंकि पत्रकार आइना के माध्यम से या दूसरे माध्यम से आपकी बातों को उजागर कर दें तो आप होस्टाइल हो गये। आपस में गाली, लड़ाई आप करो, छापे अख़बार, आप हो जाए होस्टाइल यह बात चलने वाली नहीं है। पत्रकारों की सुरक्षा बहुत जरूरी है तो मेरा आपसे निवेदन है कि कलक्टर पर कार्यवाही की जाए पहले, उसके बाद जांच कराई जाए अन्यथा यह लोकतंत्र में अपराध निरन्तर होते रहेंगे। हमने अजमेर में देखा है अजमेर में तो पीटने वाले आपके आनुशंगिक संगठन वाले लोग थे, पूरा अजमेर बंद रहा, कोई कार्यवाही नहीं हुई, ब्यावर म्यूनिसिपल्टी में पीटा कर्मचारियों को, वो कर्मचारी थे, कोई कार्यवाही नहीं हुई पत्रकारों पर, पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो यह कुल मिलाकर आपने जो सिस्टम बना लिया है इसको ठीक करें आप।

(समय 15.00 बजे)

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): कांग्रेस के लोगों ने ही पीटा है पत्रकारों को ...(व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वो तो अख़बार बता रहे हैं।

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): राष्ट्रीय कांग्रेस के लोगों ने ही, वहां के लोगों ने पत्रकारों को पीटा और दूसरे दलों को बदनाम करने का षडयंत्र रचा है। पत्रकारों को पीटा है वास्तव में गलत पीटा है लेकिन पीटा आपने ही है। पीटा आपने ही है।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): वो अलग बात है। उसकी भी जांच कराओ आप।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): उसकी भी कार्यवाही करवाओ... (व्यवधान)

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर) : आपके लोग ही कर रहे थे। अब वापस आंदोलन आपके लोग ही कर रहे हैं। मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकारों पर हमला एक संस्था पर हमला है और संस्था पर हमला किसी लोकतंत्र में ठीक नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का जो सोच है पत्रकारों को सुरक्षा और उनका ध्यान रखना चाहिए इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती और किसी का दो मत हो नहीं सकता। अब तक जितनी घटनाएं घटी हैं घटनाओं को मैं एक्शन लेने के बाद भी मैं यह गारंटी नहीं कर सकता हूं कि इसके बाद कोई घटना घटेगी ही नहीं। न आप कर सकते हो न मैं कर सकता हूं। सरकार में आप रहो या मैं रहूं, कोई भी रहे, कोई भी यह गारंटी नहीं कर सकता। अपराध होने के बाद अपराधी को सज़ा दिलाना यह मेरा कर्तव्य है। और मैंने इस कर्तव्य को जब-जब भी अवसर आया बिना किसी लाग लपेट के बिना किसी बात के मैंने इस बात की कोशिश की कि जिसका जो अपराध है, वो अपराध का दंड भुगतेगा। वो चाहे मेरा व्यक्ति हो, भाई हो मैंने इस बारे में नहीं की। मैं इतना कह सकता हूं कि जो रिपोर्ट जो दी है अब आप और मैं सब जानते हैं कि होली के फंक्शन में और होली के कार्यक्रम में आप भी सार्वजनिक जीवन जीते हो और मैं भी जीता हूं। कभी आपको किसी ने बुला लिया और बुलाने के बाद पर्दे से अचानक कौन सामने आ जाए, अब आपने पूरी लिस्ट तो नहीं पढी पहले कि यहां क्या कार्यक्रम होने वाला है। पर जैसे ही ध्यान आया व्यक्ति ने अगर एक्शन ले लिया तो उसका मन उस एक्शन के साथ जुड़ा हुआ नहीं है।

डा. **श्रीगोपाल बाहेती** (पुष्कर): गृह मंत्री फिर क्या दोष था अजमेर कलक्टर का जो इजराइली बालाओं के डांस पर आपने उसको ट्रांसफर किया ? क्या दोष था अजमेर कलक्टर का? क्या दोष था एसडीओ का?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं कि ये पहली बार कार्यवाही हुई है चार लोगों के खिलाफ पुलिस ने बयान लेकर के ...

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जिस कलक्ट्रेट के अन्दर, जिस कलक्ट्रेट में कार्यक्रम हो रहा है और आप कलक्टर को सस्पेंड कर दें, कैसे बात चलेगी?

श्री सुरेश मीणा (करौली): अजमेर में कलक्टर एसटी का था इसलिए कर दिया उसको। यहां एससी/एसटी का होता तो हटा देते अब तक।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): कलेक्ट्रेट में हुआ, यह काम कलक्ट्रेट में हुआ। कलक्ट्रेट के अन्दर काम हुआ यह।

श्री सुरेश मीणा (करौली): हटाया जाए कलक्टर यहां से।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): जिसके खिलाफ कार्यवाही करनी थी कलक्टर के खिलाफ भी कार्यवाही की है, ऐसा नहीं है...।

डा. सी.पी. जोशी (नाथद्वारा): मंत्रीजी, एक मिनट। इसमें जो मैन मुद्दा है वो यह है, होली और यह नहीं है। जयपुर जो राजधानी, प्रमुख शहर है, असेंबली चल रही है। और असेंबली चलने के बाद क्या आपके नोटिस में है कि जिलाधीश महोदय की प्रजेंस में जिलाधीश कार्यालय के समय में यह घटना हुई या नहीं हुई? मतलब यह आप केस रजिस्टर कर रहे हैं और केस रजिस्टर करने में जिसके खिलाफ कार्यवाही करें वो अलग इश्यु है। प्रेस का अपना काम है प्रेस ने जाकर एक चीज को हाइलाइट किया। हाइलाइट करके इलेक्ट्रानिक मीडिया में आया, इलेक्ट्रानिक मीडिया में आने के बाद यदि कलक्टर का इंटेंशन क्लियर होता तो वेरी फर्स्ट डे उसके टीवी में आने के बाद उनको एक्शन ले लेना चाहिए सुओमोटो। कलक्टर ने एक्शन नहीं लिया। जिस दिन की घटना हुई उस दिन शाम को ईटीवी पर, नेक्स्ट डे अख़बार में सब आ गया तब तक कलक्टर ने इसके ऊपर किसी पर एक्शन नहीं लिया तो first onus, exemplary punishment के लिए आप गृह मंत्रीजी, आपकी आत्मा से उठाकर कह दो यदि कलक्टर के पांच बजे के टाइम के अन्तर्गत यह कार्यक्रम हुआ है तो first responsibility goes to the Collector, and please don't send wrong signals. आप तो संस्कार के आदमी हैं संस्कारित आदमी हैं। आप किस तरह के संस्कार देना चाहते हैं कि ऑफिस टाइम में इस तरह की मीटिंग होगी इस तरह के कार्यक्रम होंगे और कार्यक्रम होने के बाद हम कह दें कि पांच बजे के बाद घटना हुई है। यदि मान लो कर्मचारियों ने कार्यक्रम किया होली पर ऐसा कार्यक्रम होता तो कोई तकलीफ नहीं है। कार्यक्रम होने के बाद क्या कलक्टर

(डा. सी. पी. जोशी)

का धर्म नहीं बनता था कि कलक्टर के जब नोटिस में आ गया कि ईटीवी पर राजस्थान की पांच करोड़ जनसंख्या ने देख लिया कि वहां पर, शराब का, एक कर्मचारी टीवी पर आया हुआ है और वहां पर कलक्टर बैठा हुआ है डांस हुआ है टीवी पर आ चुका है। जब यह विजुअल्स आ चुका है तो सरकार का धर्म नहीं बनता है कि सुओमोटो एक्शन ले? आज दिन तक हिन्दुस्तान के अन्दर जब-जब भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में कोई चीज आयी है गवर्नमेंट ने सुओमोटो एक्शन लिया है। राजस्थान सरकार सुओमोटो एक्शन नहीं लेकर इस तरह से यदि प्रोटेक्ट करना चाहती है तो हम क्या सिग्नल देना चाहते हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं आपकी बात से सहमत हूं। केवल एक ही जगह है जिसमें टाइमिंग के बारे में जो भी कैमरे चले हैं उसमें सब में टाइम होगा। उसको देखने से स्पष्ट हो जाएगा कि यह घटना ऑफिस टाइम में थी या ऑफिस टाइम के बाद थी । बहुत स्पष्ट हो जाएगा क्योंकि उससे बड़ा एवीडेंस कोई नहीं हो सकता। और वो एवीडेंस हम कलक्ट कर रहे हैं। अगर वो उस पीरियड के अन्दर था तो निश्चित रूप से कलक्टर की जिम्मेदारी बनती है इसमें कोई दो राय नहीं है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कलक्टर का ऑफिस टाइम नहीं है कलक्टर का काम ऑफिस टाइम का नहीं है. Collector is the head of the district. उसका जो कंडक्ट है वो 24 घटे कंडक्ट इस तरह का होना चाहिए कि जो एग्जम्पलरी हो समाज के सामने । यदि कलक्टर का एग्जम्पलरी नहीं है तो निश्चित तौर पर आप अधिकार नहीं देते फिर तो काहे को आप कलक्टर को करते आप मंत्री भी नचवाइये क्या तकलीफ है? मंत्री के खिलाफ एक्शन मत लीजिये यदि आप यह मेसेज देना चाहते हैं तो क्या तकलीफ है?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): गृह मंत्रीजी, यह कार्यक्रम विधान सभा में भी हो जाए।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): माननीय गृह मंत्रीजी, न तो आप बहुमत के आधार पर ....

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): नहीं-नहीं, कोई बहुमत नहीं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): न तो आप बहुमत के आधार पर अपनी सरकार की छवि को ठीक कर सकते न बहुमत के आधार पर ब्युरोक्रेसी

(डा. सी. पी. जोशी)

में यह सिग्नल दे सकते हैं कि आप जैसा होम मिनिस्टर होने के बाद यदि इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कटारियाजी, आपका भाषण सुना है मैंने यहां विरोध में बैठ कर। आपकी आत्मा प्लीड करती है तो आप कह दीजिये, हम बैठ जाएंगे. You appreciate it? आप यह पसंद करते हैं कि राजस्थान के अन्दर इस तरह की घटनाएं हो जाएं और 48 घंटे तक सरकार कोई एक्शन नहीं ले और मैं कलक्टर को छोड़ देता हूं। मैं सबसे पहले ऑनेस्ट होता गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सुओमोटो आकर एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि बात खतम हो गयी। आपने आज दिन तक पत्रकार की पिटाई हो जाए दो बार पिटाई हो जाए पत्रकार की तब तक सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तरफ चौथा स्तम्भ कहते हैं हम और पत्रकारों की पिटाई हो जाए। इतनी बड़ी घटना हो जाए और सरकार अभी तक यह असर्टेन नहीं कर पाई कि पांच बजे के पहले हुई कि पांच बजे बाद हुई। मैं समझता हूं कि आपको विधान सभा में आने के पहले असर्टेन कर लेना चाहिए था कि यह घटना पांच बजे की है या पांच बजे बाद की है। और घटना के बाद आपको खुद को आकर कहना चाहिए कि ठीक है, इस तरह की घटनाओं में कलक्टर का रोल नहीं हो सकता है। लेकिन एक मेसेज देने के लिए कि नीचे लेवल के सरकारी कर्मचारी इस तरह का काम नहीं करें यह मेसेज तो सरकार को, विधान सभा चल रही थी, तब देना चाहिए यही विधान सभा का मतलब है। विधान सभा नहीं चलती तो छह महीने तक आपके बीच में नहीं आते हम। हाउस चलने के बाद यदि इस तरह की घटना जयपुर में हो जाए मंत्रीजी, मैं समझता हूं कि इस सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। और यदि सरकार गम्भीरता से नहीं सोचती है तो मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्रीजी, आप जैसा संस्कारवान गृह मंत्री यदि राजस्थान में संस्कारों को बिगड़ते हुए देखता है और विधान सभा में यह भाषण देता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान का नहीं हो सकता है। आपको खुद को आकर एग्जम्पलरी पनिश्मेंट हाउस के सामने खड़े होकर देना चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूं. ADM was present there. What type of inquiry are you getting conducted by the ADM? आप एडीएम से इंक्वायरी, पहली इंक्वायरी एडीएम से जो वहां मौजूद था दूसरी इंक्वायरी एडीएम से किसी और मुद्दे पर जो पार्टी है इसके अन्दर वो इंक्वायरी कर रहा है। किस प्रकार की आप इंक्वायरी करा रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने आपको... शायद मेरी भावना आप समझे नहीं हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा निवेदन सुन लें आप । आप रिप्लाई तो पूरा देंगे ही। मैं उन बातों को दुहराना नहीं चाहता जो नाथद्वारा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कही हैं।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट। सम्भागीय आयुक्त ने कमेंट कर लिया प्रेस में. I have heard it. सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है इसके बाद सम्भागीय आयुक्त ने ईटीवी पर लाइव कमेंट किया है और फिर आप एडीएम से जांच करवा रहे हैं। राजेन्द्रजी राठौड़, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का ईटीवी पर लाइव कमेंट है. I have heard on Etv what the Parliamentary Affairs minister said. आपने जनता को आश्वासन दिया...(व्यवधान) आज यहां मंत्रीजी हैं। आपने जनता को आश्वासन दिया है कि मैं दिखवाऊंगा और यह कार्यवाही करूंगा। और आप मंत्री बैठे हुए हैं, आपके मन में नहीं हुआ कि 48 घंटे हो गये और हम कार्यवाही करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कार्यवाही हो रही है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कौनसी कार्यवाही हुई है? बताइये। पांच बजे तक जानकारी नहीं है कि कार्यवाही हो रही है, क्या कार्यवाही ? आप गृह मंत्रीजी के सामने बोल ही नहीं रहे हैं। आपका ईटीवी पर इंटरव्यु है, Mr. Rajendra Singh Rathore, as the Parliamentary Affairs Minister. That we have heard. आपने, 48 घंटे निकल गये। 48 घंटे बाद आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि जनता के सामने आप उदाहरण प्रस्तुत करते. You want to justify it? कटारियाजी, मैं समझता हूं कि या तो आपको इन सब चीजों की जानकारी नहीं है कि ईटीवी ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): Mr. Parliamentary Affairs Minister, let me complete.

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा):....में कैसे इंटरव्यु आया कैसे पार्लियामेंट्री मिनिस्टर का इंटरव्यु आया है ये सब ईटीवी पर लाइव आ चुका है। इसके बाद माननीय गृह मंत्रीजी, मैं समझता हूं, अध्यक्षजी, आप भी बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि गृह मंत्रीजी, आपसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप एग्जम्पलरी पनिश्मेंट आप कुछ मुद्दों पर तो हाइकमान के पास गये हैं कुछ मुद्दों पर मुख्य मंत्रीजी से शिकायत की आपने। यह मुद्दा नहीं बनता क्या जिस

(डा. सी. पी. जोशी)

पर हाइकमान से जाकर शिकायत करें यह मन में नहीं आता? मैं समझता हूं कि सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए कि हम किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप खुद आगे बढ़कर एक उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे राजस्थान की जनता कह सके कि इस सरकार में संस्कारवान आदमी है नहीं तो बहुत बड़ा गलत मैसेज जाएगा जिसमें आप भी पार्टी बनेंगे और और आपको यदि नहीं जगती कटारिया साहब, तो मैं समझता हूं कि संस्कारों की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप कैसे इंक्वायरी करा रहे हैं? एडीएम जो मौजूद था आपने इंक्वायरी, कलक्टर साहब ने एडीएम को दे दी। एडीएम की रिपोर्ट आ गयी कि कुछ लोग पीये हुए थे। आगे खतम मत करो एग्जोनरेट मत करो, नहीं तो और उधम मचेगा. He is a very clever fellow. आपने दूसरी इंक्वायरी एडीएम (सिटी) को दे दी जो सारे के सारे पार्टी हैं । जो लोग पार्टी हैं आप उनसे इंक्वायरी करा रहे हैं। अगर आप में माननीय गृह मंत्रीजी, जैसा कह रहे थे कि आप संस्कारवान हैं, मैं जानता हूं कि आपका मन साफ है। लेकिन आप दबाव के अन्दर इस सदन की समिति से जांच कराने के लिए तैयार हैं, अगर आपका चेयरमैन हो हम लोग माइनोरिटी में हो तो आप करायेंगे सदन की समिति से? यह कोई आदमी करने वाला नहीं है इसके अन्दर जिसमें आपके अधिकारियों को बचाने के लिए और कर्मचारियों को दोनों को बचाने के लिए सब लोग लग जाएंगे।

देखिए, अख़बार वाले कुछ चीजों को उजागर करते हैं, समाज में नैतिकता है। कारण आज यह भी है कि जो आपका इलेक्ट्रोनिक मीडिया है उनमें आपस में इतना कम्पीटिशन है कि वह स्कूप करना चाहते हैं कि कौनसी खबर कौन पहले दे रहा है। आप ठोक रहे हैं, पीट रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं यह तो मुनासिब नहीं है। It is all farce. It is all farce. इस इन्क्वायरी में कम से कम मुझे और मेरी पार्टी को तो कोई भरोसा नहीं है। अगर आपको करानी है... (व्यवधान) मैं कहता हूं कि आपकी अध्यक्षता में कमेटी बना लीजिए। हम आपकी अध्यक्षता में काम करने को तैयार हैं। आप बनाइए और कराइए जांच इस सदन में हम 7 दिन में रिपोर्ट दे देंगे। कहां दिक्कत आ रही है इसमें?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैंने अपनी बात कहते समय भी आपको कहा था शायद वह शब्द थोडे होंगे। मैंने कहा कलक्टर की कभी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अगर कहीं कोई कमी खामी आयी तो हम उसकी भी जांच करा कर उसके बारे में भी निर्णय लेंगे, यह मैंने अपने शब्दों में कहा है एक लाइन में । ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं उसको बचाया है । मैं सोचता हूं कि आपकी और हमारी सब की मंशा है कि अगर कोई गलत चीज हुई है तो उसका निदान होना चाहिये और भविष्य में दुबारा रिपीट न हो उसकी व्यवस्था होनी चाहिये । उसमें किसी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जो जिम्मेदार लोग हैं उनको दण्ड दो ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य एक मिनट । निश्चित रूप से यह जो एक संदेह का बिन्दु है कि जो वहां मौजूद था वही उसकी जांच कर रहा है यह एक संदेह का बिन्दु है । कलक्टर की उपस्थिति है, नहीं है, कितना है कितना नहीं है, उसके कैम्पस में जो कुछ भी बातचीत हुई निश्चित रूप से, मैं सम्भागीय आयुक्त को इसकी जांच देकर...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सदन की कमेटी बनाने में क्या दिक्कत है आपको?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं कोई जांच अधिकारी बनकर जांच करुंगा और रिपोर्ट लाऊंगा यह तो मेरे लिये सम्भव नहीं है ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): रिपोर्ट नहीं, हम तो आपको जांच और एक्शन के लिये ओथराइज्ड करते हैं। हम आपसे कोई रिपोर्ट नहीं मांगते हैं आप जांच कर के एक्शन लें। आपको लगता है नहीं हुआ है तो मत लें। आपको लगता है घटनाक्रम नहीं हुआ है तो आप एक्शन मत लीजिए इसके लिये भी आपको अधिकृत करते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सारे बिन्दु को देखने के लिये....

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय गृह मंत्रीजी जिन कर्मचारियों को आपने 16 सीसी का नोटिस दिया है आपने तो अभी तक इतने बडे घटनाक्रम में उन कर्मचारियों को मुअत्तल करने की भी सोची। 16 सीसी का नोटिस किस काम का है? इमीजिएटली आप उनको सस्पेंड तो करो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आप एक बात सुन लो। आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यहां हाउस के दवाब में अगर मुझसे कुछ कार्यवाही कराना चाहोगे तो मैं कभी नहीं करूंगा। दवाब में नहीं करूंगा जो करूंगा वह सही करूंगा इतना विश्वास दिला सकता हूं। लेकिन दवाब के कारण से मुझे आप मजबूर करके मुझ से कोई कार्यवाही यहां कहलवा दो यह कभी सम्भव नहीं है ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप दवाब में तो मत करो लेकिन कम से कम उन कर्मचारियों को सस्पेंड तो करो । आपने तो सस्पेंड करने लायक भी नहीं समझा। जिन कर्मचारियों को आपने 16 सीसी का नोटिस दिया है ... (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (केसरीसिंहपुर): अध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को अब बंद करवाया जाये ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप नैतिकता के आधार पर तो करो, दवाब में मत करो ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपने नोटिस दिया है ना? उन कर्मचारियों को नोटिस दिया है आपने, आपने उनको प्राइमरी दोषी माना है उनको सस्पेंड तो करो । हम यह थोडे ही कह रहे हैं कि आप दवाब में यह करो, कलक्टर को गिरफ्तार करो। हम यह कह रहे हैं कि जिन कर्मचारियों को आपने 16 सीसी के अंतर्गत दोषी माना है, नोटिस दिया है उनको सस्पेंड तो करो । उनको सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं आप?

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): माननीय गृह मंत्रीजी यह बात उचित है क्या कि एडीएम कलक्टर की जांच करेगा? क्या सिपाही एसपी की जांच कर सकता है? गृह मंत्रीजी यह बताइए कि एक एडीएम कलक्टर की जांच करेगा? यह तो न कहीं सुनी है न कोई सोचने की बात है ।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि गृह मंत्रीजी आवेश में आकर, गुस्से में आकर इस बात को डिफ्युज कर रहे हैं। यदि यह ठीक समझते हैं कि यह ठीक हुआ है, यह डांस ठीक हुआ है, यह कृत्य सरकारी दफ्तर में ठीक हुआ है तो हमें आपको यह कहना है कि आप यह आर्डर निकल दीजिए कि हर कलक्ट्रेट में यह डांस हो। लेकिन कृपा करके यह बता दीजिए जो कलक्टर इसमें इनवाल्व है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करने में कोताही क्यों बरत रहे हैं? उसको आप एपीओ कीजिए, आपको यह थोड़े ही कह रहे हैं कि आप उसको सस्पेंड कीजिए। आप उसको एपीओ करके

(डा. श्रीगोपाल बाहेती)

इसकी जांच करवाइए ताकि जांच तो प्रभावित नही हो । अन्यथा जैसा हमारे दूसरे साथियों ने आपको प्रपोज किया है कि आप एक एसेम्बली की पार्लियामेंट्री कमेटी बना दीजिए वह जांच करके लावे इसमें कहां दिक्कत आ रही है ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): गृह मंत्रीजी, आप यह गुस्सा तो खा रहे हो पर पूरे राजस्थान में आपकी सरकार ने यह सांस्कृतिक वातावरण दिया है । यह कैट वाक से लेकर लिप लोक तक के जो कारनामे राजस्थान में यह सरकार करती जा रही है उसी का नतीजा है कि आज यह कलक्ट्रेट तक के लोग इस तरह की गतिविधियों में इनवाल्व हो रहे हैं। आपकी सरकार में ईपीआरसी की बैठक हुई रात को उसमें शराब पिलाई गई। आपकी सुराज की मीटिंग हुई उसमें जेडीए ने बीआर के बिलों के पेमेंट किये और उसी का नतीजा है कि आप जगह-जगह पर राजस्थान के जिलो में कलक्टर इस तरह की गतिविधियों में इनवाल्व हो रहे हैं। यह आपकी सरकार के बनाये हुए सांस्कृतिक वातावरण का नतीजा है और आप कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते। (व्यवधान)

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): मेरी बात सुनो माननीय सदस्यों, जो कैट वाक करे, जो लिपलोक करें शर्म तो उसको आवे इनको शर्म क्यों आयेगी? शर्म हमें आयेगी, कैसी बात करते हैं आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी इमोशनल हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, भावनाओं से तो राज चलता नहीं है तथ्यों पर चलता है। माननीय मंत्रीजी हम कोई दवाब नहीं बनाना चाहते हैं तथ्य आपके सामने है। आज प्रेस में कोई चीज आ जाये, इलेक्ट्रोनिक मीडिया में हजारों आदमी देख लें उसके बाद तो सरकार का धर्म बनता है माननीय मंत्रीजी इसमें तो कोई दवाब नहीं है। यह तो सरकार की फेलियोर माननी पडेगी कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया में आ जाये, आपका कमिश्नर कमेंट कर दे, आपके मंत्री कमेंट कर दें अब एडिशनल एसपी और एडीएम जांच करेगा । मैं कहता हूं कि इसमें दवाब की आवश्यकता नहीं है । हम आप पर छोडते हैं, आप खडे होकर यह कह दीजिए कि 24 घंटे में मैं इसका फैसला कर के दे दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं यह कह रहा हूं कि इस सारे प्रकरण की जांच सम्भागीय आयुक्त को देकर इस सारे प्रकरण की जांच करवा लेंगे और जो भी उसमें बात निकल कर आयेगी...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आप खाली यह जांच कर लें कि 5 बजे के पहले की घटना में कलक्टर मौजूद था या नहीं, इसका फैसला कर लें, बात खत्म । माननीय मंत्री महोदय कमिश्नर कमेंट कर चुका है, कमिश्नर की जांच की अब कोई वैलिडिलिटी नहीं है । कमिश्नर ई टीवी पर लाइव कमेंट कर चुका है इस घटना के संबंध में ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): किसी न किसी की तो जांच करानी पड़ेगी।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हम राजस्थान के गृह मंत्रीजी गुलाब चन्द कटारिया को ओथराइज्ड करते हैं कि आप 24 घंटे में इस फैक्ट को देख लें, एक्शन ले लें नहीं होता है तो नहीं करें हम कुछ नहीं बोलेंगे। we leave it अध्यक्ष महोदय, फिर आप हम पर छोड दीजिए हम तैयार हैं इससे बड़ा ओनस आप क्या चाहते हैं? हम न दवाब डालना चाहते हैं, न भावना में जाना चाहते हैं। हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि जिस सरकार में आप मंत्री हैं वह राजस्थान की जनता को एक मैसेज दें कि प्रेस अपने धर्म का निर्वहन कर रहा है। प्रेस किसी चीज को जनता के सामने लाये और सरकार अपने कर्तव्य में फेल रही है क्योंकि सरकार ने 48 घंटे तक कोई काम नहीं किया है यह सरकार की फैलियोर है । यह प्रेस के प्रति सरकार का संवेदनहीनता का मुद्दा है। इसलिए आपको निश्चित तौर पर इस पर आगे आकर, हम आप पर छोडते हैं कोई जांच नहीं, होम मिनिस्टर गुलाबचन्द कटारियाजी जो कभी दवाब में नहीं आते हैं, जो संस्कार और भावना की बात करते हैं वह 24 घंटे में जांच करके कल हाउस में बता दें हम आप पर छोडते हैं ।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज तक ऐसी घटनाओं की कभी मंत्री ने जांच की है क्या ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अब तक जो परिपाटी रही है मेरे को भी हाउस में कई बार रहने का मौका मिला है आज दिन तक कभी भी किसी जांच के लिये किसी मंत्री को ओथराइज्ड नहीं किया गया कि आप जांच करके दे दो और न आज दिन तक किसी मंत्री के द्वारा की गई जांच यहां हाउस में डिसकस हुई है । मैं सोचता हूं ऐसी परिपाटी न डाले जो सम्भव नहीं है । लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि जल्दी से जल्दी इस जांच को पूरा करके इसमें जो भी दोषी पाया जायेगा उसको

किसी को बचाने का कोई सवाल ही नहीं चाहे कलक्टर ही क्यों न हो, चाहे और कोई व्यक्ति क्यों न हो किसी को बचाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन प्रोसेस में ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 7 दिन में?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): एक सप्ताह में ।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): ठीक है ।

श्री अध्यक्ष: महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद विवाद ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अभी तो युनूस खान हैं, परिवहन मंत्री, खेलकूद मंत्री ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने स्वयं ने फरमाया था कि जीरो आवर के बाद कह देंगे ।

यातायात मंत्री की गाड़ी पर कथित हमला

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों में जो एक आक्रोश था वह स्वाभाविक है । मैं भी सदन का सदस्य हूं और अगर किसी मंत्री के साथ इस प्रकार की घटना घटती है तो मैं भी आपके उस आक्रोश में सम्मिलित हूं। जो कुछ भी घटना हुई वह हुई है उससे कोई ना नहीं कर रहा है और जिनके खिलाफ एक्शन करना है जो कुछ भी इस केस के बारे में, 10-20 लाइने संभव हुई....

इसके बारे में 5.3.2007 को साढ़े सात बजे के लगभग युवा खेल एवं यातायात मंत्री श्री युनूस खानजी एमएमएस स्टेडियम गये थे तब उनके गनमैन श्री अनवर खन एवं चालक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता श्री राजेन्द्र सुरपूरा और चार-पांच अन्य कार्यकर्ता आये तथा मंत्रीजी से मिलने की इच्छा जाहिर की। मंत्री महोदय ने गनमैन के माध्यम से इनसे 15-20 मिनिट बाद मिलने के लिए सूचित किया, इससे वह संतुष्ट नहीं हुए तथा उन्होंने हर हालत में मंत्री से मिलने का निश्चय जाहिर किया, शोर शराब किया। बाद में मंत्री महोदय टाटा सफारी में बैठकर जा रहे थे तो गाड़ी को अन्य 20-25 कार्यकर्ताओं ने घेर लिया, सरकारी वाहन के साथ तोड़फोड़ की,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गनमैन के साथ धक्कामुक्की हुई, मोबाइल तोड़ दिया। शोर मचने पर यह लोग मोटरसाइकिल और कार से बैठकर भाग गये । गनमैन श्री अनवर खान और चालक जगदीश चंद यादव की रिपोर्ट पर मुकदमा 43/7 धारा 147, 149, 341, 323, 427, 379, 332, 353 व 3 पीडीपी एक्ट की, रात्रि 10 p.m पर पंजीबद्ध किया। अनुसंधान पुलिस उप निरिक्षक शिवदयाल सिंह के द्वारा किया जा रहा है1 इस अभियोग में आज सुबह दो अभियुक्त राजेन्द्र सुरपुरा और लक्ष्मीकांत भारद्वाज को गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी आगे की सारी जांच के बाद जो बाकी अभियुक्त हैं इसमें उन सबके खिलाफ कार्यवाही होगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो धाराएं आपने लगाई हैं और उन्होंने जो जानलेवा हमला किया है तो इसमें 307 आप और लगाइये1 माननीय मंत्रीजी पर जानलेवा हमला उन सब लोगों ने मिलकर किया।

श्री अध्यक्ष: (व्यवधान) मंत्री पर थोड़े किया, गनमैन पर किया है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो इसमें धारा 307 क्यों छोड़ दी गई। गनमैन पर नहीं, मंत्री गाड़ी में बैठे थे। आप कैसी बात कर रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): राजस्थान सरकार का मंत्री बच गया । (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मंत्रीजी गाड़ी में बिराज रहे थे, मंत्रीजी....

श्री अध्यक्ष: मंत्री पर...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हां, पूछो आप । मंत्रीजी गाड़ी में बिराज रहे थे।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): मंत्रीजी बिराज रहे हैं, उनसे पूछे आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कहा मेरे साइड का कांच नहीं टूटा... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गनमैन पर किया तो भी 307 बनता है।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मंशा गम्भीर है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): गनमैन पर भी 307 बनता है (व्यवधान) उन आदमियों को बचाने की कोशिश मत करो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्री ने खुद ने कहा मेरी तरफ का कांच नहीं टूटा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कुछ नहीं होने वाला इसमें जल्दी जमानत हो जाएगी।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी बिराज रहे हैं, मंत्रीजी कह दें कि उन पर हमला नहीं था।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अगर इन पर हमला नहीं हुआ तो हमें कोई चिंता नहीं है।

श्री अमराराम (धोद): उस गाड़ी पर हमला हुआ, उनका मोबाइल टूटा है, खड़े होकर कह दें कि हमला नहीं हुआ।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मंत्रीजी उसमें बिराजमान थे। धारा... (व्यवधान) अगर कोई दूसरा आदमी करता तो 307 लगा देते, 308 लगा देते।

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मिलने की वजह से झगडा हुआ, न मिलने की वजह से, इसलिए मंत्रीजी का नाम, मंत्रीजी झगडा इसलिए हुआ है..(व्यवधान) एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि वह मंत्री से मिलना चाहते थे।

श्री अध्यक्ष: अख़बार की कटिंग...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एफआईआर में साफ लिखा हुआ है कि वह मंत्री से मिलना चाहते थे । दूसरा मंत्रीजी का कल स्टेटमेंट है कि मेरी तरफ का कांच नहीं टूटा नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, दोनों स्टेटमेंट हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जिधर मैं बैठा था उधर का शीशा नहीं टूटा अन्यथा बहुत गम्भीर हादसा हो सकता था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मैं सोचता हूं हम में से अधिकांश लोग यहां वकील बैठे हैं। (व्यवधान) सदन में कई माननीय सदस्य वकील पेशे से आये हैं आप सबको भी अनुभव होगा यदि तफ्तीश करने के बाद यदि कोई ऐसी बात निकलकर आती है कि धारा 307 लगती है, तो ही लग सकती है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): लगने के बाद यदि तफ्तीश नहीं आती है तो हट भी सकती है, आप लगाइये ना। जब जानलेवा हमला हुआ है तो

(श्री हरिमोहन शर्मा)

307 की प्राइमरी इनग्रेडियेंट से वह बनती है, आप यदि तफ्तीश में नहीं मानो तो साल-छह महीने में हम ठंडे हो जाए तो उसे छोड़ देना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): मेडीकल रिपोर्ट भी कुछ होती है। मेडीकल रिपोर्ट भी होती है कि नहीं?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): कोई जरूरी नहीं है मेडीकल रिपोर्ट होना।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): जरूरी नहीं है। गोली फायर करें, गोली लगे ही नहीं तब भी 307 लगती है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): फायर तो करें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इंजरी आना जरूरी नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): सैक्शन कब लगेगा, यह तफ्तीश आने से ही कोई बात...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 307 में इंजरी आना जरूरी नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह मेडीकल जाने लायक हो जाएंगे, तब लगेगा क्या? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): 307 में चोट आना जरूरी नहीं है, इंटेन्शन जरूरी है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सरकार क्या चाहती है यह हास्पिटल में ले जाने की स्थिति में आये तब लगाओगे, तब लगाओगे क्या?

श्री अशोक बैरवा (खण्डार): अध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप कह रहे हैं, मेडीकल रिपोर्ट की बात कर रहे हो तो क्या हास्पिटल में ले जाने की स्थिति के लायक होंगे तब लगाएंगे? (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): यह पिटवाना चाहते हैं, पिटने दो, इनका मंत्री है, यह पिटवाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपके आपसी अन्तर्द्वन्द का कारण है कि आप 307 नहीं लगा रहे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): आपको कुछ कहने का अवसर

आ गया तो आपने पूरा ही (व्यवधान) जो कार्यवाही हमको करनी है, हमने न विघार्थी परिषद देखी न व्यक्ति देखा। जो कुछ भी अब तक उन्होंने रिपोर्ट लिखाई उसके आधार पर जो धाराएं बनती हैं वह धाराएं लगाई। मैं सोचता हूं कि अगर इसके बाद भी आपके मन में रह जाती है तो अब आपकी इच्छा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप जिद क्यों करते हैं लगा दीजिए ना इसमें क्या बात है? आप प्रभाव में तो नहीं आ रहे कहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अब चर्चा शुरू होगी। सबसे पहले...

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पाइंट आफ आर्डर इस पर।

श्री अध्यक्ष: क्या?

व्यवस्था का प्रश्न

अभिभाषण व आय-व्ययक पर चर्चा हेतु माननीय सदस्यों को साहित्य का समय पर वितरण

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): महामहिम के भाषण पर। अध्यक्ष महोदय, आप जो डिबेट करवा रहे हैं उस डिबेट के संबंध में हमें न तो विधान सभा में, राज्यपाल के भाषण का जो उद्देश्य है उसमें कोल एंड शकधर में लिख रखा है– "It contains a review of the activities and achievements of the Government during the previous year and its policy with regard to important internal and current international problems." दो दिन से राज्यपाल के भाषण पर चर्चा हो रही है। राजस्थान सरकार में अनफोरच्युनेटली यह परिपाटी बनी हुई है कि राज्यपाल के भाषण के पहले और बजट के पहले जो रेलेवेंट डाक्यूमेंट सदन के सदस्य को मिल जाने चाहिये वह हमें मिलते नहीं हैं। हम चर्चा करते हैं। आज दिन तक, दो दिन हुए हमें जो भी एनुअल रिपोर्ट मिली है वह बिजली विभाग की मिली, बीज निगम की मिली और किसी की मिली है। पिछली सरकार ने, जो पिछले एक साल के अचीवमेंट है जिसके आधार पर गवर्नर के धन्यवाद के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, यह तो व्यवस्था करिये कि उनके बारे में सरकार का ओथेंटिक डाक्यूमेंट हमारे पास आ जाए। उनको पढ़ें उसके बाद चर्चा करें।

(डा. सी. पी. जोशी)

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए भी तकलीफ है बजट की जो डिसकशन करेंगे नौ तारीख को, बजट के संबंध में भी इसमें लिखा हुआ है, बजट के अंदर 2005-06 के आय व्यय के संबंध में सीएजी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी, आज दिन तक सीएजी रिपोर्ट को हमने ले नहीं किया। नौ तारीख को मुख्य मंत्रीजी बजट पेश करेंगी, 10-11 को छुट्‌टी है, 12 तारीख को हम डिबेट शुरू कर देंगे। अध्यक्ष महोदय, अब मुझे बताइये मुख्य मंत्रीजी को बजट भाषण में तैयारी करने के लिए एक दिन का समय चाहिये। इसलिए हमने रिशिडयूल किया और माननीय सदस्यों को चर्चा करने के लिए कोई कागज नहीं चाहिये और हम डिबेट करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह पार्लियामेंट प्रेक्टिस के हिसाब से ठीक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध, प्रार्थना है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी कल गवर्नर स्पीच पर रिप्लाई देंगी उसके पहले हमारे पास कल भी यदि राजस्थान सरकार के रेलेवेंट अचीवमेंट के संबंध में जो डाक्यूमेंट है वह हमको सप्लाई कर दे तो कम से कम रेलेवेंट प्रश्न तो मुख्य मंत्रीजी के सामने खड़े कर सकें, जिससे उनका जवाब दे सके।

अध्यक्ष महोदय, आप जानकर आश्चर्य करेंगे कि एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत, जिसको हमने विधान सभा में पास किया उसमें पांच और छह के एक्चुअल मेंशन कर रखे हैं और राजस्थान की विधान सभा को हम सीएजी के एक्चुअल्स नहीं देना चाहते। बजट पर डिसकशन करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, कम से कम मैं आपसे आशा करता हूं कि आप परम्पराओं की बात कर रहे हैं, यह परम्परा राजस्थान में बनाई जाए। यदि पास्ट में नहीं हुआ, अभी पार्लियामैंट्री अफेन्यर्स मिनिस्टर खड़े होकर कह देंगे कि पास्ट में ऐसा नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा, पर कम से कम हम डिबेट को सार्थक बनाने के लिए राज्यपाल महोदय के भाषण के पहले सरकार के जितने अचीवमेंट है, अलग-अलग विभाग के उनके डाक्यूमेंट हमारे पास आ जाए और बजट के डिसकशन के पहले एक्चुअल्स जो सीएजी ने किये, सिविल के संबंध में, कामर्शियल के संबंध में राजस्थान सरकार की जो स्थिति है, वह तो हमारे सामने आ जाए जिससे हम बजट पर सार्थक चर्चा कर सकें। इसके संबंध में तो अध्यक्ष महोदय आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिये जिससे हम फुल डे डिबेट कर सकें। अन्यथा एक रिचुअल हो जाएगा, आप अध्यक्षता कर रहे हैं, परम्पराओं की बात कर रहे हैं, नियमों की बात कर रहे हैं। राज्यपाल को

(डा. सी. पी. जोशी)

धन्यवाद भी दे देंगे, बहुमत इनका है, इनके अचीवमेंट का गुनगान भी हो जाएगा, सार्थक रूप में हम इसमें कन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे सअनुरोध प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस संबंध में आप व्यवस्था करें जिससे डिबेट, चाहे राज्यपाल महोदय के अभिभाषणक की हो चाहे बजट की हो, ,दस और ग्यारह तारीख के बाद हमें समय मिले हम डिसकस करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। इस संबंध में आपको व्यवस्था देनी चाहिये। पिछली बार भी आपने व्यवस्था दी । अनफोरच्युनेटली पिछली बार की व्यवस्था के बाद भी बजट आने के पहले सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं होती है तो मैं समझता हूं कि आपकी इस व्यवस्था के बाद भी हम किस तरह की सार्थक डिबेट करेंगे। यह राजस्थान की जनता को यह मेसेज देना चाहते हैं राजस्थान के 200 एमएलए बिना पढ़े लिखे, बिना सरकार की उपलब्धियों की अचीवमेंट की चर्चा किये हुए हम डिबेट कर रहे हैं फिर डिबेट किस बात की कर रहे हैं । फिर तो धन्यवाद दे दें, बहुमत है, सरकार राज कर रही है राज चलता रहे। इसलिए मैं समझता हूं कि पोस्टेरिटी जब आप एक एक चीज को लिखते हैं, रिकार्ड होती है तो पोस्टेरिटी यह भी याद रखेगी कि राजस्थान की विधान सभा में माननीया सुमित्रा सिंहजी जो अध्यक्ष है, नौ बार तक मैम्बर रहे हैं उनके अनुरोध के बाद भी यदि यह स्थिति बन रही है इससे बड़ा दुर्भाग्य राजस्थान की विधान सभा का नहीं होगा। इसलिए मेहरबानी करके इस संबंध में आप कुछ न कुछ निर्णय लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य भी राज की पार्टी में बहुत लम्बे समय तक रहे हैं और इस विधान सभा में रहे हैं। अब तक की सूची जारी कर दी जाए कि कब-कब यह सब काम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण से पहले-पहले कौनसी प्रगति रिपोर्ट आ गयी है, एक।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): नहीं हुआ, खुद ही कह रहा हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और बजट आने के पहले, आपकी जो रिपोर्ट है वह पहले आ गयी हो। अब तक इस विधान सभा में इसी ढंग की प्रक्रिया चल रही है। इसमें सुधार की गुंजाइश है, आपके सुझाव के आधार पर। पर यह केवल हमारे पर मत थोप दो कि केवल हम ही इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। यह लगातार इस चीज की पालना नहीं हो रही है। अगर इसकी हो जाए तो ज्यादा अच्छा है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मैंने यह नहीं कहा। मैंने कहा यह आपकी पार्टी का नहीं है, यह तो हम सबकी जिम्मेदारी है। आप भी विरोध में रहे, सत्ता में रहे। हम भी सत्ता में रहे, विरोध में रहे। लेकिन इन परम्पराओं को कहीं न कहीं तोड़कर ऐसी स्वस्थ परम्परा भी बनानी चाहिए जिससे हम डिबेट सार्थक कर सकें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

व्यवस्था

सदन में सार्थक बहस हो सके, इस हेतु माननीय सदस्यों को साहित्य का समय पर वितरण का प्रयत्न

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है, उसके बारे में मुझे निवेदन करना है कि पिछले 50 साल में तो यह रिपोर्ट इसी तरह से आती रही हैं जैसा कि गृह मंत्रीजी कह रहे थे। लेकिन यह बात सही है कि सिस्टम सुधरे। व्यवस्था सुधरे, ताकि सार्थक बहस हो सके। उसके लिये आवश्यक और उचित तो है कि उससे पहले अचीवमेंट की, क्योंकि राज्यपाल महोदय का अभिभाषण इस बात का ही तो होता है कि पिछले वर्ष का अचीवमेंट और आगे की नीति निर्धारण सरकार क्या करने जा रही है। इसी का होता है। इसलिये उससे पूर्व में यदि सभी विभागों की रिपोर्ट आ जाए अचीवमेंट की तो ज्यादा सार्थक बहस हो सकेगी। इसलिये प्रयत्न कीजिये। इस बार तो नहीं हो पाया लेकिन अगले वर्ष ऐसा हो सके, वह रिपोर्ट पहले तैयार होकर समय पर वितरित की जा सकें तो मैं समझती हूं कि इससे सिस्टम सुधरेगा।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): सी.ए.जी. रिपोर्ट।

श्री अध्यक्ष: सी.ए.जी. की रिपोर्ट के बारे में पिछले साल भी बात हुई थी। आपने जो प्रश्न उठाया, मैंने और असेम्बलीज से भी पूछा, विधान सभाओं से पूछा। कोई एक-आध ऐसी विधान सभाएं हैं जहां पहले करा पाते हैं। बाकी कहीं पर..।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान) नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक सेकिण्ड, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात को मैंने बहुत ध्यान से सुना था। अब आप बीच में, अब इस आदत को थोड़ा सुधारें। (व्यवधान) नहीं, मैं नहीं सुनूंगी आपकी बात।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): पहले FRBM एक्ट किसी विधान सभा में नहीं था। आपकी बात में एड कर रहा हूं खाली। पहले FRBM एक्ट नहीं था, इसलिये जरुरी नहीं था। अब FRBM एक्ट में एक्चुअल को कम्पेयर करते हैं। इसलिये सी.ए.जी. की रिपोर्ट हाउस में नहीं रखकर कम्पेयर करें। (व्यवधान) यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: मैं उसको ना थोड़े ही कह रही हूं। मैंने खुद कह दिया। लेकिन जैसा कि मैं कह रही हूं कि अन्य विधान सभाओं में भी समय से पूर्व नहीं दे पाते हैं, बाद में ही देते हैं। पिछली बार यह बात आयी थी कि सी.ए.जी. की रिपोर्ट बजट प्रस्तुत करने से पूर्व दी जाए ताकि सार्थक बहस हो सके, पता लग सके कि कितना किसमें खर्च हुआ। मैं चाहूंगी देख लीजिये, यदि सी.ए.जी. रिपोर्ट पहले आप दे सकें तो बहुत उचित होगा।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री टीकमचन्द कान्त।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मसूदा से आने वाले माननीय विधायक विष्णुजी मोदी ने जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में आकर के अभिभाषण दिया, उसके बदले उनको धन्यवाद देने का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं बहुत सारे डाकूमेंट्स तो नहीं पढ़ पाया लेकिन इस बजट भाषण को 2-3 बार उलट-पुलट कर देखा है, सॉरी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मैंने उलट-पुलट कर देखा है और इससे एक निर्णय सामने आता है कि एक तुलनात्मक अध्ययन है 5 साल का और 3 साल का, कि किन विभागों में, किन क्षेत्रों में कितना क्या हुआ। और 3 साल का जो कार्यकाल है वह राजस्थान के विकास के लिये कैसा रहा। मैं उसके विषय में कहूं तो इससे तो यह प्रमाणित हो रहा है कि विकास हमारा चहुंमुखी है, सर्व-व्यापी और सर्व-स्पर्शी विकास हो रहा है। विकास सभी क्षेत्रों में हो रहा है। शहरों का सुधार हो रहा है, गांवों की गरिमा बढ़ रही है, ढाणियों का ढंग बदल रहा है, धोरों में धन की वर्षा हो रही है, पहाड़ों की प्रशंसा-वृद्धि हो रही है। आदिवासी अंचल में नई आशा जगी है, श्रमिक की सम्भाल ली जा रही है, किसान की कीर्ति बढ़े और उसकी समृद्धि बढ़े, यह प्रयत्न किये जा रहे हैं। (व्यवधान) बताऊंगा मैं, आदिवासियों के कुछ बिंदु मैंने लिये हैं, उन पर बात करुंगा। सारी योजनाओं का मैंने हिसाब-किताब देखा

(श्री टीकम चन्द कान्त)

इसके अन्दर तो कोई-कोई योजना 85 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है, कोई 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुकी है, किसी पर व्यय 95 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसलिये कहा जा सकता है कि राज्य और केन्द्र की जो भी योजनाएं थीं उनको पूर्ण करने का प्रयत्न पूर्णतया हो रहा है। और फिर इसके अन्दर एक चीज रही, कुछ विभाग, सारे विभाग प्रगति कर रहे हैं। सारे विभाग अपनी ओर से इस राजस्थान के विकास में पूर्णतया प्रयास कर रहे हैं। अभी 2-3-4-5 बात बताऊं तो शिक्षा में अगर देखो तो नये आयाम हैं, नई दिशा है, नायाब विस्तार है और नये रिकार्ड कायम किये हैं। चिकित्सा सेवा में सुविधाओं की वृद्धि हुई है, विस्तार हुआ है। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने तो राजस्थान की सूरत में निखार ला दिया। निरुत्साहित हुए उद्योग नये प्रोत्साहन से पनप रहे हैं। वनों का विकास, और खानें सोना उगलने को तैयार हैं। जल संसाधन क्षेत्र के अन्दर जबरदस्त प्रगति इंगित हुई है। अगर मैं कुछ रिकार्ड देखने की बात करुं तो राजस्थान के इस अभिभाषण के अन्दर, राजस्थान में विकास के अन्दर और अपने व्यय के अन्दर और प्रगति के अन्दर कहें कि जो रिकार्ड कायम किये हैं, वह 5-7 रिकार्ड मैं आपको बताने का प्रयत्न करुंगा।

अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश का विकास, उसकी योजना कितनी विस्तृत है और योजना का आकार क्या है, उस पर आधारित है। मुझे मालूम है कि माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे तो 3 हजार करोड़ की योजना थी, पूर्व सरकार की और उसके बाद में वह 11 हजार की बनी। और उसके बाद के अन्दर राजस्थान ने विकास करना प्रारम्भ किया। ग्रामीण क्षेत्र का विकास हुआ, सड़कों का विकास हुआ, बिजली का विकास हुआ। अनुसूचित जाति और गरीबों की तरफ दृष्टि गयी। और उसी प्रकार से आज जो आकार मैं देख रहा हूं, इसकी राशि 68422.16 करोड़ की राशि है, जिस प्रदेश की योजना बढ़ी है और जिस प्रदेश की योजना के अन्दर से पूर्ण व्यय होता है, यह सब से बड़ी बात है। पूर्ण व्यय हो गया, अब कल कह रहे थे, योजना तो सबकी बढ़ती है। बिलकुल ठीक बात है। हर पंचवर्षीय योजना 10-20 प्रतिशत बढ़ती है। लेकिन यह आवश्यक है कि पिछली योजना के अन्दर पूर्ण व्यय किया या नहीं। अगर पूर्ण व्यय नहीं किया है तो फिर योजना छोटी हो जायेगी और उसके ऊपर जो प्रतिशत बढ़ेगा, वह थोड़ा होगा। इन तीन वर्षों के अन्दर उस योजना का सारा व्यय करने का प्रयास किया गया है। बाकी पूर्व सरकार के

(श्री टीकम चन्द कान्त)

वित मंत्रीजी अभी विराज रहे थे। उनको याद होगा कि 3 वर्षों तक लगातार उस योजना का आकर, 10वीं योजना के अन्दर से लगातार उसके अन्दर कमी करते रहे, योजना को घटाते रहे, कभी 1500 करोड़ की, कभी हजार करोड़ और उसका असर यह आया कि राजस्थान पिछड़ गया। राजस्थान का विकास ठहर सा गया। तब सड़कों में इतने खड्डे पड़ गये थे कि हमारी सड़कें कह रही थीं, जैसे बिहार से लोहा ले रही हैं, बिहार की सड़कों से लोहा ले रही हैं। बिहार की सड़कें भी शर्म खाने लग गयी थीं। इस तरह की स्थिति आ गयी थी राजस्थान की। इसलिये विकास के अन्दर जहां तक बात है, उसकी योजना बड़ी होनी चाहिए, और इस योजना का आकार तो बहुत बड़ा है।

हालांकि, ठीक है यह 8वीं, 9वीं और 10वीं योजना की सम्पूर्ण राशि के जितनी ही बड़ी राशि की यह योजना है तो इससे एक आशा बनती है, एक उम्मीद बनती है और एक विश्वास बैठता है और जिस प्रकार का तीन साल का जो इन्होंने लेखा हमारे सामने प्रस्तुत किया है उससे यह लगा है कि यह व्यय भी होगा। इन पांच वर्षों के अन्दर, पंचवर्षीय योजना के अन्दर और राजस्थान आगे बढ़ेगा, विकास करेगा और कभी-कभी हमने जो उम्मीद की थी कि राजस्थान इस देश के 16 राज्यों के अन्दर कहीं ऊचाइयों पर तीसरे, चौथे, पांचवें नम्बर पर, दूसरे, तीसरे नम्बर पर पहुंच जाए और उम्मीद करता हूं कि यह पहुंचे। लोग चर्चा कर रहे हैं। सामान्य जनता चर्चा कर रही है कि यह वह राजस्थान है जिसका दिवाला निकल गया था। क्या यह वह राजस्थान है जिसकी सड़कों के अन्दर खड्डे थे? कारगिल का युद्ध चल रहा था, जोधपुर से बाड़मेर तक सरहद पर जाने वाली सेना के ट्रक और टेंक वगैरह जा रहे थे और मुझे उस दिन दूंदारा जाना था। मैं इस जोधपुर की सड़क पर चल रहा था तो सेना के जो ट्रक और टेंक वगैरह जो चल रहे थे उनको धीमी गति से चलना पड़ रहा था और मैंने कहा और उस समय किसी ने कमेंट्स किया कि यह सेना इस प्रकार जा रही है। इतनी धीमी गति से जाना हो रहा है। सड़क इतनी खराब पड़ी है, यह खड्डे नहीं, यह न मालूम किसकी कब्रें खोद कर यह राजस्थान में रख ली है। यह स्थिति थी। आज वह सड़क सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी, आज वह सड़क ठीक है। आज सेना वहां से अच्छी ढंग से जा सकती है। सरहद पर जल्दी पहुंच सकती है। मतलब इस प्रकार की कुछ चीजें थीं। अब रिकार्ड की मैं जहां तक बात कह रहा था राजस्थान, माननीय अध्यक्ष

(श्री टीकम चन्द कान्त)

महोदय, यह गरीब लोगों की तरफ, यह बीस सूत्री कार्यक्रम तो इंदिरा गांधीजी के समय का है न, गरीबों के लिए है, अनुसूचित जाति, जन जाति, उनके लिए है और इस बीस सूत्री कार्यक्रम में, माननीय अध्यक्ष महोदय, हम इस चौथे साल भी अव्वल हैं। प्रथम नम्बर पर हैं इसलिए राजस्थान गरीबों के कार्यक्रम के अन्दर, गरीबों के कार्यक्रमों के अन्दर उसका बिलकुल उसी श्रद्धा से वह कार्य पूर्ण करती है और इसके कारण यह राजस्थान आज चौथे वर्ष भी बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्दर अव्वल है। हिन्दुस्तान में प्रथम है। और याद करें, मैं उस पाँच साल को याद करता हूं,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्षः आपको ... (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): असत्य कथन के लिए तो आप निर्देश दे सकती हैं। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हां, करो न। कर लेना, मुझे बाद में टोक लेना। टोक लेना बाद में, टोक देना।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): अव्वल है? नहीं-नहीं। आप कृपा करके, आप तो बड़े सम्मानित सदस्य हैं। अव्वल है? कौनसा सर्वे हुआ है? क्या भारत सरकार की विवरणिका निकली है या आपने निकाली है? कृपा करके ऐसा नहीं बोलें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हां, वह बता देना उस समय आप।

श्री अध्यक्षः आपको जब समय मिले तो आप बता दीजिएगा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हां, वह बता देना। बता देंगे। बता देंगे। बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप उनको सुन लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सैल्फ सर्टिफिकेशन है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सब चीजें यहां की कहने पर भी माननी होगी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): सैल्फ सर्टिफिकेशन है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): केरोसीन में ही इतना पैसा बढ़ा दिये आपने और बजट कर दिया। मैं गया था आपके क्षेत्र में। आपदा राहत में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप नम्बर पर है। बता देना।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): सारे राजस्थान को खा गये आप।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): आप हमारे पास आओ, आपको भी देंगे, साहब। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अब आप विराजिये, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो बैठे-बैठे? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस वित्तीय व्यवस्था को। इस प्रबंध को। कई बार इस राजस्थान ने और राजस्थान की सरकार ने, पूर्व की सरकार ने रिजर्व बैंक से कई बार उसको मार्गदर्शन दिया गया, कई बार उसको चेतावनियां दी गयीं कि ओवर-ड्राफ्ट हो रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा, यह तीन साल, 2004 के बाद आज तक ओवर-ड्राफ्ट नहीं हुआ और रिजर्व बैंक ने कोई मार्ग-दर्शन भी इनको नहीं दिया। इनको धन्यवाद दिया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अध्यक्ष: अब आप बोल तो बहुत अच्छा रहे हैं लेकिन मेरी मजबूरी यह है कि टाइम आपका केवल पांच मिनट है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मुझे ऐसा मत करो। मुझे मालूम है, ठीक है, साहब, थोड़ा मैं उधर से ले लूंगा। मुझे उधर से थोड़ा दे देंगे। दे देंगे थोड़ा उधर से। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कैसे जोड़ दूंगी? (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): दे देंगे, दे देंगे थोड़ा सा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ऐसे कैसे जोड़ देंगे? आप तो इंडिपेंडेंट हो।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): दे देंगे। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): राठौड़ साहब की तारीफ करें और फिर नहीं मिले तो फिर क्या? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): हमारे समय में से कुछ कटौती करके इनको दे दो।

श्री अध्यक्ष: तो फिर ठीक है। फिर ठीक है। इन्होंने अपना समय दे दिया, ठीक है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमारा बोलने का समय तो लेट आएगा न?

श्री अध्यक्ष: हां, इसीलिए मैंने घंटी बजा दी दो बार कि आपका टाइम पूरा हो गया।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं कुछ रिकार्ड बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमारे बोलने का समय तो लेट आएगा न। यह बाद में बोल लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उप नेता महोदय, प्लीज, आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर लूंगा, माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन वास्तविकता है कि ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बस तो आप विराज जाओ। मेरे आदेश का पालन करो तो विराज जाओ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): हमारा नम्बर बाद में आएगा।

श्री अध्यक्ष: मेरे आदेश का पालन करो तो विराज जाओ। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह तो शासन वाले हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस ग्रामीण क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के अन्दर और ग्रामीण विकास विभाग के अन्दर इस वर्ष जितनी राशि खर्च हुई है, उतनी राशि खर्च होना एक रिकार्ड है। पिछले सालों को देख लें, ग्रामीण विभाग के द्वारा इतनी राशि एक वर्ष में कभी खर्च नहीं हुई। मैं आपको बता दूं कि कुल राशि तय थी 1468.59 करोड़ और उसमें से 1254.34 करोड़ रुपये हमने व्यय कर दिये हैं। यह बनता है 85.62 परसेंट। यह रिकार्ड है एक प्रकार का। अच्छा, मैं धन्यवाद दूंगा उस सोच को

(श्री टीकम चन्द कान्त)

कि इस देश के अन्दर एक रोजगार गारंटी योजना चल रही है। प्रधान मंत्री की। हां, प्रधानमंत्री की, ठीक है। प्रधान मंत्रीजी को धन्यवाद दे दूं। इस सोच को धन्यवाद दे दूं। राजस्थान के 6 जिलों में यह चल रही है और हिन्दुस्तान के 200 जिलों में चल रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगा कि रोजगार गारंटी इसलिए है कि गरीब को कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले। रोजगार गारंटी इसलिए है कि वह गरीब, वह मजदूर, वह श्रमिक जिसको समय पर रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उसको कम से कम 100 दिन का रोजगार मिले तो वह अपना पेट भर सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, इन 200 जिलों के अन्दर यह राजस्थान प्रथम है, उस रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत हमने गरीब को रोजगार दिया है।

परिसम्पत्तियां निर्माण होती हैं, दिखती हैं। कहते हैं कागजों में आती हैं। परिसम्पत्तियों का सामाजिक अंकेक्षण, यह सबसे बड़ी बात है। यह साहसिक काम है अगर सामाजिक अंकेक्षण होता रहे। प्रति वर्ष होता रहे। कितना खर्च हुआ, कितनी परिसम्पत्तियां बनीं, कितनी मौजूद हैं, कितनी दिखाई दे रही हैं, कितनी प्रमाणित की जा रही हैं तो माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बातें उठती हैं कि कागजों के अन्दर कभी नहर बन गयी थी, पैसा उठ गया और नहर बनी ही नहीं। तालाब की खुदाई हो गयी, कागजों के अन्दर खुदाई हो गयी, सामने तालाब दिखा ही नहीं। लगाये करते थे पहले आरोप ऐसे आया करते थे लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, 4 लाख 10 हजार परिसम्पत्तियों का सामाजिक अंकेक्षण इस बार यह ग्रामीण सम्पर्क योजना के तहत हुआ है और यह प्रयोग है, यह नया प्रयोग है। यह रिकार्ड है और आज तक यह सामाजिक अंकेक्षण, माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं हो पाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, गरीब लोग, कुपोषित लोग, पोषण उनका नहीं हो रहा है, पेट में बराबर भोजन उनको नहीं मिल रहा है, ऐसे लोगों को घूघरी खिलाया करते थे। वह घूघरी आपके वक्त खिलाते थे। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घूघरी तो बंद कर दी। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): साहब, वह गेहूं को उबाल कर फिर वह बच्चों को वह खिलाते थे। घूघरी खिलाते थे। मिड डे मील अब जो हो गया वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः अब तो बंद कर दी घूघरी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): पैसे तो आप खर्च कर रहे हो न ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): एक मिनट रुको तो सही। एक मिनट रुको। अब वह घूघरी के लिए मैंने साहब, कहा। लोगों ने बहुत विरोध किया कि यह घूघरी मत खिलाओ बच्चों को। बच्चे खाते नहीं है। एक दिन खा ली, दो दिन खा ली और तीसरे दिन घर में मवेशियों के सामने रख देते हैं। लक्ष्मीजी, आपको मालूम है न? है ध्यान में। नहीं-नहीं, है उनको ध्यान में इसलिए कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): जलवा पूजते हैं न गांवों में तो घूघरी ही बनाते हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): घूघरी ही बनाते हैं न तो हां, तो वही घूघरी बनाते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह घूघरी से कितना पोषण बच्चों को मिलता था? इस घूघरी से इस प्रदेश की एक भावी पीढ़ी कितनी पोषण पाती थी? कितनी शक्तिशाली और स्वस्थ बनने वाली थी और इस घूघरी के लिए जो इस सरकार के आने के बाद में सोचा, मिड डे मील की एक ऐसी योजना बच्चों को, ऐसा भोजन मिले जिससे उनको पोषण मिले। बच्चों को ऐसा एक व्यवस्थित भोजन मिले, ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिले कि बच्चे उसको खाये ताकि कुपोषित बच्चों को पोषण मिले और मैं तो वहां पर स्कूलों में गया था, उस समय मैंने लोगों से पूछा था और लोगों ने तारीफ की।

और लोगों ने बताया सात दिन का भोजन किस प्रकार से बनता है। उनके घर में भी नहीं बनता होगा। (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं, यह कुपोषण का गेहूं आ कहां से रहा है, इस पर भी थोड़ा-सा प्रकाश डाल दो।

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): किसानों के खेतों से आ रहा है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अमरीका से आ रहा है। अभी मंगा लिये अमरीका से आपने, पी एल 480 याद करो। अगर याद है तो इस देश के अंदर पी एल 480 का गेहूं जिस प्रकार आया था, जिसके अंदर एक अलग गंध आती थी, जिसको इस प्रदेश ने खाया था, इस हिन्दुस्तान ने खाया था।

श्री अध्यक्षः हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, प्लीज बीच में व्यवधान नहीं डालें। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आज वह दिन याद दिला दिया हरिमोहनजी आपने। देश के अंदर पी एल 480 की तरह छोटे, लाल गेहूं आज हिन्दुस्तान के ए पी एल के लोगों के लिये आ रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दौसा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): अध्यक्ष महोदय, जितना आबंटित पिछले वर्ष था, उसका 10 प्रतिशत, 16 हजार मीट्रिक टन गेहूं राजस्थान को मिल रहा है। उसका 90 प्रतिशत गेहूं आज बंद कर दिया। हिन्दुस्तान की हालत को किस स्तर पर रख दिया आपने ? हिन्दुस्तान का गेहूं कहां चला गया? हमने अमरीका से पी एल 480 से मुक्ति पा ली थी। कहां चला गया, किसने यह निर्णय ले लिया ? यह कौन अर्थशास्त्री था इस देश का, जिसने यह निर्णय ले लिया कि इस देश का गेहूं बाहर चला जाये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): इतनी तारीफ तो भारतीय जनता पार्टी के एम एल एज ने भी नहीं की।

श्री अध्यक्षः हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, आप बार-बार उठते हैं, क्या गड़बड़ है?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): नहीं, मैं सत्य चीज देख रहा हूं। आज 14 लाख मीट्रिक टन का गेहूं बाहर से मांगना पड़े और वह गेहूं बारीक, वह गेहूं लाल, वह गेहूं एक प्रकार की गंध लिये हुए है और उस गेहूं को कैसे लोग खायेंगे, उसको लोग पसन्द नहीं करते। उनको अच्छा गेहूं दिलवाओ न, जाओ कहो न उनको।

मैं घूघरी की बात पर आ रहा हूं। मिड डे मील में क्या मिल रहा है ? अध्यक्ष महोदय, सुनने लायक बात है। आप भी कभी स्कूल में गये होंगे। मैंने पूछा सोमवार को क्या बनता है? सात दिन का आपने मीनू बना रखा है। सोमवार को हम रोटी-सब्जी देते हैं। मंगलवार को क्या देते हैं? हम तो दाल-रोटी देते हैं। बुधवार को खिचड़ी, गुरूवार को चावल या सब्जी रोटी, जो भी मर्जी हो और शुक्रवार को दाल-बाटी और जब मेरे क्षेत्र के अंदर मीठे चावल को सुदरणा कहते हैं, शनिवार को हमारे वहां स्कूल के अंदर मीठे चावल बनते हैं, सुदरणा बनता है। यह भोजन है। अब वहां बच्चे आ रहे हैं। हां, एक बात जरूर

(श्री टीकम चन्द कान्त)

कहूंगा। महिपालजी, मैं एक बात जरूर कह रहा हूं कि शिक्षकों के ऊपर जो इसको पकाने का और व्यवस्थित करने का जो भार है, अगर सामाजिक संस्थाओं को किसी प्रकार से जोड़ दिया जाये, वैसे किचन में काम करने वाली एक-दो औरतें होती हैं, लेकिन यूं नहीं मास्टरों को उससे थोड़ा बाहर निकालो। शिक्षको को उससे फ्री करो, वह यहां जुड़ जायें। लोग-बाग जुड़ जायें, मौका भी है। लोग-बाग चाहते भी हैं, कोई न कोई इसमें जुड़ें।

श्री अमराराम चौधरी (राज्यमंत्री, गृह): जोधपुर में 423 स्कूलों के अंदर खाना बनाकर, खाना वहां स्कूल में नहीं बनता, वहां से टिफिन आते हैं और टिफिन डबल होते हैं, एक को देकर दूसरा टिफिन ले आते हैं।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): आपके वहां हैं, उसकी कह रहा हूं मैं, उसको हटाओ। अब 237 ब्लॉक है। इनमें डार्क जोन में 141 हैं, पानी नहीं है, पानी चला गया है, पानी में फ्लोराइड आ गया, पानी का टी डी एस बढ़ गया है और ऐसी स्थिति के अंदर वास्तव में सही बात है, ऐसा दिख रहा है, मैं तो लोगों से कहता हूं तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो, लोग-बाग़ कमाई करने जा रहे हैं, प्रदेश में जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, करोड़ों कर लोगे लेकिन जिस दिन पानी नहीं होगा तो क्या होगा ? आज बिसलरी की एक बोतल 10 रुपये में खरीदोगे तब उसके दो हजार रुपये की कीमत हो जायेगी। अगर पीने का पानी नहीं होगा तो मुश्किल हो जायेगी। यह आपका पैसा उस समय उसमें चला जायेगा। पैसा काम नहीं आयेगा। पानी को वापस किस प्रकार से हम इकट्ठा करें। इस धरती के गर्भ के पानी का हमने दोहन कर लिया, शोषण कर लिया, उस पानी का भरण हम कैसे करें? योजनाएं हैं, केन्द्र की भी हैं, हमारी भी हैं, लेकिन आज यह जनता तक बात पहुंचे कैसे, हम तो दुश्मन बने बैठे हैं। मुझे पांच बीघा की खेती नहीं चाहिये, मुझे दस बीघा पिलाना है, मुझे बीस बीघा पिलाना है, मुझे पच्चीस बीघा पिलाना है। मैं उसको खोदता जा रहा हूं, उसमें से पानी निकालता जा रहा हूं। उसको पिलाता जा रहा हूं और कई लोग ऐसे हैं जिनके घर के बाहर तक पानी गया कि नहीं गया, मैं स्नान करूं तो ढोलूं जब तक। तब तक मैं पानी ढोलता हूं घर के बाहर पानी गया कि नहीं गया। ऐसे भी इस जल के दुश्मन बैठे हैं।

जल चेतना यात्रा, बहुत अच्छा निर्णय है। कई लोग कहते हैं इससे क्या होगा? नहीं, इससे बहुत असर होता है साहब। "करत-करत अभ्यास के

(श्री टीकम चन्द कान्त)

जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान" अगर बार-बार कहेंगे, लोगों को बार-बार समझायेंगे, हम समझायेंगे। हमारी आने वाली पीढियां प्यासी नहीं रह जाये, बिना पानी के तड़प-तड़प कर मर नहीं जायें। इसी कारण से हम सबकी यह जिम्मेदारी बन जाती है, कर्तव्य बन जाता है कि हम उस पानी के लिये चेतना जागृत करें। यह सरकार ने किया। 60 लाख लोगों से रूबरू, 18 हजार गांवों से सम्पर्क बहुत अच्छी बात है। (व्यवधान) पानी के लिये कर्जे की बात मत करो।

शिक्षा मंत्रीजी अभी हैं नहीं, कल उनको धन्यवाद दे चुके हैं। शिक्षा में बहुत क्रान्ति हुई है। एक रिकार्ड कायम हुआ है। 77 हजार राष्ट्रीय औसत, जिसके अंदर एक महाविद्यालय । राष्ट्रीय औसत में केरल भी शामिल है, उसमें महाराष्ट्र शामिल है, राष्ट्रीय औसत जब निकाला गया तो शिक्षित प्रदेश पूना भी शामिल है, लेकिन राजस्थान ने इस बार रिकार्ड तोड़ा। एक क्रान्ति हुई है कि हमारे 63 हजार की जनसंख्या पर एक महाविद्यालय है, यह रिकार्ड है। हम आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान आगे बढ़ा है। एक यूनेस्को कन्फ्यूशियस अवार्ड राजस्थान को मिला है। यह सामान्य अवार्ड नहीं है, शिक्षा क्षेत्र के अंदर बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। यह सम्मान राजस्थान ने प्राप्त किया है। (व्यवधान) वहां सत्येन्द्र मित्रेय है।

अब सही बात है, आठ घण्टे बिजली की वास्तव में घोषणा हुई थी, नहीं दे रहे हैं। केन्द्रीय गृहों से आबंटित बिजली हमको नहीं मिली। पंजाब से मांगी, पंजाब से बिजली नहीं दी। केन्द्रीय गृहों ने हमारी बिजली रोक दी, वह नहीं दे रहे हैं। हमें तो विश्वास है, लिखित समझौता हुआ था, वह कहां गया और ऐनवक्त पर जब किसानों को बिजली की आवश्यकता थी उस समय उनके वायदे पूरे नहीं हुए और हमको बिजली नहीं मिल पायी। फिर भी हर बार, वह ठीक है, उन्होंने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ानी चाहिये। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसान अभी तक सक्षम नहीं हुआ है, किसान की खेती बहुत मंहगी होती है। इसलिए बिजली का सरकार ने भार ओढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, किसान के हक में ओढ़ना भी चाहिये। तीन वर्षों में 1400 करोड़ रुपये बिजली के लिये सरकार ने किसानों के लिये अलग से खर्च किये हैं, अतिरिक्त खर्चा किया है। धन्यवाद देता हूं मैं। (व्यवधान) कोई बात नहीं, फिर भी एक रिकार्ड है। 1028 लाख यूनिट विद्युत

(श्री टीकम चन्द कान्त)

की आपूर्ति का अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है। किसान भी संतुष्ट हैं। आठ घण्टे बिजली मिलनी चाहिये, दस घण्टे बिजली चाहिये किसान को। मैं भी चाहता हूं कि बिजली मिले। पांच घण्टे बिजली और उसमें भी ट्रेप होने के कारण किसान दुःखी है। यदि राजस्थान को समर्थ देखना चाहते हो तो किसान को समर्थ देखो।

(समय 16.00 बजे)

राजस्थान को प्रगतिशील देखना चाहते हो तो प्रगतिशील किसान को प्रगतिशील बनाओ, राजस्थान को विकास की राह पर देखना चाहते हो तो किसान विकास की राह पर पहले चलना चाहिए तभी यह राजस्थान विकसित बनेगा। लेकिन फिर भी यह रिकार्ड है, देख लें, माननीय, रिकार्ड में मिल जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं, ऊर्जा मंत्री तो मुख्यमंत्रीजी हैं, राज्य मंत्रीजी को भी, यहां के इन्जीनियर्स को भी, वगैरह को भी, भैरोंसिंहजी आये थे, एक सपना देख रहे थे, पवन ऊर्जा लाएं, यह कोयला, यहां से, जो लिग्नाइट है उससे ऊर्जा बनाएं। पानी का प्रवाह हमारे पास कहीं नहीं है लेकिन अपने माउंटआबु से पानी गिरता है जिस समय के अन्दर उसमें शायद अपन बिजली पैदा करें। एक सपना भैरोंसिंहजी ने देखा था। बाड़मेर भी आये थे। बाड़मेर में 1998 के समय में यहां आये थे घनश्यामजी। (व्यवधान) आगोरिया नहीं, घनश्यामजी की बात कर रहा हूं, एक सम्मेलन में आये थे तो उन्होंने कहा था, चिंता मत करो, किसानों, एक सोच निकली है। वह सोच ऐसी है कि धरती के भूगर्भ में से बिजली पैदा होगी, गैस से बिजली पैदा होगी, यहां जो भरा हुआ कोयला है बाड़मेर में उससे बिजली पैदा होगी और यह जो क्षेत्र है वह ठेठ वहां से लगा कर के खुला आसमान है जहां से बिजली पैदा होगी, उसमें पवन ऊर्जा पैदा होगी और चिमनी बहुत बड़ी बनेगी वहां पर नजमा, क्या नाम था, वह प्रधानमंत्री थीं न, भुट्टो, भुट्टो ... (व्यवधान) बेनजीर भुट्टो। वह कि चिमनी इतनी ऊंची बनेगी, हेमारामजी को भी मालूम है, भैरोंसिंहजी ने कहा था कि उसके ऊपर अगर आप बाड़मेर वाले लोग चढ़कर देखोगे तो बेनजीर भुट्टो भी नजर आयेंगी। (व्यवधान) हां, उस समय प्रधानमंत्री थीं, भाई।

तो मैं जो कह रहा था कि 28 तारीख को मन बहुत प्रसन्न हो गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 28 तारीख को मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हुआ।

श्री अध्यक्ष: आपने पूरे 20 मिनट ले लिये हैं Please conclude your speech within two or three minutes.

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): थोड़ासा।

श्री अध्यक्ष: आधा घंटा ले लिया आपने।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बहुत थोड़ासा और। तो उस समय मन बड़ा प्रफुल्लित हुआ।

श्री अध्यक्ष: आपका समय घट रहा है। आपके बोलने वाले बहुत हैं, आपका समय घट रहा है। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): 28 तारीख को इस राजस्थान के अन्दर एक ऐतिहासिक कार्य हुआ, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, हजारों वर्षों से पडा हुआ लिग्नाइट बाड़मेर की धरती के अन्दर और वह लिग्नाइट जिसकी कल्पना करते थे कि एक दिन उससे बिजली पैदा होगी ...

श्री अध्यक्ष: आप उधर क्या देखते हैं, अध्यक्ष की तरफ देख कर बोलें न।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): नहीं, मैं अध्यक्षजी की तरफ ही देखता हूं। वैसे मैं यों करता हूं तो भी आंखें उधर ही रहती है, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप तो बार-बार उधर देखते हो, उनका एप्रिशिएशन ... (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): तो उस दिन 125 मेगावाट की बिजली ...

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो इधर इसलिए देखते हैं कि आप लोग जो अभी तक बोले उनसे सबसे अच्छा आपकी तारीफ मैं कर रहा हूं और आप कुछ काम के नहीं हो।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हां, हरिमोहनजी, मैं आपकी भी कर रहा हूं, आप भी बहुत अच्छा बोलते हैं वैसे।

हां, तो 125 मेगावाट बाड़मेर की धरती में 28 तारीख को वह प्रारम्भ हो गयी बिजली का उत्पादन, मैं धन्यवाद देता हूं और वह धन्यवाद मैं ही सिर्फ नहीं देता, वहां की जनता देती है और केन्द्र से आये राज्य मंत्री, दासारी नारायण राव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए क्योंकि वहां 125 मेगावाट का उद्घाटन करने से पूर्व वह आये थे कि 1000 मेगावाट, वह हमारे तगारामजी के वहां है, मैंने ऊर्जा मंत्रीजी का नाम दे दिया उनको, कहां हैं तगारामजी, नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष: फिर आप उधर देखने लगे। फिर उधर देखने लगे आप। (व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): वह तो उनके क्षेत्र में था और यह था इनके जालम सिंहजी के, अब जालम सिंहजी ने तगारामजी को समय पर नहीं बुलाया वह बात एक अलग है। लेकिन 1000 मेगावाट इधर और वह एक यूनिट तो शुरू हो गयी तो सात-आठ महीने में दूसरी यूनिट और एक 125 की शुरू हो जायेगी, हजार मेगावाट वहां दूसरा और लिग्नाइट पर बनेगा और वास्तव में दासारी नारायण रावजी ने जो शब्द कहे थे वह मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा था कि राजनीति की जगह है पर मैं यही कहूंगा कि मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे प्रदेश को विकसित राज्य बनाने में कामयाब हो रही हैं। बहुत सुन्दर, मुझे बहुत अच्छा लगा और वैसे भी वो बहुत अच्छे मंत्री हैं बोलचाल में, मिलने में हंसते हैं, करते हैं, बढ़िया आदमी हैं। बिलकुल ठीक कहा उन्होंने। उन्होंने कहा, राज्य में विकास के नये आयाम स्थापित करने के लिए मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे की तारीफ की है। और आगे उन्होंने कहा कि भारत में राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है, माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां विद्युत परियोजनाओं को कम समय में इतनी तेज गति मिली, दो साल में ही तैयार हो गया। दो साल में और इसीलिए ...(व्यवधान) यों मत टोका करो, मुझे देखने दो जरा ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप तो फ्लो तोड़ो ही मत, आप तो चालू रखो।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): लिग्नाइट बेस की पहली विद्युत परियोजना शुरू हो रही है जिसे स्वीकृति के बाद चालू करने में राज्य सरकार ने तमाम औपचारिकताएं पूर्ण करने में सिर्फ दो वर्ष का समय लगाया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री की यह सोच थी कि जहां कोयला निकले वहीं बिजली पैदा हो, बहुत अच्छा है। राजस्थान का विकास हमें दृष्टिगोचर हो रहा है, राजस्थान विकसित हो रहा है और इन हाथों में कोई माने या नहीं माने, किसी को बुरा लगे, लगता होगा, वसुन्धरा राजे के इन तीन वर्षों में यह साबित कर दिया है। एक सोच, मन में उमंग, एक दृढ़ निश्चय, एक आत्म-विश्वास है यह राजस्थान, जिसकी बागडोर मेरे हाथ में है, यह लगाम मेरे हाथ में है वहां वास्तव में राजस्थान विकसित होना चाहिए, प्रगति पर चलना चाहिए, देश में नाम करना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही अभी बहुत सारी बातें थीं लेकिन आप समय देंगी नहीं इसलिए मैं कहूंगा नहीं, में एक जरूर कहता हूं कि नशा बहुत बुरी चीज है। दारू पूरे विश्व के अन्दर स्वीकार है। नहीं, वो क्या कहते हैं मिलाते हैं जो गिलास में? (व्यवधान) वो च्यूज करते हैं कि क्या करते हैं?

एक माननीय सदस्य: आपको पता नहीं है क्या?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन, साहब यह अफीम जहर है, विश्व के अन्दर जहर है। दवाइयां बनाने के काम आती है, सब कुछ है और चीन ने जब अफीम खाया तो चीन दुनिया में पीछे रह गया। और जिस दिन से उसने अफीम छोड़ी चीन आज विश्व के अन्दर और देशों को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन, साहब हमारा रेगिस्तान है, उधर पश्चिमी राजस्थान है, आदत उसकी पड़ी हुई है। गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, काम तो होता नहीं, बरसात एक बार होती थी, उसके अन्दर लोग इकट्ठे होते थे, सुबह मिलते थे, बैठ जाते थे। उसके बाद क्या करें? या तो बीड़ी पीओ, चिलम पीओ, हुक्का पीओ, बंद हो गया और बाद में धीरे-धीरे अफीम तो कम कर दी उन्होंने डोडा पोस्त पीना शुरू किया। और कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा पीते हैं और आता है, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, हम को भी थोड़ा लगता है, थोड़ा पीते हैं, पीने से ठीक लगता है। लोग आदी हो गये। अब मेरा ख्याल है बंद करोगे जब बंद करोगे या फिर जितना भी उत्पादन डोडा का होता है इसमें किसी दिन नष्ट करोगे, वह बात अलग है। लेकिन उसको इक्ट्ठा करके अपने पास में सात गोडाउन है, सात वेयरहाउस हैं, ठीक है दारू के तरह इसमें भी अभी माफिया को कम कर दिया आपने, बहुत ठीक बात है। वो एक बार ही 27-27 जिलों का एक साथ ही डोडा का भी ठेका लेते थे और कब भाव बढ़ता है, कब कैसे होता है, कब कम करना है, कम ज्यादा करना है वह सारा होता था। लेकिन अब वो उसमें से तो निकाल दिया लेकिन राजस्थान का डोडा खतम हो गया। मुख्य मंत्रीजी से बात की कि डोडा खतम हो गया और लोगबाग यों कर रहे हैं, क्या करोगे? तो कहा कि अच्छी बात है डोडा खतम हो गया और लोगबाग नशा नहीं करेंगे। मैंने कहा, साहब, मेरा किसान वर्ग जो यह डोडे पीता है, आदी हो चुके हैं, उसके बिना वो नहीं चल सकता तो उन्होंने

(श्री टीकम चन्द कान्त)

कहा, ऐसी बात है। मैंने कहा, हां और मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने उसी समय कहा कि वह फाइल जो पड़ी है मध्य प्रदेश से डोडा मंगाना बाकी है। क्योंकि लोग आदी हो गये, एडिक्ट हो गये उसके इसी कारण से आवश्यक है। मैं धन्यवाद दूंगा, हालांकि मोरल की दृष्टि से कितना ठीक है, कितना ठीक नहीं है आप विचार करें लेकिन अभी हेमारामजी ने भी मांग की थी, उन्होंने भी मांग की है क्या खुशवीर सिंहजी ने भी? हां, यह डोडों की मांग की थी ...(व्यवधान) सबने तो की है। अच्छा, पश्चिमी राजस्थान के सब कर रहे हैं, साहब।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): भाव भी क्या हैं डोडा के? उन डोडा वालों से पैसे कितने ले रहा है ठेकेदार, यह मालूम है आपको? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: क्यों बार-बार बोल रहे हो?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): बहुत ज्यादा है। नहीं, पैसा बहुत ज्यादा है, साहब, पैसा सरकार कम कर जाए तो बहुत अच्छी बात है।

आप कहेंगे किरोड़ीलालजी, आप कहना डोडों का पैसा थोड़ा कम हो जाए, कहना जरा सिफारिश करना पश्चिमी राजस्थान के लोगों के लिए। अब एक बात कहकर मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूं। एक चीज बहुत मेरे दिल को लगती है। मैं कल्ला साहब आपका ध्यान भी चाहूंगा इस तरफ, माननीय अध्यक्ष महोदय तो मुझे देख ही रही हैं, नसबंदी के अन्दर प्रोत्साहन राशि हमने डबल कर दी। डबल कर दी प्रोत्साहन राशि नसबंदी करवाने वालों को ।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): कल्ला साहब का क्या मतलब है इसके अन्दर? कल्ला साहब ने क्या कर दिया ?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं दूसरी बात कह रहा हूं जनसंख्या का विस्फोट हमें खा जाएगा, प्रगति खा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, ना ना।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): विकास को निगल जाएगा।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): कल्ला साहब ने क्या कर दिया उनके पीछे क्यों पड़े हो आप?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सभी को मिलकर एक निर्णय पर जाना है ।

श्री अध्यक्षः आप उल्टी बात कह रहे हैं संस्थागत डिलीवरी प्रसव में की है डबल राशि। जो कोई किसी इंस्टीट्यूशन में जाकर के डिलीवरी कराएगी उन महिलाओं की डबल की है।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): महिलाओं के लिए तो 1400 कर दी है। ग्रामीण महिला अगर वहां आएगी तो 1400 रुपए और शहरी महिला अगर आएगी तो हजार रुपए । दो लाख महिलाओं ने अब तक लाभ उठा लिया। वह बात अलग है, मैं नसबंदी की बात पूरी करूंगा, जल्दी करूंगा, पुरूष नसबंदी की बात, जनसंख्या का विस्फोट हमें ले डूबेगा, हिन्दुस्तान को ले डूबेगा, राजस्थान को ले डूबेगा, विकास को यह खा जाएगा और प्रगति को यह पी जाएगा हालात ऐसे हैं। ऐसी स्थिति के अन्दर, अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा सभी लोग विचार करें। यह जो वातावरण बाहर फैलता है हिन्दू क्यों करवाएं नसबंदी जबकि मुसलमान नहीं करवाता। और मुसलमानों ने कहा कि क्यों कम करवाते हो तुम तुम्हें नसबंदी नहीं करवानी चाहिए। जनसंख्या बढ़ानी चाहिए कल हिन्दुस्तान का राज हमको लेना है। हमारी सारी की सारी चीजें फेल होती जा रही हैं, हम सारे के सारे लोगों में जो विचार रख रहे हैं वह फेल होते जा रहे हैं और लोग अब धीरे धीरे नसबंदी से वापस आ रहे हैं कि मुसलमान नहीं करवाते तो हम क्यों करवाएं।

मैंने एक दिन पाकिस्तान का टी वी देखा, मैं दूसरी बात रख रहा हूं इसको उस रूप में नहीं लेवें, हिन्दु मुसलमान के रूप में नहीं लें। मैं क्या पता मंदिर जाता हूं कि नहीं जाता हूं, देवता को मानता हूं या नहीं मानता हूं, मैं अलग टाइप का हूं लेकिन राष्ट्र को मानता हूं मैं । मेरे कहने का तात्पर्य है ...

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): यह बहुत गम्भीर विषय है आप इस तरह से धार्मिक भावना नहीं भड़का सकते। मेरा तो एक ही अर्ज करना है कि आप कानून पास करिए ना आपकी सरकार है कानून पास करिए।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): यही तो मैं कह रहा हूं यह केन्द्र से होगा।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): कहते-कहते बुड्ढे हो गये आप ... (व्यवधान) बता दें चार बीघा जमीन दिला दी क्या एस सी को?

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): 1977 के अन्दर जब भैरोंसिंहजी की सरकार आई थी उस वक्त शराब बंद की थी और आपने चालू कर दिया इससे क्या मतलब है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या करोगे वह बताओ ना।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): क्या करेंगे सरकार आएगी तब कल्ला साहब कर देंगे। साल भर बाद सरकार आने दो ...(व्यवधान) एक मुख्य मंत्री हो गया और दूसरा उप मुख्य मंत्री हो गया ...(व्यवधान)

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मैं यह निवेदन कर रहा था अध्यक्ष महोदय, कि कभी मौका मिले तो पी टी वी देख लेना, पाकिस्तान टी वी और उसके अन्दर हमेशा आता है कुनबा छोटा करो, कुनबा छोटा करो। यानि पाकिस्तान भी पीछे नहीं है, वह भी चाहता है कि यहां जनसंख्या वृद्धि इतनी नहीं होनी चाहिए कि पाकिस्तान पिछड़ जाए। हिन्दुस्तान को निर्णय लेना पड़ेगा, राजनीति से अलग जाकर हमें सोचना पड़ेगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आपका कहना यह है कि माननीय सुदर्शनजी का इरादा और उनका दोनों का सोच एक है, यह कहना चाहते हो क्या आप? सुदर्शन जी का फरमाना और पाकिस्तान का फरमाना एक जैसा है क्या ?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): हरिमोहनजी, बात अलग है आप दूसरे रूप में जा रहे हो, आप सिर्फ यहां यही बात करो, आप गहराई में नहीं जा रहे ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सुदर्शनजी को ...(व्यवधान) देर लगेगी, सुदर्शनजी को पहचानने में टाइम लगेगा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): मेरे कहने का तात्पर्य अलग है। इस गहराई में जाने की आवश्यकता है। यह इम्बेलेंस इस देश के अन्दर कभी भी हो गया तो वैसे भी हम नुकसान में रहेंगे। हिन्दु भी जीएं, मुसलमान भी जिएं कोई तकलीफ नहीं। हमारा हिन्दुस्तान है हम सबका हिन्दुस्तान है, इसमें कहीं कोई तकलीफ नहीं है लेकिन हम कहीं न कहीं इन चीजों से इस हिन्दुस्तान को बचाएं।

कुल मिलाकर बहुत सारी बातें थी इस अभिभाषण के अन्दर लेकिन कह नहीं पाया। आपने जितना भी समय दिया उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री गोबिन्द मेघवाल (अनुपस्थित) श्री शंकरसिंह राजपुरोहित।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आपने जो

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

मुझे बोलने के लिए आदेश फरमाया है मैं आपका आभारी हूं । साथ में महिला दिवस, जब महिलाओं का जो हित चिन्तक का माहौल जो चल रहा है उस दिन जिस प्रकार से महामहिम पधारे और जैसी स्थिति में सदन का माहौल माननीय सदस्य द्वारा किया गया और कांग्रेस के सदस्यों द्वारा मूक दर्शक होते हुए उसे देखा गया और यह दूसरी बार हुआ है महामहिम के इस अभिभाषण पर। मैं इस घटना की निंदा करते हुए कुछ बातें पचानी पड़ेंगी और जिस तरह से प्रतिपक्ष के बंधुओं हरिमोहनजी और पुष्कर से आने वाले आदरणीय बाहेतीजी ने जिस प्रकार के आरोप लगाए जिनका कोई औचित्य नहीं है। पांच वर्ष और तीन वर्ष कहीं पर भी किसी प्रकार से किसी भी योजना में आप हाथ नहीं पकड़ सकते। बात स्वीकार करनी पड़ेगी, योजना आपने कहा हर वर्ष बढ़ती है लेकिन इतनी आपकी पिछली तीन-तीन योजनाओं से इसका आकार इतना बड़ा किया गया, उससे भी डबल कर दी गई यह अपने आप में एक इतिहास है। जैसा अभी सभी माननीय सदस्यों ने फरमाया कि एक वित्तीय मैनेजमैंट जिसके कारण सरकार की भूरि-भूरि प्रंशसा केन्द्र में बैठे हुए कांग्रेस के बंधुओं ने और उसमें मनमोहन सिंहजी करें तो ठीक है लेकिन सुशील कुमार शिंदेजी करें, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं उनको महाराष्ट्र की राजनीति से जानता हूं लेकिन उस आदमी ने जब प्रशंसा की वसुन्धराजी की और उस सरकार की तो वास्तव में तारीफ के काबिल है। अब इस बात को स्वीकार हरिमोहनजी नहीं कर रहे थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मीरा कुमार का याद रहा आपको उनका याद रहा।

श्री अध्यक्ष: कोई आवश्यकता नहीं है कि हर बार खड़े हो जाएं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): वह पूछ रहे हैं ना साहब।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं, बिराजें, बिराजें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): उन्होंने पूछा तो मेरा फर्ज था कि मैं कहूं कि मुझे तो मीरा कुमारजी का वक्तव्य याद रहा जो यहां दिया था कि राजस्थान की सरकार गरीबों की, अनुसूचित जाति की विरोधी है।

श्री अध्यक्ष: आप सदन के सितारे हो इसलिए आपका ही नाम याद रह गया।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): अनुसूचित जाति में क्या किया क्या नहीं किया यह तो हम बतायेंगे। एक-एक बात का जवाब दूंगा मैं आपको। योजना का आकार बढ़ा, ओवर ड्राफ्ट नहीं हुआ यह सारी बातें बहुत अच्छी हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक एक विषय को अगर अपन लें,

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उस ओर लाऊंगा कि कल जिस प्रकार हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य हरिमोहनजी ने मंत्री महोदय पर प्रहार किया, मतलब महिला वर्ग के ऊपर जो प्रहार किया। हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता यह कहती है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमते हैं। मान्यवर, यह क्या जानेंगे आपकी सर्वोच्च लीडर इटली से हैं। इटली से मैं मान्यवर...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): ऑन ए पाइंट आफ आर्डर। जो माननीय सदस्य इस सदन के सदस्य नहीं है उनके बारे में कोई टीका टिप्पणी करने का इनको अधिकार नहीं है। फिर हम सुदर्शन के बारे में और इनके बारे में जो जनसंख्या का विस्तार करने के लिये देश की राष्ट्रीय नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, हम भी बोलेंगे। यह क्या मतलब है? एक राष्ट्र की गरिमा है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इटली से आयी हैं इसको कैसे नकारोगे आप ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): तो हम यह कहें कि आडवाणीजी पाकिस्तान से आये हैं उनको मानते हो। कोई पाकिस्तान से आया है, कोई कहां से आया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो फिर हम यह कहें कि वसुन्धराजी राजस्थान की नहीं हैं। वसुन्धराजी राजस्थान में पैदा हुई थीं ? राजस्थान की बहु हैं। वसुन्धराजी राजस्थान में पैदा हुई हैं क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अभी तो जो सत्य है वह इटली से हैं इसीलिये हम कह रहे हैं..(व्यवधान) क्वात्रोची से हैं अभी तक..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपको तो यह भी पता नहीं है कि वह कहां, बम्बई में पैदा हुई हैं। बॉम्बे की है क्या..(व्यवधान) थोड़ी बहुत गरिमा रखा करो।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): बताता हूं। बताता हूं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): वह तो इटली से आयी हैं इसको कैसे नकारोगे आप? उनका पीहर है। इटली उनका पीहर है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और स्पीकर महोदया, आपसे भी निवेदन है कि आप जरा आसन की गरिमाओं को रखते हुए आप भी कभी-कभी विरोध कर दिया कीजिये।

श्री अध्यक्ष: आप बिराजिये। आप बिराजें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसको नकार रहे हैं इटली का है। इटली से क्यों नकारते हो ? हैं वहां की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मान्यवर, मैं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, आप भी एक बार बिराज जाइये। माननीय सदस्य, हम प्रजातन्त्र में जी रहे हैं। हमारा देश प्रजातांत्रिक है और जो व्यक्ति कहीं से भी निर्वाचित होकर चाहे विधान सभा से निर्वाचित होकर के यहां वसुन्धरा राजे आयी हों तो वह राजस्थान की हैं और यदि सोनिया गांधी भी कहीं से जीत करके और पार्लियामेंट में पहुंची हैं तो वह हिन्दुस्तान की हैं। अब आप यह कह कर ख्वामखाह में क्यों करते हैं कौन कहां का है ? निर्वाचित होकर आया है खतम हुई बात।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और माननीय सदस्य अपना कद देखा करो। कद के हिसाब से तुलना किया करो। आपका यह कद नहीं है कि आप सोनिया गांधी जी के बारे में यहां ऊटपटांग बात करें। हम भी बात करेंगे। जबान हमारे भी है। हम नहीं बख्शेंगे फिर। ऐसी बात मत कहो।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सुनिये..(व्यवधान) हम यहां की पैदाइश हैं, वह बाहर की पैदाइश हैं। हमारे सामने कोई भी कद नहीं है। हिन्दुस्तान की पैदाइश के सामने विदेशी पैदाइश कोई नहीं टिकती। हमारे बराबर नहीं टिकती है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): चुप बैठ जाओ आप तो। एक तो इनको कण्ट्रोल करिये अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): क्या बात कर रहे हैं। इटली में पैदा हुई हैं। इसको कैसे नकारोगे वह तो इटली की हैं..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ऐसे नहीं चलेगा सदन। यह सारी मर्यादा हमारे लिये नहीं है। नये माननीय सदस्य, कोई सीनियर व्यक्ति हो और कोई कमेंट करे तो बात समझ में आए। अभी बिलकुल ही कुछ जानकारी ही नहीं परम्पराओं की बीच में कुछ भी बोलने लग जाते हैं।

श्री मोहन मेघवाल (सूरसागर): संघ चालकजी का नाम आपने लिया कल वह क्या करोगे आप। सदन के सदस्य थे क्या ? हमारे संघ चालक जी का नाम कैसे लिया ?

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, हर बार बीच में बोलना जरूरी नहीं है हर बात पर। आप बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह बात इसलिये कही है कि जिनकी सोच में महिलाओं के प्रति क्या सोच है, आखिर सोच एक ऊपर से आती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा इटली के चर्चा का जीता जागता जुबेर खानजी। जिस चर्च के अन्दर दो कपल्स 31 दिसम्बर को आपस में इंट्रोड्यूज करते हैं। वह कहते हैं यह मेरे बच्चे हैं, यह मेरी पत्नी के बच्चे हैं। यह हम दोनों के बच्चे हैं। यह मेरे बच्चे जब मैं किसी और के साथ था। यह मेरी पत्नी के बच्चे जब मेरी पत्नी किसी और के साथ थी और यह अब हम दोनों के बच्चे हैं। यह वहां का कल्चर है। इस देश का कल्चर यह है कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा भाई है, यह मेरी बहन है, यह मेरी माता है। मैं इस बात को जाहिर करता हूं...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपकी सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री की जो कल्चर है हमसे कहलवाना चाह रहे हो क्या ?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): वह भी कहिये ना। हम आपकी हर बात का जवाब देंगे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): कहां-कहां क्या करते हैं वह जगह भी बताना चाहते हो क्या कि हम यहां सदन..(व्यवधान) जनता को बतायें कि +++ यह बतवाना चाहते हो हमसे।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): बिलकुल।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसलिये अपनी +++ सीमाओं में रहिये।

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य। हाईली आब्जेक्शन ..(व्यवधान) हाईली आब्जेक्शन..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह क्या तरीका हुआ ? क्या कहना चाहते हो आप ? यह क्या बात हुई ? कुछ भी बोल देंगे यह ?

श्री अध्यक्ष: गलत बात है यह। यह क्या तरीका हुआ आपका ?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है आप इनके साथ मिलिये मत। आप आसन के रूप में सर्वोपरि हैं, पूज्यनीय हैं। आप इनकी ओछी हरकतों के साथ अपने आपको सम्मिलित नहीं करें..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह क्या बात हुई...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह किस तरह का आचरण कर रहे हैं।

श्री अमराराम चौधरी (राज्यमंत्री, गृह): पेश करो ना वह। आपके पास जो सबूत हैं वह टेबल पर रख दो अभी आपका फैसला हो जायेगा।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इतनी +++ थी। +++ बता दी। इतनी ही +++ थी..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम चौधरी (राज्यमंत्री, गृह): माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के सचेतक महोदय अपने पास जो सबूत हैं..(व्यवधान) आप सबूत पेश करना।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कर लें...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, जो आरोप लगाया इनकी ओछी मानसिकता का परिचय है। ..(व्यवधान) तंदूर कांड, नैना साहनी के हत्यारे..(व्यवधान) उस महिला को जिंदा काटकर जला दिया। क्या बोलने का अधिकार रखते हो? इन्होंने तो तंदूर में जला दिया।..(व्यवधान)

डा. **बुलाकीदास कल्ला** (बीकानेर): आप इनको कहें अपने स्थान से बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठे-बैठे बोलेंगे नहीं और यदि आपको बोलना है तो अपने स्थान पर। यहां बैठे रह सकते हैं लेकिन आप बोलेंगे नहीं। बोलना है तो अपने स्थान पर जाइये। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यदि इनके पास कुछ कहने को है तो सदन के पटल पर रखें, नहीं तो माफी मांगे..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माफी मांगे। ऐसे यह नहीं समझें कि आपका जैसा व्यक्तित्व है..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जिससे माफी..(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): यह आचरण बिलकुल निंदनीय है। इस तरह का आचरण सदन में बिलकुल नहीं होना चाहिये। बिलकुल गलत है। सदन में इस तरह का आचरण निंदनीय होना चाहिये।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): आप इनसे माफी मंगवाइये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बड़े आदर्श की बात बताओ..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपको माफी मांगनी होगी। आपने यह कह दिया, सदन में जिस प्रकार की बात कही है सदन में माफी मांगो।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सदन में जिस प्रकार की बात कही है, आप अपने जैसा सबको नहीं समझें। आप दोहरे चरित्र के हो सकते हैं। आप जैसा +++ आदमी..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रस्ताव लायें। इनको निलम्बित करने का प्रस्ताव लाये। निलम्बन का प्रस्ताव लाएं। इनको बाहर निकाला जाए..(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री के बारे में जो टीका टिप्पणी की है उनसे माफी मंगवाइये, खेद प्रकट करवाइये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नैना साहनी के हत्यारों, आपने महिला को काट कर तंदूर में जला कर खाने वालों। नैना साहनी के हत्यारों..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, मुझे कह लेने दीजिये सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य। प्रतिपक्ष के सचेतक के मुंह से एक ऐसा गैर जिम्मेदाराना वाक्य निकल गया जो मैं समझती हूं उन्होंने कहा

कि +++ हम यह बतायें क्या ? यह बहुत गलत बात है। यह आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिये। हां, तो बताइये कहां-कहां जाते हैं वरना आपने कैसे बोल दी यह बात..(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इसका गलत अर्थ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह आपने कहा। बैठे हैं..(व्यवधान) यह क्या बात हुई ? यह कोई तरीका नहीं है आपका। गलत बात है। यह क्या बात हुई ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकालें..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप खड़े होकर कहिये गलत बात है आपकी..(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माफी मांगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): एक्सपंज कराइये इसको। इसको कार्यवाही से निकालें। इसको एक्सपंज करायें अध्यक्ष महोदय।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माफी मांगे सचेतक..(व्यवधान) माफी मांगे। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे..(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाला जाये। इसको एक्सपंज किया जाये। जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको एक्सपंज किया जाये। उसको कार्यवाही से निकाला जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माफी मांगें यह.....(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इन्होंने जो बात कही माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रियों के लिये..(व्यवधान) माफी मंगवाइये..(व्यवधान) इन्होंने जो बात कही है इनसे माफी मंगवाइये। माफी मांगें नहीं तो बाहर.. (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माफी मांगें नहीं तो बाहर निकालो।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन की स्वस्थ परम्परा रही है..(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः सिट डाउन प्लीज। आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। बैठिये-बैठिये।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आपने फरमाया कि..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह सदन किससे चलता है ? सदन नियमों से चलता है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): यह सदन स्वस्थ परम्पराओं से चलता है..(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आज तक के इतिहास में इस प्रकार की घटिया बातें नहीं की हैं।

श्री अध्यक्षः वह वापस लेने के लिये खड़े हुये हैं आप बोलने ही नहीं दे रहे। वह अपने शब्द वापस लेने के लिये खड़े हुए हैं आप बोलने नहीं दे रहे उन्हें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपने फरमाया देखिये मैंने कोई जगह का नाम नहीं लिया। क्या मुख्य मंत्री दिल्ली नहीं जाते, (व्यवधान) नागपुर नहीं जातीं...(व्यवधान) मेरा कहने का मतलब यह है कि आर.एस.एस. हैडक्वार्टर नागपुर जाते हैं कि नहीं जाते बतायें ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, बहुत ही अशोभनीय टिप्पणी है इनकी ...(व्यवधान) बहुत ही अशोभनीय और बहुत ही अनर्गल टिप्पणी है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मुख्य मंत्री नागपुर जाती हैं या नहीं जाती हैं?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): जिस तरीके से कहा गया ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने कोई गलत नहीं कहा ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आप यह खेद प्रकट करें ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नागपुर और राजस्थान ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सब्जी मंडी नहीं है ...(व्यवधान) हाउस के अंदर आप गरिमापूर्ण बात करेंगे, सदन की गरिमा की बात करें।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, हाउस में इस तरह से गैर जिम्मेदाराना अनर्गल ...(व्यवधान) बहुत ही गलत है, सदन की गरिमा के प्रतिकूल है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मुख्य मंत्रीजी के बारे में जो इन्होंने टीका-टिप्पणी की है, आप खेद प्रकट करें फिर हाउस में बोलने का मौका दिया जाये।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माफी मांगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आये जो ही अनर्गल बातें कह दें ...(व्यवधान) चाहे जिसके बारे में कुछ भी कह दें ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: इनको प्रताड़ित किया जाये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): अध्यक्ष महादेय, यह माफी मांगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इनको प्रताड़ित किया जाये ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह अनर्गल बकवास कर दें किसी के लिए भी कुछ बोल दें, यह कोई बात नहीं हुई।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): अध्यक्ष महोदय, प्रताड़ित किया जाये। इनको प्रताड़ित किया जाये, खेद प्रकट कराया जाये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): जब से सदन चल रहा है, आप प्रस्ताव लायें और इनको बाहर निकलवायें और इस प्रकार का व्यक्ति सदन में रह नहीं सकता है, ऐसा घटिया व्यक्तित्व का, +++ का इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाने वाला व्यक्ति और मैं सोचता हूं कि इनका मतदाता भी शर्मसार हो रहा होगा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): कैसे मतदाता ने इनको सदन में जिताकर भेज दिया ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): मैं एक निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जनता के विरोधी, किसान के विरोधी, सरकार के विरोधी, नारी के विरोधी, इनको प्रताडित किया जाये, खेद प्रकट कराया जाये।

एक माननीय सदस्य: अपनी गिरेहबान में झांककर के देखें, आपका चिट्ठा खुलवाना है, मैं खोलने को तैयार हूं, मेरे पास है इतिहास आप सब का।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माननीय सरकारी उप मुख्य सचेतक इनको बाहर निकालने का प्रस्ताव लाया जाये। सदन के बाहर निकालने का प्रस्ताव लाया जाये और बहुमत से पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण कर लें, कृपया स्थान ग्रहण कर लें ...(व्यवधान) आप स्थान ग्रहण कर लें, निवेदन नहीं ...(व्यवधान) नहीं, नहीं, कुछ नहीं, बैठें आप। रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य जिस लहजे में और जिस रेफरेंस में जो अपमानजनक बात आपसे निकल गयी, आपको खेद प्रकट कर देना चाहिए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): रेफरेंस में मैंने तो कहा है।

श्री अध्यक्ष: गलत बात, गलत बात, नहीं, नहीं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिये ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): पूरे हाउस ने सुना है और आपने सुना है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप प्रोसीडिंग निकलवा लीजिये ...(व्यवधान) तो मैं खेद व्यक्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, सीट डाउन ...(व्यवधान) हां, मैं देख लेती हूं, हां, हां, देखती हूं, अभी देखती हूं, सिट डाउन, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें, मैं देख लेती हूं लेकिन मैंने स्वयं अपने कानों से सुना है, आपने कहा ...(व्यवधान) आप भी।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): स्पीकर महोदय क्या सुना? यही सुना ना कि कहां-कहां जाते हैं, यही कहा ना, इसके अलावा मैंने क्या कहा?

श्री अध्यक्ष: आप सुने तो सहीं, आप बिराजें तो सही ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): नागपुर नहीं जाती, चंडीगढ़ नहीं जाती, देहरादून नहीं जाती हैं ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह इस लहजे में नहीं था।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अमेरिका नहीं जाती हैं, इंग्लैंड नहीं जाती हैं ...(व्यवधान) कहां नहीं जाती हैं।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): बदनीयती से कहा।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): बहुत अच्छा, कोई गलत नहीं है, घबराये मत ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह आप खेद प्रकट करें, नहीं तो सदन के बहार निकलवायें ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, इनसे खेद व्यक्त करायें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आसन से जो व्यवस्था हो गयी उसकी पालना हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): जिस रेफरेंस में माननीय सदन ने कहा है ...(व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): कोई रेफरेंस नहीं है ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आसन की व्यवस्था सर्वोपरि है।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वह रेफरेंस दिया था ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): इनसे खेद व्यक्त करायें।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वह क्या रेफरेंस था, यह बतायें फिर।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): आसन की व्यवस्था की पालना हो।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): वह रेफरेंस भी देख लें फिर ...(व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): इनसे खेद व्यक्त करायें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): यह खेद प्रकट करें।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): आपने जो निर्णय किया है उसकी पालना करायें।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): जो निर्णय दिया है उसकी पालना हो ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह कहा है, कहां-कहां जाते हैं यह नहीं है सवाल, सवाल यह है कि जिस प्रकार का लहजा और हाव-भाव है वह अपमानजनक था।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह भी कहा कि अध्यक्ष महोदय इसमें शामिल नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सदन में नहीं थे ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आपकी मुख्यमंत्री और मंत्री कहां-कहां जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सबको खड़े होने की क्या आवश्यकता है? माननीय मंत्रीजी आप चूंकि सदन में नहीं थे ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं सुन रहा था ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जिस परिप्रेक्ष में जो रेफरेंस चल रहा था ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): इसलिए मैं कह रहा हूं ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और उन्होंने किस रेफरेंस में कहा ...(व्यवधान) उनसे तो पूछिये। उन्होंने सोनिया गांधीजी के लिए किस रेफरेंस में कहा?

एक माननीय सदस्य: इन्होंने संस्कृति की बात कही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उन्होंने किस रेफरेंस में कहा है?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जिस रेफरेंस में वह कह रहे थे उस रेफरेंस के साथ जोड़ रहे थे तो वह रेफरेंस क्या था और वह क्या बोले थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): क्या हो गया इसमें।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): वह रेफरेंस ठीक था क्या?

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): अध्यक्ष महोदय, आप इनको निलंबित कीजिये ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप उनसे कह दीजिये उनका रेफरेंस ठीक था क्या?

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): माफी मांगें, खेद प्रकट करें।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर।

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): मैं आपसे मांग कर रहा हूं आप इनको निलंबित करें ...(व्यवधान) मेरी मांग है।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है, दौसा से आने वाले माननीय सदस्य आसन पावों पर है। मैं यह निवेदन कर रही हूं उन्होंने सोनियाजी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की, इटली की सभ्यता के खिलाफ टिप्पणी की, सुनिये प्लीज ...(व्यवधान) बीच में कोई नहीं बोलेगा, उन्होंने इटली की संस्कृति के बारे में आलोचना की, कुछ शब्द कहे, वहां की क्या संस्कृति है और सोनिया का उन्होंने नाम भी नहीं लिया था। केवल इतना ही कहा था ...(व्यवधान) प्लीज, बीच में क्यों बोलते हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह कहा है इनकी नेता।

डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर): नाम लिया।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): उनके अलावा कोई और भी है कि हमारी नेता ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नेता तो आपकी मैं भी हो सकती हूं न ...(व्यवधान) क्या बात हुई ...(व्यवधान) अरे, सुनें तो सही ना। अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा, आसन के अलावा किसी का अंकित नहीं होगा। मैं यह निवेदन कर रही हूं कि उन्होंने जो कहा है, आपकी नेता शब्द कहा, उसके अलावा बाकी आगे कुछ नहीं कहा, उन्होंने संस्कृति बतायी इटली की और भारत की, लेकिन आपने उसी परिप्रेक्ष में जो चल रहा है उसमें आपने कह दिया आपकी नेता और आपके मंत्री, आपकी मुख्य मंत्री ...(व्यवधान) आप बीच में मत बोलिये।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री अध्यक्ष: आपकी मुख्य मंत्री और आपके मंत्री कहां-कहां जाते हैं बताऊं क्या, यह कहा है ...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): ×××

श्री नन्दलाल बंशीवाल (दौसा): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य मेरा निवेदन है कि आसन का काम आप नहीं करें ...(व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण करें। माननीय रामगढ़ से आने वाले सदस्य, कई बार आदमी भावावेश में कुछ ऐसे शब्द कह देता है और कहने के बाद किसी को भी बुरा लगे, अपमानजनक और चरित्रहनन वाली बात नहीं, किसी को यदि थोड़ा-बहुत पीड़ा भी हो। किसी की आत्मा को थोड़ी बहुत पीड़ा भी हो, अच्छा भी नहीं लगे तो भी आदमी को इस बात में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी माननीय सदस्य को थोड़ी बहुत भी हिचक नहीं होनी चाहिए कि वह कहे कि भाई यदि मेरे यह कहने से आपकी आत्मा को ठेस पहुंची हो तो, आपकी भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं। क्या बात है इसमें? वह ऐसा करने से, कितनी ही बार हुआ है, कितनी ही बार सदन में आया है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: क्या बात कर रहे हो, आपने जिस भाषा में, जिस लहजे में बात कही है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः हां, आप तो नहीं कर सकते।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्षः अब आप बात को घुमाओ मत, बात की झूठी सफाई मत दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्षः आप विराजो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी सदन की नेता हैं, मुख्य मंत्री होने के साथ सदन की नेता भी हैं। और यह बिलकुल स्टेब्लिश प्रोसीजर है कि कोई भी किसी मंत्री या मुख्य मंत्री के खिलाफ या किसी विधायक के खिलाफ भी कोई टिप्पणी करनी है तो उसका प्रायः नोटिस देना पड़ता है। यहां पर एक प्रिजम्प्शन की लड़ाई हो रही है कि आपका भावावेश कैसा था। मुख्य मंत्री, सदन की नेता का या किसी भी मंत्री का अपमान करने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ...(व्यवधान) महामना, खुशामद की भी एक सीमा होती है। एक सीमा है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री जुबेर खान (रामगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्षजी, मैं तो कोई सोच भी नहीं सकता, अभी इन्होंने कहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आजकल ऐसे ही माननीय सदस्य, ऐसे ही काम कर रहे हैं जिनकी आप सोच भी नहीं सकते और हमें भी अफसोस हो रहा है कि ऐसे कर्म हो रहे हैं यहां पर जिनकी कोई सोच भी नहीं सकता।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): आपसे मेरी करबद्ध प्रार्थना है, उन्होंने कहा कि मैं कोई सोच भी नहीं सकता, मैं कहता हूं न इनकी कोई इच्छा थी, अगर इनसे किसी की भावना आहत हुई है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अच्छा, अभी देख लेते हैं, पूरी प्रोसीडिंग देख लेते हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): नहीं, नहीं, मैं माफी मांगने को तैयार हूं, मैं निजी तौर पर और पार्टी की तरफ से, क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष: मैं मेरे चैम्बर में जाती हूं, प्रोसीडिंग मंगवाती हूं, इनके कहने से कुछ नहीं होता। (व्यवधान) आप कृपया विराजे, आप सब माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्लीज बैठें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: मुख्य सचेतक महोदय, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने माननीय सदस्यों को यह समझाएं कि आसन का काम वह नहीं किया करें, वह बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्री श्रवण कुमार (पिलानी): ×××

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री अध्यक्ष: राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): There is no question of showing any disrespect to the Leader of the House. कोई सवाल ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे साथ चलिए मेरे इन हाउस चैम्बर में। प्रोसीडिंग मंगवाकर देखते हैं क्या बात कही गई। आप मेरे साथ चलिए। क्या इन्होंने कहा है, उसके बाद मैं उसका फैसला दूंगी। (व्यवधान) हां, गोयल साहब को बुला दो।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): हां, ठीक है, ठीक है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, पूर्व में भी ऐसे अध्यक्षीय निर्णय अनेक बार हुए हैं कि किसी भी माननीय सदस्य के बोलने पर किसी भी माननीय सदस्य की भावना आहत हुई है तो पूरे सदन की भावना आहत हुई है। तो आपने निर्णय लिया कि खेद व्यक्त करना चाहिए। खेद व्यक्त करने से कोई व्यक्ति छोटा नहीं हो जाता और इनकी भावना पूरे सदन ने सुनी है, आपने भी सुनी है सो प्रोसीडिंग का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

श्री अध्यक्ष: माननीय उप मुख्य सचेतकजी, जो वरिष्ठ सदस्य उनकी पैरवी कर रहे हैं उनको भी थोड़ा कंविंस कर देती हूं मैं। उनको भी कंविंस कर देती हूं, वह उनकी पैरवी कर रहे हैं। (व्यवधान) कर रहे हैं वह, खेद प्रकट करवाऊंगी। (व्यवधान) पहले वह सुने। आप बुलाओ, वह सुनेंगे।

(समय 16.45 बजे)

(श्री सुरेन्द्र गोयल, सभापति, पदासीन)

श्री सभापतिः माननीय शंकर सिंहजी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर):...(व्यवधान) छोड़ दिया इस टोपिक को। माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और इस सदन के...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): सभापति महोदय, अभी आसन ने यह व्यवस्था दी है कि जिस तरह की टिप्पणी प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक ने की है उस पर आसन जब तक निर्णय नहीं दे दे, मैं समझता हूं बहुत गम्भीर विषय है, जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाए, इस सदन की कार्यवाही को चलाने का क्या मतलब रह गया? इसलिए पहले उसका निर्णय तो हो जाए। यह राजस्थान की विधान सभा है, यहां की परम्पराएं हैं, यह नियमों से चलती है, तर्कों से चलती है। चलते-चलते हम हर किसी के लिए कोई भी ऐसी टिप्पणी कर दें, मैं समझता हूं इस सदन के अंदर, इस सदन की गरिमा का बनाने और एक दूसरे का आदर सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, अगर इनके पास कोई है तो नियम और प्रक्रिया में नोटिस देकर उठाएं न मामले को, नियमों में कोई बात आए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैं कुछ बोला ही नहीं तो क्या नोटिस दूंगा? क्या बात कह दी?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप कुछ भी बात कह दें, ऐसे कैसे हो जाएगा?

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आप कह दीजिए क्या कह दिया, प्रोसीडिंग दिखवा लीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने क्या नहीं कहा, पूरे सदन ने सुना। (व्यवधान) यह कोई बात हुई क्या?

श्री सभापतिः रामगढ से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर, जब वहां से माननीय सदस्य एक सांसद के लिए, और सबसे बड़े दल के नेता के लिए जो कह दिया है, आपको इनको भी तो टोकना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इन्होंने आपकी नेता पर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोई टिप्पणी नहीं की, किसी का नाम लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने एक संस्कृति की चर्चा की, किसी का नाम लेकर नहीं की, इसका मतलब यह नहीं है। (व्यवधान) आपको यह कोई अधिकार नहीं देता।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): मैंने नाम किसी का नहीं लिया है। (व्यवधान) मैंने किसी मंत्री का या मुख्य मंत्री का नाम नहीं लिया है।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सभापति महोदय, पहले इसका निस्तारण करवाओ, उसके बाद कार्यवाही आगे चलेगी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सदन की कार्यवाही स्थगित कर दें पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर की रिक्वेस्ट पर। कार्यवाही स्थगित करवा लो आप, करवा लो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, मैं यह कह रहा हूं, इन्होंने मान लीजिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन शब्दों से सारे सदन के लोगों को ठेस लगी, उन्होंने किस भावना से किया यह नहीं है, फिर भी उनके शब्दों से अगर ठेस लगी है तो इनको यह बात कहने में क्या आपत्ति है कि मेरे शब्दों के कारण से ठेस लगी है तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह फैसला तो अध्यक्ष करेंगे। फैसला तो अध्यक्ष करेंगे या आप करेंगे? वह प्रोसीडिंग देख रहे हैं प्रोसीडिंग। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): मैं मेरी भावना प्रकट कर रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): प्रोसीडिंग देखने के बाद जो भी अध्यक्ष फैसला करेंगे, बात तो यह है। यह कैसे फैसला कर सकते हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): प्रोसीडिंग के शब्दों का सवाल नहीं है, हाव भाव और भावना का सवाल है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): अध्यक्षजी ने जो निर्णय दिया है, आप और यह कोई अलग से निर्णय कर देंगे? अध्यक्षजी कर रहे हैं तब तक चलाना है कि नहीं चलाना है, स्थगित करना है कि नहीं करना है, यह आसन फैसला करेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। माननीय उप नेता महोदय, विराज जाएं, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): आप एक लाइन सुन लें, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापतिः आपकी बात सुन ली मैंने, आप आसन ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने कहा है कि सदन की भावना आहत हुई है।

श्री सभापतिः अब आप विराजे। फालतू में क्यों बोल रहे हैं? अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा, आप विराजे, माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): ×××

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो। आहोर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) माननीय मत्री महोदय, माननीय अध्यक्षजी की व्यवस्था है वे जाकर पाँच मिनट में देखकर आ रहे हैं और तब तक मैं माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति देता हूं। माननीय सदस्य श्री शंकर सिंह राजपुरोहित। अब आप कोई व्यवधान न करें बीच में।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री सभापतिः हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य। अब आप बीच में बैठे-बैठे बात न करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के तीन वर्ष पूरे होने के बाद महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में भूरि-भूरि प्रशंसा की इसके पीछे जो सैद्धांतिक बात है वह मैं कहने जा रहा हूं कि यह सोच कैसे आयी। इस विश्व के अंदर तीन बड़ी सोच

चली है, एक मार्क्सवादी कामरेड, दूसरी पूंजीवाद और तीसरी एकात्म मानववाद। कार्ल मार्क्स ने नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ और पूंजीपतियों के सामने लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। यानी पूरी दुनिया के अंदर वर्ग भेद पैदा किया था। पूंजीवाद ने यह कल्चर दिया था कि दुनिया जाए भाड़ में हम शौकिया मिज़ाज से जीयें और वह पूंजीवाद की धारणा देने वाला अमरीका, जिस अमरीका के अंदर 13 साल के बच्चे-बच्ची कम्पोस की, नींद की गोलियां लेकर सोने पर विवश होते हैं यह पूंजीवाद का विषय है। तीसरी धारणा दी दीनदयालजी उपाध्याय ने एकात्म मानववाद। एकात्म मानववाद की धारा है जीओ और जीने दो और उस तथ्य के आधार पर मुख्य मंत्रीजी ने अपना शासन चलाया, इसीलिए हमारी जय-जयकार हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से एक-एक काम की व्याख्या की गई हम ..(व्यवधान)

श्री सभापतिः बैठे-बैठे टिप्पणी न करें। आप बैठे-बैठे टिप्पणी न करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं घनश्यामजी के विभाग से ही अपना विषय चालू करता हूं।

श्री अमराराम (धोद): कहां से मार्क्सवाद खतम हो गया, आपकी छाती पर तो मैं बैठा हूं।

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं इसलिए कह रहा हूं यह वास्तव में आपके जुनून में है कि ये आंदोलन, झगड़े, टंटे आप मिटाना नहीं चाहते हो, आप तो करवाना चाहते हो। और उसके बावजूद भी इस सरकार के अंदर पुलिस व्यवस्था, गृह विभाग की जो व्यवस्था है, जितनी तारीफ की जाए वह कम है। साम्प्रदायिक दंगे बिलकुल नगण्य हुए। (व्यवधान) हम बताते हैं आपको युनूस खानजी की क्या बात करते हो? (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मुझे कहने के लिए अफसोस जाहिर करना पड़ता है होली के पवित्र दिवस पर, पिछली होली में जिस प्रकार से सोजत में दंगे हो गये और उन दंगों में आदरणीय कल्लाजी, यहां नहीं है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है उन उपद्रवियों के घर पर जाकर दंगे भड़काने का काम इन्होंने किया, दंगे शांत करने का काम नहीं किया। हमने शासन व्यवस्था दी है ..(व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घण्टा और बढ़ाया जाए।

श्री सभापतिः क्या सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, कल्ला साहब पर ये दंगे भड़काने का आरोप लगा रहे हैं।

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): यह कोई बात है दंगे भड़काने का असत्य आरोप कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर जो वहां पर पीड़ितों की सुध लेने के लिए गये थे। सरकार के मंत्री वहां बैठे हुए थे और पुलिस के प्रोटेक्शन में दंगे करवा रहे थे। पूरा राजस्थान जानता है और हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे हो आप।

श्री सभापतिः माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह गलत बात है सदन के किसी सदस्य पर दंगे भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। वहां पीड़ित वर्ग के लोगों की सुध लेने के लिए गये थे।

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैंने स्वयं ने यह मामला पिछली विधान सभा में उठाया था और आप वहां पूरे दिन रहकर अल्पसंख्यक समुदाय पर हमला करवाने का काम कर रहे थे ..(व्यवधान)

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपने गहलोतजी की वकालत करनी छोड़ दी जो कल्लाजी की तरफ आ गये। अशोकजी की वकालत छोड़ दी क्या आपने?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं तो सिपाही हूं कांग्रेस का और हर नेता की वकालत करूंगा चाहे अशोकजी हो, चाहे कल्लाजी हो।

श्री सभापतिः अंकित न हो। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, बिना आसन की अनुमति के आप बार -बार खड़े न हों।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापतिः आप विराजें।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य। (व्यवधान) अंकित नहीं हो। (व्यवधान) आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं? माननीय सदस्यगण, मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्य को बोलने दें और बीच-बीच में आप खड़े होकर व्यवधान पैदा न करें। एक घण्टा हो गया आप चार बजकर 10 मिनट पर बोलने के लिए खड़े हुए थे और पांच बज रहे हैं। (व्यवधान) आहोर से आने वाले माननीय सदस्य से निवेदन है कि कोई ऐसी टिप्पणी न करें जिससे हाउस में उत्तेजना पैदा हो। (व्यवधान) एक्सपंज जैसी कोई बात नहीं कही है इन्होंने। इन्होंने यही कहा वे मिलने के लिए नहीं गये क्या?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा) : ×××

श्री सभापतिः आप विराजें माननीय सदस्य। आप विराजें।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा): ×××

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः ऐसा है माननीय मंत्री महोदय, अगर इसमें कोई अनर्गल या कोई गलत आरोप लगाए जाएं तो उसको एक्सपंज कर दिया जाएगा।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य, कह दिया।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः बैठे-बैठे नहीं। अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजें। माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः मंत्री महोदय, आप विराजें, मैंने व्यवस्था दे दी। मैंने व्यवस्था दे दी है देख लिया जाएगा, देखकर अगर कोई गलत टिप्पणी आपके खिलाफ की गई है जो असंसदीय हो तो उसको बाहर निकाल दिया जाएगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापतिः आप मंत्री महोदय, विराजें, मैंने व्यवस्था दे दी है इसके बारे में। (व्यवधान) आप विराजें, आप क्यों व्यर्थ में खड़े हो रहे हैं। ..(व्यवधान)..

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

(समय 17.00 बजे)

श्री सभापतिः मैं सभी माननीय सदस्यों से बार-बार नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप बीच-बीच में व्यवधान खड़ा न करें। हाउस में उत्तेजना पैदा नहीं करें, हाउस को शालीनता से चलाएं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः आप बिराजें। आप खुद अपने आप में सीख ले लें तो कोई प्राब्लम ही नहीं है, आप बिराजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः मेरे को किसी से नाराजगी नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः आप बिराजें, बिना आसन की अनुमति के आप खड़े नहीं हो सकते।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः माननीय सदस्य ।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापतिः अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: वह देखने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय वैश्म में गये हैं और देखकर के आएंगे उसके बाद में जो व्यवस्था होगी वह अध्यक्षजी देंगे।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: आप मेरी बात सुनें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: आप बिराजें, आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: मैं माननीय उप नेता महोदय आपसे बार-बार निवेदन कर रहा हूं, आप स्थान ग्रंहण करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आसन हमेशा निष्पक्ष निर्णय लेता है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: माननीय उप नेता महोदय, मैं बार-बार आपसे नम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: आपको अधिकार है अगर आसन परमिशन दे तो बोलने का। बिना आसन की अनुमति के आप नहीं बोल सकते इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: आप बिराजें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: आसन को आप इस प्रकार से चेलेंज नहीं कर सकते।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, आप अनर्गल टिप्पणी किसी के खिलाफ नहीं करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से मैं निवेदन कर रहा हूं कि माननीय सदस्य को संबोधित नहीं करें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: ऐसा है कि वह अंकित नहीं हो रहा था कुछ भी, आप इसलिए बिराजो।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: वह व्यवधान में मुझे सुनाई नहीं दे रहा था।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: अगर अंकित होने से पहले अंकित हुआ होगा तो मैं देख लूंगा और देखकर के जो व्यवस्था होगी वह दे दूंगा। अब आप बिराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्यगण, मेरा आप लोगों से निवेदन है, यह राजस्थान का सर्वोच्च सदन है, आपको हर बात गंभीरता से लेनी चाहिए और इस प्रकार से जो व्यवधान हो रहा है, एक घंटा हो गया और एक घंटे में कोई अंकित नहीं हो रहा है, कोई यह कह रहा है, कोई वह कह रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कृपया, आप थोड़ा सा व्यवधान नहीं करें और शांति से इनको सुनें और जो व्यवस्था है अध्यक्ष जी कहकर गये हैं वैश्म में गये हैं और वह आएंगे उसके आधार पर व्यवस्था दे देंगे और उसके बाद में जो कहना है वह आप बताना। आपसे मेरा निवेदन है मंत्री महोदय।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: मैंने आपसे निवेदन कर दिया न इस प्रकार का आया है और गलत टिप्पणी आसन के खिलाफ बोली है तो उसको एक्सपंज किया जाएगा।

श्री मदन दिलावर (समाज कल्याण मंत्री): ×××

श्री सभापति: माननीय शंकर सिंह राजपुरोहित, आप पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं एक मिनट तो बोला हूं खाली।

श्री सभापति: एक घंटा हो गया।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय सभापति महोदय, मैं वास्तव में प्रतिपक्ष के उप नेता ......

श्री सभापति: अब आप बिना नाम लिये अपनी बात बताएं।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): नहीं, प्रतिपक्ष के उपनेता कहा है।

श्री सभापति: आप किसी माननीय सदस्य के खिलाफ टिप्पणी करने से पहले ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आप बहुत समझदार हैं, संजीदा हैं और बहुत विनम्र स्वभाव के हैं लेकिन एक टिप्पणी ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपस में बैठे-बैठें बातें नहीं करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक टिप्पणी, कल उन्होंने यह फरमाया था कि अगर हम पढ़े-लिखे होशियार होते तो चीफ सैक्रेटरी की जगह पर होते। मतलब प्रोटोकॉल के अन्दर विधायक को आपने कहां रख दिया था? एक विधायक, यह विधायिका के प्रति आपका क्या नजरिया है?

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): मैं माफी चाहता हूं, एक क्लर्क, एक असिस्टेंट कलक्टर जांच करे यह तो औकात है, यह तो मंत्रियों की औकात है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे मैंने निवेदन किया, कोई ऐसी बात नहीं करें, यह सब को पता है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां): असिस्टेंट कलक्टर जांच करता है। आज आप सर्किट हाउस जाते हो तो कमरा नहीं मिलता और चीफ सैक्रेटरी क्या, एक एस. डी. ओ. को बड़ा कमरा मिल जाता है। (व्यवधान) इसको सुधारो कृपा करके।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं माननीय उप नेता महोदय और आज जो आपने फरमाया है वास्तव में... (व्यवधान) चलो छोड़ दिया। माननीय सभापति महोदय, मैं अपनी बात को, अपने विषय को प्रारम्भ करता हूं कि जिस प्रकार से तीन वर्ष के अन्दर हमारे गृह विभाग से हमने प्रारम्भ किया था, विषय पर आ गये, कांग्रेस की सरकार के समय 60 साम्प्रदायिक दंगे हुए थे और आज हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। इसका मतलब क्या है? मैंने यह कभी नहीं कहा है, अगर किसी को राष्ट्र भाव के लिए या भारत माता की जय-जयकार के लिए किसी का दिल दुखता है फिर भी मैं क्षमा याचना कर सकता हूं लेकिन उसके लिए हम नहीं करेंगे, उसके लिए हम नहीं करेंगे। अब सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों की आप क्या चिंता करते हो, ये सोजत के दंगों के समय जहां से पत्थरबाजी हुई थी उस घर में गये, यह तो हमें कहना ही पड़ेगा। यह पुलिस इंटेलीजेंसी की खबर है, हम नहीं कह रहे हैं, पुलिस विभाग की खबर है। मान्यवर, हमारी संस्कृति और सभ्यता यह कहती है कि हम शहीद भगतसिंह की जय-जयकार करते हैं, हम इस देश की, राष्ट्र की धरोहर संसद पर हमला करने वाले अफजल खां को फांसी से बचाने का बचाव नहीं करते हैं। आप में अगर हिम्मत है तो यहां पर प्रस्ताव लाइये सामूहिक

कि उसको फांसी दी जाए, तब हम आपको मानेंगे कि आप संस्कृति और सभ्यता की क्या रक्षा करते हैं। इसलिए बचकानी हरकतों में अपन नहीं आयें।

मान्यवर सभापति महोदय, गृह विभाग के बाद हम शिक्षा को लेते हैं। माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा विभाग का विषय है, शिक्षा विभाग में,

(समय 17.12 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, बस अभी बोलने के लिए प्रारम्भ हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने अन्दर सुन लिया कि आपने कह दिया कि भावावेश में यदि किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, मेरी भावना ऐसी नहीं थी, तो उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। अब मैं चाहूंगी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी के सचेतक ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो खेद व्यक्त करें इसके लिए।

श्री अध्यक्ष: रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य श्री जुबेर खान, प्लीज आप भी खड़े हों, आपकी बात से भी भावना को ठेस पहुंची है, आप भी खेद व्यक्त कर दें।

खेद प्रकट

जुबेर खान श्री, मा. सदस्य द्वारा कहे गये अपने शब्दों पर खेद प्रकाशन

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये मेरा कतई किसी के भी प्रति गलत बात कहने का कभी अर्थ ही नहीं निकला और खासतौर से सदन की नेता के रूप में और महिला के रूप में और जिस परिवार से सदन की नेता हैं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं किसी महिला और सदन की नेता के प्रति कोई गलत बात सोचूंगा भी कभी। मैंने कतई किसी दुर्भावना से कोई बात नहीं कही। मैंने कोई रेफरेंस में कोई उधर से सोनियाजी के लिए कुछ शब्द कह रहे थे, मैंने भी कहा कि आपके मुख्य मंत्री क्या करते हैं, कहां जाते हैं, मंत्री कहां जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। मेरा इसमें भाव कोई गलत नहीं था और फिर भी अगर आपको यह लगता है कि मेरी

(श्री जुबेर खान)

दुर्भावना नहीं होने की वजह से भी और फिर भी आपको यह गलत बात लगी हो तो मैं इस बात के लिए बिलकुल अफसोस जाहिर करता हूं कि, आपको गलत बात लगी हो तो। मैं फिर कह रहा हूं कि मेरा कोई भी यह मकसद नहीं था कि मैं मुख्य मंत्री का या किसी मंत्री का अनादर करूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यों से भी मैं चाहूंगी कि वो किसी के लिए भी इस प्रकार की अपमानजनक ऐसी बात न कहें कि जिससे पक्ष या प्रतिपक्ष, किसी प्रकार से भावना को ठेस लगे। यह बात मैं कई बार कह चुकी हूं। यदि आप कोई यह समझते हैं कि कोई मंत्री इस तरह का भ्रष्टाचारी है या कोई दुराचारी है तो उसका 273 में आप नोटिस दीजिये, वह अगला जवाब देगा। 273 में नोटिस देकर के आइये, लगाइये आपको आरोप लगाना हो वो। एक्सपंज के बारे में शाम को जब मेरे पास कार्यवाही आयेगी, इस तरह की जो भी आपत्तिजनक बात होगी, मैंने कह दिया न कि जो भी आपत्तिजनक बात, सेंटेंसेज, वाक्य होंगे, एक्सपंज कर दिये जाएंगे।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, गृह विभाग की स्थिति के बाद में शिक्षा विभाग। इस देश का इतिहास रहा है नालंदा विश्वविद्यालय...

श्री अध्यक्ष : 4.15 पर बोलना शुरू किया था, 5.15 हो गये हैं और मुश्किल से पांच मिनट बोल पाये होंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): नालंदा विश्वविद्यालय इस देश की भूमि पर हुआ है। विदेशों से विद्यार्थी इस देश की धरती पर पढ़ने के लिए आये हैं, यह हमारा इतिहास रहा है। मतलब इसके बाद में आज की युवा पीढ़ी पश्चिमी शिक्षा के पीछे क्यों डांवाडोल हो रही है, क्यों पागलपन सवार हो रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर लाना चाहूंगा कि मैं शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने उस नस को पकड़ा। स्वामी विवेकानन्द, छत्रपति शिवाजी इस देश के लिए कोई इम्पोर्ट नहीं किये गये थे, वो इस देश के ग्रामीण परिवेश में से पैदा हुए थे। आज के बच्चों में से स्वामी विवेकानन्द और छत्रपति शिवाजी क्यों नहीं हो रहे? इसका कारण यह है कि रामकृष्ण परमहंस और गुरु रामदास उस समय में थे। इस प्रकार के गुरुजन हमें पैदा करने पड़ेंगे। मैं माननीय शिक्षा मंत्री,

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

माननीय मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने स्कूलें खूब खोली हैं उसमें पिछली सरकार कहीं हाथ नहीं पकड़ सकती उस बात का। अध्यापकों की भर्ती में कहीं पीछे नहीं हैं। इतिहास साक्षी है और पूरे देश में इस प्रकार इतिहास बनाया है लेकिन इसके साथ-साथ शिक्षकों का भी निर्माण, उनमें गुरुजनों के भाव पैदा हों, ऐसे शिक्षकों के ट्रेनिंग कैम्प चालू करके इन्होंने एक बहुत बड़ा उपकार किया है जिससे इस देश की धरती पर फिर से गुरु रामदास और रामकृष्ण परमहंस जैसे गुरुजन पैदा हों और छत्रपति शिवाजी और विवेकानन्द जैसे बालक तैयार हों और देश की गरिमा बनायें। शिक्षा विभाग में जिस तरह से...

श्री अध्यक्ष: अब कृपया आप 3-4 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से हमारी सरकार के शिक्षा मंत्री को इस देश के शिक्षा मंत्रियों के अन्दर एक गर्व का स्थान मिला। यह हमारी सरकार की पॉलिसी और यह हमारी सरकार की सोच और उस सोच के कारण इनकी कार्यवाही जो हुई उसके कारण क्योंकि पहले के पाठ्यक्रमों में पढ़ाया जाता था 'ग' से 'गधा' और हमारे शिक्षा मंत्री ने कहा कि 'ग' से 'गणेश' पढ़ायेंगे, 'ग' से 'गधा' नहीं पढ़ायेंगे। जिस हिन्दी के पाठ्क्रम में अकबर महान् के पाठ पढ़ाये जाते थे, अकबर महान् कैसे हो सकता है? इतिहास साक्षी है जिस मीना बाजार के अन्दर हिन्दुस्तान की बहन-बेटियों की नीलामी हुआ करती थी उसमें अकबर महान् कैसे बच्चों को पढ़ाया जा सके। (व्यवधान) ऐसे में तो बाकी सभी महान् हैं। (व्यवधान) नहीं हम बोलेंगे। आदरणीय सी. पी. जोशी साहब, आपकी पूरा सदन इज्जत करता है क्योंकि आपने मुख्य मंत्री के काम की सराहना की है, आपने मुख्य मंत्री के काम को धन्यवाद दिया है। आपका भी हम बहुत-बहुत आभार व्यक्त करते हैं लेकिन आपकी पार्टी में आपकी कीमत नहीं है यह हम जानते हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ों पर नहीं जाऊंगा क्योंकि समय वास्तव में आप मुझे कम दे रहे हैं, यह मुझे ध्यान है। इसलिए स्कूलों के खोलने में मैं धन्यवाद शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को देना चाहूंगा कि पहली बार हमारा बच्चा, स्कूल का बच्चा, सरकारी स्कूल का बच्चा कहीं भी कम्पीटिशन के अन्दर पिटे नहीं, इसलिए पहली से अंग्रेजी भाषा को मान्यता देकर, पढ़ाकर के इन्होंने बहुत बड़ा शिक्षा जगत में बच्चों के प्रति, ग्रामीण परिवेश के प्रति उपकार का काम किया है।

(श्री शंकर सिंह राजपुरोहित)

माननीय अध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर पहले यह था कि एस.सी. के बच्चों को सुविधा मिले। गांव का बच्चा चाहे एस.सी. का है चाहे ओ.बी.सी. का है चाहे सवर्ण कास्ट का है, गरीब बच्चा है, उन बच्चों को पढ़ने के लिए पाठ्यक्रम की पूरी व्यवस्था हो। इस बात की चिंता हमारे माननीया मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्री ने की। एक अरब 68 लाख रुपये व्यय करके एक करोड़ से भी अधिक विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करवाई। एक इतिहास बनाया है। अब सी.पी. जोशी साहब कहेंगे कि यह तो हमने किया है, हम भी करते। हमारे यहां एक मारवाड़ी में कहावत है कि **"बुआजी के मूंछ होती तो काकाजी कहलाते"** मूंछ होती तो काकाजी होते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी फील्ड हमारा इस प्रकार से नहीं बचा है। अब चिकित्सा वाला मामला ले लीजिये। जिस प्रकार से चिकित्सकों की भर्ती, आपने जिस प्रकार से, मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, मतलब डबल से भी अधिक पी.एच.सी. सेन्टर खोले हैं, इसके लिए डाक्टर साहब, आप बहुत-बहुत धन्यवाद के पात्र हैं और सबसे मूल काम आपने किया कि गांव-ढाणी के अन्दर रहने वाला, ढाणियों के अन्दर, सुदूर में रहने वाला जो ग्रामीण परिवेश के अन्दर गांव का बन्दा रहता है, उस बन्दे को चिकित्सा नाम की कोई जानकारी नहीं थी, डाक्टर कैसा होता है, कभी उन्होंने डाक्टर देखा नहीं था। आपने स्वास्थ्य जन चेतना के माध्यम से और आपने शहर के चिकित्सकों को ठेठ गांव के अन्दर, ढाणियों तक भेजा, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। एक अलख जगाई कि हमारा प्रदेश और गांव का एक-एक नागरिक स्वस्थ हो। स्वस्थ होगा तो बाकी सारे काम व्यवस्थित होंगे और सबसे बड़ा उपकार का काम माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो किया है माननीय अध्यक्ष महोदय, जननी सुरक्षा योजना। हमारे यहां कहावत है, एक बहुत बड़ा धर्म का काम होता है कि कुती जब ब्याती है, बच्चा देती है, एक धर्म का काम होता है। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य हंसते हैं, ये धर्म नहीं करते हैं। मैं यह बात आपको कहता हूं कि कुती जब ब्याती है तो पड़ौस में, घर के बाहर वाले घर में बूढी मांजी कहती है कि यह सिरा बनाकर उस कुतिया के पास रख जाओ क्योंकि प्रसव के बाद उनको कुछ भी खाने को चाहिए। यह बहुत बड़ा धर्म का काम कुते और कुतिया के लिए भी किया जाता है। तो मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रसव के बाद गरीब महिला के पास एक

रुपया नहीं बचता है, उसको 700 रुपये से 1400 रुपये किया। यह प्रसाद दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष: आपने तो नारी की तुलना कुत्ती से करके बात ही खतम कर दी। आपने तो नारी की तुलना कुत्ती से करके सारी बात ही खराब कर दी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से यह जानना चाह रहा हूं कि कुत्ती के प्रसव के बाद की कोई व्यवस्था की योजना कर रही है? कुत्ती के लिए प्रसव के बाद की कोई योजना लागू कर रही है क्या? (व्यवधान)

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो हर महिला का अपमान है। आप भी महिला हो और महिला को कुतिया के बराबर बताकर ये कौनसा विद्वतापूर्ण भाषण दे रहे हैं?

एक माननीय सदस्य: धन्यवाद दिया है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बातों में थोड़ा भी कहीं कंट्रोल होना चाहिए। जिस तरह से आप बोल रहे हैं, एक जननी की बेइज्जती करना...

श्री अध्यक्ष: सब जीव जननी में है। प्लीज देखिये, जननी सुरक्षा की बात है और जननी सुरक्षा की बात थी, उसमें जीव भी तो आते हैं। जननी सुरक्षा की बात है। अब कृपया बिराजें।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको तो इनको बचाना था तो आपने बचा लिया, यह कहकर बचा लिया। बाकी बात बिलकुल गलत है। इसमें और भी कोई उदाहरण दिया जा सकता था।

श्री अध्यक्ष: अब कृपया बिराजें। आपने नारी की तुलना कुत्ती से कर दी।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): ममताजी, मेरी मंशा यह है कि हम धर्म कितना करते हैं। धर्म के नाम पर इसमें जो महिलाओं के साथ, ग्रामीण महिलाओं के साथ में जो हो रहा है, वह है।

एक माननीय सदस्य: यह ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं का अपमान है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

है। यह जो भाषण दे रहे हैं, आखिर यह जननी, माता, हिन्दुस्तान की माता की कुतिया से तुलना कर रहे हैं, इनके लिए शर्म की बात है।

श्रीमती ममता शर्मा (बूंदी): कोई अच्छी बात से भी तुलना कर सकते थे माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब कृपया बिराजें। अब इससे नीचे कहां उतारेंगे? अब कृपया आप समाप्त करें। आप हमें इससे नीचे कहां उतारोगे? (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपको अच्छा लग रहा है तो हमें तो कुछ कहना नहीं है इस बारे में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया आप कन्क्लूड करें। अब आप कृपया समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप कृपया समाप्त करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, अब इनके आखिरी संस्कार और सुन लो। आखिरी तो हो ही चुके हैं। महिला की तुलना कहां कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तो आप चार का निवेदन कैसे सुनूं? एक तो सुनायें, आप चार बोल रहे हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, आपसे एक और निवेदन है, जननी सुरक्षा योजना की जो कुतिया से तुलना की है, इसको आप एक्सपंज कर दें। नहीं, यह घोर आपत्तिजनक है। इसको आप एक्सपंज कर दें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): डाक्टर साहब, एक मिनट।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। माननीय पशुपालन मंत्री भी बैठे हैं और बात जब जननी सुरक्षा योजना की आ रही है और बात आपने जो शब्द लिये, उनकी आ रही है तो क्यों नहीं हाउस इस तरह का एक प्रस्ताव पास कर दे कि जननी सुरक्षा योजना सब जानवरों के लिए लागू हो जाये वह चाहे गाय हो चाहे भैंस हो, कुत्ती हो, कोई हो। (व्यवधान) पशुपालन मंत्रीजी बैठे हैं, इनके लिए भी करवा दें।

श्री अध्यक्ष: अब आप इस बात की गम्भीरता को.... माननीय सदस्य, Please, now resume your seat. अब कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): एक मिनट में समाप्त कर देता हूं, मैं एक मिनट में खतम कर देता हूं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से दो-तीन वर्षों में जो व्यवस्थाएं हुईं, उनका गुणगान कर रहे हैं। अब एक-एक बात को हम ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपने बहुत समय ले लिया।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): आप तो पशु और मानव को बराबर कर रहे हो, आप गुणगान काहे का कर रहे हो?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): आपकी जैसी प्रकृति है।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मानव और पशु में अन्तर बता रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं हाउस में? इसको निकाला जाये कार्यवाही से।

श्री अध्यक्ष: राव राजेन्द्र सिंहजी। राव राजेन्द्र सिंहजी। Now resume your seat. आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): यह सदन है, कोई लाल बाजार नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का यह आशय नहीं था। फिर भी कहीं यह लग रहा है कि इन्होंने जननी सुरक्षा योजना की बात करते-करते कुतिया के प्रसव के साथ उसको जोड़ दिया तो एक्सपंज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपंज कर दीजिये।

एक माननीय सदस्य: कह चुके पहले ही।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं वापस ले लेता हूं भई अभी। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से...

श्री अध्यक्ष: मैंने नाम पुकार लिया राव राजेन्द्र सिंह का।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मुझे पूरा तो करने दें।

श्री अध्यक्ष: आपने 4.15 पर शुरू किया था, अब 5.27 हो गये, कितना समय और दूं आपको?

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): मैं यह कहने जा रहा हूं, जिस प्रकार से सरकार ने दूर-दराज तक, पश्चिमी राजस्थान जो धरती धोरां री कहलाती है, उस पर न्याय किया गया है चाहे वह विद्युत उत्पादन के मामले

को लो, चाहे अटलजी के पोकरण में विस्फोट के मामले को लो और इसके साथ-साथ नर्मदा का पानी पेयजल के माध्यम से बाड़मेर और जालौर की जनता को पिलाकर यह भी अपने आपमें एक उपकार किया है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, दो पंक्ति कह देता हूं।

श्री अध्यक्ष: बस, बात हो गई आपकी, ठीक है, बहुत बढ़िया। आपने तो इस सदन में नारी पर बहुत उपकार कर दिया है। बिराजें।

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित (आहोर): दो पंक्ति कह देता हूं "तदवीर से तकदीर बदल जाती है, पांवों की जंजीर पिघल जाती है, आदमी मेहनत से संवारे अगर तो धरती की तस्वीर बदल जाती है"

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद। चलिये, राव राजेन्द्रजी।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के श्रीमुख से अभिव्यक्त अभिभाषण...

श्री अध्यक्ष: क्या कर रहे हो दिलावर साहब आप? आप स्पीकर और मेरे बीच को क्रोस कर रहे हो? What are you doing? गलत बात है। कमाल करते हैं। कमाल करते हैं आप भी। अब कृपया बीच में नहीं बोलें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): आदरणीय महामहिम के श्रीमुख से अभिव्यक्त अभिभाषण सरकार की दिशा और दृष्टि दोनों को प्रतिबिम्बित करता है। लोकतंत्र के इस सर्वोच्च सदन में अपेक्षा करती है जनता कि लोकतंत्र में हम जन प्रतिनिधि दलतंत्र से ऊपर उठकर बेबाक सत्यनिष्ठा से अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर, सच्चाई का अलंकरण कर उसे प्रतिष्ठापित करने की चेष्टा करें। महामहिम के अभिभाषण में अभिव्यक्त किये हुए विचार औपचारिक मात्र नहीं है, अभिलेख के लिए भी नहीं हैं। ये वह विचार हैं जो हर जन प्रतिनिधि को....

श्री अध्यक्ष: यह किसका मोबाइल बज रहा है? मिस्टर गोदारा, बंद करो इसे।

श्री बहादुर सिंह गोदारा: यह तो बंद है।

श्री राजेन्द्र राठौड़: यह मोबाइल हरिमोहनजी की जेब में है अध्यक्ष महोदय।

श्री राव राजेन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्षजी, मैं आपसे यह...

श्री जुबेर खान: जब्त कराओ अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: यहां लाकर रखो।

श्री राव राजेन्द्र सिंह: आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मेरे उदबोधन का अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष को अंकित करना नहीं है लेकिन प्रजातंत्र की उन भावनाओं को हम किस सत्य और निष्ठा से सदन के बीच में रखते हैं और चाहे हम सरकार के पक्ष में रखें या सरकार के विपक्ष में रखें, आम जनता के वह आंसू जिसे पोंछने का हम सतत् प्रयास करते हैं, अपनी-अपनी भावनाओं की चेष्टा से, वक्तव्यों के माध्यम से उन सपनों को साकार होने की जो योजनाएं हैं उस पर सरकार की सफलता या विफलता को परिदर्शित करने की चेष्टा करते हैं। 1955 में तत्कालीन प्रधान मंत्री सम्माननीय जवाहरलाल नेहरूजी का जब सोवियत गणराज्य के लिए जाने का कार्यक्रम बना, 3 जून, 1955 में, उस वक्त सोवियत गणराज्य को एक उपनाम से और जाना जाता था, it was considered as a country with iron curtains. और यह बात मैं वहां से उठाता हूं कि 1955 में अमेरिका का जो केपेटिलिज्म था वह चरम सीमा पर था। उस वक्त जब प्रधानमंत्रीजी से यह बात पूछी गई कि आखिर जिस देश के आम नागरिकों को अपने देश के बाहर सोचने तक की इजाजत नहीं है वहां हमारे प्रधान मंत्री जाकर क्या बात करेंगे। तो उन्होंने अपने स्टीवर्ड से पहले यह बात कही कि सबसे बड़ा अगर कोई आयरन कर्टेन है तो हमारे मस्तिष्क के बीच में है कि अगर वह मस्तिष्क की दीवार अगर हम हमारे मन में उतार दें और देशों की वह वास्तविक जिंदगी और व्यवस्था को अनदेखा कर दें तो इस आयरन कर्टेन से कई गुना ज्यादा वह मस्तिष्क आयरन कर्टेन है जो हमें अपने आप तक संकुचित करने की व्यवस्था प्रदान करता है। और 55 की उस यात्रा के बाद में जो सोवियत गणराज्य से हिन्दुस्तान के संबंध बने वह 1962, से लगाकर 1971 तक कायम रहे और आज के हिन्दुस्तान की जो अर्थव्यवस्था के अंदर सोवियत गणराज्य का योगदान रहा वह आज की अर्थव्यवस्था की वास्तविक धुरी है। इसलिए किसी सोच में यह कह देना कि केपेटिलिज्म बहुत ज्यादा जरूरी है, वह गलत है। जहां तक, हम बच्चे हैं, हमने यह सारी बातें पढ़ी हैं, केपेटिलिज्म भी है, सोशियलिज्म भी है, कम्युनिज्म भी है। और आज के परिदृश्य में आज की सरकार के योगदान में जिस बात को हम साक्षात स्वरूप में देखते हैं उसमें एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्टेटिस्टिक्स

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

या आंकड़े अपने आप में है, आज की तारीख में राइट आफ इनफोर्मेशन होने के बाद में, एफआरबीएम का एक्ट लागू होने के बाद में आप वेबसाइट पर जाइये। राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमैंट की वेबसाइट से एफआरबीएम के सारे स्टेटिस्टिक्स आप ले लीजिये, योजना का आकार क्या है, पिछली तीन पंचवर्षीय योजना से यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना कितनी बड़ी है, कितना पैसा इसमें लगेगा, सरकार का क्या विचार है, वार्षिक योजना कितनी बड़ी है, इसमें सरकार का क्या विचार है, यह सारे के सारे स्टेटिस्टिक्स हैं। लेकिन एक स्टेटिस्टिक्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, आम जनता का स्टेटिस्टिक्स कि वह आज की सरकार को किस दृष्टि से देखता है। आज की सरकार के काम को किस दृष्टि से देखता है। क्या वह इसको स्वीकार करता है कि उसका कल, आज का कल से कहीं बेहतर होगा, उसका बीता हुआ कल से आज कहीं बेहतर है? और अगर इस कसौटी के ऊपर इस सरकार को हम परखते हैं तो हमें साधुवाद मिलता है, यह आज की व्यवस्था है, यह आज का सत्य है और इसको प्रमाणित करने की आवश्यकता हम महसूस नहीं करते। क्योंकि समय बहुत बीत चुका है और बहुत से लोग निवेदन करेंगे, पर कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दो बहुत बड़े विषय हैं जिस पर कई बार वाद-विवाद होता है, एक विषय तो यह है कि आखिर अगर हमको इस प्रदेश को उन्नति के मार्ग पर ले जाना है तो इस प्रदेश के पास में अपने स्वयं का पावर जिसको हम इलैक्ट्रिक पावर कहते हैं, होगा, कोई भी प्रदेश इसके अभाव में विकास नहीं कर सकता।

पिछले वक्ताओं ने कई उदाहरण दिये, आलोचना हमें यह भी सुनने को मिलती है कि तीन साल के भीतर हमने कोई नया ऊर्जा का स्रोत कायम नहीं किया। लेकिन मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या ऊर्जा का स्रोत रातों-रात उत्पन्न हो सकता है, क्या कोई पाइप लाइन में ऐसा स्रोत था जिसको हमने नकार दिया और उस पर हमने तवज्जोह नहीं दी है? इसलिए तीन साल में हम वह नहीं कर पाये। कुछ दिन पहले जिन योजनाओं को क्रियान्विति मिली, जिनको आज का सवेरा देखने को मिला, पिछले दो दशक से, उनके बारे में इसी सदन में चर्चा हो रही थी। चाहे वह लिग्नाइट पर आधारित हो, चाहे वह गैस पर आधारित हो। यह ऐसी योजनाएं हैं, यह ऐसे कारखाने हैं जो रातों-रात नहीं लग सकते। हम आलोचना करने के लिए कह सकते हैं कल सवेरे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उठकर कि हमको एक हजार मेगावाट बिजली चाहिए, इस सरकार ने उपलब्ध कराई नहीं इसलिए गांव अंधेरे में है, बच्चा पढ़ नहीं सकता। लेकिन कम से कम यह भी तो सोचें कि पांच दशक से हम सरकारों का निर्वाचन करते आये हैं। कितनी सरकार ने इसके बारे में सोचा कि गांव का बच्चा अगर बिजली के साये में बैठकर नहीं पढ़ पायेगा तो क्या गांव से डाक्टर और इंजीनियर बन कर और राष्ट्रपति के पद पर पहुंचेगा? इस विवशता के आगे सरकार ने घुटने नहीं टेके, इस लोकतंत्र की मर्यादा को कायम रखते हुए इन सारी आलोचनाओं को झेलते हुए, आज हम यह कहने के लिए आश्वस्त हैं कि अगले दो साल के अंदर जितनी राजस्थान को बिजली की आवश्यकता है, इस सरकार के कार्यकाल के खत्म होने के पहले इसको उस दिशा में हम ले जायेंगे जिसका सपना बीस साल से यह जनता देख रही है। विवशता यह भी है, आप जिस संभाग से पधारती हैं, आज उदाहरण दे रहे थे, कल भी इसके बारे में कहा कि पैरा मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ के लिए जहां पहले हम दक्षिण भारत की तरफ देखते थे, आज हमारे स्वयं के प्रदेश में से, खासकर उस संभाग से जिससे आप पधारती हैं, वह महिलाएं उसके अंदर प्रत्यारोपण कर चुकी हैं। मैं एक निवेदन करूंगा, आई.टी. का युग है, टेक्नालाजी का युग है, आज से तीस वर्ष पहले हम चले जायें तो उस वक्त एल.डी.सी. और यू.डी.सी. का युग भी था, यह बाबूडम जिसको हम कहते हैं या जिनको हम यह कहते हैं कि बाबू जो हमारे, यह इतना साफ्ट एम्पलायमैंट, साफ्ट जाब था जो कि न तो इंजीनियर था, न प्रशासनिक अधिकारी था। लेकिन इसके बीच की कहीं न कहीं कड़ी था, आज इसने भी परिवर्तन प्राप्त किया है। क्योंकि माननीय शिक्षा मंत्रीजी विराजे हुए हैं, आज जो साफ्ट जाब है, वह एल.डी.सी., यू.डी.सी. का साफ्ट जाब नहीं है। और क्योंकि इस एल.डी.सी., यू.डी.सी. की साफ्ट जाब ने लाखों लोगों को सरकार के अंदर एम्पलायमेंट अपार्चुनिटी दी है, आज हम इस परिस्थिति में नहीं हैं। क्योंकि जिस तरीके से टेक्नालॉजी चेंज हो रही है, हमें इस साफ्ट जाब, जो आज का उभरता हुआ साफ्ट जाब है, जो चाहे बिजनस प्रोसेसिंग हाउस, जिसको हम बीपीओ कहते हैं, आउटसोर्सिंग जिसको हम कहते हैं, आज भी जीईई के जितने बीपीओज हैं उसके अंदर एम्पलायमेंट अपार्चुनिटी हजारों में है। लेकिन महाराष्ट्र के लड़के आकर वहां बीपीओ की आउटसोर्सिंग की सर्विसेज ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहां इन साफ्ट जाब के लिए कोई फिनिशिंग

स्कूल नहीं है। इसमें डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, बारहवीं तक की शिक्षा अपने आप में है।

और यह बात भी हम मानते हैं आज प्रत्येक बच्चा जो प्राइमरी से लेकर के और सैकण्डरी तक आकर हाई-सैकण्ड्री में आता है और कॉलेज में जाता है। हरेक बच्चा डाक्टर नहीं बनेगा, हरेक बच्चा साइंटिस्ट नहीं बनेगा, हरेक बच्चा इंजीनियर नहीं बनेगा। लेकिन हरेक बच्चा इतना तो कुशल है कि अपने आप स्वाभिमानपूर्वक अपनी जिन्दगी का यापन कर सके और इस देश के प्रति और इस प्रदेश के प्रति उसका उत्तरदायित्व है उसको निभा सके। उसके लिए हमको अपार्चयूनिटीज क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर इस सॉफ्ट-जॉब्स की अपार्चयूनिटी आपने क्रिएट नहीं करी तो जैसे पिछले नर्सिंग स्टाफ के लिए हम दक्षिण भारत से ला रहे थे, आज वापस इन सारी की सारी सर्विसेज को चाहे कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की जरूरत हो, चाहे कम्प्यूटर को सुधारने वालों की जरूरत हो, चाहे बीपीओ के आउट-सोर्स में सर्विस की जरूरत हो, ये बाकी जो लोग-बाग़ जहां से आ रहे हैं वो हमारे इन बच्चों के भविष्य का, इनकी जो एम्प्लोईमेंट अपार्चयूनिटी है उस पर अतिक्रमण कर लेगी। आवश्यकता है कि इस तरीके की योजनाएं जिसके अंदर पहल आपने करी लेकिन यह पहल बहुत कम है। आने वाले समय में अगर आप इस तरीके की व्यवस्था आप कर लेंगे तो यह जो प्राइमरी स्कूल में आपने अंग्रेजी पढ़ाने की अनिवार्यता रखी है यह तभी काम आएगी जब सॉफ्ट-जॉब्स के लिए आपको ऐसे करिकुलम आप लोग तैयार करें। जिससे यह बच्चे, जो एवरेज बच्चा है वह बच्चा भी अपने जीवन के लिए कहीं-न-कहीं एम्प्लोइमेंट अपार्चयूनिटी पा सके। एक सबसे बड़ा जो थर्स्ट एरिया है सिर्फ कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है आज आप चाहे तो भी सिलिकॉन वैली के साथ में आप कंपीट नहीं कर सकते। उसके साथ आप कंपीट नहीं कर सकते। वह आपसे दो दशक आगे हैं। आप चाहें तो ऑन्ध्र से भी कंपीट नहीं कर सकते वह आपसे एक दशक आगे है। लेकिन जो थर्स्ट एरिया है जो इमर्जिंग एरिया है वह एरिया वह है जहां आप आर एण्ड डी स्टेबल कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, हम सेज की बात करते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन की बात करते हैं, आइटी पार्क की बात करते हैं। लेकिन आज की तारीख में दुनिया का सोच उससे भी आगे चला गया लाइस साइंस पार्क। लाइस साइंस पार्क टोटली मेडिकल और फार्मास्टिकल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इण्डस्ट्रीज पर बेस्ट है। बायो टेक्नोलॉजी और नेनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी है जो कि धीरे-धीरे हरेक चीज पर असर पैदा करेगी। पिछले दिनों बात हो रही थी और शायद आज सुबह की बात है हमारे पास पानी नहीं है और जहां पानी है वहां इतना प्रदूषित है कि हम पी नहीं सकते।

महामहिम राज्यपाल का एक आर्टिकल है सीएनटी, कार्बन नेनो-ट्यूब्स। सीएनटी पद्धति से आप जो कंटेमिनिटेड वाटर है उसको प्योरिफाई कर सकते हैं। सीएनटी का अगर आप कुछ करना चाहेंगे तो उसकी रिसर्च लैब आप यहां लगाएंगे। सीएनटी टेक्नोलॉजी को अगर आप सही करेंगे तो रिसर्च यहां होगा, यहां पेटेंट होगा उसका कॉमिर्शियल प्रोटेक्शन अगर यहां से होगा तो चाहे किसी देश के या प्रदेश के या संसार के किसी भाग में वह क्यों न जाए, रायल्टी आपको मिलेगी उससे आपकी अर्थव्यवस्था सुधरती है। इंसान पर और जनता पर टैक्स लगा-लगा कर अर्थव्यवस्था आप नहीं सुधार सकते। आपको सुधारनी पड़ेगी अपनी व्यवस्थाओं को अन्दर करने के लिए आपको सुधारनी पड़ेगी। रिसर्च और डवलपमेंट को यहां लाने के लिए, और आदरणीय अध्यक्ष महोदय जिस तरीके से परिप्रेक्ष्य बदल रहा है आज की तारीख में किसके पास में कितना बुलियन या किसके पास में कितना डॉलर है उससे देश विकसित या धनाढ्य नहीं माना जाएगा। अगले 10 वर्ष के अन्दर 2008 से जब क्योटो प्रोटोकॉल लागू हो जाएगा, कौन कितने देश में कितना प्रदूषण कम कर रहा है उसके आधार पर उसको विकसित या विकासशील माना जाएगा और इसमें भी इस प्रदेश की सरकार ने पहल करी है। ऊर्जा के क्षेत्र के अंदर जितना प्रदूषण होता था उस प्रदूषण को कम करने के लिए राजस्थान स्टेट मिनरल्स एण्ड माइंस डिपार्टमेंट ने पवन ऊर्जा संचालित करके 50 लाख का कार्बन क्रेडिट अब जहां हर चीज डॉलर्स में है पर्यावरण की दृष्टि से अगले दो दशक को हम देख रहे हैं कार्बन के क्रेडिट पर, हर पोलूशन को कार्बन के साथ में जोड़ा गया है। राजस्थान सीमेंट का सबसे ज्यादा प्रोड्यूशिंग स्टेट और सीमेंट जितना टन सीमेंट निकलता है उतना ही टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड भी एमिट करता है। अंबूजा सीमेंट ने पहले इस टेक्नोलॉजी को चेंज किया है और सीईआर जिसको हम यह कहते हैं कि सर्टिफाई इमीशन रिड्यूसर्स में रजिस्ट्रेशन लिया है, it is a one thousand million industry. भारत उसका सदस्य है क्योटो प्रोटोकोल का कोसिनेट्री है। क्योटो प्रोटोकॉल के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर है

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

और राजस्थान के पास में पूरी सम्भावना है इसको अगर हम एक्सपाटाईज करेंगे तो हम इस हद तक चले जाएंगे कि अपनी अर्थव्यवस्था को पूरा सुदृढ़ कर लें। यह पहली पहल है किसी सरकार ने रोटी, कपड़ा और मकान से ऊपर उठकर सोचने की कोशिश नहीं करी, हम किसी को क्षणिक रोटी, कपड़ा और मकान दे भी देंगे तो हर इंसान इतना स्वाभिमानी है कि खैरात की रोटी और पराया मकान में नहीं रह पायेगा। स्वाभिमानपूर्वक खरे पुरूषार्थ से कमाई हुई रोटी से वह अपना जीवनयापन करना चाहेगा। यह व्यवस्था आज की नहीं अगले 20 साल में क्या होगी, इस सरकार ने निजात करी है इसलिए यह सरकार उसके लिए भी साधुवाद की हकदार बनती है।

मैं एक चीज और निवेदन करके अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा उससे पहले क्योंकि पर्यावरण की पहले बात चली थी। और एक छोटा-सा नोट है। इस नोट से सिर्फ मैं इतनी बात करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश, एम.पी. और छतीसगढ़ ने प्लांटेशन ग्रोथ के लिए 9 पर्सेंट हमारी जो टोटल एरिया है 9 प्रतिशत फोरेस्ट के लिए रिजर्व है, लेकिन वास्तविक वेजिटेशन सिर्फ 4 प्रतिशत है।

श्री अध्यक्ष: चार भी नहीं, तीन ही है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): Four point something, according to the record. The website may be wrong, Hon'ble Speaker. अब इस चार पर्सेंट के अंदर वो एरिया जिनको हम आदिवासी एरिया मानते हैं वो एरिया जहां कि हम यह मानते हैं कि भौगोलिक दृष्टि से वहां पहाड़ी क्षेत्र है प्लांटेशन ग्रोथ ही आपको सीएएआर क्रेडिट्स प्रदान कर देती हैं। जितने प्लांट्स आप ग्रोथ करेंगे खासकर यंग प्लांट, जितना यंग प्लांट होता है उतना ही कार्बन-डाई-ऑक्साइड को वो रिड्यूश करता है जितना कार्बन-डाई-ऑक्साइड आप रिड्यूश कर रहे हैं उतने ही आपको कार्बन क्रेडिट्स मिल रहे हैं। उतनी ही आपको विदेशी इन्कम हो रही है जिसको हम कहते हैं कि फोरेन एक्सचेंज। पहली बार इस प्रकार की योजना भी इस सरकार क्रियान्वित करने में लग रही है और क्योंकि राजस्थान का जो प्रोपिकल जो हमारा कलाइमेट है इतना अनुकूल नहीं है लेकिन पर्यावरण को प्रतिकूल परिस्थिति में अनुकूल बनाने की अगर किसी से कवायद अगर आपको सीखनी है मंत्री महोदय तो शेखावाटी के किसान से सीखिये। आज भी कैनाल नहीं है वहां, आज भी पानी के लिए लू के थपेड़े खाता है।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लेकिन पुरूषार्थ के परिश्रम से अपने पसीने से जमीन को नम करके उसको पैदा करने की उसमें क्षमता है। इस क्षमता से आपको अनुसरण करते हुए इन पहाड़ों पर अगर आपने पेड़ उगा दिए तो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह सरकार सिर्फ पेड़ लगाकर ही इसकी अर्थव्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन कर सकती है।

आखिरी एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि रिफाइनरी या हाइड्रोकार्बन जिसको कहते हैं अगर एग्रीकल्चर हमारी लाइफ लाइन है तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट या हाईड्रोकार्बन हमारी स्पाइनल कोड है क्योंकि इसमें परिवर्तन कोई यकायक नहीं हो सकता। यह हमारा सौभाग्य है जैसलमेर, बाड़मेर, सिरोही का कुछ रीजन यहां तेल के भण्डार है रिफाइनरी लगाने की पूरी सरकार की तरफ से मान्यता है। लेकिन रिफाइनरी लग नहीं रही है। ताज्जुब तो इस बात का है अध्यक्ष महोदय कि रिफाइनरी लगाने में बाधक कौन है? बार-बार यह कही जाती है कि सरकार ने यह काम नहीं किया। मैं सिर्फ आपके रिकॉर्ड के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि रिफाइनरी लगाने के लिए हमारे सामने क्या-क्या शर्तें रखी जा रही हैं और समानान्तर जो रिफाइनरी दूसरी जगह लगी वहां क्या क्या शर्त लगी? एचपीसीएल ने भंटिडा रिफाइनरी लगाई। उनकी शर्ते थी पांच वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त 250 करोड रुपए का ऋण जिसका भुगतान 6 वर्ष के पश्चात् माही के 10 किश्तों में किया जाएगा और 15 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र बिक्री का हस्तगन और 10 वर्ष के लिए प्रवेश कर का हस्तगन। सिर्फ तीन शर्तें थी जिस वक्त पंजाब में रिफाइनरी लगी थी। जिस वक्त आईओसी ने पाराद्वीव रिफाइनरी उड़ीसा में लगाई उनकी क्या शर्ते थी- 11 वर्ष की अवधि के लिए ब्याज मुक्त बिक्री कर का हस्तगन, कच्चे तेल सामग्री प्रवेश कर के लिए देय होगा। और ओएनजीसी ने हमारे लिए क्या-क्या रखा? 2-3 नहीं है यह 10 ऐसी शर्तें हैं जिसको अगर मैं आपको ब्यौरावाइज बताऊं तो उसमें यह है, राज्य बिक्री कर वैट का हस्तगन या ब्याज मुक्त प्रतिभूत मुक्त ऋण जो 1300 करोड़ रुपए के प्रतिवर्ष से 16 वर्ष की परियोजना लागत का 164 प्रतिशत यह लगाना भी चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। 16 वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र बिक्री कर से मुक्ति, प्रवेश कर, शेष चूंगी या अन्य किसी प्रकार की वसूली योग्य राशि जो कि कच्चे तेल, रसायन, उर्वरकों और अन्य कच्चे सामग्री व पदार्थों जो कि परिशोधन अपरष्करण कार्य में उपयोग

होगा जिसमें कालान्तर की छूट, कोई टाइम सीमा ही नहीं है। राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी साइड पर पानी की सप्लाई निर्बाध रूप से की जाएगी, नि:शुल्क भूमि का आबंटन होगा, होना चाहिए, विद्युत खनिज स्वयं उत्पादित विद्युत कर, विद्युत कर सेज कर भविष्य में देय नहीं होगा। राज्य सरकार द्वारा रिफाइनरी को जोड़ने वाली सड़क जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग, पुलिया का निर्माण, अन्य सड़कें भी सम्मिलित हैं का सुदृढ़ीकरण विकास किया जाएगा और रिफाइनरी के निर्माण में काम आने वाले सभी कच्चे माल व अन्य सामग्री को राज्य बिक्रीकर से मुक्त किया जाएगा। और आखिरी में रिफाइनरी के लिए आवश्यक सभी प्रकार की भूमि जैसे रेल लाइन बिछाने के लिए और अन्य कार्यों के लिए अधिग्रहीत करने का दायित्व भी सरकार का होगा। पंजाब जैसे राज्य में लगाने के लिए तीन शर्तें, उड़ीसा जैसे राज्य में लगाने के लिए दो शर्तें और राजस्थान जैसे राज्य, सेना में अगर कहीं कोई आवश्यकता पड़ती है तो प्रथम लहू इस राजस्थान के सपूत का बहता है। जब इस देश पर आक्रमण होता है और सीमाओं पर आखेट होता है तो राजस्थान का सैनिक खड़ा रहता है। और एक रिफाइनरी के लिए हमने उनसे क्या हाथ मांग लिया उन्होंने एक दस पेज का लंबा-चौड़ा शर्तों का दे दिया। यह दुर्भाग्य है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमको आज रिफाइनरी के लिए केन्द्र सरकार की आवश्यकता है। मैं तो यह कहता हूं मंत्री महोदय, आप अपना कारपोरेशन बनाइये, अपनी रिफाइनरी खड़ी करिये। रिफाइनरी भी खड़ी करिये, पैट्रोकेमिकल का प्लांट भी लगाइये और इस केन्द्र सरकार के पास में हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मेरा निजी...

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन एवं पर्यावरण मंत्री): दस हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 26 हजार करोड के इंसेंटिव मांग रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: एक साल में तो मांगे नहीं न? एक साल में थोड़ी ही मांगा है, 16 साल में मांगा है।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ): इस सारे के बीच में जो सबसे ज्यादा विचारणीय बात यह है कि यह रिफाइनरी लगायेंगे कैसे, ओएनजीसी रिफाइनरी कैसे लगायेगी? ओएनजीसी को क्रूड ऑयल सेल्स का एग्रीमेंट तो करना पड़ेगा किसी से। अक्टूबर, 06 तक वाणिज्यिक स्तर पर तेल उत्पादन अक्टूबर, 06 में किया जाना था, परन्तु ओएनजीसी एवं केयन एनर्जी के मध्य कच्चा तेल

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

बेचने का करार क्रूड ऑयल सेल्स एग्रीमेंट नहीं हो सका जिससे तेल के व्यावसायिक उत्पादन में विलम्ब हो रहा है। आपकी रॉयल्टी और जा रही है इनकी नीयत साफ है कहां। इन सारे परिप्रेक्ष्य के अन्दर फिर भी यह राजस्थान में एक भी किसान आत्महत्या नहीं करता है महाराष्ट्र में हर रोज एक आत्महत्या होती है औसतन होती है। विकसित प्रदेश है। प्रकृति के प्रतिकूल प्रावधान के बावजूद भी अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने का माद्दा इस राजस्थान की जनता में है। इसलिए सरकार भी कम से कम उससे सीख ले कि किसी के सामने घुटने टिकाकर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है । मांगो तो अधिकारपूर्वक मांगो और पुरजोर से मांगो। यह पूरा सदन उसके साथ में है। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजकिशोर शर्मा।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा 1 मार्च, 2007 को जो अभिभाषण सरकार द्वारा पढ़ाया गया है और वो भी ऐसी महिला के द्वारा पढ़ाया गया है जिसने बहुत उच्च आदर्श रखे हैं। इस अभिभाषण में संवैधानिक कितनी त्रुटियां, कितनी खामियां हैं उसके बावजूद मैं जानता हूं कि इस अभिभाषण को यह सरकार बहुमत में है इसलिए पास करेगी। लेकिन मेरा दायित्व है और उस दायित्व के आधार पर मैं सरकार को कुछ बातें निवेदन करना चाहता हूं। आशा है सरकार उस पर गौर करेगी। मैं सबसे पहले तो निवेदन करना चाहूंगा कि कल ही मेरे एक प्रश्न 384 के जवाब में सरकार ने उत्तर दिया है वो जवाब मेरे पास है कि राजस्थान के अन्दर गत तीन वर्षों में चोरी, डकैती, बलात्कार, हत्याओं की घटनाएं बढ़ी हैं। यह सरकार का मानना है और क्यों बढ़ी है इसके भी कुछ कारण मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको बताना चाहता हूं। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करते हुए मसूदा के विधायक ने सरकार की तारीफ की और तारीफ के लिए केन्द्रीय सरकार के मंत्रियों द्वारा कुछ कहे गये शब्दों का उल्लेख किया लेकिन अच्छा होता मसूदा के विधायक ने अगर केन्द्रीय मंत्री द्वारा अगर इसको पढ़ लिया होता जिन्होंने बताया है कि दलित अत्याचार में राजस्थान का अव्वल नम्बर है । बहुत खुशी होती अगर ये उद्धरण भी वो कर देते जिसमें मीरा कुमारजी ने कहा है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, मीरा कुमार ने कहा है सख्त कानूनों के बावजूद राजस्थान के दलितों पर अत्याचार की घटनाएं बढी हैं और राजस्थान उसके अन्दर अव्वल नम्बर पर है।

श्री बत्तीलाल: आपकी पार्टी की हैं इसलिए कह गये। वो तो कहेंगी ही हमारी प्रशंसा करेंगी क्या वो?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने अच्छा काम किया उसकी प्रशंसा की वो तो आपने मान ली और हम राज्य...।

श्री अध्यक्ष: आप उस पर बोलें जो बात कहनी है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): राज्य में महिला मुख्य मंत्री और महिला विधान सभा अध्यक्ष होने के बावजूद इस सरकार के तीन साल के कार्यकाल में महिला और दलितों पर अत्याचार किस कदर बढ़े हैं यह कौन-कौन कह रहा है, विभिन्न संगठनों के पत्रकार की वार्ता में सरकार की खिंचाई में ये सारे अख़बार कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय ने जो कहा है उस पर बोलिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं उसी पर बोल रहा हूं न अध्यक्ष महोदय, आप अगर मेरे को टोकेंगी तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मेरे को बोलने दीजिये।

श्री अध्यक्ष: बोलो तो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं बोल रहा हूं राज्यपाल महोदय ने कहा है...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सात बजे तक समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

समय सात बजे तक बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): रोजाना इस राजस्थान के

अन्दर तीन बलात्कार और एक दहेज की हत्या होती है और उसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। अत्याचार के मामले में ...

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): पुलिस की डिमाण्ड पर बोलना ये बातें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): हां बोलेंगे साहब, आप आएंगे तब बोलेंगे। आपको मंत्री नहीं बनायेंगे आप चिन्ता मत करो। 2005 के अन्दर 342, 2006 में 369 जो 2005 में 342 थी वो 369 पहुंच गयी। मैं और भी इसके अन्दर बहुत लम्बी बात है अगर मैं कहूंगा तो समय आप कम देंगी। राज्य में रोजाना दो लूट और तीन हत्याएं और बलात्कार की तीन घटनाएं रोज होती हैं उसके बावजूद भी यह सरकार और यह कौन कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं यह कह रहा है स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो। आंकड़े इस बात के साक्षी हैं कि किस तरीके से राजस्थान के अन्दर इतनी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होने के बावजूद यह सरकार बड़ी-बड़ी बातें करके अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। आप अच्छे काम करिये। क्राइमों को रोकिये तो शायद अच्छा होता और यह तो तब है जब कि ये कुछ मामले सीएलजी के माध्यम से इसमें ट्रांसफर हो जाते हैं। शांति समिति में ट्रांसफर हो जाते हैं और अख़बार बहुत साफ कहते हैं थानों में अपराध के आंकड़ों को कम करने के लिए घटना के बावजूद नहीं दर्ज की जा रही है और इसके बावजूद आज राजस्थान का नम्बर पहला है । चैन तोड़ने की घटनाएं तो ऐसे हो गयी हैं जैसे गाजर, मूली को खेत में से काटा जाता है उसी तरीके से चलती हुई महिलाओं पर झपट्टा मारकर जिस तरीके से चैन तोड़ी जाती है ये तो इस प्रदेश की हालत हो गयी है और यही हालत रही तो मैं आगाह करना चाहता हूं इस सरकार को कि ऐसे संगीन अपराध होंगे जो इस सरकार के सम्भाले नहीं संभलेंगे। प्रदेश में तीन साल के अन्दर 502 बच्चे गायब हैं जिसका इस सरकार को कोई अता-पता नहीं है।

श्री नन्दलाल बंशीवाल: काहे पर बोल रहे हैं? ये डिमाण्ड पर बोल रहे हैं या राज्यपाल के अभिभाषण पर बोल रहे हैं?

श्री अध्यक्ष: आपको क्या मतलब वो मर्जी आये जिस पर बोलेंगे। आप क्यों बोल रहे हैं?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आप विराज जाएं। आपकी समझ से बाहर है।

श्री अध्यक्ष: वो तो मर्जी आये जिस पर बोलेंगे।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मंत्रीजी का मोबाइल सेक्रेटेरिएट में से उनके ऑफिस में से चोरी हो जाए और फिर भी उसका पता नहीं लगे और फिर भी आप कहें किस पर बोल रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल: आप ही तो ले गये थे उठाकर।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): इस अभिभाषण में राजस्थान रोजगार गारंटी कार्यक्रम, इंदिरा आवास योजना, मिड-डे मील, सर्वशिक्षा अभियान, स्वास्थ्य, प्रधानमंत्री योजना के बारे में लिखा गया है और इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि सारा का सारा खर्च राज्य सरकार अपने

(समय 18.00 बजे)

बजट से कर रही हो । इन योजनाओं में आने वाला अधिकतर पैसा केन्द्रीय सरकार का है । हमको हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी का धन्यवाद देना चाहिये कि जिन्होंने इस राजस्थान को उदार दिल से इतना पैसा दिया है और उसके बावजूद भी अच्छा होता कि अगर यह सरकार अभी अभिभाषण में जिस तरह की बातें कही गई हैं उसमें यह कहती कि इन योजनाओं में राजस्थान सरकार ने अपना कितना अंशदान दिया है तो यह बताते कि हमने इतना पैसा खर्च किया है ।

अध्यक्ष महोदय, बहुत जल चेतना की बात की गई, बहुत जल चेतना की यात्राएं निकाली गई । इस अभिभाषण में जल संरक्षण के लिये जल चेतना यात्रा की बात की गई लेकिन इसके प्रयास के अंतर्गत सरकार ने राज्य की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा केन्द्र सरकार ने पेयजल के लिये उपलब्ध कराया था उस पैसे को पानी की तरह बहाया है। और इस जल चेतना यात्रा का क्या हुआ, जल चेतना यात्रा डीबीसी बन कर रह गई । डीबीसी से मतलब नेता और अधिकारियों ने चूरमा दाल बाटी के अलावा कुछ नहीं किया और इस तरह की यात्राएं करके सरकार का हजारों करोडों रुपया व्यर्थ किया है ।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के बारे में इस अभिभाषण में एमएमएस में कराये गये निर्माण कार्य का जिक्र किया गया है। निजी क्षेत्र के विनियोजन के बारे में भी कहा गया । लेकिन हालात इतने खराब हैं कि परसों ही ब्लड बैंक

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

के लिये रेफ्रिजरेटरों की खरीद में करोडों रुपयों का घोटाला हो गया और सरकार सोये बैठी है । और तो और, स्वास्थ्य चेतना यात्रा की बात की जा रही थी उसमें एक विटामिन बी की गोलियों की खरीद में करोडों रुपयों का घोटाला हुआ। और ऐसी कम्पनी जिसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है, हाई कोर्ट ने उसका अभी फैसला नहीं दिया और उसके बावजूद न मालूम क्यों, किन कारणों से उसी कम्पनी को गोली खरीद करने का आर्डर दे दिया। और न जाने कितने हजारों करोडों रुपये का घोटाला हुआ है और इसका उदाहरण यह मंत्रीजी का खुद का बयान है ।

पूर्व राज्यपाल एवं पूर्व न्यायाधीश राजस्थान हाई कोर्ट आदरणीय टिबरीवालजी ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि यहां राजस्थान में स्वास्थ्य के बारे में जितनी बढ चढ कर बात की गई थी, किस तरह की टिप्पणी इतने महान न्यायाधीश और पूर्व राज्यपाल ने की है मैं आपको उसके कुछ उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं । दवा कम्पनी पेनजोन फार्मा और चिकित्सक के बीच हुए पत्र व्यवहार को मैंने अध्ययन किया है और मेरी राय में चिकित्सकों द्वारा लिये गये रुपये और तोहफ़े न केवल नैतिक रूप से और सेवा नियमों के खिलाफ है बल्कि गैर कानूनी घूस है । चिकित्सक अपनी ड्यूटी करते हुए कम्पनियों के उत्पादों को बढावा देते हैं और रिवार्ड हासिल करते हैं । उनका यह कृत्य भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 इण्डियन पैनल कोड की धारा 161 के तहत प्रथम दृष्टया दण्डनीय है बशर्ते इसकी सही जांच हो । पूर्व राज्यपाल और न्यायाधीश की ऐसी टिप्पणी के बावजूद भी यह सरकार कहती है कि हम कइयों से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के मामले में बहुत अच्छी सेवाएं दी है । मेरी समझ में नहीं आता यह सदन खुद फैसला करे कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है । आये दिन एसएमएस मशीनों के बारे में कहा जाता है । एक साल में एक मशीन 33 बार खराब हो जाये और आप कहो कि एसएमएस में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं इससे ज्यादा खराब बात और क्या हम देख सकते हैं । स्वास्थ्य सेवाओं में सरकारी एम्बुलेंस की तो बात ही छोड़ दीजिए उसकी तो क्या हालत है उसमें किसी तरह के उपकरण अवेलेबल नहीं है । किसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको और निवेदन करना चाहता हूं मेरे द्वारा एक एम्बुलेंस जमवारामगढ पीएचसी को दी गई । मेरे विधायक कोष से पूरा पैसा उस

एम्बुलेंस के लिये दिया गया और जब मैं विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम के तहत जमवारामगढ पहुंचा और जब मैंने मालूम किया कि वह एम्बुलेंस कहां है, वह एम्बुलेंस कहां गई थी उस एम्बुलेंस को अकबर जोधा फिल्म की शूटिंग के लिये किराये पर भेज दिया गया । यह ऐसी सरकार है और उसके बावजूद मैंने सतर्कता समिति में इस प्रश्न को उठाया और आज तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई । हम कैसे उम्मीद करें कि यह सरकार संवेदनशील है, हम कैसे उम्मीद करें कि सरकार अच्छा काम कर रही है और फिर भी इतने बहुमत के आधार पर आपको इसको पास करना है हमें कोई एतराज नहीं है । हम जानते हैं कि आप पास करेंगी लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी ड्यूटी समझता हूं, अपना दायित्व समझता हूं कि मैं सरकार को चेताऊं।

अल्पसंख्यकों की बात की गई । न तो पिछले अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ कहा गया और न ही इस अभिभाषण में अल्पसंख्यकों के बारे में एक शब्द कहा गया । एक कल्याण की बात नहीं कही गई क्योंकि इस सरकार को तो अल्पसंख्यकों के नाम से ही छींक आती है यह करेगी कैसे उसकी बात । मंत्रियों को तो इस तरह से पीटा जाता है फिर कैसे करेगी । एक अल्पसंख्यक मंत्री जीत कर आया उसको भी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने इस तरह मार, कैबिनेट मंत्री है । फिर भी आप उसको बहुत अच्छा तो मुझे कोई एतराज नहीं है । खूब पीटिये और कुटवाइए हमको कोई एतराज नहीं है । आपको सब जनता देख रही है । (व्यवधान) हम काहे को चाहते थे आप ही चाह रहे हो जब ही आप कर रहे हो यह काम ।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): गृह मंत्रीजी उधर ही उधर वालों को पिटवाना इधर नम्बर मत लेना ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में दिनांक 4.3.2006 को करबला हज हाउस के निर्माण के बारे में बात उठाई थी और इस बारे में स्वयं माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने मेरी ओर मुखातिब होकर क्या कहा था मैं उसकी कुछ बात आपको निवेदन करना चाहता हूं । आपको बहुत चिंता हो गई है कि करबला क्षेत्र में हज हाउस, सांगानेर में दूसरे हज हाउस के नक्शों के बारे में क्या हुआ । हमें भी बहुत चिंता थी । जब सब लोग आये उसके बाद अब इस भूमि पर हज हाउस के नक्शे तैयार हो गये हैं । जनवरी, 2006 में प्रस्तुत भी हो गये थे

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

अब पास हो गये हैं और बहुत जल्दी इसका काम चालू हो जायेगा । एक साल निकल जाने के बावजूद मुख्य मंत्री द्वारा इस सदन में घोषणा करने के बावजूद हज हाउस वह चाहे सांगानेर में बना हो चाहे करबला में बना हो लेकिन आज तक हज हाउस के ऊपर एक ईट तक नहीं रखी गई है । मुख्य मंत्री की घोषणा पर अमल नहीं हो तो राजस्थान की जनता किस तरीके से आपको देखेगी, किस तरीके से आपके ऊपर विश्वास करेगी यह मैं आपको पूछना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्षः आपने 15 मिनट ले लिये हैं ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मैंने तो अभी शुरू ही किया है ।

श्री अध्यक्षः आपकी पार्टी में बहुत बोलने वाले हैं । आपका समय तो एक घंटा और 45 मिनट ही है जिसमें से 15 मिनट आप ले चुके हैं ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मेरा समय हमारी पार्टी के कोटे में से काट दीजिए । मैं थोडी देर में कनक्लूड कर रहा हूं । यह स्थिति है इसीलिए इनके मंत्री पर जानलेवा हमला होता है और 307 लगना चाहिये उस 307 को नहीं लगाया जाता है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः ला एण्ड आर्डर पर तो आपने काफी विस्तृत रूप से बता दिया है ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी मुझे थोडा बोलने दें।

श्री अध्यक्षः बोलिए ।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): जयपुर में 2008 में बीसलपुर के पानी को लाने की बात कही गई । यह योजना अभी की नहीं है यह तो कांग्रेस सरकार ने ही बना दी थी आपने कोई नया काम नहीं किया है, आप तो इसको डिले कर रहे हो । लेकिन मैं एक और चेतावनी देना चाहता हूं।

2007-08 में लो चाहे 2009 में लो लेकिन अगर आपने जयपुर की जनता के लिए पानी की व्यवस्था नहीं की तो अब गर्मियां शुरू हो गई। अगर गरमी शुरू होने के बाद आपने जयपुर की जनता को समय पर पानी नहीं दिया तो लॉ एंड आर्डर की जिम्मेदारी इस सरकार की होगी। मैं आपको

चेतावनीवश कहता हूं। आप जो भी कह रहे हो, आप कहते हो कि हम कर रहे हैं। आप ही ने 1260 करोड रूपये केन्द्र सरकार से इसके लिए मांगा है और फिर भी केन्द्र सरकार पैसा दे रही है उसके बावजूद भी काम पूरा नहीं कर रहे हो, समय पर पूरा नहीं हो रहा । क्या हालत होगी, बीसलपुर योजना, आपके लॉ एंड आर्डर की स्थिति किस तरीके से खराब होगी यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: पानी से आप चले गये लॉ एंड आर्डर पर। पानी की बात कर रहे थे आप तो।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): पानी की बात पर ही कह रहा हूं। अगर आपने पानी सप्लाई नहीं की, जो अभी हाहाकार मचा हुआ है तो गर्मियों में क्या होगा? इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि यदि आपने पानी की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं की तो जयपुर में लॉ एंड आर्डर की स्थिति बिगड़े बिना नहीं रहेगी।

कल मिड डे मील की बहुत बात हो रही थी। माननीय पंचायती मंत्री बहुत बढ़ चढ़कर बात कर रहे थे मिड डे मील के लिए । एक करोड बच्चों के नाम से मिड डे मील का गेंहू आ रहा है। यह सरकार के आंकड़े है, मेरे आंकड़े नहीं है, उसके अंदर घपला 150 करोड रुपये का हुआ।

श्री अध्यक्ष: काहे के आंकड़े हैं आपके पास ?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): यह सरकार के ही आंकड़े दिये हुए हैं। माननीय अध्यक्षजी, आप जितना मुझे टोक रहे हो, सत्तापक्ष के सदस्यों को टोकतीं तो ज्यादा अच्छा होता। आप कहे तो मैं पढ़कर बता दूं कि किस-किस के क्या-क्या आंकड़े हैं कितनी ड्रापआउट है। कितना गेंहू उन्होंने उठाया और उसके बावजूद मिड डे मील की कल पंचायत राज मंत्री बहुत लम्बी चौडी बात कर रहे थे।

आबकारी नीति के बारे में कहना चाहूंगा कि कितने स्कूलों, मंदिरों, मस्जिदों, पार्को, गुरूद्वारों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह किसका मोबाइल बजा (व्यवधान) इसे बंद करना भी नहीं जानते क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मोबाइल के खिलाफ भी कार्यवाही करनी पड़ेगी, यह बोल गया, हिम्मत देखो इसकी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): रिहायशी इलाकों में शराब की दुकान खोली जा रही है। इसके तहत जो आबकारी नीति बनी हुई है उसके बावजूद दस-दस, बीस-बीस मीटर, पचास-पचास मीटर के स्थान पर शराब की दुकान खोल रहे हैं और उसी का नतीजा है कि कल क्या हुआ, कलक्ट्रेट में क्या हुआ । जिस तरीके से सरकार ने शराब को बढ़ावा दे रखा है उसी का प्रभाव कल था। पत्रकार को इसलिए मारा गया। अगर शराब नहीं बेची जाती, शराब का इस तरीके से नहीं किया जाता, शराब इस तरीके से नहीं परोसी जाती, चाहे वह पुष्कर हो चाहे कहीं पर भी हो अगर इस सरकार ने शराब पर पाबंदी लगाई होती तो यह कल की घटना नहीं होती। हमारे पत्रकार बंधु नहीं पिटते । सरकार की कमी की वजह से, सरकार की गलत आबकारी नीति की वजह से यह हुआ। मैं आपको उदाहरण देता हूं, हमने जब सार्थकता समिति के अंदर इस मामले को उठाया और डेढ़ साल से उठा रहे थे उसके बावजूद कुछ दुकानों, कुछ स्कूलों, कुछ मंदिरों, मस्जिदों से उन दुकानों को कैंसिल किया। आपने पहले भी किया होता यह काम।

बहुत कुशल वित्तीय प्रबंधन की बात हो रही है। बहुत बढ़ चढ़कर आंकड़े दिये गये लेकिन भारत सरकार की पालिसी में जो पहले नहीं थी, भारत सरकार ने, आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी को और चंदनमल साहब को धन्यवाद दीजिए कि जिन्होंने पालिसी को रिलेक्स किया। आपको पैसा दिया और उस वजह से आपकी योजना, आप कहते हो बढ़ चढ़कर हुई।

पांच साल के अंदर हमारी सरकार ने सिर्फ 20 हजार करोड का कर्ज बढ़ाया । आप कहते हो कि कुशल प्रबंधन था, तो आपने तीन साल में 20 हजार करोड का कर्ज कैसे बढ़ा लिया, आपका तो बहुत कुशल वित्तीय प्रबंधन है, आपके पास तो बहुत पैसा आ रहा है, आप तो बहुत अच्छा पैसा लगाना जानते हो फिर भी बीस हजार करोड का कर्जा आपने कैसे बढ़ा लिया।

भ्रष्टाचार के मामले में आदरणीय मंत्रीजी, जिस तरीके से...(व्यवधान) आप थोड़ा बिराज जाइये, आपके समझ में नहीं आयेगा। भ्रष्टाचार का कितना बुरा हाल है, माननीय मंत्रीजी दुर्गा की पूजा करते हैं तो 90 बी की कार्यवाही खुल जाती है और जिस दिन दुर्गा पूजा नहीं हुई, 5-7 दिन कहीं ट्यूर पर चले गये तो 90 बी की कार्यवाही बंद। फिर आये, फिर दुर्गा पूजा की, फिर 90 बी की कार्यवाही चालू, बड़ी अजीब बात है। क्या हुआ है 90 बी को, क्या हुआ है मंत्रीजी को, कहां कितना भ्रष्टाचार करोगे ?

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

चाहे सेज हो, चाहे रिंगरोड हो, चाहे, जयपुर को पूरे को बेच दिया फिर भी अभी पेट नहीं भरा। और तो और, एक भला जेडीसी आ गया जयपुर में, आपने अपने पिछले कारनामों को छिपाने के लिए भले जेडीसी को लगा दिया। उस जेडीसी ने काम करना बंद कर दिया तो मंत्रीजी ने कह दिया कि 500 गज के प्लाटों को मेरे पास भेजो जेडीए में नहीं, मैं करूंगा। क्या मतलब है? किसलिए करेंगे? क्यों जेडीसी के अधिकार को छीनना चाहते हो? इसलिए कि आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो।

600 से ज्यादा फाइलें 90 बी की वजह से सरकार के अंदर पेंडिग है क्योंकि जो पूजा में शामिल हो गया उसकी तो 90 बी खुल जाए और जो पूजा में शामिल नहीं है उसकी 90 बी नहीं खुल सकती।

भ्रष्टाचार के आलम की तो पराकाष्टा और बताने जा रहा हूं। इस सरकार की सबसे घिनोनी पराकाष्टा है, और तो और किसी चीज को कहां तक छोड़ोगे, लावारिस लाशों को जलाने के लिए भी यह सरकार पैसा खा जाती है। सूचना के अधिकार के रूप में जो हमने सूचना मांगी तो यह इनका नगर निगम का मेरे पास दस्तावेज है, इसमें कहा कि हम इस तरह का कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं। क्या बात है, कितना भ्रष्टाचार करेंगे ? क्या और से भी पेट नहीं भरा, जमीन से भी पेट नहीं भरा, अब लावारिस लाश को जलाने में भी पैसा खाने लग गए, बहुत शर्म की बात है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदयजी, अंत में एक बात कहकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा, राजस्थान के तीन साल के इतिहास में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप बीच में नहीं टोकें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, टोकेंगे तो नहीं परन्तु जिस तरह से यह बिना किसी आधार पर भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार, पूजा हो गई फिर 90 बी खुल गई, क्या प्रमाण है इनके पास? सदन का उपयोग इस तरह...(व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, दुर्गा की पूजा तो होती है। वह तो दुर्गा पूजा की बात करते हैं। दुर्गा पूजा कहां नहीं होती, घनश्यामजी तिवाड़ी, होती है ना दुर्गा पूजा ? दुर्गा पूजा कहां है... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तार्किक आधार हो, कोई प्रमाण हो इनके पास, समझ में आता है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूजा और प्रसाद में भी आपको एतराज है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह चौपड़ पर भाषण दे रहे हैं क्या...

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): पूजा और प्रसाद में भी एतराज हो गया आपको मंत्रीजी।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा रहे हैं उस पर एतराज है, प्रमाण दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आरोप है, सही है।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): प्रमाण दो पहले। हिम्मत है तो पहले (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सही है। बार-बार ...(व्यवधान) चर्चा होती है सरकार कोई न कोई हंगामा विधान सभा में कर देती है।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): आपके पास आधार है तो लाइये ना, कौन मना करता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कोई मामला हो, स्पेसिफिक मामला हो....

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): प्रमाण है और इस सदन में हर रिकार्ड पर लाये हम प्रमाण पिछले सेशन के अंदर..(व्यवधान) जेडीए पर चर्चा रख दीजिए एक दिन की, अगर आपके अंदर नैतिक बल है तो जेडीए पर एक दिन की चर्चा रख दीजिए। साबित करके बताएंगे।

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): आप रख दो प्रमाण।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसी सदन में साबित करके बताएंगे कि करोड़ो रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है। करोड़ों रुपये का भ्रष्टाचार हुआ है, साबित करके बताएंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अभी कह रहे हैं प्रमाण है...(व्यवधान) आपके पास प्रूफ है तो ले आइये..(व्यवधान) हिम्मत है आप ले आइये।

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): नोटिस देकर आओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): ×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, अन्त में निवेदन है।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री अध्यक्ष: वेग चार्ज लगा रहे हैं, वेग चार्ज लगा रहे हैं, पूजा होती है और 90-बी होती है, बेकार की बात है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, आप बीच में नहीं बोलें। (व्यवधान) माननीय बृजकिशोरजी, अब आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री संयम लोढा: ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री सांगसिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री अध्यक्ष: आर्डर, आर्डर, आप कृपया समाप्त करें।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): मैं एक मिनट में कन्क्लूड कर रहा हूं, माननीय अध्यक्षजी। अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं।

श्री जितेन्द्र सिंह (अलवर): ×××

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष पर कोई कण्ट्रोल नहीं है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्षजी, मैं अन्त में एक ही बात कहना चाहता हूं इस राजस्थान सरकार की, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी की सुविधाओं पर इतना पैसा खर्च हुआ है कि जब से राजस्थान सरकार, राजस्थान बना है, उससे लेकर आज तक इससे पहले के मुख्य मंत्रियों

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

के पैसे को अगर जोड़ दिया जाए तो इस 3 साल में मुख्य मंत्री पर ज्यादा खर्च हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): कितना खर्चा हुआ है, बतायेंगे। कोई है आंकड़ा?

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): 125 करोड़। 125 करोड़ रुपये, subject to correction. (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): किस आधार पर कह रहे हैं। (व्यवधान) मैं कह दूं ...(व्यवधान) मैं 500 करोड़ कह दूंगा तो यह क्या बात हुई, अध्यक्ष महोदय। कोई आधार नहीं, 125 करोड़ रुपया खर्च हो गया। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: खजाना खाली।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): आपने मुझे समय दिया, इसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक। एक सैकिण्ड, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, आपने 125 करोड़ रुपये...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): Subject to correction, मैंने बोला है, आप देख लीजिये। (व्यवधान) रिकार्ड चेक करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): नहीं, अध्यक्ष महोदय, बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): रिकार्ड को चेक करा लीजिये।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): अगर इनमें हिम्मत है तो नियमों में क्यों नहीं आते? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आसन ग्रहण करें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्यगण। सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण, कृपया स्थान ग्रहण कर लें। अपने 125 करोड़ रुपये...

श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण): Subject to correction, मैंने रिकार्ड कराया है।

श्री अध्यक्ष: कितना, नहीं, सब्जेक्ट, मैंने सुना। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): मैंने कहा, हिम्मत हो तो गैस की

(श्री मदन राठौड़)
कालाबाजारी के बारे में बोलते। आप खुद करते हैं गैस की कालाबाजारी, उसका पता ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्लीज, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें, सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): माननीय अध्यक्षजी, जो उन्होंने आरोप लगाये हैं कि ये गैस की कालाबाजारी करते हैं और आप इनको देख रही हैं। कैसे आरोप लगा दिया उन्होंने?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री देवीशंकर भूतड़ा (ब्यावर): ×××

श्री हरीसिंह रावत (भीम): ×××

श्री केसर देव बाबर (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री अध्यक्ष: सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण, सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण, मैं आपसे कह रही हूं। सुमेरपुर से आने वाले माननीय सदस्य, मैंने जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य से पूछा था, क्योंकि मुझे सुनाई दिया 125 करोड़ रुपये मुख्य मंत्रीजी की सुविधाओं पर खर्च किया गया। तो मैं कहना चाह रही थी उनसे कि आप उसकी विगत भी बता दें, ब्यौरेवार कि किस-किस काम पर खर्च हुआ तब तो कोई जवाब मिलेगा। वरना क्या जवाब मिलेगा? उस बीच में इस तरह से क्या आरोप लगा दिया, मैंने नहीं सुना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, आप बैठिये। प्लीज, आप बैठिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप कृपया बैठिये, आप बीच में आते हैं। आसन के और सदस्य के बीच में आने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आसन से ... (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप फिर से आ गये।

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): ×××

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): ×××

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): ×××

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): ×××

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री जयराम जाटव (खैरथल): ×××

श्री अध्यक्षः मेरे सामने जो-जो माननीय सदस्य खड़े हैं, उनसे पूछ रही हूं कि कौन से नियम में खड़े होकर आप जोर-जोर से बोल रहे हैं? जब मैंने आपसे पूछा उसके बीच में खड़े हो गये। इतनी जोर से शोर मचा कि मुझे नहीं पता कि किसने क्या चार्ज लगाया और किस पर लगाया। मुझे पता ही नहीं लगा। और उसके बीच में हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य की तो आदत है कि वे चाहे जब खड़े होंगे, चाहे जब बोलेंगे। आदत है। तो मैं पूछ रही थी, मैं आपसे एक ही बार-बार कह रही हूं, आसन से बार-बार, हाथ नीचे करें, बार-बार मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप आसन का काम नहीं किया करें। यह काम आसन का है। आसन रोकेगा, टोकेगा। आप इतना आपस में मिलकर शोर मचाते हैं, मुझे सुनता नहीं है कि आप, कौन बीच में किस पर क्या चार्ज लगा गया, क्या आरोप लगा गया। मैंने पूछा था जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य से कि मुख्य मंत्री की सुविधाओं पर, जैसा कि उन्होंने कहा कि 125 करोड़ रुपया, तो मैंने कहा क्या सचमुच में 125 करोड़ रुपया खर्च हुआ? किस-किस पर, उसका ब्योरा भी बता दें कि किस-किस बात पर क्या खर्च हुआ? वह बोले नहीं। खतम। उन्होंने आगे कुछ कहा नहीं। सब्जैक्ट टू करेक्शन, उसके बाद आप फिर शोर मचाने लग गये। वह इतना ही बोल पाये। सब्जैक्ट टू करेक्शन। हां ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब इन नियमों और प्रक्रियाओं से बंधे हुए हैं, अगर किसी भी माननीय सदस्य को किसी मंत्री पर, किसी सदस्य पर आरोप लगाना है तो नियम 273 के तहत नोटिस दें और उसके बाद हम निश्चित तौर पर जवाब देंगे। वरना यह कहना किसी को कि 125 करोड़ रुपये सुख-सुविधाओं के लिए खर्च हो गये, वहां पूजा हो रही है, 90-बी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे ही यह व्यवस्था चाहूंगा और आपसे इस चीज का संरक्षण भी चाहेंगे कि कम से कम हम सबको किसी लक्ष्मण रेखा में बांधने का काम तो आपको करना ही पड़ेगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अपनी बात कहें, सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है। परन्तु यह किस आधार पर यह कह दें, मैं आपके माध्यम से जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य से ... (व्यवधान) विराज जाओ आप।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुविधाओं पर खर्च करना आरोप थोड़े ही है। सुविधाओं पर खर्च करना आरोप हुआ क्या? सुविधाओं पर खर्च कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप विराजिये। मैं आपके माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, सिविल लाइन्स का जो पी.डब्ल्यू.डी. का रजिस्टर है, उसमें आपने सिविल लाइन्स के बंगलों पर व्यय का सामूहिक खर्चा शो किया है जिससे कि जनता को यह मालूम नहीं पड़ सके कि मुख्य मंत्री के निवास पर कितना खर्चा हुआ है, यह सारी इन्फोरमेशन हाइड करना चाहते हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था। मैं आपके माध्यम से जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य से यह पूछना चाहूंगा कि उनके पास 125 करोड़ रुपये का आंकड़ा है तो सदन की मेज पर रखें वरना अपने शब्दों को वापस लें। और यह जो सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य जो कह रहे हैं अगर यह किसी भी नियम और प्रक्रिया में आकर मुझसे सवाल करेंगे कि राजस्थान के अन्दर या जयपुर के अन्दर सिविल लाइन्स पर किस-किस बंगले पर कितना-कितना खर्च हुआ तो मैं न केवल इन तीन वर्षों का बता दूंगा बल्कि पांच वर्षों का भी बता दूंगा कि किस समय कितना-कितना खर्च हुआ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मंत्रीजी, आपसे पूछा हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): लेकिन नियम और प्रक्रियाओं से आये। अगर जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य, आपमें हिम्मत है कि 125 करोड़ रुपये ... (व्यवधान) तो मैं कहता हूं आपसे कि ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और आपने सारे बंगलों का जोइंट

(श्री संयम लोढ़ा)

एक्सपेंडिचर दिया है। खाली मुख्य मंत्री के निवास का एक हिस्सा देने के बाद बाकी का सब आपने जोइंट में शो किया है और यह राजस्थान की जनता से छिपाने के लिए किया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): तो आप विवरण दें।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुविधाओं पर, सरकारी सुविधाओं पर खर्च करना आरोप है क्या? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और इनके आरोप में सच्चाई है। ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह कोई आरोप है क्या?

श्री जीवराम चौधरी (सांचौर): सच्चाई है तो क्यों नहीं आते नियमों में?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हेलिकॉप्टर खरीदा, हवाई जहाज खरीदा और बढ़िया-बढ़िया ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सी.एम. आफिस पर किया।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): आप नियमों में आओ। आप 273 नियम के ... (व्यवधान) आप खड़े होकर चाहे जैसे बोलना शुरू कर देते हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपका अपराध कम नहीं होगा। (व्यवधान) 150-125 करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य तो स्वयं ही नियम बनाते हैं और ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): हेलिकॉप्टर खरीदा है। गाड़ियां बदलीं, आलीशान मकान बनाये हैं। यह किया है।

श्री जयराम जाटव (खैरथल): बोलें तो नियमों में बोलें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): सुविधाओं पर ही तो व्यय किया है।

श्री अध्यक्ष : आसन पांवों पर। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य। माननीय सदस्यगण। सिरोही

(श्री अध्यक्ष)

से आने वाले माननीय सदस्य। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

माननीय सदस्यगण, यदि जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य यह कहते कि मुख्य मंत्री की सुविधाओं पर अनाप-शनाप खर्च किया गया है तो भी मेरे समझ में आती थी यह बात। यह कहने का तो उनको अधिकार था। 175 करोड़ रुपये ... (व्यवधान) 125, सॉरी 125 करोड़ रुपया, इसका मतलब स्पेसिफिक चार्ज वह या तो 273 में आप नोटिस देते वरना आप ब्यौरेवार बताते कि यह ब्यौरा है। यह-यह बातों पर यह-यह खर्च किया गया है तब तो समझ में आने वाली बात थी। इस तरह से वेग चार्ज बिना नोटिस के आपको लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह वेग नहीं है। आप टाइम दीजिए। हम इसी सेशन में आपको पूरी डिटेल देंगे, इसी सेशन के अन्दर ... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं है। बैठिये एक मिनट ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो बात कही है, उसी के संदर्भ में मैं भी एक बात कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले एक व्यवस्था दी जा चुकी है। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): कोई वेग चार्ज नहीं है यह।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सदन में वाद-विवाद के समय मंत्री अथवा सदस्य जो सदन में उपस्थित हो, पर आरोप लगाने से पूर्व ... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम पूरी जानकारी देंगे। इसी सदन के अन्दर एक-एक पैसा गिनाएंगे और 125 करोड़ ... (व्यवधान) आपको इसी हाउस के अन्दर गिनाकर बताएंगे। हम कह रहे हैं यह।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): श्री अध्यक्ष को नियम 273 के अन्तर्गत पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है।

श्री अध्यक्ष: पूर्व सूचना दो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): पहला संकलन है अध्यक्षीय दिये गये

(श्री जुबेर खान)

महत्वपूर्ण निर्णयों के संकलन, प्रथम खण्ड, पेज-273, यह 26.3.1970 का है। सदन में वाद-विवाद के समय मंत्री अथवा सदस्य जो सदन में उपस्थित हो, पर आरोप लगाने से पूर्व श्री अध्यक्ष को नियम 273 के अन्तर्गत पूर्व सूचना देना आवश्यक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः She is not here. मुख्य मंत्रीजी यहां पर नहीं हैं ... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मुख्य मंत्रीजी उपस्थित नहीं हैं। यहां पर उपस्थित नहीं हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी यहां पर बैठे हैं।

श्री अध्यक्षः मुख्य मंत्रीजी नहीं हैं यहां पर। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां पर बैठे हैं। सार्वजनिक निर्माण मंत्री यहां पर बैठे हैं, इनके माध्यम से, इनके विभाग के माध्यम से ... (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): लेकिन जो सदन में नहीं है, उन पर आप चार्ज नहीं लगा सकते हो। जो सदन में नहीं हो उनके खिलाफ चार्ज नहीं लगा सकते हो।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जी.ए.डी. मंत्री यहां पर बैठे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री यहां पर बैठे हैं। मंत्री मौजूद है यहां पर।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाये हैं, मुख्य मंत्रीजी सदन में उपस्थित नहीं हैं।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): जब सदन में नहीं हैं तो चार्ज नहीं लगा सकते हो आप।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह पेज नम्बर-272 पर है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाया है और मुख्य मंत्रीजी सदन में उपस्थित नहीं है इसलिए यह चार्ज नहीं लग सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रक्रिया और नियमावली के नियम 273 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: अध्यक्षीय व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): और श्री मुकुट बिहारी गोयल, सदस्य, विधान सभा ने गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाये थे। 26.3.1970 को आप देख लीजिए। अध्यक्षीय व्यवस्थाओं को देख लीजिए।

श्री अध्यक्ष: यहां प्रक्रिया और कार्य-संचालन नियमावली से काम चलता है। अध्यक्षीय व्यवस्थाएं बदलती रहती हैं लेकिन नियम, प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमावली से काम चलता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह अध्यक्षीय व्यवस्था बेकार है? यह अध्यक्षीय व्यवस्थाओं का कोई महत्व नहीं है?

श्री अध्यक्ष : अध्यक्षीय व्यवस्थाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं। ... (व्यवधान)

श्री जुबेर खान (रामगढ़): या तो आप यह कहिये कि मैं व्यवस्था बदल रही हूं। आज आप इनका कोई महत्व नहीं रखते जो छपाकर आपने हमको दे रखे हैं? जब अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, यह आसन ही से व्यवस्था दी गयी है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मैं कह रही हूं कि अध्यक्षीय व्यवस्थाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं। समय-समय पर बदलती रहती हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): या तो आप कह दीजिए कि मैं यह व्यवस्था बदल रही हूं। हम मान लेंगे। आप बोल दीजिए कि यह व्यवस्था दी हुई है इसको आप बदल रही हैं।

श्री अध्यक्ष: लेकिन यह सदन इस राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमावली से चलेगा।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): यह सदन किससे चलेगा?

श्री अध्यक्ष: यह अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, इनसे नहीं चलेगा। ... (व्यवधान) यह केवल अध्यक्षीय व्यवस्थाएं हैं, जो समय-समय पर बदलती रहती हैं। अध्यक्षीय व्यवस्थाएं समय-समय पर बदलती रही हैं। ... (व्यवधान) और बदलती रही हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तो आप बदल रहे हैं न आज? आप कह दीजिए कि मैं आज बदल रही हूं। हां, बदल दीजिए आप, आपको अधिकार है पर ऐसा मत करिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवस्थाएं बदलती रही हैं। अध्यक्षीय व्यवस्थाएं समय-समय पर होती रही हैं और बदलती रही हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसा मत करिये। उधर से तो आप ... (व्यवधान) उधर से तो आज तक आरोप लगते रहे हैं। आप कृपया, ... (व्यवधान) यह ठीक नहीं है।

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 273 में स्पष्ट प्रावधान है। किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में प्रक्रिया। किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधबोध प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदन के अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को पूर्व में सूचना नहीं दे दी गयी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिए विषय की जांच कर सके।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, ऐसी बात। सुन लिया मैंने आपको। ... (व्यवधान) किस संदर्भ में, अध्यक्षीय व्यवस्था संदर्भ के अनुसार होती है। उस वक्त जो दी गयी अध्यक्षीय व्यवस्था किस संदर्भ में दी गयी थी, क्या था, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अध्यक्षीय व्यवस्थाएं समय-समय पर बदलती रहती हैं। लेकिन यह पुस्तक जो है, प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियम, इन नियमों से सदन चलता है।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें नियम यह भी है कि जो सदस्य इस सदन का सदस्य नहीं है उसका यहां पर नाम नहीं लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: हां, नहीं लिया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): लेते हैं न। आपके सामने नाम लेते हैं।

श्री अध्यक्ष: लेते हैं तो उस बात को एक्सपंज करने की बात हो गयी थी न, फिर आप बार-बार दोहरा रहे हो उस बात को।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बात बता रहे हैं वह अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं है। वह उपाध्यक्ष की है। यह अध्यक्ष

(श्री मदन राठौड़)

की व्यवस्था नहीं है, यह जो बोल रहे हैं यह अध्यक्ष की व्यवस्था नहीं है वहां पर माननीय उपाध्यक्ष थे उस समय आसन पर। यह रही मेरे हाथ में ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्षः दीजिए मुझे।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): आसन पर जो होता है वह अध्यक्षीय व्यवस्था ही होती है, चाहे कोई भी हो। ... (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): यह रही व्यवस्था।

श्री अध्यक्षः मुझे लाकर दो आप। जाओ प्लीज, जाओ और मुझे लाकर देओ आप।

डा. **सुरेश चौधरी** (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने कुछ भी कहा लेकिन एक बात कही कि आपकी मुख्य मंत्री की सुख-सुविधाओं पर, माफ करना मुख्य मंत्री किसी आपकी नहीं होती है, मुख्य मंत्री प्रान्त की होती है, राजस्थान की होती है, नम्बर एक। नम्बर-दो, जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा और यह बात भी आयी कि 125 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री की सुख-सुविधाओं पर लगे। इसका मतलब आप यह मानकर बैठे हो कि पौने दो साल बाद यही मुख्य मंत्री फिर रिपीट होंगी? इसका मतलब यह मानकर बैठे हो कि आपका कोई भी नेता उस मुख्य मंत्री निवास में नहीं जाएगा?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): नहीं-नहीं। ... (व्यवधान)

डा. **सुरेश चौधरी** (भादरा): एक मिनट हरिमोहनजी। हरिमोहनजी, मैं आपके बीच में नहीं बोलूंगा। एक मिनट, मेरी बात सुनेंगे आप। ... (व्यवधान) और सिविल लाइन को मुख्य मंत्रीजी न तो दिल्ली ले जाएंगी और न ग्वालियर ले जाएंगी और सिविल लाइन यहीं पर रहेगा और यहां पर किसी भी पार्टी का मुख्य मंत्री आएगा, किसी की भी सरकार बनेगी वह रहेगा। यह कहना कि हेलिकॉप्टर पर खर्च कर दिया, प्राइवेट स्टेट प्लेन पर खर्च कर दिये अगर आपका मुख्य मंत्री आया, आपका कोई नेता मुख्य मंत्री बना तो वह उस स्टेट प्लेन का इस्तेमाल करेगा या हमारी पार्टी के नेता इस्तेमाल करेंगे? तो यह ऐसी इस तरह की बात करना गलत है।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): उनके बनने का चांस ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक व्यवस्था चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है। राजस्थान की जनता को शौचालय जाने के लिए लौठा लेकर जाना पड़ता है पर ... (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: जहां पर जितना खर्च होना चाहिए वहां पर उतना खर्च हो रहा है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और मुख्य मंत्री ... (व्यवधान) यहां पर कमोड लगाकर बैठी हुई हैं। राजस्थान की गरीब जनता का पैसा है। उसके घर का नहीं है यह पैसा ... (व्यवधान) और यह आरोप सही है। हम गिना देंगे। 125 करोड़ रुपये गिना देंगे। कल गिना देंगे हम आपको।

श्री विजय बंसल : अब इससे यह सिद्ध होता है कि इनको आगामी विधान सभा में भी आने की उम्मीद नहीं है। (व्यवधान) इनका कहना तो यही सिद्ध करता है।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): एक तारीख को अध्यक्षजी की व्यवस्था हो गयी कि रामनारायणजी चौधरी के नेतृत्व में इधर ही कांग्रेस का बनेगा। (व्यवधान) हो गयी व्यवस्था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : रामनारायणजी चौधरी को उधर शिफ्ट मत कर देना।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आप व्यवस्था के खिलाफ नहीं जा सकते।

श्री विजय बंसल : अब तो परमानेन्ट बीजेपी की सरकार रहेगी।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): मुंगेरीलाल के हसीन सपने मत देखो। .

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बता दो कि सवा तीन साल में एक बार भी वह रेलगाड़ी से गयी हैं क्या ? (व्यवधान) यह बता दो आपके पास रिकार्ड हो तो ? हवाई जहाज से नीचे नहीं उतरीं सवा तीन साल के अंदर...(व्यवधान) और बातें कर रहे हो प्रजातंत्र की और लोकप्रिय होने की ... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): राजस्थान के मुख्य मंत्री का एक-एक पल कीमती है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमेशा हवाई जहाज से गयी हैं।

एक माननीय सदस्य : राजस्थान जैसे प्रान्त के मुख्य मंत्री को ...(व्यवधान) आप भेजना चाहते हो ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल : मुख्य मंत्रीजी राजस्थान का गौरव हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि पौने दो साल बाद जब यह राज पलटेगा तो हम सत्ता में आयेंगे और मुख्य मंत्री निवास को एक म्युजियम में बदलेंगे ...(व्यवधान) और बतायेंगे कि इस प्रजातंत्र के अंदर एक ऐसी मुख्य मंत्री आयी थीं ...(व्यवधान) उसका यह नया मकान बतायेंगे। इस प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की मुख्य मंत्री थीं बतायेंगे लोगों को। इतना दुरूपयोग किया। ...(व्यवधान)

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): नक्शा बदल गया। आप तो मुंगेरी लाल वाले सपने मत देखो। कभी भी इधर आने का चांस नहीं है।

डा. **सुरेश चौधरी** (भादरा): राज पलटेगा तो आपको कष्ट नहीं होना चाहिये। पौने दो साल बाद वह सुविधाएं, आपका जो मुख्य मंत्री बनेगा, वह उपभोग कर लेगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हम म्युजियम बनायेंगे और राजस्थान की गरीब जनता को लाकर दिखायेंगे कि पांच साल के प्रजातंत्र में भारतीय जनता पार्टी और आर एस एस ने कैसी मुख्य मंत्री दी थी, जिसने जनता के धन का किस तरह से दुरूपयोग किया । यह राजस्थान की पांच करोड़ जनता को लाकर दिखायेंगे।

श्री राकेश मेघवाल (परबतसर): राजस्थान की मुख्य मंत्री के पास खजाना भरा हुआ है। आपका खजाना खाली था और खाली खजाने में से लगाते क्या ? आप तो कहते थे खजाना खाली, राज्य की माली हालत खराब, तो लगाते क्या ? अभी खजाना भरा हुआ है। राजस्थान में उच्च पद पर तीन देवियां बैठी हैं इसलिए खजाना भरा हुआ है। राजस्थान की जनता, गांव, ढाणी

(श्री राकेश मेघवाल)

तक विकास की गंगा जाती है। कभी भी खजाना खाली नहीं रहा। इसलिए आपको जलन हो रही है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आसन से व्यवस्था हुई थी। आसन ने अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था दी थी। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था यह दी थी कि जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाया या तो उसका ब्यौरा सदन में प्रस्तुत करें वरना अपने शब्द वापस लें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो यह बता दो सवा तीन साल में एक बार भी रेलगाड़ी से गयी हैं क्या ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आरोप में नहीं आता है । आप संसदीय कार्य मंत्री हैं ...(व्यवधान) यह आरोप की तारीफ में नहीं आता ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): यह कोई बात हुई क्या ?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह आरोप की तारीफ में नहीं आता और आप कह रहे हैं आरोप, आरोप, आरोप। आरोप का बहाना करके आप खास बने रहना चाहते हो मुख्य मंत्रीजी के ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): एक बार तो रेलगाड़ी में बिठा दो। सवा तीन साल में एक बार भी नहीं बैठी हैं। जनता के पैसे का इतना चूना मत लगाओ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अभी तो आपको रेलगाड़ी के अंदर बिठा रखा है हमने । राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं वह।

एक माननीय सदस्य : आपके मुख्य मंत्रीजी के पास तो खजाना खाली था। नंगा नहायेगा क्या और निचोड़ेगा क्या ?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): लोढ़ाजी, आप बतायेंगे प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी कितनी बार रेलगाड़ी में गये ? प्रधान मंत्री बनने के बाद आदरणीय मनमोहन सिंहजी कितनी बार रेलगाड़ी में बैठे हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, इसको कार्यवाही से निकाल दें। ...(व्यवधान) कह दो अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्रीमती राजकुमारी शर्मा (सीकर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी मुख्य मंत्रीजी ने तो यात्रा की है ...(व्यवधान) आप रेलगाड़ी की बात कर रहे हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी तो पैदल चली हैं। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर उन्होंने प्रचार किया है इसलिए इतने लोग जीतकर आये हैं।

एक माननीय सदस्य : अशोकजी गहलोत रेलगाड़ी में कितनी बार बैठे?

श्री देवीशंकर भूतड़ा : सोनियाजी आयी थीं हवाई जहाज से, वह क्या देकर गयीं?

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक, भाषण दें।

एक माननीय सदस्य : जो भी खर्चा हो रहा है, राज्य की जनता के विकास के लिये हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: श्री बंशीलाल खटीक, भाषण दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): अनाप-शनाप आरोप लगाकर माहौल खराब करना, यह हमारे जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य की आदत है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप ताली बजाकर उन्हें और चढ़ा रहे हैं। उन्हें बोलने तो दें। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आप वह एक्सपंज तो कर दें।

श्री अध्यक्ष: हां, एक्सपंज हो जायेगा, क्योंकि ब्यौरा उन्होंने दिया नहीं। या तो ब्यौरा दे दें और नहीं तो एक्सपंज। (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य पर आरोप लगाया कालाबाजारी का, वह भी एक्सपंज होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: क्या लगाया?

श्री महीपाल यादव (बानसूर): कालाबाजारी करने का स्पष्ट आरोप लगाया।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हमने ब्यौरा दिया है, सवा सौ करोड़ से ज्यादा ही होगा।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कालाबाजारी करने का आरोप स्पष्ट लगाया, वह भी एक्सपंज होना चाहिये।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): यह खर्चा करना तो आरोप की परिभाषा में आ गया और उनका आरोप बेबुनियाद। खर्चा करना आरोप की परिभाषा में नहीं आता है माननीय अध्यक्षजी। (व्यवधान) अपनी सुविधाओं पर खर्च करने के लिये कहना आरोप की तारीफ में आता ही नहीं है। आप किसी भी जगह जाकर पूछ लो। कोई भी परिभाषा देख लो, वह आरोप की तारीफ में नहीं आता।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): इन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया माननीय अध्यक्ष जी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): जो आरोप लगाया, उस पर तो आपकी व्यवस्था नहीं है और जो आरोप नहीं है उसको निकालने की बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आरोप क्या लगाया, मैंने सुना ही नहीं ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जो बात कही है, वह 273 की परिधि में आती भी नहीं है। 273 की परिधि में नहीं आती वह बात।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): एक माननीय सदस्य पर कालाबाजारी करने का आरोप माननीय सदस्य ने लगाया है, उसको भी एक्सपंज कराइये आप।

एक माननीय सदस्य : आपके काले कारनामे सुने हैं, बैठो।

एक माननीय सदस्य : इसको चैक कराइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): इस तरह का कोई आरोप लगाया है तो उसको भी आप एक्सपंज कर दें। हमने तो सुना नहीं। फिर भी कोई आरोप लगाया है तो एक्सपंज उसको भी कर दें।

श्री अध्यक्ष: मैं यह जानना चाहती हूं (व्यवधान) सुनिये मैं यह जानना चाहती हूं ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): अध्यक्ष महोदय, यह वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। It is a wasteful expenditure. It is not a 'Aarop'. क्यों बार-बार कह रहे हो कि सी.एम. के खास आदमी हो आप? यह कोई आरोप लगाया हो, 125 करोड़ का कोई आरोप नहीं है। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। कहां का आरोप है इसमें?

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली): आरोप है ही नहीं। (व्यवधान) मर्जी आये जिसको आरोप मान लेते हो।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह कोई आरोप है ? (व्यवधान) आप जबरदस्ती मुख्य मंत्री पर आरोप लगवाना चाहते हैं। हम कह रहे हैं वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। आप चाहते हो आरोप लगायें। (व्यवधान) You want to show your loyalty. यह कोई आर्गुमेंट नहीं है। 125 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किये, यह आरोप नहीं है। It is a severe wasteful expenditure है या नहीं ...(व्यवधान) किसी ने नहीं कहा है कि मुख्य मंत्रीजी ने पैसा खाया। (व्यवधान) किसने कहा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर, उनकी सुख-सुविधाओं पर 125 करोड़ रुपये खर्च किये ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): 125 करोड़ रुपये का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, इसमें कहां तकलीफ है? यह आरोप है क्या ? उन्होंने आरोप नहीं लगाया, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है। आप कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं... (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राजनाथ सिंह को इन्होंने ज्ञापन दिया, उस ज्ञापन का जवाब हमसे क्यों ले रहे हैं ? जो राजनाथ सिंहजी को ज्ञापन दिया, उसका सर्टिफिकेट हमसे क्यों ले रहे हो ? ...(व्यवधान) आरोप लगाया क्या हमने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): ज्ञापन आपने देखा क्या?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): आरोप लगाया क्या हमने?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने ज्ञापन देखा क्या ?

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): जोशीजी, या तो सिद्ध करिये 125 करोड़ खर्च किये या फिर अपने शब्द वापस लें।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): हां, मुख्य मंत्रीजी के निवास पर, मुख्य मंत्री सेक्रेटेरियट पर सब मिलाकर 125 करोड़ रुपये खर्च हुए। आप बताइये नहीं हुए । हम आरोप कहां लगा रहे हैं? मुख्य मंत्री सेक्रेटेरियट पर, मुख्य मंत्री निवास पर, सिविल लाइन्स पर, सब मिलाकर 125 करोड़ रुपये खर्च हुए, यह आरोप है क्या ? बोलिये आरोप है क्या?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): व्यक्तिगत खर्च हुए क्या? ... (व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): बोलिये, आप सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं। आप फीगर दे दीजिये। हम कहना चाहते हैं कि मुख्य मंत्री सेक्रेटेरियट पर, मुख्य मंत्री निवास पर, सिविल लाइन्स पर 125 करोड़ रुपये खर्च हुए, यह आरोप है क्या? ...(व्यवधान) जबरदस्ती आरोप लगवाना चाहते हैं क्या? अध्यक्ष महोदय, यह खुद चाहते हैं कि हम आरोप लगायें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): तो क्या मुख्य मंत्रीजी के लिये व्यक्तिगत बना है क्या ? ...(व्यवधान) राज्य की जनता के लिये बना है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): कीड़ा नाली में रहना पसंद करता है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राज्य की जनता के लिए बना है, प्रशासन के सुधार के लिए बना है, लोगों की सुविधा के लिए बना है। आप भी वहां जायेंगे।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): देखने में स्वच्छ लगता है। मैं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राज्य के सचिवालय को इतना सुन्दर और आकर्षक बना दिया है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मोहन लालजी, आप क्यों चाहते हो कि हम आरोप लगावें? हम आपका काम नहीं करेंगे। हमारी ड्यूटी बनती है कि जनता के एक्सपेंडीचर को जनता के सामने रखें। यह हमारा काम है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यूजफुल है।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राजस्थान सरकार में जिसमें सार्वजनिक निर्माण मंत्री हैं, अपनी लॉयलटी बताने के लिए चाहते हैं मुख्य मंत्रीजी के आरोप पर बचा कर सर्टिफिकेट लें। रोज सर्टिफिकेट ले रहे हैं आप। ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): एक पत्थर नहीं लगा पाये, आज वो अण्डर ग्राउण्ड पार्किंग बन गयी, अच्छी लाइटें लग गयीं वहां पर अच्छा पत्थर लग गया ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): मोहन लालजी, मंत्रिमण्डल में नहीं आयेंगे आप, क्यों दुःखी हो रहे हैं? तीन साल तो निकल गये डेढ़ साल और निकल जायेंगे, क्यों दुःखी हो रहे हैं आप? आप जोर से बोलो, धीरे बोलो, आपका नम्बर नहीं है, क्यों दुःखी हो रहे हो?

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): राज्य की जनता पर चर्चा करते, राज्य के विकास की चर्चा करते ...(व्यवधान)

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह राठौड़ साहब जब सर्टिफिकेट देंगे जब, काहे के चार्टर्ड एकाउंटेंट हो, भले आदमी जो 125 करोड़ रुपये खर्च हुए, यह आरोप है क्या? यह आरोप है क्या? राजस्थान सरकार ने 125 करोड़ रुपये मुख्य मंत्री निवास, सिविल लाइन्स, सेक्रेटेरिएट, मुख्य मंत्री सेक्रेटेरिएट पर खर्च किया, आप मना कर दीजिए इस बात को, मना कर दीजिए।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): अगर सरकार फिजूलखर्ची पर होकर, माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार ने गाड़ियां खरीदने पर करोड़ों रुपये फिजूल खर्च किया, यह कोई आरोप है क्या?

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन हम भी करेंगे।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): सरकार की फिजूलखर्ची पर ध्यान आकर्षित किया माननीय सदस्य ने, फिजूलखर्ची सिर्फ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: फिजूलखर्ची की बात नहीं कही, सुख-सुविधाओं पर ...(व्यवधान)

श्री महीपाल यादव (बानसूर): सरकार ने करोड़ों रुपये अपनी सुख—सुविधाओं क लिए फिजूलखर्च किया है, इसमें क्या गलत कहा है?

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में क्या चर्चा करें? मुख्य मंत्री की बढ़ाई करें? राज्यपाल के अभिभाषण में विपक्ष की यह जिम्मेदारी बनती है कि सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा करे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करो न।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): यह सरकार इतने करोड़ों रुपये खर्च कर रही है, यह वेस्टफुल एक्सपेंडीचर है, चर्चा नहीं करेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): करो न, आप।

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): कोई आरोप लगा रहा है ...(व्यवधान) हम यह कह रहे है कि आप पैसे खा गये हो तब तो आरोप है। हम कह रहे हैं आपने वेस्टफुल एक्सपेंडीचर किया, इसमें क्या तकलीफ है?

मैं समझता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, कि बार-बार पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर इस सदन में बार-बार सर्टिफिकेट क्यों चाहते हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा इस बात का, क्यों सर्टिफिकेट चाहते हैं आप? ...(व्यवधान) प्रस्ताव की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) अब सर्टिफिकेट चाहते हैं। राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ साहब, हम आपका सम्मान करते हैं पर पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, you are Parliamentary Affairs Minister of the Government of Rajasthan. जिसके हम भी एम.एल.ए. हैं, आप मुख्य मंत्री के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नहीं हैं।

श्री महीपाल यादव (बानसूर): करोड़ों रुपया खर्च किया तीन साल में। ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, +++

डा. सी. पी. जोशी (नाथद्वारा): Don't behave like a Parliamentary Affairs Minister of the Chief Minister. You are a Parliamentary Affairs Minister of the Government of Rajasthan. राजस्थान गवर्नमेंट का पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर सदन का समय इस एक्सपेंडीचर पर, आरोप पर कंसीडर करे, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोलते ही जा रहे हैं, हमें तो मौका ही नहीं देते हैं। मतलब दूसरी किसी की नहीं सुनना।

श्री अध्यक्ष: आप बोल लीजिए।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन मैं भी करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने मुझे पुकारा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इनके बारे में कोई छींक दे तो कि एक्सपंज करो। (व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): हम शालीनता से कोई बात कहते हैं, आप सुनने की मेहरबानी भी करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): आपने मुझे पुकारा है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): आप नौ बार के या ज्यादा के सदस्य हैं। (व्यवधान) नौ बार के जीते हुए सदस्य हैं, आपने इस विधान सभा की परम्पराएं बनायी हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: अब आप सुन लो क्या कह रहे हैं वो।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): कई अच्छे, बुरे समय देखे हैं परन्तु हमारा निवेदन है कि इस सदन में जो गरिमाएं गिर-गिर के जो व्यवस्थाएं आपके सामने हो रही हैं और +++ यह अच्छी बात नहीं है। मेरा निवेदन एक है।

श्री अध्यक्ष: आप आसन पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह किस प्रकार आसन पर आरोप लगा रहे हैं कि आप +++ (व्यवधान) माननीय सदस्य को सदन की गरिमा रखनी चाहिए। इस प्रकार के सदन पर आरोप लगाने का और अध्यक्ष पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है, माननीय सदस्य को।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): मुख्य मंत्रीजी ने भव्य महल बनाया, वह बनाया, जनता की गाढ़ी कमाई से आप बड़े-बड़े महल बना दोगे तो जनता माफ करने वाली नहीं है। भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी कहा कि +++ तो क्या समझते हो, इसका अर्थ क्या निकालें? इससे पहले जो मुख्य मंत्री बने +++ क्या?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): अर्थ मैं बताता हूं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): या कांग्रेस के लोग +++ थे? इसका मतलब भैरोंसिंहजी शेखावत आये, वो भी +++ थे?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसा है उसमें से कंजूसी का प्रदर्शन करते हैं।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इन्होंने यह कहा है +++

श्री अध्यक्ष: किसने कहा? किसने कही यह बात?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह बात तो इन्होंने कही।

श्री अध्यक्ष: किसने?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): मुख्य मंत्रीजी ने इस राज्य में सचिवालय और उसको अच्छा प्रदर्शन करने के लिए, अच्छी, साफ और सुसज्जित बनाने के लिए राज्य सरकार का पैसा खर्च किया है, राजस्थान की शान बढ़ायी है। मैंने साफ कहा है, जो गंदगी पसंद करते हैं वो गंदगी में रहना चाहते हैं जो स्वच्छता पसंद करते हैं वो स्वच्छ रहेंगे।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): ऐसा है कि महामहिम उपराष्ट्रपति हैं वो भी मुख्य मंत्री रहे हैं।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): तीन बार मुख्य मंत्री रह गये महामहिम उपराष्ट्रपतिजी।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): वो भी इसी बंगले में रहे हैं। अगर उनको भी +++ कहना है, मुझे कोई कहना नहीं है। यहां मोहनलालजी सुखाड़िया जैसे लोग भी इसी बंगले में रहे हैं और भैरोंसिंहजी भी इसी बंगले में रहे हैं। अगर उनको भी +++ कहते हो तो मुझे आपके बारे में, आपको प्रमाण-पत्र राजस्थान की जनता ही देगी।

श्री अध्यक्ष: +++ बात किसने कही?

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): यह भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने, आप खुद सुन रही हैं, आपके सामने दोबारा इन्होंने पुनः रिपीट

किया है, स्वच्छ में रहना चाहेंगे, गंदगी में रहना चाहेंगे और आप सुन रही हैं। आप इधर वाली बात सुन लेते हो उधर वाली बात सुनते ही नहीं। +++

श्री विजय बंसल (भरतपुर): स्वच्छ और गंदगी कोई गलत बात है क्या? वाह, दाद देता हूं आपकी बुद्धि की।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): जो पहले मुख्य मंत्री थे वो गंदगी में रहना पसंद करते थे?

श्री विजय बंसल (भरतपुर): अपनी-अपनी सोच की बात है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): महामहिम उपराष्ट्रपतिजी, मोहनलालजी सुखाडि़या, हरिदेवजी जोशी, इन लोगों को अगर आपको +++ कहना है आपको तो मुझे कोई प्रमाण-पत्र आपसे लेने की जरूरत नहीं है और आप इनको प्रोटेक्ट करना चाह रही हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति, भैरोंसिंहजी को भी अगर +++ कहा, मोहनलालजी सुखाडि़या को +++ कहा, हरिदेवजी जोशी को +++ कहा तो फिर मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): पिछले पांच साल में खजाना खाली कहते-कहते राज्य के लिए कुछ नहीं किया, उसके बारे में अपनी टिप्पणी की है।

श्री रघुवीर सिंह मीणा (सराड़ा): इस सदन के सर्वोच्च पद पर हैं और आपके सामने अगर इस तरह से मर्यादाएं टूट रही हैं, अशोभनीय बातें हो रही हैं ...(व्यवधान) इस प्रकार आप सहन करती हैं तो मुझे बहुत...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों को प्रार्थना कर रहा हूं।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है ...(व्यवधान) माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा को ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय साढ़े सात बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री अध्यक्ष: क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय साढ़े सात बजे तक के लिए बढ़ाया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्य अपनी-अपनी सीमाएं लांघ करके और किस प्रकार से आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं और आसन पर बैठ कर आपको कितनी आवाज सुन रही है और कितनी नहीं सुन रहीं, कोई नाली का कीड़ा कह रहा है, कोई काला बाजारी चोर कह रहा हैं, कोई मुख्य मंत्री पर आरोप लगने की बात आ रही है। मेरा आपसे यह निवेदन है कि विधान सभा की स्वच्छ परम्पराओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से, सत्ता पक्ष से भी मैं यह चाहूंगा कि स्वच्छ डिबेट के अन्दर भाग लें, छोटी-छोटी बातों का ऊल-जलूल मुद्दा बना करके अननैसेसरी एक घंटा आपने मुख्य मंत्री पर आरोप लगवाने में खर्च कर दिया। बजाय इस बात के अगर इस बात की कार्यवाही को छोटे तरीके से ली जाती तो ज्यादा बढ़िया होता।

श्री अध्यक्ष: हो गयी आपकी बात, ठीक है।

श्री सुभाष चन्द्र शर्मा (कोटपूतली): इसी तरह से प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन इस बात का है कि आरोप-प्रत्यारोप इस ढंग से लगाएं कि जिससे सदन चल सके।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सभी सदस्यों को प्रार्थना है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जिस ढंग से भी, यह बहुत दु:खद है। मतलब यह कभी जीवन में इतने वर्षों में नहीं देखा कि जो दृश्य अभी इन दिनों में दिख रहा है। मेरी प्रार्थना है कि जो आपकी बिना इजाजत बोले, चाहे हम ही हों, उसको नोट ही नहीं करें।

श्री अध्यक्षः मैं कहां करने देती हूं, नहीं करवाती।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री): और यह सब सदस्यों को इसके बारे में जानकारी हो जाए कि चाहे वो किसी भी दिन किसी भी बात को कहेंगे, बिना आसन की स्वीकृति के अगर कोई खड़ा होकर बोलना शुरू करेगा तो उसका नोट नहीं होगा। तब जाकर के शायद इसको किसी तरह से कर पायेंगे।

क्योंकि आपके और हम सब के व्यवहार को सारा राजस्थान देख रहा है, हमको कितना अफसोस होता है। हम सार्थक चर्चा करें। आरोप लगाएं, जरूर लगाएं, अपने तथ्यों के साथ लगाएं, अपने तर्क के साथ लगाएं, किसी को कोई बुरा नहीं लगेगा। आज दिन तक इस सदन में कई गम्भीर से गम्भीर आरोप लगाये गये लेकिन भाषा का संयम रखते हुए अपने तर्क के आधार पर अपनी बात को रखें, किसी को कोई एतराज नहीं होगा।

मैं सोचता हूं कि हम जिस तरह से, जिसकी जब इच्छा हुई जब खड़ा हो गया, जिसकी जब इच्छा हुई जब बोलना शुरू कर दिया। ऐसा तो शायद ग्राम सभा में भी यह दृश्य नहीं दिखाई देता। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग इतने वर्षों से और लोकतंत्र में कई बार चुन कर आने के बाद भी इस सदन का जो दृश्य देख रहे हैं वह वास्तव में मन को बहुत पीड़ा देता है कि हम से यही उम्मीद करती है राजस्थान की जनता।

सार्थक चर्चा करें, अपने तथ्यों को इकट्ठा करके लाएं, अगर जहां आवश्यक हो वहां नोटिस देकर आयें ताकि सामने वाला व्यक्ति आपके आरोप का उत्तर दे सके। उत्तर देने में शायद पांच-सात मिनट ही लगेंगे। लेकिन इस बहस में, निरर्थक बहस में पूरा का पूरा समय चला जाए। मैंने सोचा कितना कम समय मिला राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा करने का। पहला दिन वैसे ही गया, उसके बाद गया, थोड़ा-बहुत समय मिला उसमें भी हम सार्थक चर्चा नहीं कर पाये।

आपका अधिकार है सरकार की आलोचना करना, आप करिये, हम उसका जवाब देंगे जब हमारा मौका आयेगा लेकिन हर छोटी-छोटी बात पर अगर इस प्रकार का व्यवहार होगा तो मैं सोचता हूं कि हम और किसी का बुरा नहीं कर रहे, सारा, राजस्थान के इस लोकतंत्र का तमाशा बना दिया। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि जब कभी भी संयम रख कर अपनी बात को कहें, चाहे वो इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हों। अनर्गल बात, हल्के स्तर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की बात करके हम कोई बहुत अच्छा, भला नहीं कर रहे हैं कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। मेरी प्रार्थना है आपके माध्यम से कि इसको स्ट्रिक्टली

(समय 19.00 बजे)

लागू करवाएं और यहां जो नोट करते हैं बिना आपकी परमिशन के नाम पुकारे चाहे कोई भी आदमी बोलना शुरू करें, चाहे हम बोलें चाहे कोई भी बोले उसका नोटिंग बंद कर दें ताकि समस्या का समाधान हो जाएगा।

एक माननीय सदस्य: राठौड़जी सुन लिया क्या?

श्री अध्यक्ष: कौन बोले यह बीच में? समय आधा घंटा बढ़ तो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय गृह मंत्रीजी ने जो बात कही मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है ....

श्री अध्यक्ष: आप अब क्या बढ़ाओगे आगे ?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप तो खुद हाथ कर करके सबको खड़ा करते हो, अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा हाथ खड़ा करके यूं-यूं सारे लोगों को उकसाते हैं।

श्री अध्यक्ष: सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, अभी गृह मंत्रीजी की बात का कोई आप पर असर नहीं हुआ, वेरी सॉरी। अंकित नहीं हो ।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ×××

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की व्यवस्था से, आचरण से दुःखी होकर के बहिर्गमन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मैंने केवल जयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य को जब उन्होंने 125 करोड़ की बात कही कि मुख्य मंत्री की सुविधाओं पर 125 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, मैंने कहा ब्यौरा बता दें ताकि वह जवाब दे देंगी जब उनका समय आता तो वह जवाब देती। वह बता नहीं पाए उस बीच में शोर-शराबे में यदि यह बात किसी भी माननीय सदस्य के जरिए भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यदि यह बात कही कि +++ तो मैं समझती हूं बहुत आपत्तिजनक उनका यह कथन है और उनको निश्चित तौर से इस बारे में सदन से क्षमा याचना करनी चाहिए। क्योंकि सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए ...(व्यवधान) अब आप बीच में नहीं

(श्री अध्यक्ष)

बोलें। संसदीय भाषा का प्रयोग होना चाहिए, किसी के लिए भी अपमानजनक बात नहीं होनी चाहिए और सबको संयमित रहना चाहिए। चाहे जो चाहे जब खड़ा हो जाता है माननीय सदस्य और चाहे जो बोलने लग जाता है । मैं समझती हूं कि उन उच्च परम्पराओं को जो इस सदन की परम्पराएं रही हैं उनको हमारी सबकी जिम्मेदारी है कायम रखने की और धीरे-धीरे इस सदन की गरिमा नष्ट हो रही है, स्वस्थ परम्पराएं हमारी तार-तार हो रही हैं। इसलिए जैसा कि गृह मंत्रीजी ने कहा कि हम सबका यह कर्तव्य है कि हम संसदीय भाषा का प्रयोग करें, संयमित रहें और केवल आसन से पुकारे जाने पर ही खड़े होकर के अपनी बात कहें जैसाकि गृह मंत्रीजी ने कहा आपको कि आपको पूरा अधिकार है। तथ्यों सहित नोटिस देकर के आपको जो कुछ आरोप लगाने हैं सरकार के खिलाफ लगाइये और वह जवाब देंगे। आपको अधिकार है इस बात का, लेकिन चाहे जब खड़े होकर वेग तरीके से यदि आप किसी पर कोई चार्ज लगायेंगे तो उसका जवाब भी नहीं मिलेगा और ख्वाहमख्वाह के अंदर मीडिया में भी, जनता के सामने भी एक गलत तथ्य जाता है, एक गलत बात जाती है। इसलिए भविष्य में कृपया आप ध्यान रखें इस बात का और क्योंकि साढ़े सात बजे तक के लिए समय बढ़ाया है। इसलिए मैं राजसमंद से आने वाले माननीय सदस्य पांच मिनट में संयमित भाषा में ठीक से अपनी बात कह दें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पांच मिनट में कैसे कह दूंगा?

श्री अध्यक्ष: नहीं, पांच मिनट में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्षमा याचना का क्या हुआ? आपने आदेश दिया क्षमा याचना का।

श्री अध्यक्ष: अपना ले लो वापस, कर दो खेद प्रकट।

खेद प्रकट

विजय बसंल श्री द्वारा अपने कथन पर खेद प्रकाशन

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जयपुर ग्रामीण से आने वाले विधायक ने जिस तरह से आरोप लगाया था इस सदन की नेता पर उसकी एवज में मेरा यही कहना था कि पुराना हैलीकाप्टर जो बुरी हालत में था नया हैलीकाप्टर खरीद कर लाना या सचिवालय की पार्किंग व्यवस्था करवाना, सचिवालय को सुन्दर बनाना, सचिवालय पूरे राजस्थान से जनता वहां

(श्री विजय बंसल)

अपनी समस्याओं को लेकर आती है और यहां की दुर्दशा देख रही तो यह कोई अपव्यय या गबन नहीं है। इसके बारे में मैंने कहा कि जो लोग गंदगी में रहना पसंद करते हैं उनको वही पसंद है। अगर इनको फिर भी बुरा लगा है तो मैं खेद प्रकट करता हूं।

श्री अध्यक्षः कोई बात नहीं, कर दिया खेद प्रकट। श्री बंशीलाल खटीक ...(व्यवधान) कृपया शांत रहें, भाषा संयमित होनी चाहिए, आरोप नहीं लगायेंगे किसी पर । राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलें ...(व्यवधान) बीच में बैठे-बैठे नहीं बोलें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे बारे में आपको न जाने क्या शंका हुई कि मैं संयमित भाषा में बोलूंगा या नहीं बोलूंगा। मैं जब से यह सत्र शुरू हुआ और आज तक आप माननीय अध्यक्ष महोदय आसन पर विराजे, क्या मैं आपकी बिना आज्ञा, बिना अनुमति उठा हूं क्या।

श्री अध्यक्षः आप विषय पर आओ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपने कहा कि संयमित भाषा में बोलना, आप यह कहें तो मैंने ऐसा क्या किया कि ....

श्री अध्यक्षः नहीं, आसन का कहना मानते हो आप लेकिन अब विषय पर आ जाओ। मानते हो आसन का कहना आप, आप तो विषय पर आओ ना।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): मेरा लय ही बिगाड़ दिया आपने।

श्री अध्यक्षः आप विषय पर बोलो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने महामहिम के अभिभाषण के ऊपर बोलने का जो मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने अत्यंत हर्ष के साथ इस पवित्र सदन में अपने मुखारविंद से जिस प्रकार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तीन वर्ष में जो काम हुए, जो विकास हुए उनके बारे में इस पवित्र सदन में चर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मन उस दिन बहुत दुःखी हुआ, बहुत व्यथित हुआ कि महामहिम के अभिभाषण में भी ऐसा होता है और प्रतिपक्ष के द्वारा महामहिम के अभिभाषण में दखल करना और सबसे दुःख की बात तो यह है कि शोकाभिव्यक्ति में पूरे प्रतिपक्ष ने व्यवधान डाला है। मैं इस बात की पुरजोर इन सबकी निंदा करता हूं।

श्री अध्यक्ष: अब आप तो छोड़ो, अपनी बात पर आओ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): नहीं, जो किया उसका तो करना पड़ेगा ना। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिन आयामों ....

श्री अध्यक्ष: यहां पार्टी की बात नहीं करते यहां सरकार की बात करते हैं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): बदल देता हूं।

श्री अध्यक्ष: ना-ना पार्टी की बात नहीं करते सरकार की बात होती है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): प्रदेश सरकार ने जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं जो किसी से छिपे हुए नहीं हैं। प्रदेश की जनता अपने मुख से हमारी सरकार की वाहवाही कर रही है। प्रतिपक्ष की आत्मा की आवाज भी यही है पर मुख से वह बात नहीं कर पा रहे हैं । मैं इस बात के लिए क्योंकि इतिहास गवाह है ...

श्री अध्यक्ष: आत्मा की बात कह दी ना इन्होंने।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इतिहास गवाह है इतने सालों से या तो माननीय वर्तमान के महामहिम उपराष्ट्रपति हमारे यहां मुख्य मंत्री थे उस समय विकास के काम हुए या वसुन्धराजी राजे सिंधिया के इस राज में काम हुए। इतिहास और तथ्यों के आधार पर यदि कोई माननीय प्रतिपक्ष का सदस्य तथ्यों के आधार पर यदि आमने सामने आए तो मैं ....

श्री अध्यक्ष: किसके आपके ?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सदन के।

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत हो तो माननीय सदस्य ने दुःखी होकर के जो इस्तीफा दिया था, बढ़िया हो रहा था तो फिर इस्तीफा किसलिए दिया था यह भी स्पष्ट कर दें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): यह भी बताता हूं, मैं सबको बताता हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): सदन तो पहले से ही खाली हो गया, बोलने से पहले तो कोई है ही नहीं। यहां यह हालत है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पहली बात तो यह है कि मेरे बारे

(श्री बंशीलाल खटीक)

में जो कहा जा रहा है उनके पास में क्या प्रमाण हैं कि मैंने इस्तीफा दिया? और मैं इस सदन में कह रहा हूं कि मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया। मेरे ऊपर जो माननीय सदस्य ने बिना तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए यह असत्य हैं इसके लिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं सीधा-सीधा मेरे विषय पर आ रहा हूं। सदन में जिस प्रकार प्रतिपक्ष का रवैया है...

श्री अध्यक्षः आप तो राज्यपाल के भाषण पर आओ, प्रतिपक्ष पर मत जाओ।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आ रहा हूं ना धीरे-धीरे। भूमिका तो बनाने दो।

श्री अध्यक्षः धीरे-धीरे नहीं, आप तो एकदम आ जाओ। धीरे-धीरे नहीं, एकदम आ जाओ आप तो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप मुझे बोलने भी नहीं दे रहे इस प्रकार का माहौल बना रहे हैं। आज जिस प्रकार हमारे यहां महामहिम और माननीय अध्यक्ष महोदय ने जब सदन में शोकाभिव्यक्ति कही उस समय जो प्रतिपक्ष का रवैया था ध्यान में है। इन माननीय सदस्यों ने +++ आवाज की हू हू हू।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): अध्यक्ष महोदय, यह बात इनका कहना सही है। अब हम क्या करें ? इनके उम्मीदवारों की तुलना में जनता ने हम जैसे जानवरों को पसन्द किया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): चलो इस बात का तो मुझे, एक आपने जानवर...

श्री अध्यक्षः नहीं, माननीय सदस्य आप अपने आपको जानवर नहीं कहें। आप तो माननीय सदस्य हैं।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इस बार गलती से आ गये, अगली बार सुधार कर लेंगे।

श्री अध्यक्षः गलत बात नहीं बोलें। गलत बात है।

डा. सुरेश चौधरी (भादरा): यह आवाज अंकित जरूर होनी चाहिये। यह आवाज अंकित जरूर होनी चाहिये।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हुई। उस दिन हुई। उस दिन सदन में यह आवाज अंकित हुई थी। टेप हुई थी। अंकित हुई थी तो कम से कम प्रतिपक्ष को अपनी गरिमा में रहकर सदन में व्यवहार करना चाहिये। क्योंकि हम जैसे नये व्यक्ति..

श्री अध्यक्ष: उनकी गरिमा कैसी भी हो, सदन की गरिमा के लिये करना चाहिये था।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हां, सदन की गरिमा। इनकी गरिमा तो +++ हो गयी उस समय।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आन ए पाइंट आफ आर्डर। यह सदन का अपमान है सदन के माननीय सदस्यों को +++ बोलना। इनको एक्सपंज कीजिये आप। यह क्या तरीका है?

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय कल्ला साहब ने हू हू किया है। माननीय कल्ला साहब ने किया है, माननीय सी.पी. जोशी साहब ने किया है और पूरे प्रतिपक्ष ने किया है..

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): अंकित नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: वह देख लेंगे। मैं देख लूंगी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपने किया जो कारनामे गिना रहा हूं मैं। आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कम से कम आपको तो ध्यान रखना चाहिये कि सदन में हू हू की आवाज नहीं करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने हू हू नहीं किया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): किया था।

श्री अध्यक्ष: नहीं।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): किया है।

श्री अध्यक्ष: नहीं किया।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): और उसका नेतृत्व...

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): आप क्या कर रहे हो वह तो पता लग रहा है सारे राजस्थान को। आप क्या बोल रहे हो ? दस बार तो अध्यक्ष महोदय हो गया, क्या सब्जेक्ट बोले, अभी तक आप कुछ बोले ही नहीं..

श्री अध्यक्ष: अब आप छेड़ो मत। उनको बोलने दीजिये। आप छेड़ो मत। बोल लेने दो उन्हें।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आपने ऐसा किया है। माननीय पंडितजी आपने किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर): जानवर नहीं बोल सकते।

श्री अध्यक्ष: बोलने दो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आगे..

श्री अध्यक्ष: अब नहीं टोकेंगे वह। आप तो बोलो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में जिस प्रकार विकास हुआ है मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मेरे वरिष्ठ माननीय सदस्यों ने आंकड़ों सहित इस सदन में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर कहा है। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता हूं। मैं तो यही कहना चाहता हूं यदि इस प्रदेश का भला करना हो तो सत्ता के साथ प्रतिपक्ष भी मिलकर प्रदेश का भला करे।

श्री अध्यक्ष: यह बात ठीक है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): और जो समय हमें मिला है, हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे पवित्र सदन में चुनकर आये हैं और यदि पवित्र सदन में चुनकर आये हैं तो पवित्र सदन की गरिमाओं को ध्यान में रखते हुए हमारा व्यवहार यहां करें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: हां बिलकुल ठीक बात है आपकी।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): क्योंकि विकास होना चाहिये इसकी होड़ में आप अपना जोर लगायें न कि एक दूसरे पर लांछन लगाये। एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाये। सबसे ज्यादा क्योंकि सत्ता सुख आपने भोगा है यह भी इतिहास गवाह है। प्रदेश हो या राष्ट्रीय स्तर पर और...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: टोको मत आप बीच में। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। पहली बार पक्ष, विपक्ष दोनों को बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से डील कर रहे हैं। ठीक है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): इसीलिये मेरा यह आप सबसे निवेदन है कि हमारे तीन वर्ष के कार्यकाल में जो काम हुये हैं उनकी सराहना करनी चाहिये। अगर सराहना नहीं करो तो आरोप तो मत लगाओ।

श्री अध्यक्ष: यह बात तो ठीक है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आज जिस प्रकार हमारे इस प्रदेश के दो सौ विधान सभा क्षेत्र हैं, बराबर का विकास हुआ है। एक भी माननीय सदस्य यह बता दे कि किसी विधान सभा क्षेत्र में किसी भी विभाग या किसी भी मंत्री के द्वारा कोई दुर्भावना की गयी हो और यह दुर्भावना यदि आपको देखनी हो तो स्वयं आपने हमारे साथ में किया। यह सत्य है। पर हम किसी के साथ में ऐसा नहीं करते। हमारी नीति में नहीं है।

श्री अध्यक्ष: हां, ठीक बात है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हमारा ऐसा दोगलेपन का इतिहास नहीं है।

श्री अध्यक्ष: ठीक बात है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार विद्यालय खोले हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय नसीब नहीं था, किसी दूर ढाणी में कभी विद्यालय नहीं देखा वहां विद्यालय खुला। जहां दसवीं के स्कूल नहीं थे वहां दसवीं के स्कूल खुले। जहां सीनियर सैकेण्डरी नहीं थे वहां सीनियर सैकेण्डरी हुये और मिडिल स्कूलों का तो तांता ही लग गया। जब मांगो तब मिडिल स्कूल तैयार और हाथों हाथ माननीय मंत्री महोदय की स्वीकृति। जब माननीय मंत्री महोदय मेरे क्षेत्र में पधारे थे, पीपलांदरी ग्राम पंचायत में आप पधारे थे तो मैंने निवेदन किया था। तत्काल उन्होंने 25 मिडिल स्कूलों की मौके पर स्वीकृति दे दी। इसलिये मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभारी हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में आपको बताना चाहूंगा...

श्री अध्यक्ष: अब आपने काफी कुछ कह दिया और आज सदन को अच्छी शिक्षा दे दी मैं समझती हूं अब आप स्थान ग्रहण कर लें। ठीक है।

श्री कालीचरण सर्राफ (जौहरी बाजार): अभी तो भूमिका बनायी है।

श्री अध्यक्ष: आज शिक्षा ठीक दी ना पूरे सदन को।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सड़कों के बारे में...

श्री अध्यक्ष: अब सड़कों की बात कन्हैया लालजी कर लेंगे। उनका नम्बर है वह कर लेंगे।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): आप कहती हैं तो मैं कब नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय, ठीक है। अब बस बहुत बढ़िया बातें, बहुत अच्छी बातें आप... (व्यवधान)

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो काम हुआ है उसका समर्थन और उसकी प्रशंसा तो करनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): हमारी इस सरकार का हर विभाग और उनके माननीय मंत्रीजी ने जिस प्रकार प्रदेश को विकास की ओर आगे बढ़ाया है मैं इस पवित्र सदन में हमारे सभी माननीय मंत्री महोदय को बहुत-बहुत...शार्ट में कह रहा हूं। सभी मंत्रीजी को एक साथ में ही कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: हां, यह तो बात ठीक है। सबको दे दो धन्यवाद आप तो।

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): सभी मंत्री महोदय और हमारी सरकार ने इस प्रदेश की खुशहाली में जो कदम उठाये हैं बहुत-बहुत प्रशंसा के वह भागीदार हैं। मैं इस सदन के माध्यम से उनकी बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं और माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का ...

श्री अध्यक्ष: हां, उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद देकर...

श्री बंशीलाल खटीक (राजसमन्द): पुरजोर समर्थन करता हूं। जय हिन्द। वंदे मातरम्।

श्री अध्यक्ष: बस। वैरी गुड। श्री कन्हैया लाल मीणा।

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत संयम से बोले ना ?

श्री अध्यक्ष: बहुत बढ़िया बोले। बहुत अच्छा बोले हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आप प्रभावित हुए कि नहीं ? इनके भाषण से आप प्रभावित हुए कि नहीं ?

श्री अध्यक्ष: आज सारा सदन प्रभावित हुआ। मैं, आसन ही नहीं सारा सदन प्रभावित हुआ है।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 मार्च को महामहिम द्वारा जो अभिभाषण सदन में पढ़ा गया है वह सरकार द्वारा गत तीन वर्ष में जो विकास समग्र रूप से किया गया उसकी एक सुनहरी तस्वीर पेश की है।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

माननीय अध्यक्ष महोदय, जो योजना का आकार राजस्थान का चहुंमुखी विकास करने के लिये आठवीं, नवीं और दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं से भी इस ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अधिक बड़ी योजना बनायी गयी है। और कुशल वित्तीय प्रबन्धन की ही देन है कि आज हमारे राजस्थान में स्थाई महत्व के कार्य हुए हैं और आम जन में उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। कुशल वित्तीय प्रबन्धन की ही देन है कि योजना आयोग भी राजस्थान सरकार की बार-बार तारीफ कर रहा है, प्रोत्साहन राशि भी राजस्थान सरकार को दी है।

राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के जो कार्य हुए हैं एक किलोमीटर के एरिये में कहीं पर भी कोई प्राइमरी स्कूल छूट गया हो, जिस विधायक ने भी ऐसा प्रस्ताव दिया है, वहां पर खोले गए हैं। और इतने विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया है और बिना किसी भेदभाव के क्रमोन्नत किया गया है। जबकि माननीय सी.पी. जोशीजी जब शिक्षा मंत्री थे तो मैं 200-250 व्यक्तियों का डेप्यूटेशन लेकर उनके पास गया था, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि इस स्कूल को क्रमोन्नत मैं आपके कहने से क्यों करूं? ऐसा भेदभाव कभी भी हमारी सरकार ने नहीं किया। हम 33 विधायक थे, हम 33 विधायकों में से एक के क्षेत्र में भी स्कूल क्रमोन्नत हमारे कहने से नहीं किया। हमारे यहां बिना किसी पक्षपात के विद्यालय क्रमोन्नत किए, 4162 नए प्राथमिक विद्यालय खोले गए, 10175 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया, 925 माध्यमिक विद्यालय खोले गए, 469 उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले गए।

इसी प्रकार से मुख्य मंत्री शिक्षा सम्बल योजना में एक करोड़ से भी ज्यादा विद्यार्थियों को नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण किया गया, उसकी वजह से नामांकन में भी वृद्धि हुई है। और अध्यापकों को लगाने की सबसे प्रथम पहल राजस्थान में हुई है और उसमें अभी भी 40 हजार के लगभग लगाए जा रहे हैं। लगभग एक लाख अध्यापक राजस्थान में लग जाएंगे, यह सराहनीय प्रयास शिक्षा विभाग का रहा है और उसकी वजह से बेरोजगारों को रोजगार मिला है और शिक्षा में गुणवत्ता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण प्रयास रहा है। इसके लिए मैं शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

साथ ही मैं निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सा विभाग में जिस प्रकार से पी एस सी और सी एस सी क्रमोन्नत की है, पी एस सी खोली है, सब सेण्टर्स खोले हैं, उनके लिए भी मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। साथ ही उच्च शिक्षा और चिकित्सा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो गरीब तबका है, बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद में वह ढूंढता है कि मुझे बढ़िया चिकित्सा सुविधा कहां मिल सकती है, वह वहां पर भग कर आता है। ले देकर उसको राज्य स्तर का चिकित्सालय है एस एम एस अस्पताल, उसके अन्दर जाकर के वह अपना इलाज कराने की कोशिश करता है। वहां पर इतनी भीड़ है उसके मुताबिक वहां डाक्टरों की व्यवस्था बहुत कम है। और स्टाफ बहुत कम होने की वजह से आज उसको मजबूर होकर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना पड़ता है जहां भारी महंगी चिकित्सा लेनी पड़ती है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि चिकित्सालय को बढ़ाने में आपने करीब 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी गरीब व्यक्ति की जो हालत है, अभी कुछ समय पहले ही, 10-15 दिन पहले मेरे क्षेत्र के एक सरपंच न्यूरो सर्जरी वार्ड में एडमिट थे, आज तक वह अनकॉशस हैं। उनको जो चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए थी वह सुविधा नहीं मिल पाती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब व्यक्ति पैसा देने को तैयार है, एस एम एस में अगर आप फीस के रूप में पैसा लेकर इलाज करें तो वह अपनी गाढ़ी कमाई जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में ज्यादा राशि देकर इलाज करवाने में खर्च करता है उस राशि का खर्चा यदि आप फीस के रूप में तय कर दें तो एस एम एस हॉस्पिटल में गरीब आदमी वह फीस देकर भी अपने व्यक्ति का इलाज करवाना चाहता है। लेकिन वह मजबूरन दूसरे हॉस्पिटल में जाता है तो ऐसा कोई ठोस निर्णय या कदम उठाया जाता है तो निश्चित रूप से उस गरीब आदमी का इससे बहुत बड़ा भला होगा।

मैं चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एडपोस्ट जो पंचायत हैड क्वाटर पर थी, उन एडपोस्टों को समाप्त कर दिया गया है। कृपा करके उन एडपोस्टों को वापस चालू किया जाए जिससे उन लोगों को उनसे लाभ मिल सके।

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि पी एम जी एस वाई, मुख्य मंत्री सम्बल योजना और विभिन्न योजनाओं में सड़कों का निर्माण जो राजस्थान में किया है वह अब तक का रिकार्ड है। हिन्दुस्तान में भी पहला नम्बर राजस्थान का रहा है। मुख्य मंत्री सड़क योजना में डब्ल्यू बी एम से विभिन्न योजनाओं में अकाल राहत के तहत पंचायत समितियों द्वारा अनेक योजनाओं में डब्ल्यू बी एम बना दी गई है। लेकिन वहां कंकर निकले हुए थे उनको डामरीकरण करके 4668 किलोमीटर की बनाकर एक रिकार्ड कायम किया है। 14724 किलोमीटर सड़क प्रधान मंत्री सड़क योजना में 3 साल में बनाई है जबकि गत सरकार ने मात्र 3936 किलोमीटर सड़क बनाकर इतिश्री कर ली। इसलिए मैं इसके लिए माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने इसमें अपना योगदान देकर राजस्थान की जनता के लिए सड़कों का बहुत ही उत्तम कार्य किया है।

जल संसाधन मंत्रीजी ने जल संसाधनों और सिंचाई को प्राथमिकता दी। गत सरकार में, जब मैं भी विधायक था अन्य विधायक भी थे लेकिन हमने अपने कोटे का सारा पैसा हैण्ड पम्प में दिया उसके बावजूद भी हैण्डपम्प नहीं मिला। लेकिन यहां बिना किसी भेदभाव के सारे के सारे दो सौ विधायकों को जितने हैण्डपम्प उन्होंने मांगे यह पहली बार है कि किसी विधायक को अपने कोटे से हैण्डपम्प के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मंत्री महोदय ने पेयजल को प्राथमिकता देने का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान की जनता को दिया है। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं और जो अपूर्ण परियोजनाएं थी उन सबको सिंचाई विभाग ने पूर्ण किया उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

विद्युत विभाग में फीडर सुधार कार्यक्रम में 1686 फीडर 11 के वी के लगाए गए हैं और 600 ऐसे गांव जहां चोरी नहीं हो रही है वहां 24 घण्टे बिजली मिल रही है। ऐसे करीब 36 गांव मेरे क्षेत्र में हैं। मैं कहता हूं इसके लिए योजना अगर पहले चालू कर दी जाती तो निश्चित रूप से गांव वालों के बच्चों को भी जो आज पढ़ने के लिए बिजली मिलती है, बहुत पहले मिलती। यह बहुत बड़ा कार्य आपने हाथ में लिया है इसके लिए भी मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक के लिए बढ़ाया जाए।

श्री जुबेर खान (रामगढ़): इनके खतम होने तक बढ़ा लीजिए।

श्री अध्यक्षः इनको तो 15 मिनट मिल गए, अब कितना बढ़ाएंगे आप?

डा. ओ. पी. महेन्द्रा (उप मुख्य सचेतक): आठ तो कर दें साहब, आठ बजे तक कर दें।

श्री अध्यक्षः क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 8 बजे तक कर दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया गया।

आप साढ़े सात बजे खतम कर दीजिए क्योंकि आपने 7.15 पर शुरू किया था, 12 मिनट हो गए, 3 मिनट और ले लीजिए, ताकि 15 मिनट में बाकी दो और बोल सकें।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): 1525 मेगावाट बिजली उत्पादन की 7 परियोजनाओं का जो कार्य हाथ में लिया गया है, यह एक राजस्थान के इतिहास में मिसाल कायम की है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काश्तकारों के 5200 रुपए स्पेशल योजना में जमा हैं उनके कनेक्शन चालू किए जाएं। आज भी वर्तमान में बिना बाधा के 6 घण्टे बिजली निश्चित रूप से मिलती है लेकिन जो किसान डाइरेक्ट आंकड़े लगाकर चोरी करते पकड़े गए हैं उनको भारी जुर्माना अदा करना पड़ा है। यदि वह लोग भी कनेक्शन चाहते हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कनेक्शनों पर जो रोक लगा रखी है उसको चालू किया जाए जिससे किसान कनेक्शन लेकर नियमानुसार कार्य कर सके।

मैं समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के आर ए एस की परीक्षा में बैठने वाले युवा हैं उनको जिस प्रकार की राशि

(श्री कन्हैया लाल मीणा)

प्रोत्साहन के रूप में कोचिंग कराने वालों को दी जाती है जबकि वास्तव में वह गरीब आदमी कोचिंग नहीं कर पाता है, वह कोचिंग वाले आधा पैसा खुद रख लेते हैं और आधा पैसा कोचिंग करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पैसा कोचिंग वालों को न देकर यदि उस प्री पास करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा कराया जाए, उन कोचिंग वालों को जमा नहीं कराया जाए तो उस व्यक्ति को उसका लाभ होगा।

पन्नाधाय जीवन अमृत योजना और जन श्री बीमा योजना जो मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में ली है और एल आई सी के साथ मिलकर बी पी एल के परिवारों का जो पैसा उन्होंने जमा कराया है और उससे आज गरीब व्यक्ति के छात्र को, उनके परिवार वालों को जिसके नाम से बीमा हुआ है उस परिवार में चाहे विधवा मां खतम हो गई हो, बी पी एल परिवार का सदस्य खतम हो गया हो, उन व्यक्तियों को 75 हजार रुपए सहायता के रूप में मिले हैं। ऐसे जो कार्य मुख्य मंत्रीजी ने हाथ में लिए हैं उसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

साथ ही मैं समाज कल्याण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की एक नैतिक जिम्मेदारी है कि जो हमारी माताएं, बहनें या युवा पागल हो गये हैं और पागल हो जाने पर वे चौराहे पर नग्न घूमते रहते हैं। उनके साथ अनेक बार घटनाएं घटी हैं, उनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया तो उनको कोई होस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं है। ऐसे में मैं निवेदन करना चाहूंगा ऐसे पागल व्यक्ति जो जगह-जगह दर-दर की ठोकरें खाते रहते हैं, युवा, माता, बहनें हैं उनके साथ अनेक घटनाएं घटी हैं ऐसे व्यक्ति की कोई देखभाल समाज कल्याण विभाग की तरफ से नहीं है। मैं चाहूंगा इसमें एक व्यवस्था दी जाकर ऐसे व्यक्तियों का एक्सीडेंट हो जाए तो उनको सहायता मिले।

श्री अध्यक्षः कृपया समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): साथ में मैं निवेदन करना चाहूंगा अनुसूचित जाति व जनजाति के छात्रों को स्कूलों में छात्रवृत्ति मिलती है वह अब तक मिली नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा उनको छात्रवृत्ति दिलायी जाए।

श्री अध्यक्षः समाप्त करें।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): इसके साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान विकास के पथ पर अग्रसर है और निश्चत रूप से तीन साल में जो कार्य किये हैं, जो पुख्ता कार्य हाथ में लिये गये हैं और जनता में जिस प्रकार का जो मैसेज है निश्चित रूप से अच्छा कार्य होगा। मैं इसी के साथ में राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण पढ़ा उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री अध्यक्षः धन्यवाद, श्री बहादुर सिंह। (व्यवधान) बोलना है क्या? नहीं बोलना है तो दूसरा नाम पुकारूं। (व्यवधान) मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि कई लोग माइक को बहुत छेड़ते रहते हैं, इनको न छेड़ा करें, जैसे हैं वैसे रहने दिया करें। आपने एकदम नीचे कर रखा था, अब एकदम ऊंचा किया। मैं कई माननीय सदस्यों को देख रही हूं, मैं सबसे निवेदन कर रही हूं कि इनको न छेड़ा करें। 25 हजार रुपये का आता है, अभी 15 ठीक कराये हैं। (व्यवधान) काहे के छोटे हैं, आपकी आवाज तो बुलंद है, ऐसे ही आती है, बिना इसके भी आती है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री): कई हाथ में पकड़े ही रहते हैं।

श्री अध्यक्षः आप पीछे देखिए, पहले अपने मंत्रिमण्डल को देखिए, इन्होंने ऐसे क्यों कर रखे हैं?

श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना): सीपी जोशी साहब यहां नहीं हैं, वे यों कर लेते हैं।

श्री अध्यक्षः मैं वह भी देख रही हूं, वह भी मैंने देख लिया, सी.पी. जोशी भी उसे बहुत खराब करते हैं। (व्यवधान) घनश्यामजी मॉडल है क्या आपके? ये आपके मॉडल हैं जो इनको देखकर करते हो? (व्यवधान) मुझे तो अनुकरणीय आप लगते हो।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन से महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस चल रही है मैं भी उसमें शरीक होते हुए हिस्सा लेना चाहता हूं। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने, सदस्यों ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो भी विकास की बातें कही गई हैं, जो आंकड़े पेश किये गये हैं उनको हाउस में बढ़ा-चढ़ाकर रखा है, मैं उनको नहीं दोहराना चाहता। मैं केवल एक-दो बात सदन के सामने रखना

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

चाहता हूं जिसके ऊपर न तो महामहिम के भाषण में जिक्र आया है और न उसकी तरफ कोई सरकार का ध्यान गया हे।

देश का सबसे बड़ा वर्ग किसान वर्ग है जो आज भी खुदकुशी के कगार पर है, गरीबी के कगार पर है। और गरीबी का आलम यह है कि अगर अचानक किसान को 200 रुपये बीज की खातिर जरूरत पड़ जाए तो बगैर कर्जा लिये वह अपने खेत में बीज की बिजाई नहीं कर सकता। जो देश का सबसे बड़ा वर्ग है वह सबसे ज्यादा गरीब है।

दूसरा निवेदन एक और है। जो फसल बीमा योजना लागू की गई है, फसल बीमा योजना की किश्तें तो किसान से इंडिविजुअल रूप में ली जाती हैं और जब मुआवजा का मसला आता है, उसको फसल का नुकसान देने की बात आती है तब पूरी तहसील को एक इकाई मान लिया जाता है। और तहसील में कहीं 10 गांव में, 20 गांवों में थोड़ी सी फसल हो गई हो तो फिर उस किसान को चाहे कितना ही नुकसान क्यों न हो गया हो उसको कोई भी मुआवजा नहीं मिलेगा। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि फसल बीमा में यह सुधार करें। जिस तरह से एक मोटरसाइकिल का बीमा हो सकता है, एक कार का बीमा हो सकता है, कारखाने का बीमा हो सकता है तो किसान के खेत का बीमा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए किसान के खेत का भी बीमा कराया जाए और उसको इंडिविजुअल रूप में जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करवायी जाए।

मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा आपने नये स्कूल खोले हैं, क्रमोन्नत किये हैं, इसमें कोई दोराय नहीं है। अध्यापकों की भर्ती भी की गई है उसके लिए तो वे धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन आज भी तकनीकी शिक्षा की बहुत ज्यादा कमी है और कई इलाकों में तो कोई भी तकनीकी शिक्षण संस्थान नहीं है। हमारे चूरू से लेकर गंगानगर के बीच में कहीं भी कोई अच्छा तकनीकी संस्थान नहीं है जहां हमारे बच्चे पढ़ सकें।

दूसरा, मेरा एक निवेदन और है कि आज प्राइमरी तक लड़के और लड़कियां साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन जब मिडिल में जाते हैं तो लड़कियों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है, जब सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में जाते हैं तो उनकी संख्या और भी ज्यादा कम हो जाती है। जब कालेज में जाते हैं तो और

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

ज्यादा संख्या कम हो जाती है। उसका एक ही कारण है कि कोमन शिक्षण संस्थान होने के कारण लड़कियां इस माहौल में बच्चों के साथ पढ़ नहीं पा रही हैं। इसलिए उनको अपनी शिक्षा से महरूम रहना पड़ रहा है। आज भी हम अगर हमारी बच्चियों को अच्छे शिक्षण संस्थान अलग से बनाकर पढ़ने का अवसर नहीं देते हैं तो यह हमारी कमजोरी है और इस कमजोरी को दूर करना चाहिए।

मेरा यह भी निवेदन करना है कि सिंचाई के मामले में हालांकि सरकार ने कुछ करने का प्रयत्न किया है, लेकिन हमारे यहां तीन योजनाएं हैं सिद्धमुख कैनाल, नोहर फीडर और चूरू लिफ्ट सिंचाई योजना। यह इर्रिगेशन डिपार्टमेंट का स्टेंडिंग आर्डर है कि जब तक नहरों का सही सिस्टम नहीं बन जाए तब तक नहर में पानी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे यहां नहर आये 10 साल हो गये, लेकिन अभी तक सिस्टम डवलप नहीं किया गया है, न एरिया का सर्वे हुआ है, न खाले, नाले बनाये गये हैं। इससे पानी बर्बाद हो रहा है, किसानों में आपसी झगड़े बढ़ रहे हैं और उस पानी का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारी इन इर्रिगेशन स्कीमों में सर्वे कराकर किसानों को पक्के खाले बनाकर दिये जाएं।

सड़कों के लिए मेरा निवेदन है कि सड़कों का एक्सटेंशन हुआ है, लेकिन आज भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जो आपस में सड़कों से जुडे हुए नहीं हैं। तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर के ऐसे गैप रह गये हैं अगर वे जोड़ दिये जाएं तो आर-पार की सड़कें बन जाती हैं, लोगों को आने-जाने में सुविधा होती है। इसलिए मेरा पीडब्ल्यूडी मंत्रीजी से निवेदन है कि वे विधायकों की डिजायर पर या अपने साधन सुविधा हो उसके आधार पर गांवों के तीन-तीन, चार-चार किलोमीटर के टुकड़े हैं उनको जुड़ाएं ताकि लोगों को आवागमन में सुविधा हो। मेरे क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ है, हरियाणा की तरफ से सारी सड़कें बोर्डर तक बनी हुई हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में हमारे बोर्डर तक बनी हुई है हरियाणा बोर्डर तक नहीं बनी हुई है। हमारे गांव तक बनी हुई है, हरियाणा बोर्डर तक नहीं बनी हुई है। इससे दो किलोमीटर, तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर के काफी टुकड़े बचे हुए हैं। हरियाणा की फसल पिछले 10 साल से हमारी मण्डियों में आ रही है और उसी की वजह से आज हमारी कितनी मण्डियां हरियाणा की फसल की वजह से आबाद है। अगर ये सड़कें जुड़ जाएं तो और ज्यादा फसलें

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

हमारी मण्डियों में आएंगी। उससे सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। मेरा निवेदन है कि इन टुकड़ों को जोड़ने की कृपा करें ताकि लोगों को आने-जाने में सुविधा मिले।

बिजली के लिए मेरा निवेदन है कि पिछले कई दिनों से इन्होंने कृषि कनेक्शन देना बंद कर रखा है। लोगों ने साल-साल, डेढ़-डेढ़ साल, दो-दो साल से अप्लाई कर रखा है, लेकिन कोई कृषि कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है। हमारे क्षेत्र के अंदर सेम की समस्या पैदा हो रही है। पानी जमीन के अंदर रिसाव हो रहा है और जहां कुएं ज्यादा हैं वहां पानी का लेवल नीचे चला जाता है और उस पानी का उपयोग भी हो जाता है, लेकिन जहां कृषि कनेक्शन नहीं देते हैं, डीजल से कुएं किसान चला नहीं पाता है, बड़ा महंगा पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि कृषि कनेक्शनों को अतिशीघ्र चालू किया जाए और लोगों को कृषि कनेक्शन दिये जाएं ताकि देश की पैदावार भी बढ़े, पानी का सही उपयोग हो और किसान को भी लाभ मिले।

मेरा तीसरा निवेदन है, मैं बीच में छोड़ गया कि देश की सबसे बड़ी पैदावार आज दुनिया में कोई भी वस्तु बगैर लागत मूल्य के नहीं बेची जाती। लेकिन देश की सबसे बड़ी पैदावार, किसान की पैदावार जो दूसरों के बारणे के आगे डालनी पड़ती है और ग्राहक एक, दो, तीन कहकर यतीम के माल की तहल से उठा ले जाते हैं उसकी कोई कॉस्ट आफ प्रोडक्शन नहीं निकाली। सेंटर के अंदर कांग्रेस सरकार बैठी हुई है, पहले हमारी सरकार भी थी, लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक किसानों की कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने की कोई कोशिश नहीं की। यही वजह है कि आज किसान खुदकशी कर रहा है, यही वजह है कि आज किसान समाज का सबसे कमजोर वर्ग और कर्जे के अन्दर दबता जा रहा है। मेरा निवेदन है कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कृषि पैदावार और जहां हम किसानों की आये दिन बात करते हैं, उस पैदावार की कोई कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं है, उसकी कास्ट आफ प्रोडक्शन निकालनी चाहिए। कभी बयान दिये जाते हैं कि हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं, कभी यह कहा जा रहा है कि हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं, यह न लाभकारी मूल्य है, न समर्थन मूल्य है। इनको किसी को मूल्य का ही मालूम नहीं है तो यह लाभकारी मूल्य कैसे कह सकते हैं, यह समर्थन मूल्य कैसे कह सकते है?

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

क्योंकि कृषि मंत्री यहां बैठे हुए हैं, मुझे एक क्विंटल ग्वार, बाजरी, मूंग, मोठ, नरमा, कपास की कास्ट आफ प्रोडक्शन बता दें, मैं हाउस से इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन इनको मालूम ही नहीं है और फिर कह रहे हैं कि हम लाभकारी मूल्य दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं। कहां से आ गया समर्थन मूल्य, कहां से आ गया लाभकारी मूल्य ?

श्री अध्यक्षः मंत्रीजी बता देंगे आपको।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): है ही नहीं, निकाली ही नहीं गई है आज तक।

श्री अध्यक्षः इस्तीफे की बात क्यों कर रहे हैं ?

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): यह समर्थन मूल्य बता सकते हैं यह कहने के लिए लेकिन किसी ने आज तक कास्ट आफ प्रोडक्शन नहीं निकाली।

श्री अध्यक्षः ये राज चला रहे हैं, कास्ट आफ प्रोडक्शन भी बता सकते हैं। (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): कास्ट आफ प्रोडक्शन इन्होंने निकाली ही नहीं है। इसलिए यह बता नहीं सकते, कोई अधिकारी नहीं बता सकता।

श्री अध्यक्षः खेती करने वाला निकालेगा नहीं ? (व्यवधान)

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): मेरा निवेदन है कि किसानों के साथ लगातार धोखा किया जा रहा है। एक बात की तरफ मैं लास्ट में और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि किसान कल परसों प्रदर्शन करने के लिए शहर में आना चाहता था और इस सरकार ने उसे रोका यह प्रजातांत्रिक तरीके के खिलाफ है। आये दिन यहां प्रदर्शन होते हैं, आये दिन यहां धरने दिये जाते हैं, आये दिन लोग यहां पुतले जलाते हैं इनके, उनको तो इजाजत दे दी जाती है और ...

श्री अध्यक्षः आपको 10 मिनट हो गये, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर): किसान इतनी दूर से चलकर अपनी फरियाद करने के लिए आता है उसे कहीं बाहर रोक दिया जाता है। यह प्रजातंत्र के सिद्धांतों के खिलाफ है। इस सरकार से निवेदन है कि इन बातों की तरफ विशेष गौर करें। आपने समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः थैंक यू वेरी मच।

श्री रामनारायण मीणा - अनुपस्थित। श्री रघुवीरसिंह मीणा - अनुपस्थित। श्री अर्जुन बामणिया - अनुपस्थित। श्री चन्द्रशेखर बैद - अनुपस्थित। श्री मुरारी लाल मीणा - अनुपस्थित। श्री अमराराम धोद ।

श्री अमराराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने इस सदन में आकर अभिभाषण दिया उसके लिए तो हम आभारी हैं लेकिन इस सरकार ने ...(व्यवधान) बिलकुल।

श्री अध्यक्षः बाहर बैठे-बैठे ही आभारी हो गये ?

श्री अमराराम (धोद): नहीं, अभिभाषण तो अध्यक्ष महोदय, मेरे को मिला ही है। आये उसके लिए आभारी हैं बल्कि सरकार ने जो कृत्य किये हैं, मैं समझता हूं जो भी इस सरकार ने घोषणाएं की हैं चाहे उस अभिभाषण के माध्यम से राज्यपाल महोदय से कराई हो, एक भी घोषणा को इस सरकार ने कभी भी पूरा नहीं किया है। मैं जहां बिजली की बड़ी वाहवाही अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि 24 घंटे मिल रही है। मैं समझता हूं तीन साल में जहां इस राजस्थान की सरकार ने 2003 में आते ही यह घोषणा की थी कि राजस्थान के गांवों को 24 घंटे बिजली मिलेगी, जो किसान 2003 तक जो भी 1 लाख 87 हजार पैंडिंग हैं उनको मार्च 2007 तक सब को कनेक्शन दे देंगे। अभी शिक्षा मंत्रीजी हैं इन्होंने हाउस में घोषणा की थी ...(व्यवधान) नहीं, हो गये। ये किताब छाप कर आपने एक-एक ए.ईएन. आफिस में भेजी थी, यह किताब जिसमें बाकायदा हर पंचायत समिति का 2003 में 1 लाख 87 हजार पैंडिंग थे, आपने घोषणा करके किताबें छाप करके ...

श्री अध्यक्षः 2003 में तो थे ही नहीं यह।

श्री अमराराम (धोद): 2003 के नवम्बर में आ गये थे।

श्री अध्यक्षः ये आये हैं 8 दिसम्बर, 2003 में।

श्री अमराराम (धोद): 2003 के दिसम्बर में आ गये। और यह जो छपा हुआ है 2003-04 में इतने मिलेंगे, 2004.05 में इतने मिलेंगे, 2006-07 में सब को मिल जाएंगे।

श्री अध्यक्षः यह कब की पब्लिश की हुई है ?

श्री अमराराम (धोद): यह पब्लिश हुई है 31.12.2005 को।

श्री अध्यक्ष: मानी बात, ठीक है।

श्री अमराराम (धोद): और आप कहो तो मैं पेश कर दूं ?

श्री अध्यक्ष: नहीं, नहीं आप कह रहे हैं। गलत क्यों कहेंगे ? आप कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद): मंत्रीजी, जब ऊर्जा विभाग की तरफ से आप यहां सदन में उत्तर देते थे तो ऊर्जा पर जब चर्चा हुई तब आपने बड़े जोर शोर से घोषणा की थी कि जो भी आज तक 14 साल से, 16 साल से पैंडिंग हैं उन तमाम 1 लाख 87 हजार किसानों को हम 2007 के मार्च तक दे देंगे। मार्च खतम हो रहा है, पहले साल में जितनी घोषणाएं की, वह भी दो साल में जाकर पूरी नहीं हुई और आज जो 40 हजार किसान जिनकी इन्होंने घोषणा की थी कि 120 दिन में, जो इस 2007 तक इंतजार नहीं करना चाहते, जो स्पेशल केटगरी में 5200 रुपये जमा करा कर तुरन्त कनेक्शन ले लें, उसको हम 120 दिन में कनेक्शन दे देंगे। उनमें से 40 हजार किसान आज भी इस सरकार के विश्वास पर जिन्होंने 2 लाख से लेकर 5 लाख तक ट्यूबवैल खोद करके, पम्पसैट खरीद करके 5-5 लाख रुपये इस सरकार के विश्वास पर खर्च किये उनको आज 2007 तक आज तक कनेक्शन नहीं मिला है। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार की क्या क्रेडिबिलिटी रह गई है? जो 120 दिन में कनेक्शन देने की घोषणा करे और तीन साल के बाद भी नहीं मिले तो उस सरकार पर जनता का क्या विश्वास रह जाएगा? यह तो खुद वह किसान जिसने 5200 रुपये 120 दिन में लेने के लिए फाइल एप्लाई की थी उनको आज तक 40 हजार को नहीं मिला है। और डूंगरगढ़ पंचायत समिति तो वह है जिसमें एक कनेक्शन भी वहां नहीं दिया और 45 दिन तक लोगों ने आन्दोलन किया कि कम से कम जितने राजस्थान में जितने प्रतिशत भी दिये हैं उतने तो हमको दे दिये जाएं जो उन धोरों में राजस्थान में 600 फीट नीचे से पानी निकाल करके अकाल का मुकाबला करना चाहते हैं। जहां हर दूसरे तीसरे साल अकाल पड़ता है, वह अपना लोन लेकर के अपने खून पसीने की कमाई से इस अकाल से मुकाबला करने के लिए तैयार है, उस सरकार की घोषणाओं पर मैं समझता हूं क्या इस सरकार का रह जाएगा ? जहां तक मैं समझता हूं यह कनेक्शनों के लिए असल हुआ है। जहां तक फसल बीमा का सवाल है, मैं समझता हूं राजस्थान में हर साल किसानों से रबी और खरीफ दोनों के अन्दर

(श्री अमराराम)

143 करोड़ रुपया वसूल किया जाता है, पूरी सरकार की तरफ से पूरी तहसील को अकालग्रस्त घोषित कर दिया जाता है, 50 प्रतिशत से ज्यादा खराबा बता दिया जाता है, उसके बाद में भी 2005-06 में आज तक उस फसल बीमा का मुआवजा उन किसानों को नहीं मिला है। पहली बात तो फसल बीमा योजना इसीलिए लगाई गई है वह किसानों की भलाई के लिए नहीं लेकिन केवल एक प्रचार करने के लिए जिस तरह से कोई भी बीमा होता है वह जिससे प्रिमियम लिया जाता है उसका जो भी नुकसान होता है उसकी भरपाई होती है। लेकिन तहसील को बनाया गया अब शायद केन्द्र सरकार ने पंचायत को यूनिट बनाया जाता है, उसका जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक उसके खेत को, जिसका प्रिमियम काटा जाता है और इसी का नतीजा है कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: तहसील को बनाया है।

श्री अमराराम (धोद): नहीं, ग्राम पंचायत को यूनिट एक्सेप्ट कर लिया है लेकिन अभी तक वह लागू नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष: यूनिट तो तहसील माना है।

श्री अमराराम (धोद): हां, यूनिट तहसील को माना है लेकिन जब तक खेत को यूनिट नहीं मानेंगे, मैं समझता हूं यह किसानों के शोषण के अलावा कुछ नहीं होगा। और जो तहसील भी यूनिट के 50 प्रतिशत से ज्यादा पूर्ण अकाल और अभावग्रस्त घोषित करने के बाद में भी मुआवजा नहीं मिलता है, 143 करोड़ रुपये, नतीजा है कि जो भी लोनी किसान हैं, उनका ही प्रिमियम जमा होता है। एक प्रतिशत भी, कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, एक प्रतिशत भी किसान जो लोनी नहीं हैं उन्होंने अपनी फसल का बीमा नहीं कराया है। इसलिए नहीं कराया कि यह बीमा योजना केवल किसानों को लूटने के लिए है और मैं समझता हूं इस सरकार की चाहे फसल बीमा योजना हो, जहां हम चिकित्सा की बात करते हैं, मैं समझता हूं सबसे पहले इस अभिभाषण में और राजस्थान के इतिहास में जो भी हम पैसे कितने ही खर्च करें, असल में, मूल्यांकन इस बात का किया जाना चाहिए कि उसका आम जनता को कितना लाभ हो रहा है, कितना हम पैसा खर्च करते हैं। आज आपने प्रश्न काल में भी देखा 3 करोड़ रुपये खर्च हो गये और पानी वहां पहुंच ही नहीं रहा है, पांच साल से

(श्री अमराराम)

नहीं पहुंच रहा है। यही हालत चाहे वह चिकित्सा हो, चाहे वह जलदाय विभाग हो, हम पैसे को जितना खर्च कर रहे हैं, हमारा मूल्यांकन इस बात का किया जाना चाहिए कि आम आदमी के लिए उपयोग में वह पैसा कितना आता है।

यह सही है, मैं समझता हूं मूल्यांकन करेंगे तो जो हमारे पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने कहा था कि एक रुपया अगर दिल्ली से चलता है तो आम आदमी तक पहुंचते-पहुंचते 15 पैसा रह जाता है और 85 पैसा रास्ते में खर्च हो जाता है।

श्री अध्यक्ष: सोनिया गांधी ने थोड़े ही कहा था, राजीव गांधी ने कहा था।

श्री अमराराम (धोद): हां, राजीव गांधी ने।

श्री अध्यक्ष: सोनिया का नाम ले गये आप।

श्री अमराराम (धोद): मैंने तो राजीव गांधी का ही लिया है, आप सोनियाजी का, इंदिराजी का सुन रहे हैं। इसलिए मूल्यांकन इस बात का किया जाना चाहिए। क्योंकि आज जिस तरह का खर्च हम कर रहे हैं उसका उपयोग जनता को कितना मिल पा रहा है। चाहे वह शिक्षा हो, हमारे मंत्रीजी को बड़ी धन्यवाद मिल रही है लेकिन मैं समझता हूं कि राजस्थान के 32 जिलों के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, शायद जुलाई से लेकर दिसम्बर तक आप देखेंगे तो कोई जिला नहीं है जहां एक-दो स्कूलों में ताले नहीं लगते हों। सैकण्डरी और सीनियर जितने भी रिमोट एरिया हैं, जितने भी रिमोट के जिले हैं जहां शिक्षा पिछड़े हुए हैं वहां सबसे ज्यादा कमी अध्यापकों की है और उस इलाके को और पिछड़ा रखने में जितनी पोस्टें वहां खाली रहेंगी निश्चित रूप से उसी इलाके, उसी जिले को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। और उसका नतीजा है कि वो विद्यार्थी उस गांव के लोग, हर जिले में रोज एक या दो स्कूलों के ताले लगाते थे। कोई इससे उठाकर के उसमें लगा दिया। आज प्राइमरी एजुकेशन में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जिस तरह से ड्राप-आउट है, मैं समझता हूं कि कितनी ही आप मिड-डे मील की बात कर रहे हैं, एक स्कूल में दो मास्टर हैं तो एक तो पूरा दिन-भर सुबह से लेकर शाम तक इसी जोड़-बाकी में लगा रहता है। वह आपका मिड-डे मील पकाने में लगा रहता है, हिसाब लगाने में लगा रहता है पढ़ाने की बजाय। आज मिड-डे मील में जो गेहूं का

(श्री अमराराम)

उठाव है, निश्चित रूप से इस बात को दिखाता है कि जितना हम प्रचार कर रहे हैं, उस प्राइमरी एजुकेशन में उतना विस्तार, जितना हम एस्टिमेट पहली साल लगाते हैं उस संख्या घटी है। इसलिए जो गुणात्मक, मैं समझता हूं, निश्चित रूप से आज शिक्षा को जिस तरह से हमने, इस सरकार में जितने 40-50 साल में सरकारी महाविद्यालय नहीं खोले उतने महाविद्यालय हमारी सरकार ने प्राइवेट, निजी महाविद्यालय खोले हैं और उनकी हालत यह है अध्यक्ष महोदय कि एक कमरे में लॉ कॉलेज, दो कमरों में बी. एड. कालेज चल रहे हैं। हालत हमारी शिक्षा की यह बना दी जिस तरह से दुकान है। मैं समझता हूं कि पूरा का पूरा माफिया जिस तरह से अभी जो बी. एड. करने के बाद जो मास्टरों के रिक्रूटमेंट किये, मैं समझता हूं कि अगर सही सलामत आप करना चाहते हैं, सरकारी स्कूल हमारे पास इतने हैं लेकिन उन निजी शिक्षण संस्थाओं में सेंटर करके जो आर.पी.एस.सी. की एग्जाम हुई, आप अंदाजा नहीं कर सकते, उन निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालकों ने एक-एक उम्मीदवार से एक-एक लाख रुपया। क्या हमारे पास राजस्थान में इतनी सरकारी स्कूलें हैं, मैं समझता हूं निजी शिक्षण संस्थाएं जो अपने स्वार्थ के लिए बनाई जाती हैं, कोई समय था जब लोग जनता के लिए बनाते थे, आर. पी.एस.सी. की एग्जाम क्या सरकारी स्कूलें हमारे पास इतनी नहीं हैं? जहां सरकारी स्कूल का अध्यापक होगा, निश्चित रूप से इस तरह का फ्राड नहीं कर सकता। लेकिन यह उदाहरण है कि निजी शिक्षण संस्थाओं ने जिस तरह से उन बेरोजगार नौजवानों के साथ, जहां शायद 32 हजार शिक्षक इस आर.पी.एस.सी. से भर्ती करने हैं, दो लाख 69 हजार परीक्षार्थी बैठे हैं, जहां सेंटर थे उन्होंने करोड़ों रुपये लोगों से ठगे हैं। अब जब रिजल्ट आयेगा जब वो मैरिट में नहीं आयेंगे तो निश्चित रूप से वो शिक्षा मंत्रीजी और हमारे सब लोगों के सामने आयेगा। इसलिए यह जो आज हम शिक्षा को बिकाऊ और व्यवसायीकरण कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि शिक्षा को राजस्थान में आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे।

आज बिजली बोर्ड में जिस तरह से किया जाता रहा है, मैं समझता हूं कि बिजली बोर्ड के द्वारा मनमर्जी की जा रही है। हमारे ऊर्जा मंत्रीजी अभी हैं नहीं यहां पर, जिस तरह से भोपालगढ़ में आसूंडा एक गांव है जहां पांच

(श्री अमराराम)

किसानों के ट्रांसफार्मर उतारने के लिए, जिनका एक-एक पैसा जमा है, आप अंदाजा कीजिये कि एक नया पैसा बकाया नहीं है...

श्री अध्यक्ष: कहां उतार लिये?

श्री अमराराम (धोद): भोपालगढ़ का आसूंडा गांव है जहां छोटूराम, नैनाराम, भीखाराम, भीखाराम पुत्र बोडाराम, मोतीराम पुत्र नारायण राम, जिनके एक पैसा बकाया नहीं है पर महज इसलिए कि बिजली कम्पनी में जो प्राइवेट जीप है उसका दलाल उनसे यह बहाना करके 10-10 हजार रुपये लेना चाहता था। उन्होंने उसको दिया नहीं, उसको मना कर दिया इसलिए पूरे 200 लोगों ने 20 जीपों से हमला करके जिन पांचों किसानों का एक नया पैसा बकाया नहीं है, लास्ट पेमेंट जमा है, 20 फरवरी को उन पांचों किसानों के ट्रांसफार्मर उतार लिये गये। जिनका एक पैसा बकाया नहीं है और आज की तारीख तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये। आप बताइये कि 20 फरवरी को जिस किसान का एक नया पैसा बकाया नहीं है, कोई चोरी नहीं कर रहे हैं पर महज इसलिए कि जोधपुर बिजली कम्पनी के इंजीनियरों को उन्होंने 10-10 हजार रुपये रिश्वत के नहीं दिये, उनको मना कर दिया। उसने जब जबरदस्ती कहा कि हम आपकी वी सी आर भर देंगे तो उनको ठीक करने का काम किया और निश्चित रूप से जो किसान को लूटने की बात करेगा उसको ठीक करेंगे। लेकिन आज भी यह सरकार बता दे कि यह पांच किसान, अगर आप कह दें तो मैं यह टेबल कर सकता हूं जिनका एक नया पैसा बकाया नहीं है। जिस तरह से बिजली कम्पनी के अधिकारियों ने लूट मचा रखी है, 200 लोगों ने 20 जीपों से, पूरे अमले ने जाकर के गांव में तबाही मचाई है और आज की तारीख तक उनके ट्रांसफार्मर नहीं लगाये। न केवल यहां बल्कि पिछली बार मैंने देखा, आपने भी देखा होगा, आप बहुत लम्बे समय से इस सदन में सदस्य रहे हैं, किसी भी गांव में, रींगस के पास में मलिकपुर में, लाडपुर में रात को 15 जीपों से 150 बिजली के कर्मचारी, ठेकेदार के लोग शराब पीकर के गांव में हमला करते हैं और 60-65 साल की औरत के सिर में देते हैं और उसके 9 टांके आते हैं। एक के ऊपर से जीप चढ़ाते हैं जिसकी दोनों टांग टूट जाती हैं। निश्चित रूप से रात को चैकिंग करें और जो चोरी करता है उसको पकड़ें। लेकिन मैं समझता हूं कि रात को एक बजे जिस तरह से 150-150 लोग जाकर के गांव में हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया हो

(श्री अमराराम)

रही है। मैं समझता हूं, कोई लगाम नहीं है। जिस तरह से यह सरकार कितना ही यह कहे कि बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, वाह-वाही हो रही है, बहुत पैसा आ रहा है। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से वी.सी.आर. के नाम पर जो लूट मचा रखी है, आप अंदाजा करेंगे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र श्यामपुरा गांव का एक भगवाना राम है जिसके 35 हार्स पावर का कनेक्शन है। और जो हर महीने पांच हजार, छह हजार, सात हजार जो भी इनका बिल आता है वह जमा कराता है। और उसकी इन्होंने 90 हजार की वी.सी.आर. भरी है। शायद आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक किसान पूरा अनाज और भूसा भी बेचेगा, चारा भी बेचेगा तो 90 हजार रुपये नहीं होंगे। जिस तरह की मनमर्जी, एक लूटने का हथियार जो बिजली कम्पनियों के अधिकारियों को दे दिया है जिसमें 15 प्रतिशत उनका कमीशन होगा, मर्जी आये उतना भर दें। मैं समझता हूं कि जो चोरी करता है उसको निश्चित रूप से पकड़ें। लेकिन जो अधिकार आपने वी.सी.आर. के नाम से बिजली कम्पनियों के अधिकारियों को दिये हैं जो जाता है और कहता है कि आपके 40 हजार की वी सी आर होगी और 20 हजार दे दो तो आपकी वी सी आर नहीं होगी। अगर आपने 20 हजार नहीं दिये तो 40 हजार की भी वी सी आर हो जाएगी, 60 हजार की भी वी सी आर हो जाएगी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से लूटने का काम इन कम्पनियों को इस सरकार ने दिया है वह निश्चित रूप से समय आने पर जनता आपको बताने का काम करेगी।

जहां तक स्वास्थ्य की बात है, मैं समझता हूं कि आज वही हालत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य की है। मैं समझता हूं कि हम कितनी ही बजट की घोषणाएं कर दें, लागू कर दें, आज भी राजस्थान की मातृ शिशु मृत्यु दर है उसमें हिन्दुस्तान के स्टेटों में हमारा नम्बर नीचे से आता है। कितना ही हम पैसा खर्च करते हैं, कितने ही हास्पिटल मंत्रीजी बता दें, ग्रामीण क्षेत्रों में जितने चिकित्साकर्मी हैं उनमें से 95 प्रतिशत उस गांव में नहीं ठहरते, शहरों में रहते हैं। और बहुत से तो ऐसे हैं जो तीन-तीन साल तक फोरेन जाकर के आ जाते हैं, उनकी तनख्वाह उठती रहती है। यह हमारे चिकित्सा की हालत है। जो ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत जनता रहती है उस पर चिकित्सा का बजट जो हम खर्च करते हैं उसकी हालत यह है। अगर आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर के देखेंगे तो जितनी दवाइयों का पैसा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में जाता

(श्री अमराराम)

है, मैं समझता हूं कि 10 प्रतिशत भी वहां पर जनता को नहीं मिलता, 10 प्रतिशत भी नहीं मिलता। कोई दवाई नहीं मिलेगी। जहां हम बी.पी.एल. की बात कर रहे हैं, कल हमारे पंचायती राज मंत्रीजी कह रहे थे, जितने गांवों के जो बी.पी.एल. के परिवार हैं, किसी हास्पिटल में वह नहीं मिलेगा। वह इतना जानता नहीं है। उसकी फोटो-स्टेट लेकर के आओ, उसकी फोटो-स्टेट लेकर के आओ। कोई थोड़ा बहुत होशियार है, पढ़ा लिखा है उसको भले ही मिले। लेकिन जितनी हमने व्यवस्था कर रखी है और उसका नतीजा यह है कि मुख्य मंत्री सहायता कोष से सवाई मानसिंह चिकित्सालय में जितने हम चैक भेजते हैं उसका भी 50 प्रतिशत से ज्यादा वापस लौटकर आ जाता है। 50 प्रतिशत है,

(समय 20.00 बजे)

अध्यक्ष महोदय, आप निकलवा लीजिये। स्वास्थ्य के लिए एस.एम.एस. में भी जितने चैक जाते हैं, उसका 50 प्रतिशत वापस रिटर्न हो जाता है।

अनेक माननीय सदस्य: आठ बजे साहब।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री अध्यक्ष: आठ बज गये हैं। मैं सदन की अनुमति से पांच मिनट बढ़ा रही हूं इनका भाषण समाप्त होने तक।

(स्वीकृत)

सदन का समय पांच मिनट तक के लिए बढ़ाया जाता है।

अब पांच मिनट में। Within five minutes, he will conclude.

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री अमराराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, आज जिस तरह से व्यवस्थाएं आम आदमी जो समाज में गरीब है, उसकी जो हालत है, आज जिस तरह से महंगाई आज की तारीख में है, मैं समझता हूं कि राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूर्ण रूप से समाप्ति की स्थिति में है। आज जो बी.पी.एल. में भी चयनित हैं, उनको भी चार-चार महीने का राशन एक साथ मिलता है,

(श्री अमराराम)

मिलता है तो। बाकी ए.पी.एल. की व्यवस्थाएं खतम है। राशनिंग की व्यवस्था में तो केरोसीन है। मैं समझता हूं, 80 प्रतिशत केरोसीन आज भी ग्रामीण क्षेत्र में ब्लैक में जाता है। आज जितने भी ट्रैक्टर हैं, उसमें 50 प्रतिशत उस ब्लैक के केरोसीन से चलते हैं। जितनी भी ग्रामीण रूट की प्राइवेट बसें हैं, तमाम उस केरोसीन के ब्लैक से चलती हैं। और यह जो सरकार है, जो भी कोई शिकायत करता है, जांच की जाती है, पकड़ा जाता है, उसके बाद में भी सरकार उसी डीलर को वापस रिवोक करती है। आज जिस तरह से पूरा सिस्टम है, मैं समझता हूं, आज सरकार की प्राथमिक ड्यूटी है उस गरीब के प्रति जिसकी सेवा करने के लिए हम वादा करके आये हैं। गरीब को गणेश मानने की बात कर रहे हैं, **ग** को गणेश पढ़ाने की बात कर रहे हैं। वादे कितने ही हम करें, चाहे वह राशन का सवाल हो, चाहे मजदूरी का सवाल हो। जहां मजदूरी देने का सवाल है, जहां कहीं भी थोड़ा बहुत भी चला है, आज हालत यह है कि नौ रुपये एक आदमी को एक दिन की मजदूरी मिलती है। जिस तरह से पूरा टाइम लेने के बाद गरीब को राशन की तमाम व्यवस्थाएं जिस तरह से हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि पेयजल की तो हालत यह है अध्यक्ष महोदय, हमारा हजारों करोड़ रुपये का बजट है। मैं समझता हूं कि यह प्रजातंत्र स्थापित करने के बाद इस विधान सभा में हजारों करोड़ रुपये का बजट पेयजल के लिए हमने खर्च किया है। लेकिन आज पूरे राजस्थान की हालत यह है कि हजारों गांव ऐसे हैं जो फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए मजबूर हैं। उन गांवों के लिए हमें कोई चिंता नहीं है। जयपुर के लिए जरूर चिंता है कि उसके लिए 1100 करोड़, 1200 करोड़ का होगा क्योंकि हम राजधानी में रहते हैं, बड़े-बड़े लोग रहते हैं, सब मंत्री रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: वहां आप भी रहते हो। जयपुर में आप भी रहते हो।

श्री अमराराम (धोद): हां, मैं भी रहता हूं। उनके लिए सबको चिंता है लेकिन 3000 से ज्यादा गांव ऐसे होंगे जो इनके पीएचईडी. के अनुसार उनको पेयजल आज तक हम आजादी के 60 साल बाद भी उपलब्ध नहीं करा पाये हैं। क्या हमारी यह जिम्मेदारी नहीं है? जयपुर के लिए लायें, इसमें हमको एतराज नहीं है लेकिन हजारों गांव आज भी ऐसे हैं जहां 25 साल की उम्र के लोगों के जोड़ों में दर्द हो जाता है, 35 साल की उम्र के लोगों के जिनके दांत गिर जाते हैं। क्या उनके प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? जिनके लिए पानी

(श्री अमराराम)

पर हम कितना ही पैसा खर्च करें, जहां पैसा खर्च करते हैं, उसी गांव में दो करोड़ की स्कीम लगाने के बाद भी वहां पानी नहीं पहुंचता। जहां तक जल चेतना के माध्यम से उनको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, जिनको पानी नहीं मिला और जो टब में नहाते हैं। आज पूरा का पूरा परिवार है, जितना गांव में पानी खर्च नहीं करते, उतना इस शहर के पढ़े हुए लोग, बड़े-बड़े लोग, एक-एक टब में नहाकर खर्च कर देते हैं। पूरा परिवार पूरे दिन में खर्च कर देता है। उनके लिए नहीं पढ़ा रहे हैं। उनके लिए पढ़ा रहे हैं जिनको 60 साल में हम पानी नहीं दे पाये। इसलिए मैं तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस अभिभाषण के ऊपर हम कितनी ही वाहवाही लूट लें, लेकिन आम जनता की खुशहाली के लिए सरकार ने कोई काम करने की बजाय बड़े -बड़े लोगों का काम किया है।

अब खेती के नाम से भी इस सरकार ने निर्णय किया कि जितनी भी वेस्ट लैण्ड है, जो सरकारी जमीन है, उनको रतनजोत की खेती के नाम से, जो पीढ़ियों से खेती करते हैं, उनके लिए जमीन नहीं है। लेकिन उन कम्पनियों के लिए है, हजारों-हजारों हैक्टेयर जमीन उनके लिए रतनजोत के बहाने से देंगे तो मैं समझता हूं कि यह सरकार केवल उन कम्पनियों की है, उस गरीब की नहीं है।

अगर छूट देने का भी सवाल आता है तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने शराब के ठेकेदारों को 90 प्रतिशत तक की छूट दी है। गरीब को कोई छूट नहीं है जबकि यह सरकार ब्याज में रिलीफ देने की, कर्जा माफ करने का वादा करके आई है लेकिन उस किसान और गरीब इसके नक्शे में नहीं है। इनके नक्शे में है शराब के ठेकेदार जिनके आप बकाया 90 प्रतिशत तक का मूल और ब्याज भी माफ करेंगे। जमीन भी कम्पनियों को देंगे, सड़क भी कम्पनियों को देंगे, शिक्षा भी कम्पनियों को देंगे तो मैं समझता हूं कि इस सरकार का चरित्र एक ही रहा है कि बड़े-बड़े लोगों की सेवा करना है और गरीब को वोट लेने के लिए गणेश मानना और उसके अधिकारों पर हमला करने का काम किया है। इसलिए इस अभिभाषण के प्रस्ताव का मैं विरोध करते हुए, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

सूचना

खेजड़ी काटते समय दुर्घटना होने पर कृषि उपज मंडी समिति मुआवजा देगी

श्री अध्यक्ष: मैं माननीय सदस्यों को एक सूचना देना चाहूंगी कि रेगिस्तान से आने वाले माननीय सदस्य निश्चित रूप से इस बात से खुश होंगे कि अब तक खेजड़ी काटते समय यदि कोई गिर जाये और उसकी स्पाइन टूट जाये, उसकी वजह से तमाम जिंदगी खाट पर पड़ा रहे या मृत्यु हो जाये तो कृषि उपज मंडी किसी तरह का कभी उसे मुआवजा नहीं दिया करती थी। अब इन्होंने खेजड़ी काटते समय दुर्घटना जिसके साथ भी हो जाये, वह किसान जीवन कल्याण योजना के अन्दर उसे सम्मिलित कर लिया गया है।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामालानी): पहले के जो केस खारिज कर दिये उन्होंने, जिन्होंने एप्लाई किया, उसका आप क्या कर रहे हैं? उसको भी आप देओ। मैंने पिछली बार भी विधान सभा में यह मामला उठाया था और आपने आश्वासन दिया था कि खेजड़ी से गिरने से अगर मर जायेगा तो उसको देंगे।

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी): खेजड़ी से भी मृत्यु होती है, नीम से भी होती है, अन्य पेड़ों से भी होती है इसलिए इसको पेड़ का किया जाये। आड़ू के पेड़ भी तोड़ते हैं तो उससे भी हो जाती है।

एक माननीय सदस्य: इसको पेड़ का कराइये।

श्री अध्यक्ष: यह आप लिखकर दीजिये, उस पर विचार करेंगे कृषि मंत्रीजी। जो बात थी, वह मैंने कह दी।

श्री प्रभुलाल सैनी (कृषि मंत्री): पूरा पेड़ है चाहे खेजड़ी हो, चाहे उसमें नीम हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक बुधवार दिनांक 7 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.06 बजे, बुधवार दिनांक 7 मार्च, 2007 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न एवं उनके उत्तर

निवाई के धार्मिक स्थलों में चोरी के दर्ज प्रकरण

41. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के विभिन्न थानों में गत 5 वर्षों में मन्दिरों में चोरी प्रकरण कहां-कहां दर्ज किये गये और उनमें कितनी सामग्री व राशि की चोरी हुई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में बरामदगी हुई तथा कितने को अभी तक सुलझाया नहीं गया और माल बरामदगी नहीं की गई?

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त प्रकरणों में चोरों को पकड़कर उनसे बरामदगी करने के लिये विशेष टीम गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में मन्दिरों में चोरी के प्रकरणों का थानेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कुल 26 प्रकरण मन्दिरों में मूर्ति चोरी के दर्ज हुए जिनमें से 16 प्रकरणों में बरामदगी की जा चुकी है। 10 प्रकरणों में बरामदगी नहीं हुई है।

(3) मन्दिरों में मूर्ति चोरी के अपराधों की रोकथाम एवं चोरीशुदा माल की बरामदगी के लिए वृत्त स्तर पर विशेष टीम गठित है।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	थाना	घटना स्थल	चोरी गई सामग्री	कीमत
1	2	3	4	5
1.	दतवास	मन्दिर श्री सीताराम जी भरथला	2 मूर्ति सीता व रामजी की व एक चांदी का मुकुट	80,000/- रुपये
2.	—"—	मन्दिर रघुनाथजी दतवास	1 मूर्ति जानकीजी व 1 मूर्ति सालगरामजी की	30,000/- रुपये
3.	—"—	मन्दिर गोपालजी दतवास	1 मूर्ति रामजी व 1 मूर्ति गोपालजी की	5,000/- रुपये

1	2	3	4	5
4.	बरोनी	मन्दिर जामडोली	भगवान के जेवरात	10,000/- रुपये
5.	—"—	मन्दिर जौला	2 मुकुट चांदी के	10,000/- रुपये
6.	—"—	मन्दिर बगड़ी	मुकुट, छत्र चांदी व नकदी	20,000/- रुपये
7.	—"—	मन्दिर हाडीकलां	2 मूर्ति	10,00,000/- रुपये
8.	पीपलू	जैन मन्दिर झिराना	3 छत्र	2,000/- रुपये
9.	—"—	बालाजी का मन्दिर डोडवाड़ी	दान पात्र से नकदी	400/- रुपये
10.	—"—	बालाजी का मन्दिर देवरी	चांदी के कान, मुंह व आंखे बजरंग बली की	18,000/- रुपये
11.	—"—	जैन मन्दिर बोरखण्डी	पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति	10,000/- रुपये
12.	—"—	मन्दिर बाइन्डा बालाजी तन बोरखण्डी	दान पात्र से नकदी	4,000/- रुपये
13.	—"—	जैन मन्दिर बावड़ी	आदिनाथ स्वामी की 2 मूर्ति	3,00,000/-रुपये
14.	निवाई	बड़ी के मन्दिर	चांदी का छत्र	500/- रुपये
15.	—"—	सीतारामजी का मन्दिर झिलाई	2 छत्र	3,0000/- रुपये
16.	—"—	मन्दिर मुरली मनोहरजी झिलाई	मूर्ति का मुकुट व जेवर	6,000/- रुपये
17.	—"—	मन्दिर राधा दामोदर निवाई	2 मूर्ति अष्टधातु व छत्र चांदी	30,000/- रुपये
18.	—"—	मन्दिर शेषावतार राहोली	मूर्ति पीतल की	500/- रुपये
19.	—"—	दिगम्बर जैन मन्दिर झिलाई रोड़ निवाई	1 मूर्ति चोबीस महाराज, छत्र चांदी व नगदी	5,000/- रुपये

1	2	3	4	5
20.	निवाई	वनस्थली जैन मन्दिर	छत्र चांदी व नकदी	1500/- रुपये
21.	—”—	गोपालजी का मन्दिर झिलाई	मूर्ति के जेवर व नकदी	1500/- रुपये
22.	—”—	चिन्ताहरण गणेश मन्दिर निवाई	2 मूर्ति राधा कृष्णजी	3000/- रुपये
23.	—”—	बालाजी बावड़ी मन्दिर निवाई	कैसिट रिकार्डर व 2 चांदी के छले	2000/- रुपये
24.	—”—	गोपालजी का मन्दिर भुर्टिया	पीतल, 1 आरती व 1 घन्टी	25,000/- रुपये
25.	—”—	ठाकुरजी का मन्दिर गांव ठांगरथल	2 मूर्तियां सफेद पत्थर की	20,000/- रुपये
26.	—”—	मन्दिर रामदेवजी ग्राम झिलाई	तामड़ी पीतल व 1 छत्र चांदी	1500/- रुपये

चित्तौड़गढ़ जिले के खनन क्षेत्रों में सड़क निर्माण/मरम्मत

42. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा खनन क्षेत्र में सड़कों का निर्माण कराया जाता है? यदि हां, तो निम्बाहेडा, छोटी सादड़ी तहसील क्षेत्र में कहां-कहां सड़क का निर्माण अब तक कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि तहसील निम्बाहेड़ा में रानीखेड़ा से नारेला तक माइन्स एप्रोच रोड का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो कब? सड़क की लागत, लम्बाई वर्तमान स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त सड़क की वर्तमान में दयनीय स्थिति है? यदि हां, तो क्या सरकार इसके निर्माण व मरम्मत का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। खनन क्षेत्रों में विभाग द्वारा खान उपागमन सड़कों का निर्माण कार्य करवाया जाता है। तहसील छोटी सादड़ी में अब तक किसी खान उपागमन सड़क

(खनिज मंत्री)

का निर्माण नहीं करवाया गया है। तहसील निम्बाहेड़ा में जो खान उपागमन सड़कों का निर्माण करवाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम सड़क	दूरी	व्यय (लाखों में)	निर्माण वर्ष
1.	देवली से टाटरमाला खान	6 किमी	10.61	80-81
2.	मण्डला से खोडिप खान	3 किमी	5.34	89-90
3.	धीनवा से कचरियाखेड़ी खान	6 किमी	11.89	89-90
4.	टाटरमालखान से विनोता रोड़	2 किमी	3.81	91-92
5.	कचरियाखेडी से कचरियाखेडी खान	2 किमी	8.87	91-92
6.	निम्बाहेड़ा से नारेला	9.40 किमी	68.48	95-96
7.	मानमलजी की कुई से सालरमाला	5.40 किमी	44.80	80-81
8.	विनोता से निम्बाहेड़ा	11 किमी	11.60 (मरम्मत)	63-64

(2) जी हां। यह सही है कि तहसील निम्बाहेड़ा में निम्बाहेड़ा से रानीखेडा से नारेला तक सड़क का निर्माण कार्य विभाग द्वारा करवाया गया। यह निर्माण कार्य वर्ष 1996 से 1998 में किया गया, जिसमें कुल व्यय 68.49 लाख हुआ एवं सड़क की लम्बाई 9.4 कि.मी. है। वर्तमान में सड़क क्षतिग्रस्त है।

(3) जी हां। चूंकि उक्त सड़क का निर्माण लगभग 12 वर्ष पूर्व में हुआ था। अत: वर्तमान में जगह-जगह पर क्षतिग्रस्त है। चूंकि उक्त सड़क से खनिज वाहनों का आवागमन नगण्य होने से इसकी उपयोगिता बहुत कम रही है। अत: राज्य सरकार सड़क मरम्मत का कार्य वर्तमान में कराने का विचार नहीं रखती है।

जयपुर जिले में औद्योगिक क्षेत्र हेतु अधिग्रहीत भूमि

43. श्री लालचन्द कटारिया (आमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रीको द्वारा जयपुर जिले में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि अधिग्रहीत की गई है? यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में अधिग्रहीत भूमि का तिथि एवं स्थानवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री लालचन्द कटारिया)

(2) क्या यह भी सही है कि आमेर तहसील के ग्राम सेवापुरा, खेरवाड़ी, दौलतपुरा में रीको द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि में मानदण्डों की अनुपालना नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार मानदण्डों की अनुपालना नहीं किये जाने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में अवाप्त भूमि का विवरण परिशिष्ट "अ" में वर्णित है।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। भूमि अवाप्ति नियमानुसार की जा रही है। अत: किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही वांछित नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

क्रम संख्या	नाम ग्राम जहां भूमि अवाप्त की गई है।	अवाप्तशुदा भूमि रकबा	अवार्ड जारी करने की दिनांक
1.	दहलावास तह. सांगानेर	1.04 हैक्टेयर	21.4.2006
2.	कूकस तह. आमेर	101.30 हैक्टेयर	15.2.2006
3.	कालवाड तह. आमेर	51.23 हैक्टेयर	2.3.2006
4.	सरना डूंगर तह. जयपुर	5.13 बीघा	23.6.2006

बाड़मेर जिले में वर्ष 2005 के फसल बीमा का बकाया भुगतान

44. श्री टीकम चन्द कान्त (सिवाना) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि वर्ष 2005 में राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर जिले में बाजरे की फसल का बीमा किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सही है कि बाजरे की फसल नष्ट होने पर राज्य के सभी जिलों को भुगतान हो गया है और बाड़मेर में नहीं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार जिला बाड़मेर के किसानों को फसल बीमा का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

खरीफ-2005 में 14 अधिसूचित फसलों के लिए, राज्य के 6.08 लाख कृषकों को 216.08 करोड़ रुपये के मुआवजे का भुगतान किया जाना था। उक्त राशि में से रुपये 46.19 करोड़ जो बतौर प्रीमियम संग्रहित हुई थी, बीमा कम्पनी द्वारा देय थी। शेष राशि 169.90 करोड़ रुपये के लिये 50-50 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दिया जाना था।

राज्य सरकार द्वारा अपनी हिस्सा राशि 85.00 करोड़ रुपये का भुगतान माह मार्च-2006 में एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड को कर दिया गया था। भारत सरकार ने अपनी हिस्सा राशि में से 58.82 करोड़ रुपये की राशि ही जारी की, जबकि केन्द्रीयांश राशि 85.00 करोड़ रुपये दी जानी थी। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से शेष राशि 26.13 करोड़ रुपये भुगतान किये जाने हेतु निरन्तर सम्पर्क एवं पत्राचार किया जा रहा है। एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा प्राप्त राशि 190.35 करोड़ रुपये का 5.60 लाख कृषकों को क्षतिपूर्ति भुगतान कर दिया गया है। केवल बाड़मेर जिले के बाजरा फसल का 25.72 करोड़ रुपये का 48,237 कृषकों को मुआवजा दिया जाना शेष था।

अब राज्य सरकार ने बाड़मेर जिले के काश्तकारों के व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य कोष से खरीफ-2005 के बाजरा के मुआवजा राशि देने हेतु आदेश दिनांक 27.2.2007 को जारी कर दिये हैं।

संस्कृत शिक्षा के रिक्त पदों पर नियुक्ति

45. श्री प्रहलाद गुंजल (रामगंजमण्डी) : क्या संस्कृत शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के कितने-कितने विद्यालय किस-किस स्तर के स्वीकृत हैं एवं इनमें अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों पर अध्यापकों की नियुक्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) प्रदेश में संस्कृत शिक्षा विभाग के 91 वरिष्ठ उपाध्याय स्तर, 88 प्रवेशिका स्तर एवं 1288 उच्च प्राथमिक स्तर के संस्कृत विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें अध्यापकों के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

(संस्कृत शिक्षा मंत्री)

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त पद
प्राचार्य (व.उ.)	86	35
प्र.अ. (प्रवे.)	86	31
व.अ. I ग्रेड	419	200
व.अ. II ग्रेड	1235	601
तृतीय श्रेणी अ.	4484	1536

(2) जी हां। संस्कृत शिक्षा विभाग के 1070 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद, 143 वरिष्ठ अध्यापक II ग्रेड के पद एवं 57 वरिष्ठ अध्यापक I ग्रेड के पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

आपदा प्राधिकरण/सलाहकार समिति का गठन

46. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा राज्य आपदा प्राधिकरण का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो उक्त में शामिल सदस्यों के नाम मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्राधिकरण की बैठकें कब-कब आयोजित की गई? बैठकों की शब्दश: विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्राधिकरण अन्तर्गत सलाहकार समिति का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो कब? समिति के सदस्यों के नाम मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त प्राधिकरण द्वारा राज्य में आपदा प्रबन्धन हेतु नीति व योजना का निर्धारण कर लिया गया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा अधिनियम के उपनियम प्रथम की उप-धारा 14 के अन्तर्गत प्रबन्धकारिणी का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो शामिल पदाधिकारियों के नाम, पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य आपदा प्रबन्ध योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या राज्य आपदा प्राधिकरण द्वारा जिलों में आपदा प्रबन्धन हेतु नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है? यदि हां, तो कब व क्या तथा नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) आपदा प्रबन्धन एक्ट, 2005 के अनुसार प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया है। इसका गठन भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार हेतु अधिसूचना जारी करने के पश्चात् किया जावेगा। आपदा प्रबन्ध एक्ट 2005 को राज्य में दिनांक 1.1.2007 से लागू करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करने हेतु राज्य सरकार ने भारत सरकार को पत्र दिनांक 26.10.2006 द्वारा निवेदन किया है परन्तु राज्य सरकार ने प्रशासनिक आदेश दिनांक 6.8.2003 के द्वारा आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन मुख्य मंत्री महोदया की अध्यक्षता में किया हुआ है, जिसके विवरण की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण की बैठकें निम्न तिथियों को आयोजित की गई :-

1. 7 अगस्त, 2004
2. 19 नवम्बर, 2004
3. 16 फरवरी, 2005
4. 6 दिसम्बर, 2005
5. 17 जून, 2006
6. 5 जनवरी, 2007

विवरण की प्रति संलग्न है। परिशिष्ट-2

(3) अभी तक भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी नहीं किये जाने के कारण सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया है।

(4) राज्य सरकार द्वारा गठित आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबन्धन नीति निर्धारित कर दी है। प्रति संलग्न है परिशिष्ट-3

(5) प्रबन्धकारिणी का गठन भारत सरकार द्वारा अधिसूचना जारी होने के पश्चात् किया जावेगा।

(6) आपदा प्रबन्धन एक्ट 2005 के सैक्शन 23(2) के अनुसार राज्य आपदा प्रबन्धन योजना राज्य कार्यकारी समिति द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से प्राप्त निर्देशों के अनुसार तैयार की जायेगी। राज्य कार्यकारी समिति का गठन केन्द्र सरकार द्वारा राज्य हेतु अधिसूचना जारी किये जाने के पश्चात किया जावेगा। इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण से कोई मार्ग दर्शन भी प्राप्त नहीं हुआ है।

(7) जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन भारत सरकार द्वारा नोटीफिकेशन जारी करने के पश्चात् किया जा सकेगा।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भरतपुर जिले की विचाराधीन पेयजल योजनाएं

47. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा भरतपुर जिले को पर्याप्त एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिये योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उसकी प्रगति का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या नगर, कामां, पहाड़ी व डीग तहसीलों में जे.एल.आर. बनी हुई है? यदि हां, तो कहां-कहां? इनमें से वर्तमान में कौन-कौन सी चालू हैं तथा बन्द जी.एल.आर. कब चालू कर दी जायेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। योजना की प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट-"अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट-"ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पैरोल पर फरार कैदियों के विरुद्ध कार्यवाही

48. श्री प्रमोद जैन "भाया"(बारां) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में वर्ष, 2006 में कौन-कौन कैदी किस-किस जेल से पैरोल पर फरार हुये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त फरार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश किस-किस अधिकारी द्वारा की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) पैरोल पर फरार कैदियों में से किस-किस कैदी द्वारा 2-2 दिन के अन्तराल पर पुलिस थाने में उपस्थिति दर्ज नहीं कराने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की गई विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पैरोल से फरार कैदियों की निगरानी व अन्य जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2006 में विभिन्न जेलों से पैरोल पर जाकर फरार कैदियों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) फरार कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की सिफारिश का ब्यौरा भी परिशिष्ट "अ" के विवरण में अंकित है।

(कारागार मंत्री)

(3) पैरोल पर रिहाई के समय सभी बंदियों को थाने में रिपोर्ट देने के आदेश नहीं दिये जाते हैं। फरार कैदियों के थाने में उपस्थिति दर्ज कराने के सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम 5 में है।

(4) पैरोल से फरार कैदियों की निगरानी में लापरवाही संबंधी दोष निर्धारण हेतु जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित खनन लीज/पट्टे

49. श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में कहां-कहां किस-किस प्रकार की खानें आबंटित की गई? खान का प्रकार, व्यक्ति का नाम, वर्ग फिट या एकड़ तथा स्थान, जिले सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिये खान आबंटित करने का प्रावधान है? यदि हां, तो क्या? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त खानों में से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को कितनी खानें आबंटित की गई?

(4) क्या सरकार अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को 16:12 प्रतिशत आरक्षण के हिसाब से खान आबंटित करने का विचार रखती है? अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को जो खानें आबंटित की गई हैं, क्या उन पर वास्तविक रूप से इन व्यक्तियों का कब्जा है? यदि नहीं, तो क्या सरकार इन्हें कब्जा दिलाने का विचार रखती है?

(5) क्या सरकार इस बाबत उक्त वर्ग के हितों की रक्षा के लिये प्रभावी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार से?

उत्तर

(1) सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में आबंटित खानों की वृतवार सूचियां परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि एम.एम.सी.आर. 1986 के नियम 27 के अनुसार डेलिनेटेड बाउण्डरी में क्वारी लाइसेन्स आबंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति को 10 प्रतिशत प्रत्येक वर्ग को आरक्षण एवं ग्रेनाइट पालिसी 2002 के नियम 12(3) के अनुसार डेलिनेटेड बाउण्डरी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 10-10 प्रतिशत आरक्षण एवं मार्बल पालिसी 2002 के नियम 14(3) के अनुसार डेलिनेटेड बाउण्डरी में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को 10-10 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने का प्रावधान है।

(खनिज मंत्री)

(3) उक्त खानों में से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को 417 खानें आबंटित हैं।

(4) अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए बिन्दु सं. 3 के अनुसार प्रावधान पूर्व से है। इसलिए पृथक से प्रावधान किये जाने का औचित्य नहीं है। विभाग को अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों को आबंटित खानों पर अन्य किसी के कब्जे की कोई सूचना/शिकायत प्राप्त नहीं है। अत: वास्तविक रूप से भी उन्हीं का कब्जा है।

(5) मौजूदा आरक्षण एवं कब्जे के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार व नियमों में प्रावधान है। अलग से प्रावधान किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(सूचियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा की भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन प्रकरण

50. श्री बृजकिशोर शर्मा (जयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में भू-उपयोग परिवर्तन कर भूमि आबंटित की गई है? यदि हां, तो किस-किस को व किस-किस कार्य के लिए?

(2) क्या यह सही है कि इनका भू-आबंटन नियम विरुद्ध किया गया है? यदि हां, तो नियम विरुद्ध कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) क्या सरकार नियम विरुद्ध किए गए आबंटन को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) आबंटन नियमानुसार किये गये हैं। अत: निरस्त करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

परिशिष्ट "अ"

इन्द्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कोटा में भू-उपयोग परिवर्तन करके भूमि आबंटन का विवरण

क्र. सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूमि किस कार्य हेतु आबंटित की गयी है
1	2	3	4
1.	मै. ओम मेटल एण्ड मिनरल्स	स्पेशल 1-बी	आवासीय एवं इण्डस्ट्रीयल ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट, एम.सी.ए., बी.बी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., अन्य हायर एजुकेशन एण्ड लेब
2.	मैसर्स ओम कोठारी फाउण्डेशन	स्पेशल-1	एम.बी.ए. कालेज
3.	मै. नालन्दा एजुकेशनल सोसायटी	ए-484	स्कूल के लिये
4.	मैसर्स विशाल कोम्पलेक्स	सी.पी.-1	कामर्शियल उपयोग हेतु
5.	मैसर्स शिवम पेलेस	सी.पी.-2	कामर्शियल उपयोग हेतु
6.	मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन	सी.पी.-3	रीटेल आउटलेट फार डीजल/पेट्रोल
7.	मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन	सी.पी.-4	रीटेल आउटलेट फार डीजल/पेट्रोल
8.	मैसर्स ओम श्री एन्टर प्राइजेज	सी.पी.-1	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
9.	मैसर्स रूपचन्द जैन	ए-487(ए)	पेट्रोल फिलिंग स्टेशन
10.	मैसर्स नेमीचन्द जैन	स्पेशल-1	पम्प डीजल
11.	मैसर्स फकरी वेब्रिज	डब्ल्यू.बी.	धर्मकांटा
12.	मैसर्स राजमल उत्तमचन्द	सी.पी.-1	कामर्शियल

1	2	3	4
13.	कोबिद फाइनेन्स प्रा. लि.	सी.पी.-2	कामर्शियल
14.	मैसर्स अरविन्द गुप्ता	कामर्शियल-1	एल.पी.जी. सिलेण्डर हेतु गोदाम
15.	श्रीमती दुर्गेश शर्मा	कामर्शियल-2	एल.पी.जी. सिलेण्डर हेतु गोदाम
16.	श्री हकीम बक्श	स्पेशल-2	एल.पी.जी. सिलेण्डर हेतु गोदाम
17.	श्री चरणजीत बाटला	कामर्शियल-2	कामर्शियल
18.	श्री रामनिवास शर्मा, श्री रमेश कुमार शर्मा, श्री नन्द किशोर शर्मा एवं श्री राजीव शर्मा	कामर्शियल-3	कामर्शियल
19.	श्री जेठराज गुप्ता	सी.पी.-5	कामर्शियल
20.	मैसर्स राजदीप फन एण्ड फूड	सी.पी.-4	कामर्शियल

बैराठ की निर्माणाधीन/अपूर्ण सड़कें

51. श्री राव राजेन्द्र सिंह (बैराठ) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र, बैराठ में कई सड़कें निर्माणाधीन हैं? यदि हां, तो कौन-कौन सी सड़कें एवं इन पर क्या-क्या कार्य किया जा चुका है और क्या-क्या किया जाना शेष है तथा शेष कार्य को अब तक पूर्ण नहीं करने के क्या कारण हैं? अब ये कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि कुछ सड़कों के निर्माण के लिए राहत विभाग से राशि प्राप्त नहीं होने के कारण सड़कों का निर्माण कार्य अपूर्ण स्थिति में है? यदि हां, तो उक्त राशि प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं और अब इस कार्य को कब तक पूर्ण कर लिया जाएगा?

उत्तर

(1) जी हां। इस समय विधान सभा क्षेत्र बैराठ में पांच सड़कें निर्माणाधीन हैं। प्रश्नांकित विवरण परिशिष्ट "अ" के अनुसार है।

(2) जी नहीं। राहत विभाग से इन सड़कों के लिए कोई राशि प्राप्त नहीं होनी थी। अपूर्ण सड़कों को पूर्ण कराये जाने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र बैराठ में निर्माणाधीन पांच सड़कों का विवरण

निर्माणाधीन सड़क का नाम	कार्य जो किया जा चुका है	कार्य जो किया जाना शेष है	शेष बचे कार्य को अब तक पूर्ण नहीं करने के कारण	अब ये कार्य कब तक पूर्ण कर दिये जायेंगे
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1. छापूड़ा खुर्द से रामचन्द्रपुरा (2.10 किमी.)	2.10 कि.मी. में डब्ल्यूबीएम टोपलेयर कार्य किया जा चुका है।	2.10 कि.मी. में डामरीकरण कार्य किया जाना शेष है।	शेष बचा कार्य सम्पूर्ण राशि मण्डी कोष में स्वीकृत नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है	अकाल राहत की लागत मण्डी कोष से कराने की निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा स्वीकृति 28.2.07 को जारी की गयी। कार्य पूर्ण कराने की प्रक्रिया/कार्यवाही की जा रही है।
2. बीलवाडी से लुहाकना (1.00 कि.मी.)	1.00 कि.मी. में डब्ल्यूबीएम टोपलेयर कार्य किया जा चुका है।	1.00 कि.मी. में डामरीकरण कार्य किया जाना शेष है।	शेष बचा कार्य सम्पूर्ण राशि मण्डी कोष में स्वीकृत नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है।	अकाल राहत की लागत मण्डी कोष से कराने की निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा स्वीकृति 28.2.07 को जारी की गयी। कार्य पूर्ण कराने की प्रक्रिया/कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3	4	5
3. छापूडा खुर्द से सीकर बॉर्डर (2.10 कि.मी.)	2.10 कि.मी. में डब्ल्यूबीएम टोपलेयर कार्य किया जा चुका है।	2.10 कि.मी. में डामरीकरण कार्य किया जाना शेष है।	शेष बचा कार्य सम्पूर्ण राशि मण्डी कोष में स्वीकृत नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है।	अकाल राहत की लागत मण्डी कोष से कराने की निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा स्वीकृति 28.2.07 को जारी की गयी। कार्य पूर्ण कराने की प्रक्रिया/कार्यवाही की जा रही है।
4. नायन से पुरूषोत्तमजी की ढाणी (2.30 कि.मी.)	1.48 कि.मी. में डब्ल्यूबीएम अण्डरलेयर कार्य किया जा चुका है।	0.82 कि.मी. डब्ल्यूबीएम अण्डरलेयर, 2 30 कि.मी. में डब्ल्यूबीएम टोपलेयर तथा 2.30 कि.मी. में डामरीकरण कार्य किया जाना शेष है।	शेष बचा कार्य सम्पूर्ण राशि मण्डी कोष में स्वीकृत नहीं होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है।	अकाल राहत की लागत मण्डी कोष से कराने की निदेशालय कृषि विपणन विभाग द्वारा स्वीकृति 28.2.07 को जारी की गयी। कार्य पूर्ण कराने की प्रक्रिया/कार्यवाही की जा रही है।
5. नारायणपार्क से गोविन्द मिश्राजी की ढाणी वाया श्मशानघाट (850 मी.)	3 2 5 मी. में डब्ल्यूबीएम अण्डरलेयर कार्य किया जा चुका है।	525 मी. डब्ल्यूबीएम अण्डरलेयर, 850 मी. में डब्ल्यूबीएम टोपलेयर तथा डामरीकरण कार्य किया जाना शेष है।	शेष बचा कार्य कार्यस्थल के 350 मी. पर श्मशानघाट एवं रास्ता विवाद होने के कारण पूर्ण नहीं हो सका है।	कार्यस्थल बाधा के निराकरण के पश्चात् कार्य पूर्ण करवाया जावेगा।

जयपुर जिले के भूमि/भवन रहित विद्यालय

52. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर व जिले में कितने राजकीय विद्यालय ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन व भवन नहीं है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जयपुर शहर में जिला कलक्टर द्वारा वर्ष 2005 में भूमि/भवन विहीन विद्यालयों के बारे में सूची बनाकर आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण को भिजवाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) को पत्र प्रेषित किया है? यदि हां, तो जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा.) द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में ऐसे कौन-कौनसे राजकीय विद्यालय भूमि/भवन रहित हैं? सरकार इन्हें भूमि/भवन उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रयास कर रही है? विद्यालयवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर व जिले में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत 06, प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत 337 एवं संस्कृत शिक्षा के अन्तर्गत 11 राजकीय विद्यालय ऐसे हैं, जिनके पास खुद की जमीन व भवन नहीं है।

(2) जी हां। जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शि.) जयपुर द्वारा जिला कलक्टर, जयपुर विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा जयपुर नगर निगम को पत्र प्रेषित कर भूमि आबंटन हेतु निवेदन किया गया।

(3) भूमि एवं भवन रहित विद्यालयों के लिए भूमि आबंटन के प्रस्ताव उपखण्ड अधिकारी तथा जिला कलक्टर को प्रेषित किए जाकर भूमि आबंटन कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। विद्यालयवार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "अ")

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के भूमि/भवन विहीन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विवरण

क्र. सं.	विद्यालय का नाम
1.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नं. 3 सांभर लेक
2.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय वार्ड नं. 12 सांभर लेक
3.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नानोलाई तलाई
4.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय नाड़ा की ढाणी
5.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय राजड़ावाली तलाई
6.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय डूंगरी कला
7.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय डयोढ़ा की ढाणी
8.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुभाष कालोनी, काचरोदा
9.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती
10.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फुलेरा नं. 1
11.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय फुलेरा नं. 2
12.	राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामजीपुरा कलां
13.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय जोबनेर
14.	राजकीय बालिका प्राथमिक विद्यालय राजदुलारी, सांभर लेक
15.	राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय ढ़ाणी कुडियान (लालासर)

ढारिया बांध (देसूरी) की जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही

53. श्री सी. डी. देवल (रायपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अतिवृष्टि में ढारिया तहसील देसूरी का बांध टूट गया था? यदि हां, तो कितने स्थान पर और उसका कितना नुकसान हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वार बांध टूटने के कारणों की जांच

(श्री सी. डी. देवल)

करवाई गई थी? यदि हां, तो जांच विवरण की प्रति सदन की मेज पर रखें और यदि जांच नहीं हुई तो क्यों व इसके लिए कौन अधिकारी दोषी है?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा उक्त ढारिया बांध के मरम्मत के आदेश दे दिये गये हैं? यदि हां, तो क्या मरम्मत से पूर्व बांध के टूटने के कारणों को ध्यान में रखकर उनकी पुनरावृत्ति नहीं हो इसका ध्यान रखा गया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो मरम्मत का कार्य कैसे स्वीकृत किया गया?

(4) क्या यह सही है कि बांध टूटने की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है? यदि हां, तो इसमें कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। धारिया बांध तहसील देसूरी जिला पाली अतिवृष्टि के कारण 38 (8 स्थानों से ब्रीच एवं 30 स्थानों पर पाइपिंग) स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गया था। बांध के क्षतिग्रस्त होने से हुई क्षति अनुमानतः रुपये 35.49 लाख है जो विवरण प्रपत्र-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। जांच रिपोर्ट की प्रति प्रपत्र- "ब" पर संलग्न है।

(3) जी हां। मरम्मत कार्य में पक्की दीवार (मेसेन्सरी कोर-वाल), चिमनी फिल्टर एवं फिल्टर दो का प्रावधान रखा गया है।

(4) जी हां। जांच रिपोर्ट अनुसार कोई भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(विवरण एवं जांच रिपोर्ट की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

शस्त्र अनुज्ञापत्र प्राप्ति प्रक्रिया का सरलीकरण

54. श्री भरत सिंह (दीगोद) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2006-07 में अवैध हथियार रखने के कुल कितने प्रकरण उजागर हुए तथा कुल कितने अवैध हथियार बरामद किये गये? जिलेवार संख्या सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वर्ष 2006-07 में कुल कितने वैध हथियार खरीदने के लाइसेन्स सरकार द्वारा प्रदान किये गये? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार हथियारों का लाइसेन्स प्राप्त करने की कठिन प्रणाली को सरल बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में वर्ष 2006-07 में अवैध हथियार रखने के कुल 2302 प्रकरण दर्ज हुए तथा उक्त दर्ज प्रकरणों में कुल 2522 बरामद हथियारों को जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(गृह मंत्री)

(2) प्रदेश में वर्ष 2006-07 में कुल 2159 वैध हथियार खरीदने के लाइसेन्स सरकार द्वारा प्रदान किये गये हैं। जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) राज्य में हथियारों के लाइसेन्स आयुध अधिनियम, 1959 एवं नियम 1962 के प्रावधानों के अन्तर्गत स्वीकृत किये जाते है। कानून एवं व्यवस्था की वर्तमान स्थिति के मध्यनजर वर्तमान प्रणाली में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

परिशिष्ट-"अ"

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष 2006-07 में अब तक अवैध हथियार रखने के दर्ज प्रकरणों की जिलेवार संख्या	वर्ष 2006-07 में अब तक अवैध हथियार रखने के दर्ज प्रकरणों में जप्त किये गये हथियारों की जिलेवार संख्या
1	2	3	4
1.	अजमेर	54	116
2.	भीलवाड़ा	15	16
3.	नागौर	112	119
4.	टोंक	39	39
5.	जयपुर शहर उत्तर	09	9
6.	जयपुर शहर दक्षिण	105	117
7.	जयपुर शहर पूर्व	21	22
8.	जयपुर ग्रामीण	20	21
9.	झुन्झुनूं	11	11
10.	सीकर	13	16
11.	दौसा	11	11
12.	अलवर	80	87
13.	बीकानेर	92	101

1	2	3	4
14.	चुरू	13	22
15.	गंगानगर	150	153
16.	हनुमानगढ़	110	119
17.	भरतपुर	193	186
18.	सवाई माधोपुर	30	34
19.	धौलपुर	85	93
20.	करौली	62	62
21.	जोधपुर शहर	12	13
22.	जोधपुर ग्रामीण	83	83
23.	जालौर	25	25
24.	जैसलमेर	2	2
25.	बाड़मेर	7	9
26.	पाली	30	30
27.	सिरोही	142	148
28.	कोटा शहर	33	38
29.	कोटा ग्रामीण	127	128
30.	बूंदी	122	126
31.	झालावाड़	189	211
32.	बारां	38	40
33.	उदयपुर	62	62
34.	बांसवाड़ा	2	2
35.	चित्तौड़गढ़	123	170
36.	डूंगरपुर	1	1

1	2	3	4
37.	राजसमन्द	45	45
38.	जी.आर.पी. अजमेर	32	33
39.	जी.आर.पी. जोधपुर	2	2
	योग	**2302**	**2522**

परिशिष्ट- "ब"

प्रदेश में वर्ष 2006-07 में वैध हथियार खरीदने के लाइसेन्स जारी करने की संख्या सूची

क्र. सं.	**जिले का नाम**	**वर्ष 2006-07 में जारी शस्त्र अनुज्ञापत्रों की संख्या**
1	**2**	**3**
1.	अजमेर	32
2.	अलवर	50
3.	बीकानेर	13
4.	बाड़मेर	09
5.	चुरू	18
6.	भीलवाड़ा	28
7.	जयपुर	137
8.	जोधपुर	67
9.	हनुमानगढ़	12
10.	जालौर	151
11.	श्रीगंगानगर	295
12.	धौलपुर	80
13.	पाली	185
14.	सवाई माधोपुर	19
15.	भरतपुर	27
16.	झुन्झुनूं	36

1	2	3
17.	नागौर	25
18.	डूंगरपुर	06
19.	जैसलमेर	27
20.	कोटा	64
21.	बारां	21
22.	बांसवाड़ा	143
23.	राजसमन्द	95
24.	दौसा	20
25.	सीकर	29
26.	सिरोही	45
27.	टौंक	08
28.	झालावाड़	08
29.	उदयपुर	207
30.	चित्तौड़गढ़	223
31.	बूंदी	33
32.	करौली	46
	योग	**2159**

परबतसर में अवैध खनन

55. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत तीन वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और कितने शेष हैं? शेष प्रकरणों में अभी तक कार्यवाही नहीं किए जाने के क्या कारण रहे? निस्तारण किये गये प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गयी?

(श्री राकेश मेघवाल)

(3) क्या इन प्रकरणों में किसी अभियुक्त को सजा हुई है? यदि हां, तो कितनी?

(4) क्या यह सही है कि ऐसे प्रकरणों में किन्हीं अभियुक्तों से जुर्माना भी वसूला गया है? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि का जुर्माना वसूला गया और यह राशि किस काम में ली गई? क्या सरकार इस अवैध खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। मकराना खण्ड के तहसील परबतसर विधान सभा क्षेत्र में अवैध खनन का गत वर्षों में कोई भी प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(2) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में अवैध खनन का कोई प्रकरण गत तीन वर्षों में नहीं होने से सूचना शून्य है एवं कोई प्रकरण लम्बित नहीं है।

(3) जी नहीं। सूचना शून्य है।

(4) जी नहीं। अवैध खनन का कोई भी प्रकरण नहीं होने से किसी भी प्रकार की राशि वसूल नहीं की गई। बिन्दु की सूचना शून्य है। अवैध खनन की रोकथाम हेतु सघन चैकिंग अभियान समय-समय पर चलाया जाता रहा है एवं अवैध खनन का मामला ध्यान में आने पर अवैध खननकर्ता के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

तारांकित प्रश्न संख्या-56

(स्थगित)

संभाग स्तर पर पशु महाविद्यालयों की स्थापना

57. श्री रामचन्द्र सराधना (जमवारामगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पशु चिकित्सा के लिए कितने चिकित्सा महाविद्यालय, चिकित्सक व पैरा मैडिकल स्टाफ कार्यरत है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पशुओं को पर्याप्त चिकित्सा मुहैया कराने के लिए हर सम्भाग में पशु चिकित्सा महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में पशु चिकित्सा के लिए तीन पशु चिकित्सा महाविद्यालय यथा बीकानेर (राजकीय) एवं निजी क्षेत्र में जयपुर एवं भरतपुर पर कार्यरत हैं। प्रदेश में 1239 पशु चिकित्सक एवं 3967 पैरा मैडिकल स्टाफ कार्यरत है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सीमित संसाधनों के कारण नये राजकीय महाविद्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

राजस्थान औद्योगिक एवं विनिवेश निगम (रीको) में आरक्षित वर्ग को पदोन्नति

61. श्री निर्भय लाल (रूपवास) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रीको में प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, महाप्रबन्धक की वर्ष 2004 से अब तक पदोन्नति कब-कब हुई और किस-किस को पदोन्नति दी गई? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदोन्नति में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को पदोन्नति दी गई? नाम एवं पदोन्नति किस पद से किस पद पर दी गई का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त पदोन्नतियों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के व्यक्तियों के साथ भेदभाव बरता गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) रीको में प्रबन्धक, उपप्रबन्धक, महाप्रबन्धक की सन् 2004 से अब तक की गई पदोन्नति का विवरण परिशिष्ट- "क" पर संलग्न है।

(2) उप प्रबन्धक (कम्प्यूटर), प्रबन्धक (एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा), उप प्रबन्धक (एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा) में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का कोई पद आरक्षित नहीं था।

प्रबन्धक (वित्त) का एक पद अनुसूचित जाति एवं एक पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित था किन्तु उप प्रबन्धक (वित्त) के संवर्ग में कोई आरक्षित वर्ग का कर्मचारी प्रबन्धक (वित्त) के पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित योग्यता नहीं रखता है।

उप प्रबन्धक (वित्त) का एक पद अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित था परन्तु वरिष्ठ लेखाकार के संवर्ग में इस वर्ग का कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं है।

(3) जी नहीं। आरक्षित वर्ग के पद पर पदोन्नति हेतु संबंधित निम्न पद में निर्धारित पात्रता रखने वाले कर्मचारी उपलब्ध होने पर पदोन्नति दे दी जायेगी।

परिशिष्ट-"क"

पद जिस पर पदोन्नति दी गई

वर्ष	पदोन्नति दिनांक	संवर्ग का नाम	पदोन्नत किये जाने वाले अधिकारी का नाम
1	2	3	4
2005	29.8.2005	उप प्रबन्धक (कम्प्यूटर)	श्रीमती नीति गोस्वामी
2006	31.1.2006	प्रबन्धक (एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा)	श्री अमृतलाल शर्मा
			श्री सुरेन्द्र परनामी
	24.4.2006	प्रबन्धक (वित्त)	श्री एस.जेड. नकवी
			श्री ओ.पी. अग्रवाल
			श्री बी.एस. पारीक (पुनरावलोकन एवं पुन:निरीक्षण के आधार पर)
			श्री एस. बी. पारीक (पुनरावलोकन एवं पुन:निरीक्षण के आधार पर)
	24.4.2006	उप प्रबन्धक (एचआरडी/जीएडी/इन्फ्रा)	श्री आर.सी. खटोड
			श्री के. एस. मेहता
			श्री एम. सी. भण्डारी
			श्री आर.यू. खान
			श्री ए.सी. शर्मा
	25.5.2006	उप प्रबन्धक (वित्त)	श्री एन.डी. गुरनानी
			श्री वी.के. बरडिया
			श्री पी.एस. चपलोत

1	2	3	4
2006	25.5.2006	उप प्रबन्धक (वित्त)	श्री ऐ.के. शर्मा
			श्री के.जी. सिपारिया
			श्री एस.पी. गुप्ता (पुनरावलोकन एवं पुन:निरीक्षण के आधार पर)
			श्री जी.पी. भटनागर (पुनरावलोकन एवं पुन:निरीक्षण के आधार पर)

सिलौरा (किशनगढ़) में टैक्सटाइल पार्क की स्थापना

62. श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2006-07 में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की गई है? यदि हां, तो ऐसी कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की गई और उनमें कितने लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया तथा प्रशिक्षण ऋण एवं विपणन के माध्यम से कितने व्यक्तियों के लिये रोजगार के अवसर सृजित किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सिलौरा किशनगढ़ में टैक्सटाइल पार्क स्थापित कर दिया गया है? यदि हां, तो इसमें कितनी राशि का विनियोजन हुआ और कितनी आधुनिक बुनाई इकाई स्थापित की गई तथा इससे अब तक कितने लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिल पाया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2006-07 में माह जनवरी, 2007 तक राज्य में 12105 लघु उद्योग स्थापना उपरान्त पंजीकृत हुये हैं जिनमें 53662 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। इसी अवधि में राज्य में विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण, ऋण वितरण एवं रोजगार मेलों के माध्यम से 79201 रोजगार के अवसर सृजित किये गये हैं।

(2) भारत सरकार की एकीकृत टैक्सटाइल पार्क योजना के अन्तर्गत रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र सिलौरा-द्वितीय चरण, किशनगढ़ में निम्न दो कम्पनियों को टैक्सटाइल पार्क की स्थापना हेतु भूमि का आबंटन किया गया है :-

1– मैसर्स जयपुर टैक्स वीविंग पार्क लि.

(उद्योग मंत्री)

2- मैसर्स किशनगढ़ हाईटेक टैक्सटाइल पार्क लिमिटेड

1– मैसर्स जयपुर टैक्स वीविंग पार्क लिमिटेड :-मैसर्स जयपुर टैक्स वीविंग पार्क लि. को 100 एकड़ (4,04,700 वर्गमीटर) भूमि का आबंटन दिनांक 14.12.2005 को किया गया हैं। भूमि की लीज डीड दिनांक 26.5.2006 को कराई जा चुकी है। इस भूमि पर कम्पनी द्वारा सड़क एवं चारदीवारी का निर्माण कार्य वर्तमान में कराया जा रहा है।

2-मैसर्स किशनगढ़ हाइटेक टैक्सटाइल पार्क लि. मैसर्स किशनगढ़ हाइटैक टैक्सटाइल पार्क लि. को 40 एकड (1,61,880 वर्गमीटर) भूमि का आबंटन टैक्सटाइल पार्क विकसित करने हेतु दिनांक 26.9.2006 को किया गया है। कम्पनी को भूमि का कब्जा 5.10.2006 को दिया जा चुका है। कम्पनी द्वारा अभी तक भूमि की लीज डीड निष्पादित नहीं कराई गई है एवं कम्पनी द्वारा आबंटित भूमि पर कोई विकास कार्य प्रारम्भ नहीं किया है।

उक्त परियोजनाओं के अन्तर्गत अभी तक कोई भी इकाई स्थापित नहीं हुई है।

औद्योगिक क्षेत्र निम्बाहेड़ा में आबंटित भूखण्ड

63. श्री अशोक कुमार नवलखा (निम्बाहेड़ा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निम्बाहेड़ा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गयी है? यदि हां, तो कितने क्षेत्रफल में तथा कितने उद्यमियों को भूखण्ड आबंटन किये गये? भूखण्ड के कब्जेधारी उद्यमियों की सूची मय आबंटन दिनांक के सदन की मेज पर रखें।

(2) निम्बाहेड़ा "रीको" औद्योगिक क्षेत्र में वर्तमान में कितने भूखण्ड, किस साइज के आबंटन हेतु शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार निम्बाहेड़ा नगर व आस-पास के क्षेत्र में नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। निम्बाहेड़ा में रीको औद्योगिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 122.07 एकड़ है। इस क्षेत्र में 176 उद्यमियों को भूखण्ड आबंटन किये गये हैं। आबंटियों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में निम्बाहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र में तीन भूखण्ड आबंटन हेतु उपलब्ध है, जिनका भूखण्ड संख्या एवं क्षेत्रफल क्रमश: जी-49-1500 वर्गमीटर, जी-85-1××× वर्गमीटर एवं एफ-2(एफ)850 वर्गमीटर है।

(उद्योग मंत्री)

(3) जी हां। ग्राम साकरिया तहसील निम्बाहेडा की 22.77 एकड राजकीय चरागाह भूमि को औद्योगिक प्रयोजनार्थ सेट अपार्ट करने हेतु जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को निगम द्वारा दिनांक 31.5.2006 को निवेदन किया गया है। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा भूमि सेट अपार्ट करने के पश्चात् निगम द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य में प्रवासी नागरिक/निवेशकों की सहायतार्थ गठित उच्चाधिकार समिति

64. डा. चन्द्रशेखर बैद (तारानगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2004 से अब तक राज्य में कितने प्रवासी राजस्थानी/भारतीयों (एन.आर.आई.) ने किन प्रायोजनाओं के लिए कहां-कहां, कितनी राशि का निवेश किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2004 से अब तक राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानी/भारतीयों को निवेश हेतु आकृष्ट करने के लिए किन-किन नवीन नीतियों का निर्धारण किया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त निवेशकों द्वारा निवेश के विभिन्न पहलुओं पर गौर करने हेतु सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब? समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों के नाम मय पते के सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त समिति की बैठकें कब-कब आयोजित कर क्या-क्या नीतिगत निर्णय लिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2004 से अब तक अप्रवासी राजस्थानी एवं अप्रवासी भारतीयों द्वारा किये गये निवेश/प्रस्तावित निवेश का विवरण परिशिष्ट-क्रमश: "क" एवं "ख" पर उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि अप्रवासी निवेश हेतु पृथक से पंजीयन एवं निवेश संबंधी सूचना संधारण नहीं की जाती।

(2) राज्य सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों/भारतीयों को निवेश हेतु आकर्षित करने हेतु अलग से कोई नीति निर्धारित नहीं की है।

(3) जी नहीं।

(4) समिति गठित नहीं की गई है। अत: सूचना शून्य है।

अप्रवासी राजस्थानी

परिशिष्ट— "क"

क्र. सं.	इकाई कार्यालय का नाम	कम्पनी का नाम	परियोजना	प्रस्तावित निवेश	अब तक किया गया निवेश	स्थान
1	2	3	4	5	6	7
1.	भिवाडी-द्वितीय	मैसर्स त्रिभुवन आटो प्रोडेक्स प्रा. लि. ए-266 चौपानकी भिवाडी	एल.पी.जी./सीएनजी गैस किट	16.00 करोड़	—	चौपानकी
2.	बोरानाडा	मै. हरेश ओवरसीज, श्री कैलाश कासट जी-39-40-41 जी-57-58-59-60	एग्रो फूड	400.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. आर.आर. एग्रो प्रोडक्टस, श्री राजेन्द्र प्रसाद भूतडा ई-266-267	एग्रो फूड	22.50 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. नेचर एक्स (इंडिया), श्री सुनील साबू	एग्रो फूड	36.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. कपिल एग्रो इण्डस्ट्रीज, श्री दिनेश जैन	एग्रो फूड	27.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. नेचुरल रेमेडीज, श्री जे.सी. बेध, ई-268-269	एग्रो फूड	27.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क

1	2	3	4	5	6	7
		मै. एग्रो इंडिया प्रोडक्टस, श्री अर्जुनदास, राठी, ई-270-271	एग्रो फूड	27.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. हाली हर्ब्स, श्री तनसुख राठी, ई-274-275	एग्रो फूड	27.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. मेरीन एग्रो प्रोडक्टस, श्री दयाराम हर्जी, ई-272-273	एग्रो फूड	27.00 लाख	—	एग्रो फूड पार्क
		मै. इंडिगो पेन्ट्स प्रा. लि., श्री हेमन्त जालान, एफ-910-911	एग्रो फूड	60.00 लाख	—	चतुर्थ चरण बोरानाड़ा
		डा. समीन के. शर्मा	हास्पिटल	50.00 करोड़	—	जयपुर
		डा. कमल गोयल	हास्पिटल एवं पर्यटन	100.00 करोड़	—	जयपुर
		अमेरिकन इन्टरनेशनल हैल्थ मैनेजमैंट प्रा. लि.	मेडिकल हास्पिटल	50.00 करोड़	50.00 करोड	उदयपुर
		हडपावत एन्टरप्राइजेज	फाई स्टार होटल	28.00 करोड़	00.08 करोड	उदयपुर
		बालाकृष्णा इण्डस्ट्रीज लि.	टायर	145.00 करोड़	145.00 करोड	भिवाडी

अप्रवासी भारतीय

परिशिष्ट— "ख"

क्र. सं.	इकाई कार्यालय का नाम	कम्पनी का नाम	परियोजना	प्रस्तावित	अब तक निवेश	स्थान
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1.	जयपुर (ईपीआईपी)	मै. ग्रीन फायर एक्सपोर्टस, एच-1, एसइजेड-प्रथम, सीतापुरा,जयपुर	जैम एण्ड ज्वैलरी	170.00 लाख	—	सीतापुरा, जयपुर
		2-मै. यश एक्सपोर्टस, एच-1-41, एसइजेड-प्रथम, सीतापुरा, जयपुर	जैम एण्ड ज्वैलरी	171.00 लाख	—	सीतापुरा, जयपुर
		मै. सुजाता इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट, जी-1-139, एसइजेड-द्वितीय, सीतापुरा, जयपुर	जैम एण्ड ज्वैलरी	150.00 लाख		सीतापुरा, जयपुर
2.	भिवाडी द्वितीय	मै. राजनबर्गर शिल्पी केबल टेक्नोलोजी लि. एसपी-1037, चौपानकी, भिवाडी	टेलीकाम केबिल तथा टेलीकाम की एसेसरीज	100.00 करोड़	—	चौपानकी
		मै. केपारो इण्डिया, प्रा. लि., ए-7 से ए" 9 तथा ई-30 से ई-34 भिवाडी	आटो फास्टनर्स	60.00 करोड़	—	चौपानकी

1	2	3	4	5	6	7
		मै. अम्बर वैस्ट रिसाइकलिंग कम्पनी प्रा. लि. ए-459, चौपानकी भिवाडी	प्लास्टिक उत्पादकों का पुनर्भरण व ग्रेनुल बनाना	45.00 करोड़	—	चौपानकी
3.	उदयपुर	मै. सन आप्टिकल मास्टरिंग प्रा. लि. जी-84, जी-85, आई.आई.डी. सेन्टर कलडवास, उदयपुर	सीडी, डीवीडी राइटर, प्लेयर	2.00 करोड़	—	कलडवास
4.	बोरानाडा	मै. यूरो स्टार इन्टरनेशनल श्री राजीव कुमार, जी-177, 178, 179, बोरानाडा	भूखण्ड आबंटन हेतु अस्थाई	10.14 लाख	—	विशेष आर्थिक क्षेत्र
		मै. 7 सीज, श्रीमति कांता देवी, एच-239, से 241, एच-244 से 246, बोरानाडा	भूखण्ड आबंटन	1.10 लाख	—	विशेष आर्थिक क्षेत्र
5.	अलवर	गोम्बर एज्यूकेशन फाउण्डेशन	एज्यूकेशन	150.00 करोड़	6.00 करोड़	अलवर
6.	अलवर	कार्लस वर्ग ब्रीवरीज	ब्रीवरीज	112.00 करोड़	25.00 करोड़	अलवर

राजगढ़ (चूरू) में खण्ड कार्यालय की स्थापना

65. श्री नन्दलाल पूनिया (सादुलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील राजगढ़, जिला चूरू में कितने उपखण्ड कार्यालय हैं?

(2) क्या सरकार उपखण्ड कार्यालयों की संख्या के मद्देनजर राजगढ़ में खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) तहसील राजगढ़, जिला चूरू में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के तीन उपखण्ड कार्यालय निम्नानुसार है :-

(अ) उपखण्ड बूंगी

(ब) उपखण्ड सादुलपुर (ग्रामीण)

(स) उपखण्ड सादुलपुर (शहरी)

(2) निर्माण एवं संधारण खण्ड कार्यालय स्थापना बाबत दिनांक 23.7.1985 को जारी मानदण्ड निम्नानुसार हैं :-

शहरी क्षेत्र		ग्रामीण क्षेत्र	
(क)	मूल कार्य-200.00 लाख रुपये	(क)	मूल कार्य-200.00 लाख रुपये
(ख)	संधारण कार्य-75.00 लाख रुपये (संस्थापन, टी. एण्ड.पी. तथा सस्पेन्स के व्यय सम्मिलित नहीं है)	(ख)	संधारण कार्य-50.00 लाख रुपये (संस्थापन, टी. एण्ड.पी. तथा सस्पेन्स के व्यय सम्मिलित नहीं है)

खण्ड तारानगर के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मूल कार्य एवं संधारण कार्यो पर व्यय जारी मानदण्डों से अत्यधिक नहीं होने के कारण वर्तमान परिपेक्ष में इस प्रकार के प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

टोडाभीम की प्रस्तावित पेयजल योजनाएं

66. श्री बत्तीलाल मीणा (टोडाभीम) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, टोडाभीम के कौन-कौन से गांवों की पेयजल स्कीम प्रस्तावित है?

(श्री बत्तीलाल)

(2) क्या यह भी सही है कि टोडाभीम एवं नादौती के कई गांवों की पेयजल स्कीम लम्बे समय से सरकार के विचाराधीन है?

(3) क्या सरकार इन प्रस्तावित पेयजल स्कीमों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती के क्रमश: 100 एवं 85, कुल 185 ग्राम विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित है।

पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में संवर्धन एवं सुधार हेतु उक्त क्षेत्र के 8 गांवों के लिए 4 योजनाएं सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में है। इन योजनाओं का विवरण संलग्न परिशिष्ट- "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। सक्षम स्तर पर योजनाओं के तकनीकी जांच में सही पाये जाने के उपरान्त प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार इसकी स्वीकृति सम्भव होगी।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की तहसील टोडाभीम एवं नादौती के गांवों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में संवर्धन एवं सुधार हेतु विचाराधीन योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	तहसील	योजना का नाम	गांवों की संख्या	अनुमानित राशि (रु. लाख में)	सक्षम स्तर पर योजना प्रस्तुत करने का माह वर्ष
1.	टोडाभीम	हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित योजना, जोधपुर	1	10.74	11/2006
2.	नादौती	हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित योजना, झाहरा	1	15.52	12/2006
3.	नादौती	हैण्डपम्प से पम्प एवं टैंक योजना में परिवर्तित योजना, धोलेटा	1	23.00	12/2006
4.	नादौती	क्षेत्रीय जलयोजना, दलपुरा	5	70.74	12/2006

तख्तगढ़ नगरपालिका में पेयजल आपूर्ति प्रबन्धन

67. श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पाली जिले की तख्तगढ़ नगरपालिका की जनता को जवाई बांध का शुद्ध पेयजल सुलभ कराने हेतु राज्य सरकार की योजना है? यदि हां, तो योजना की लागत का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार के आदेश के बावजूद उक्त नगरपालिका क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था विभाग ने अपने कब्जे में नहीं ली है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जलदाय विभाग द्वारा तख्तगढ़ नगरपालिका क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था अपने हाथ में लेकर कुछ समय तक व्यवस्था संभालने के उपरान्त न्यायालय का बहाना लेकर अपनी जवाबदारी से पीछे हट गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	योजना का नाम	स्वीकृत माह/वर्ष	स्वीकृत राशि	विशेष विवरण
1	जवाई पाइप लाइन परियोजना	मई, 2006	रू. 395.83 करोड़	योजना में पाली जिले के कुल 531 ग्राम एवं 10 शहरों की वर्ष 2021 तक की पेयजल मांग का ही प्रावधान सम्मिलित है। इसमें तखतगढ़ नगरपालिका क्षेत्र भी सम्मिलित है।

भारत सरकार द्वारा वर्तमान में जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. कार्यक्रम के अन्तर्गत तख्तगढ़ शहर हेतु उक्त पेयजल मांग के आधार पर योजना के प्रस्ताव बनाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन संख्या 462/2005 पर दिनांक 4 अगस्त, 2005 को दिये गये स्थगन आदेश की अनुपालना में तख्तगढ़

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

नगरपालिका क्षेत्र की पेयजल योजना जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन नहीं ली जा सकी है। वर्तमान में उक्त प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में ड्यू कोर्स में है।

(3) जी नहीं, उपरोक्तानुसार।

पुष्कर शहर में कार्यरत हैण्डपम्प

68. डा. श्रीगोपाल बाहेती (पुष्कर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले के पुष्कर शहर में गत तीन वर्षों में कितने हैण्डपम्प खोदे गये? खोदे गये हैण्डपम्पों की सूची व इन्हें कहां-कहां लगाया गया, विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में खोदे गये हैण्डपम्पों में कितने हैण्डपम्प चालू व कितने बन्द हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार पुष्कर शहर में हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट “अ” पर उपलब्ध है।

(2) वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट “अ” में समाहित है।

(3) जी हां। ग्रीष्म, 2007 हेतु पुष्कर शहर में वर्तमान आंकलन के अनुसार 13 हैण्डपम्पों का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। इन हैण्डपम्पों का निर्माण माह अप्रैल, 2007 तक पूर्ण करना लक्षित है।

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 2003-04, 2004-05 एवं 2005-06 में पुष्कर शहर (जिला अजमेर) में स्वीकृत एवं लगाये गये हैण्डपम्पों का स्थानवार विवरण

क्र. सं.	स्वीकृति का वित्तीय वर्ष	निर्माण का वर्ष	निर्मित हैण्ड पम्प का स्थान	वर्तमान स्थिति	विशेष विवरण
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	2004-2005	2005-2006	जाट मन्दिर के पास	चालू	
2.	2004-2005	2005-2006	रायका मन्दिर	बन्द	वेधन के समय बोर कोलेप्स होने के कारण चालू नहीं हो पाया।
3.	2004-2005	2005-2006	गुडलक होटल के पास, रामेश्वर खटीक के मकान के पास	मौसमी (वर्तमान में चालू)	हैण्डपम्प वर्षा एवं शीत ऋतु में चालू रहता है एवं ग्रीष्मकाल में सूख जाता है।
4.	2004-2005	2005-2006	रेगर समाज गंगा माता मन्दिर के पास	चालू	हैण्डपम्प वराह मन्दिर के पास स्वीकृत हुआ था लेकिन स्थान पर रिंग मशीन नहीं जाने के कारण माननीय विधायक, पुष्कर की अनुशंषा पर स्थान परिवर्तन किया गया।

1	2	3	4	5	6
5.	2005-2006	2005-2006	पुलिस चौकी के आगे पार्क के किनारे (जगदीश कुडिया के मकान के पास)	चालू	सूख जाने के कारण।
6.	2005-2006	2005-2006	रणछोड़दास प्राथमिक विद्यालय	बन्द	सूख जाने के कारण।
7.	2005-2006	2005-2006	लुहार बस्ती	बन्द	हैण्डपम्प गायत्री शक्तिपीठ मन्दिर के पास स्वीकृत हुआ था लेकिन विवाद के कारण माननीय विधायक, पुष्कर की अनुशंषा पर स्थान परिवर्तन किया गया। वर्ष 2006-07 में हैण्डपम्प ठीक करते समय बोर कोलेप्स होने से वर्तमान में बन्द है।
8.	2005-2006	2005-2006	होली का चौक (माली मौहल्ला चौक में)	चालू	
9.	2005-2006	2005-2006	अम्बेडकर कालोनी, रामेश्वर दीवान के मकान के पास	मौसमी (वर्तमान में चालू)	हैण्डपम्प वर्षा एवं शीत ॠतु में चालू रहता है एवं ग्रीष्मकाल में सूख जाता है।
10.	2005-2006	2005-2006	जयपुर रोड बाइपास (तेजाराम कुमावत की दुकान के पास, केशव नगर वार्ड नं. 6)	बन्द	वेधन के समय बोर कोलेप्स होने के कारण चालू नहीं हो पाया।

लूणकरणसर की पेयजल योजनाएं

69. श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (लूणकरणसर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अधिशासी अभियन्ता जिला ग्रामीण खण्ड प्रथम एवं द्वितीय द्वारा विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के विभिन्न स्थानों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था में सुधार लाने हेतु प्रस्ताव बनाए गए हैं? यदि हां, तो कहां-कहां के व उक्त प्रस्ताव किस स्तर पर व क्यों लम्बित हैं? क्या सरकार लम्बित प्रस्तावों को स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? लम्बित प्रस्तावों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दिनांक 01 अप्रैल, 2006 से 28 फरवरी, 2007 तक विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के किन-किन कस्बों, गांवों, चकों व ढाणियों को पेयजल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु कितनी-कितनी लागत के कौन-कौन से कार्य, किन-किन स्थानों हेतु कौन कौनसी योजनान्तर्गत स्वीकृत किए गए? क्या इनमें से कई कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से व कब-कब? क्या सरकार शेष स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के 20 गांवों की पेयजल व्यवस्था आपूर्ति में सुधार हेतु 6 संवर्द्धन योजनाओं के प्रस्ताव बनाए गए हैं। इनमें से 4 योजनाएं सक्षम स्तर पर स्वीकृति पूर्व तकनीकी जांच प्रक्रिया में हैं व शेष 2 योजनाओं पर सक्षम स्तर से प्राप्त आक्षेपों की पूर्ति हेतु कार्यवाही प्रक्रिया में है। सक्षम स्तर पर योजना के तकनीकी जांच में सही पाए जाने के उपरान्त प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धि अनुसार इनकी स्वीकृति सम्भव होगी। वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) वर्णित अवधि में विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के कस्बों, गांवों, चकों व ढाणियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्वीकृत एवं पूर्ण की गई तथा शेष योजनाओं को पूर्ण करने की सम्भावित कार्य योजना का विवरण निम्नानुसार है :-

कुल स्वीकृत योजनाएं	234
पूर्ण योजनाओं की संख्या	74
शेष योजनाओं की संख्या	160

शेष योजनाओं को पूर्ण करने की कार्य योजना	
अप्रैल, 2007 तक	150 योजनाएं
मई, 2007 तक	6 योजनाएं
अगस्त, 2007 तक	3 योजनाएं
दिसम्बर, 2008 तक	1 योजना

वांछित विस्तृत विवरण संलग्न परिशिष्ट "ब" पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सहाड़ा की अनुसूचित जाति की बस्तियों हेतु पेयजल व्यवस्था

70. श्री कैलाश त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक कौन कौनसी अनुसूचित जाति की बस्तियों में पेयजल पाइप लाइन की स्वीकृति जारी की गई एवं कितनी बस्तियां अवशेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में कुल 508 अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियां पेयजल द्वारा निम्नानुसार लाभान्वित हैं :-

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	अनु. जाति/जनजाति बस्तियों की संख्या	पेयजल सुविधा से लाभान्वित बस्तियों का विवरण	
			हैण्डपम्प द्वारा	पाइप लाइन द्वारा
शहरी क्षेत्र				
1.	गंगापुर शहर	12	4	8
ग्रामीण क्षेत्र				
1.	तहसील सहाड़ा	249	204	45
2.	तहसील रायपुर	247	174	73
	योग	**508**	**382**	**126**

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

1 जनवरी, 2004 से अब तक उक्त क्षेत्र की अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की स्वीकृति का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में पाइप लाइन डालने की जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को की गई अनुशंसा अनुसार समस्त प्रस्तावों की स्वीकृति जारी हो चुकी है।

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 1 जनवरी, 2004 से अब तक अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों में पाइप लाइन से पेयजल उपलब्ध कराने की स्वीकृति का विवरण

क्र. सं.	तहसील	ग्राम का नाम	बस्ती का नाम	स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	स्वीकृति माह/वर्ष
1.	सहाड़ा	कोशिथल	भील बस्ती	0.21	7/2006
2.	सहाड़ा	डेलाना	भील बस्ती	0.53	7/2006
3.	सहाड़ा	सहाड़ा	भील बस्ती वलाई बस्ती	1.89	7/2006
4.	सहाड़ा	लाखोला	खटीक बस्ती, वलाई बस्ती	0.42	7/2006
5.	रायपुर	मौखुन्दा	रेगर बस्ती	0.30	3/2005
6.	रायपुर	रायपुर	खटीक बस्ती	1.26	7/2006
7.	रायपुर	मौखुन्दा	वलाई बस्ती	0.32	7/2006
8.	रायपुर	झाड़ोल	भील बस्ती	0.53	7/2006
9.	रायपुर	नाथडियास	रेगर बस्ती	0.21	7/2006
10.	रायपुर	देवरिया	खटीक बस्ती	0.53	7/2006

बाड़मेर जिला मुख्यालय पर खण्ड कार्यालय

71. श्री तगाराम चौधरी (बाड़मेर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मोहनगढ़-बाड़मेर लिफ्ट पेयजल परियोजना के अन्तर्गत दो खण्ड व एक वृत्त कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। बाड़मेर लिफ्ट परियोजना हेतु वृत्त एवं खण्डीय कार्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव बनाये जाना प्रक्रियाधीन है।

सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त कार्यालय स्थापित किया जाना सम्भव होगा।

खनिज अभियन्ता (करौली) द्वारा स्वीकृत प्रधान खनिज की रायल्टी का निर्धारण

72. **श्री दुर्गाप्रसाद अग्रवाल** (गंगापुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि खनिज अभियन्ता करौली (राजस्थान) द्वारा एक माइनिंग लीज मेजर मिनरल (प्रधान खनिज) की जो कि वास्तव में खनिज (बाल क्ले) है उसको एक-एक व्यक्ति को आर्डिनरी-फ्ले (साधारण खड़िया) के नाम से स्वीकृत कर दी गई? यदि हां, तो क्यों व किन नियमों के अन्तर्गत?

(2) क्या यह सही है कि इस पर एतराज करने पर उप सचिव माइन्स ने उस खनन पट्टे को बहाल करते हुए निर्णय दिया कि यदि खनिज मेजर मिनरल (प्रधान खनिज) की तरह उपयोग में आता है तो उसकी रायल्टी मेजर मिनरल (प्रधान खनिज) की दर से वसूल की जाए और उस निरस्त खनन पट्टे को बहाल कर दिया? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। खनिज अभियन्ता, करौली द्वारा एक खनन पट्टा साधारण खडिया का श्री ओमप्रकाश गुप्ता के नाम पर दिनांक 27.6.1997 से 20 वर्ष के लिए स्वीकृत किया गया। जो वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक कोटा की रिपोर्ट दिनांक 4.6.1997 के अनुसार साधारण खडिया बताया जाने से स्वीकृत किया गया। चूंकि साधारण खडिया अप्रधान खनिज में आता है, अत: राजस्थान अप्रधान खनिज रियायती नियम 1986 के अन्तर्गत स्वीकृति विधिवत् जारी की गई है।

(2) यह सही है कि न्यायालय शासन उप सचिव जयपुर के अन्तरिम आदेश दिनांक 8.7.1998 के द्वारा यह निर्देश दिए गए कि मौके पर खनन किया हुआ खनिज जो पड़ा है, उसकी रायल्टी प्रधान खनिज की दर से जमा कराएगा तथा प्रार्थी द्वारा जमा राशि का अन्तिम निर्णय मूल प्रकरण के निस्तारण के समय किया जाएगा। न्यायालय ने अपने अन्तिम निर्णय दिनांक 17.12.2005 के द्वारा यह निर्णय दिया कि पट्टाधारी

(खनिज मंत्री)

द्वारा मात्र अप्रधान खनिज (साधारण खडिया) का ही खनन किया जा सकेगा। इस विषय में खनिज अभियन्ता द्वारा माननीय न्यायालय के निर्णय की पालना करते हुए खनिज की रासायनिक जांच वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक कोटा द्वारा कराई गई है। जिसके अनुसार निदेशालय को भिजवाए गए नमूनों की जांच रिपोर्ट निदेशालय द्वारा पत्र दिनांक 6.12.2006 एवं वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक कोटा के पत्र दिनांक 4.1.2007 के अनुसार खनिज को साधारण खडिया ही बताया गया है। प्रार्थी पट्टाधारी द्वारा जो पूर्व में खनन किया गया था, की प्रधान खनिज की दर से न्यायालय के आदेशों की पालना में राशि जमा करा दी है।

जाखमूण्ड (बूंदी) ग्राम की राजस्व सीमा में स्वीकृत/अस्वीकृत खनिज लीज

73. **श्री रामनारायण मीणा** (नैनवां) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 1 जनवरी, 2001 को ग्राम जाखमूण्ड तहसील एवं जिला बूंदी की राजस्व सीमा में खनिज लीजें स्वीकृत की हुई थीं? यदि हां, तो कितनी तथा किस-किस के नाम पर? खनिज विवरण सहित स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त तिथि के बाद भी खनन लीज के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो खनन लीज संख्या सहित पटवारी एवं सर्वेयर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आवेदन पत्रों में किस-किस आवेदन पत्र को स्वीकृत किया गया एवं किसको किस कारण से अस्वीकृत किया गया तथा किसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र विचाराधीन हैं? स्वीकृति तथा अस्वीकृति आदेश की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त में से एक कारण पर आवेदन पत्र अस्वीकृत किया गया तथा उसी कारण के रहते अन्य आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिए कौन दोषी हैं? प्रकरण वार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार द्वारा उक्त के लिए दोषी पाये गए कार्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी? यदि हां, तो क्या व कब तक?

(6) क्या अस्वीकृत आवेदन पत्रों पर सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जाकर निष्पक्ष निर्णय किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। 1 जनवरी, 2001 को ग्राम जाखमुण्ड तहसील एवं जिला बूंदी की राजस्व सीमा में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं था।

(2) जी हां। 1 जनवरी, 2001 के बाद ग्राम जाखमुण्ड में अब तक कुल 126 आवेदन पत्र वास्ते खनन पट्टा खनिज मेसेनरी स्टोन हेतु प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है तथा जिन आवेदन पत्रों बाबत हल्का पटवारी एवं सर्वेयर की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उनकी प्रतियां परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उपरोक्त आवेदन पत्रों में से 18 आवेदन पत्र स्वीकृत किए गए, उनका विवरण एवं स्वीकृति आदेश की प्रतियां परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। 92 आवेदन पत्र अस्वीकृत किए गए हैं अस्वीकृति के कारण सहित विवरण व आदेशों की प्रतियां परिशिष्ट-4 पर संलग्न है एवं 16 आवेदन पत्र विचाराधीन है जिनका विवरण परिशिष्ट 5 पर संलग्न है।

(4) अस्वीकृति के कारणों में से 9 आवेदन पत्र मौके पर गुजर रही हाई टेन्शन लाईन/विद्युत लाइन के सेफ्टी जोन (45 मीटर) की परिधि में आने से अस्वीकृत किए गए हैं, परन्तु 3 आवेदन पत्र उक्त सेफ्टी जोन की परिधि में स्वीकृत किए गए एवं जिला कलक्टर से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर संविदा निष्पादन किया गया, इन 3 क्षेत्रों की हल्का पटवारी एवं सर्वेयर की संयुक्त मौका रिपोर्ट में हाई टेन्शन लाइन के सम्बन्ध में सही जानकारी उपलब्ध नहीं थी तत्पश्चात् विभागीय जानकारी में आने से पुन: मौका जांच कराए जाने पर उपरोक्त 3 स्वीकृत क्षेत्र उक्त सेफ्टी जोन की परिधि में आने पाए गए जिन्हें शासन के निर्देश दिनांक 1.7.2006 एवं निदेशालय के निर्देश दिनांक 3.8.2006 की पालना में खण्डित कर राज्य सरकार के पक्ष में कब्जा ले लिया गया है। विभाग के दोषी कर्मचारी सर्वेयर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। प्रकरणवार उक्तानुसार अस्वीकृत एवं स्वीकृत आवेदन पत्रों का विवरण परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।

(5) हां। दोषी कर्मचारी/सर्वेयर के विरुद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही शीघ्र की जा रही है।

(6) राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट निर्देश दिए जाकर बिन्दु संख्या 4 के अनुसार कार्यवाही कर ली गई है। अत: पुन: विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अर्बन होमगार्डस का यातायात नियंत्रण में स्थाई समायोजन

74. श्री हेमराज मीणा (किशनगंज) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार अरबन होमगार्ड को स्थाई ड्यूटी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ट्रैफिक कन्ट्रोल में 32 हजार से भी अधिक होमगार्ड को रोजगार देने सम्बन्धी प्रस्ताव को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार अरबन होमगार्ड को बोर्डर होमगार्ड की तरह वेतन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) शहरी गृह रक्षा एक स्वयंसेवी संगठन है। अत: होमगार्ड स्वयंसेवकों को स्थाई रूप से नियोजित नहीं किया जा सकता।

(2) ट्रैफिक कन्ट्रोल हेतु होमगार्ड स्वयंसेवकों का उपयोग किये जाने बाबत प्रस्ताव परीक्षणाधीन है।

(3) जी नहीं।

कारागारों में कैदियों के भोजन आदि पर व्यय

75. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या कारागार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने कारागृह हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की इन जेलों में कुल कितने कैदी सजा भुगत रहे हैं? कारागृह वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश की विभिन्न श्रेणी की जेलों में सजा भुगत रहे कैदियों को भोजन आदि पर कितनी राशि व्यय की जाती है? प्रति कैदी विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में कुल 95 कारागृह एवं 10 बंदी खुले शिविर हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) प्रदेश की उक्त कारागृहों में 31.12.2006 को 5593 दण्डित बंदी सजा भुगत रहे हैं। जिनकी कारागृह वार सूची परिशिष्ट "अ" संलग्न है।

(कारागार मंत्री)

(3) प्रदेश की विभिन्न श्रेणी की जेलों में बंदियों के भोजन हेतु राशि निर्धारित नहीं है अपितु बंदियों को निर्धारित डाइट स्केल (परिशिष्ट "ब") के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2006-07 में माह दिसम्बर, 2006 तक बंदियों के भोजन पर 5.57 करोड़ रुपये का व्यय किया गया।

परिशिष्ट "अ"

राज्य में स्थित कारागृहों की सूची तथा दिनांक 31.12.2006 को निरूद्ध दण्डित बंदियों का संख्यात्मक विवरण

S. No.	Name of JAILS	CONVICTS
1	2	3
	I CENTRAL JAILS-B	
1.	JAIPUR	767
2.	JODHPUR	731
3.	UDAIPUR	677
4.	BIKANER	364
5.	AJMER	630
6.	KOTA	490
7.	BHARATPUR	661
8.	GANGANAGAR	178
	TOTAL	4498
	II REFORMATORIES-3	
1.	WOMEN REF. JAIPUR	165
2.	WOMEN REF. JODHPUR	2
3.	JUVENILE REF.	16
	TOTAL	183

1	2	3
III	**DISTRICT JAILS-25**	
	A Class-3	
1.	ALWER	176
2.	DHOLPUR	29
3.	TONK	109
	B'Class-22	
4.	BANSWARA	11
5.	BARAN	12
6.	BARMER	0
7.	BHILWARA	18
8.	BUNDI	7
9.	CHURU	3
10.	DAUSA	0
11.	DUNGARPUR	2
12.	GANGAPURCITY	11
13.	JAISALMER	0
14.	JALORE	3
15.	JHALAWAR	29
16.	JHUNJHUNU	7
17.	NAGORE	0
18.	PALI	4
19.	PRATAPGARH	17
20.	RAJSAMAND	8
21.	SIKAR	5

1	2	3
22.	SIROHI	5
23.	HANUMANGARH	18
24.	CHITTOREGARH	4
25.	KAROLI	3
	TOTAL	**481**
IV	**SUB JAILS-59**	
1.	BEAWAR	0
2.	BEHRORE	0
3.	KISHANGARH BAS	1
4.	KUSHALGARH	0
5.	CHHABRA	1
6.	BALOTRA	0
7.	DEEG	1
8.	BAYANA	0
9.	GANGAPUR	0
10.	SHAHPURA	0
11.	GULABPURA	0
12.	MANDALGARH	0
13.	JAHAJPUR	0
14.	NOKHA	1
15.	NAINWA	0
16.	RAJGARH	1
17.	RATANGARH	0
18.	NIMBAHERA	1

1	2	3
19.	CHHOTI SADRI	0
20.	BEGUN	0
21.	KAPASAN	0
22.	BANDIKUI	5
23.	SAGWARA	0
24.	RAISINGH NAGAR	0
25.	KARANPUR	1
26.	BHADRA	0
27.	SURATGARH	1
28.	NOHAR	1
29.	SAMBHER	0
30.	KOTPUTLI	0
31.	POKRAN	0
32.	BHINMAL	0
33.	SANCHORE	0
34.	AKLERA	0
35.	BHAWANI MANDI	1
36.	KHETRI	0
37.	FALAUDI	0
38.	BILARA	1
39.	SANGOD	0
40.	RAMGANJ MANDI	0
41.	PARBATSAR	0
42.	MERTA CITY	0

1	2	3
43.	DIDWANA	0
44.	BALI	0
45.	SAJAT CITY	0
46.	JAITARAN	0
47.	BHIM	2
48.	SAWAI MADHOPUR	0
49.	HINDON CITY	0
50.	NEEM KA THANA	0
51.	FHATEHPUR	0
52.	ABU ROAD	1
53.	MALPURA	0
54.	KANORE	1
55.	KOTRA	0
56.	MAVLI	0
57.	SALUMBER	0
58.	JHADOLE	0
59.	ATRU	0
	TOTAL	20
	GRAND TOTAL (I+II+III+IV)	5182
V	**OPEN CAMPS-10**	
1.	SANGANER	155
2.	DURGAPURA	15
3.	JAITASER	54
4.	MANDORE	26

1	2	3
5.	BHARATPUR	46
6.	BEECHAWAL	61
7.	HANUMANGARH	12
8.	UDAIPUR	10
9.	ALWAR	10
10.	KOTA	10
	TOTAL	411
	GRAND TOTAL (I+II+III+IV+V)	5593

परिशिष्ट "ब"

प्रतिलिपि पत्र संख्या एफ 21(58) गृह/ग्रुप-8/76 दिनांक 15.11.1976 ओर से उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-8) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर वास्ते महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर

विषय :- राजस्थान कारागार विभाग के पुनर्गठन के फलस्वरूप बंदियों के वर्गीकरण एवं भोजन के सम्बन्ध में।

राजस्थान कारागार विभाग के पुनर्गठन की घोषणा के फलस्वरूप राजस्थान कारागार नियम 1951 के पार्ट ix सैक्शन I के नियम 4 के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं, जिसकी क्रियान्विति तुरन्त प्रभाव से की जाये :-

1. सभी अपराधी बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों को दी जाने वाली श्रेणियां समाप्त कर दी गई हैं।
2. सभी अपराधी बंदियों एवं विचाराधीन बंदियों को बिना किसी भेद के निम्न लिखित तालिका के अनुसार भोजन सामग्री दी जाये :-

नाम वस्तु	श्रमिक मात्रा ग्राम में	अश्रमिक मात्रा ग्राम में
1	2	3
प्रात: कालीन नाश्ता		
चाय	2+2 (ग्राम) प्रति कप	2+2 (ग्राम) प्रति कप
चीनी	20+20	20+20
दूध	25	25
भुना हुआ चना या धानी या नमकीन भिगोया हुआ चना या नमकीन भियोगा हुआ मोठ या नमकीन भियोगा हुआ मूंग या चपाती।	60	60
दोपहर एवं सायंकालीन भोजन		
आटा या	600	550
चावल	400	360
दाल	90	60
तेल	20	20
हरी सब्जी	200	200
मसाले	15	15
नमक	20	20
ईधन (लकड़ी)	1000	1000
गुड़ (प्रतिदिन)	20	20
चटनी-पोदीना, धनियां, अमचूर, मसाले सहित	10	10

3. कारागार अधीक्षकों को यह निर्देश दिये जायें कि दिये जाने वाले भोजन की मात्रा और किस्म में किसी प्रकार की कमी नहीं हो तथा भोजन इस प्रकार दिया जाये कि उसके पौष्टिक तत्व कम से कम नष्ट हों।

4. सिविल बंदी जिन्हें स्वयं का भोजन लाने की अनुमति है, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा।

मीसा के अन्तर्गत नजर बन्द वे बन्दी जिन्हें प्रथम श्रेणी की सुविधाऐं हैं, उनके सम्बन्ध में अलग से आदेश दिये जा रहे हैं।

वन कर्मियों की पदोन्नति

76. **श्री टीकम चन्द कान्त** (सिवाना) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार वन सेवा के अधीनस्थ कर्मचारियों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि वन रक्षक, वनपाल एवं क्षेत्रीय वनपाल अपने सेवाकाल के 25-30 वर्षों में एक भी पदोन्नति प्राप्त नहीं कर सके हैं? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार इन्हें पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। रिक्त पदों के आधार पर पदोन्नति की कार्यवाही की जाती है।

(2) जी हां। यह सही है कि कई वन मण्डलों में 25 वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले वनरक्षक, वनपाल की पदोन्नति नहीं हो पाई है। पदोन्नति रिक्त पदों की उपलब्धता के आधार पर ही दी जाती है। उल्लेखनीय है कि जिनको पदोन्नति नहीं मिली है उन्हें अगले पदों की वेतन श्रृंखला में 9, 18 व 27 वर्षीय चयनित वेतनमान का लाभ नियमानुसार दिया जा रहा है। विभाग के प्रशासनिक ढांचे में पुनर्गठन के प्रस्ताव राज्य सरकार के यहां विचाराधीन है, जिसमें आवश्यकतानुसार पदों को क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं।

देसूरी के क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत

77. **श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल** (देसूरी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र देसूरी में एनीकट बनाये गये हैं? यदि हां, तो कितने? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 2006-07 की बरसात में उक्त एनीकट

(श्रीमती लक्ष्मी बारूपाल)

क्षतिग्रस्त हुए हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इनका पुनर्निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र देसूरी के वन क्षेत्र में 8 एनीकट बनाये गये हैं। बनाये गये एनीकटों का विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) वर्ष 2006-07 की बरसात में उक्त एनीकटों में से 2 एनीकट देसूरी एवं पदमपुरा क्षतिग्रस्त हुये हैं। इन क्षतिग्रस्त एनीकटों की मरम्मत आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व कर दी जावेगी।

परिशिष्ट "क"

विधान सभा क्षेत्र देसूरी में निर्मित एनीकट

क्र. सं.	नाम एनीकट	निर्माण वर्ष
1.	सुमेर की नाल	2003-04
2.	कोटनाल	2003-04
3.	रणकपुर	2003-04
4.	नागदेवता	2003-04
5.	हरिओम आश्रम	2004-05
6.	देसूरी	2004-05
7.	छोड़ा	2005-06
8.	पदमपुरा	2005-06

परबतसर में वृक्षारोपण/सुरक्षा हेतु कार्य-योजना

78. श्री राकेश मेघवाल (परबतसर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत वर्ष किन-किन योजनाओं में कितने वर्ष में कितना वृक्षारोपण किया गया? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राकेश मेघवाल)

(2) इन योजनाओं में कितनी राशि स्वीकृत हुई और कितनी राशि व्यय की गई? ग्राम पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिये क्या व्यवस्था की गई?

(4) क्या यह सही है कि इस हेतु सरकार द्वारा ट्री गार्ड उपलब्ध करवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो गत वर्ष कितने ट्री गार्ड उपलब्ध करवाये गये और कितनों का उपयोग किया गया?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र परबतसर में गत वर्ष (2005-06) में मरू प्रसार रोक योजना में ग्राम पंचायतों के द्वारा 186 हैक्टेयर में तथा मरू प्रसार रोक परियोजना हरियाली-I में वन विभाग द्वारा 320 हैक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया हैं। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) इन योजनाओं में पंचायत समिति परबतसर में कराये गये कार्यों पर 160.883 लाख रुपये स्वीकृत थे जिसके विरुद्ध 94.84 लाख व्यय किये गये है। ग्राम पंचायतवार विवरण परिशिष्ट "क" के अनुसार सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) वृक्षारोपण क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु क्षेत्र की आवश्यकतानुसार पत्थर की दीवार, खाई फैसिंग तारबंदी करवाई जाकर बाडबंदी की गई है। इसके अलावा चौकीदार द्वारा भी वृक्षारोपण क्षेत्र की सुरक्षा भी कराई जा रही है।

(4) जी नहीं।

परिशिष्ट "क"

मरू प्रसार रोक परियोजना-(ग्राम पंचायतों के द्वारा किया गया वृक्षारोपण)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	कार्य स्थल का नाम	हैक्टेयर	लगाये गये पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	व्यय राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टावरवाडा	परबतसर	निम्बोला	10	5000	4.357	2.54
2.	किणसरिया	परबतसर	किणसरिया	10	5000	4.562	2.24

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	मंगलाना	परबतसर	नाकाबरती	18	9000	7.842	5.24
4.	जावला	परबतसर	जावला	25	12500	10.919	8.58
5.	मायापुर	परबतसर	मायापुर	20	10000	8.865	3.37
6.	कुण्डरी	परबतसर	कुण्डरी	10	5000	4.357	2.48
7.	कुण्डरी	परबतसर	बान्हदेजा	8	4500	3.921	2.00
8.	भडसीया	परबतसर	बरूण ए	30	15000	13.298	2.61
9.	भडसीया	परबतसर	बरूण बी	27	13500	11.968	2.66
10.	कुण्डरी	परबतसर	मानपुरा	10	5000	4.357	2.49
11.	बड्‌डू	परबतसर	बड्‌डू	7	3500	4.485	1.00
12.	खोखर	परबतसर	अडाणी	10	50000	4.562	2.72
	योग			**186**	**93,000**	**83.493**	**37.93**

मरू प्रसार रोक परियोजना-हरियाली-I (वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत	पंचायत समिति	कार्य स्थल का नाम	हैक्टेयर	लगाये गये पौधों की संख्या	स्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	व्यय राशि (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	ढाढोता	परबतसर	ढाढोता	20	10000	8.63	5.67
2.	किणसरिया	परबतसर	किणसरिया	20	10000	8.63	5.66
3.	विपलाद	परबतसर	पिपलाद	20	10000	8.63	5.60
4.	ढाढोता	परबतसर	ढाढोता	20	2000	3.96	3.08
5.	कालेटडा	परबतसर	मण्डोवटी	25	2500	4.95	3.84

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	किणसरिया	परबतसर	माण्डन	50	5000	9.91	7.69
7.	किणसरिया	परबतसर	किणसरिया	25	2500	4.95	3.84
8.	रूणीजा	परबतसर	गिगोली	25	2500	4.95	3.85
9.	भडसिया	परबतसर	बरूण	30	3000	5.94	4.61
10.	रूणीजा	परबतसर	चारणावास	25	2500	4.95	3.84
11.	गांगवा	परबतसर	गांगवा	60	6000	11.89	0.23
	योग			**320**	**58,000**	**77.39**	**56.91**
	योग (अ+ब)			**508**	**149000**	**160.883**	**94.84**

वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठकें

79. डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि निचले स्तर पर वन कर्मचारियों की कमी के कारण अतिक्रमण हटाने व उनको रोकने में बाधा उत्पन्न हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार निचले स्तर के कर्मचारियों की भर्ती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या राष्ट्रीय मरू उद्यान को घोषित करते समय राजस्व रेकार्ड में इसकी तरमीम की गई? यदि नहीं, तो वन विभाग द्वारा विकास कार्य किन कारणों से बाधित किये जा रहे हैं?

(3) प्रदेश के अभ्यारण्यों में प्रभावी रूप से वन्य जीवों को सुरक्षित रखने हेतु सरकार की क्या योजना है? क्या नियमित रूप से वाइल्ड लाइफ बोर्ड की बैठकें हो रही हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वन रक्षकों के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

(2) राज्य सरकार की विज्ञप्ति संख्या एफ.3(1)(73)रेवेन्यू/8/73 दिनांक 4.8.1980 द्वारा बाडमेर एवं जैसलमेर जिले की विज्ञप्ति में वर्णित सीमाओं की भूमि को

(वन मंत्री)

राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य घोषित किया गया। उक्त विज्ञप्ति की प्रति जिला कलक्टर बाड़मेर एवं जैसलमेर को पृष्ठांकित कर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की धारा 19 से 25 में वर्णित प्रावधानों के तहत कार्यवाही करने हेतु निर्देशित कर दिया गया था। जिसकी अनुपालना में सम्बन्धित जिला कलक्टर के आदेश क्रमांक 2460 दिनांक 19.11.1998 व आदेश क्रमांक 191 दिनांक 19.8.1998 द्वारा उक्त कार्यवाही पूर्ण कर ली गई। अभ्यारण्य की सीमा में विद्यमान वन भूमि का अमल दरामद राजस्व रेकार्ड में किया जा चुका है। अभ्यारण्य की सीमा में कोई भी गैर वानिकी कार्य वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, 1972 की धारा 29 एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की पूर्वानुमति के बिना किया जाना प्रतिबंधित है।

(3) प्रदेश के अभ्यारण्यों में प्रभावी रूप से वन्य जीवों को सुरक्षित रखने हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :-

1. वन्य जीव अभ्यारण्यों के आसपास बसे हुये शिकारी जाति के व्यक्तियों की पहचान कर उनके ठिकानों पर रैड्स आयोजित की जा रही है।
2. रणथम्मौर एवं सरिस्का बाघ परियोजना क्षेत्रों में वन विभाग के स्टाफ के सहयोग हेतु होम गार्डस एवं आर.ए.सी. के जवानों की तैनाती की गई है।
3. वन्य जीव अपराधों की रोकथाम में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ईको-डवलपमेंट समितियों का गठन किया गया है।
4. अभ्यारण्य की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में बसे हुये व्यक्तियों के हथियारों का पंजीकरण वन विभाग में किया जाना अनिवार्य किया गया है।
5. वन्य जीव अपराधों की रोकथाम हेतु गुप्त सूचना तंत्र विकसित किया गया है।
6. संवेदनशील क्षेत्रों में रात्रि गश्त एवं पैदल गश्त पर अधिक बल दिया जा रहा है।
7. वन रक्षकों की कमी को देखते हुये सेना के रिटायर्ड जवानों, जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष है, को वन एवं वन्य जीव सुरक्षा कार्य हेतु लगाये जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

राज्य वन्य जीव मण्डल की बैठक अपरिहार्य कारणों से नियमित रूप से नहीं हो रही है। शीघ्र ही राज्य वन्य जीव मण्डल की बैठक आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि कार्य को औद्योगिक सुविधाएं

80. श्री बहादुर सिंह (नोहर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार कृषि की पैदावार की कीमत लागत के आधार पर तय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार कृषि को घाटे से उबार कर मुनाफे में लाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे व कब तक अगर नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार कृषि को उद्योग का दर्जा देकर उद्योगों को मिलने वाली समस्त सुविधाएं देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार कृषि उपज मण्डियों की आय मण्डियों को देकर इस क्षेत्र में सड़कें बनाने व मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) केन्द्र सरकार ने किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने हेतु कृषि लागत एवं मूल्य आयोग गठित किया हुआ है। यह आयोग कृषि की पैदावार की लागत एवं अन्य कारकों जैसे खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयां, बिजली की प्रति यूनिट दर, सिंचाई दरें इत्यादि को ध्यान में रखकर जिन्सों की खरीद हेतु मूल्यों की सिफारिश केन्द्र सरकार को करता है। केन्द्र सरकार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुये विभिन्न जिन्सों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है।

(2) कृषि विभाग प्रति इकाई क्षेत्र में पैदावार बढ़ाने के लिये तत्पर है जिससे प्रति इकाई लागत में कमी आयेगी।

(3) कृषि को उद्योग का दर्जा देने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। कृषकों को खाद, बीज एवं बिजली खपत आदि पर सब्सिडी दी जा रही है।

(4) कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा उद्ग्रहित मण्डी शुल्क राशि व अन्य आय मण्डी कोष में जमा होती है। उक्त आय में से संस्थापन व्यय आदि कम करने के पश्चात् सकल बचत के 60 प्रतिशत राशि सड़क निर्माण/विशेष मरम्मत कराये जाने का प्रावधान निहित है। साथ ही मण्डी समितियां राजस्थान कृषि उपज विपणन अधिनियम की धारा 18-ए के प्रावधानानुसार मण्डी विकास निधि में निर्धारित अंशदान कृषि विपणन बोर्ड को भुगतान करती है तथा उक्त अधिनियम की धारा 22 (ज)(10) के प्रावधानानुसार मण्डी की सड़कों और मण्डी को जोड़ने वाली सड़कों का निर्माण विपणन बोर्ड द्वारा किया जाता है। इस प्रकार मण्डी समितियों की आय मण्डियों में सड़कों के विकास हेतु ही व्यय की जाती है। अत: शेष प्रश्न ही नहीं उठता है।

फुलेरा में गैस एजेन्सियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

81. श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितनी एल.पी.जी. गैस एजेन्सियां किस-किस कम्पनी की कहां-कहां संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त गैस एजेन्सियों में कितने उपभोक्ता पंजीकृत हैं? एजेन्सीवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) दिनांक 1 जनवरी, 2005 से 28 फरवरी, 2006 तक उक्त गैस एजेन्सियों को गैस कम्पनियों से कितने व्यावसायिक व घरेलू एल.पी.जी के सिलेण्डर प्राप्त हुए और कितने सिलेण्डर उपभोक्ताओं को वितरित किये गये? उक्त एजेन्सियों का निर्धारित कोटा कितना था? माहवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) दिनांक 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2007 तक उक्त एजेन्सियों में किन-किन उपभोक्ताओं ने कब-कब घरेलू गैस हेतु बुकिंग करायी तथा उन्हें कब-कब एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की आपूर्ति दी गई? तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) दिनांक 1 जनवरी, 2005 से 28 फरवरी, 2006 तक उक्त क्षेत्र की विभिन्न गैस एजेन्सियों के विरुद्ध किस-किस प्रकार की शिकायतें किस-किस व्यक्ति से प्राप्त हुई? प्राप्त शिकायतों के आधार पर कितनी शिकायतों का किस प्रकार निपटारा किया गया तथा कितनी शिकायतों का निपटारा होना शेष है? एजेन्सीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कम्पनीवार एलपीजी गैस एजेन्सियां निम्नानुसार संचालित है :-

क्र.सं.	नाम गैस एजेन्सी	नाम कम्पनी	स्थान
1	मै. शहीद आनन्द सिंह गैस एजेन्सी	HPC	सांभरलेक
2	मै. बालाजी गैस सर्विस	BPC	फुलेरा
3	मै. दी वेस्टर्न रेल्वे एम्पलाईज कन्जूमर्स कोपरेटिव सोसायटी लि.	IOC	फुलेरा
4	मै. कृषि महाविद्यालय गैस सर्विस, एस.के. एन. कालेज	IOC	जोबनेर

(खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री)

(2) उक्त गैस एजेन्सियों में पंजीकृत उपभोक्ताओं का एजेन्सीवार विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	नाम गैस एजेन्सी	डोमेस्टिक	नोन डोमेस्टिक
1	मै. शहीद आनन्द सिंह गैस एजेन्सी	6817	21
2	मै. बालाजी गैस सर्विस	6282	67
3	मै. दी वेस्टर्न रेल्वे एम्पलाईज कन्जूमर्स कोपरेटिव सोसायटी लि.	1343	-
4	मै. कृषि महाविद्यालय गैस सर्विस, एस.के. एन. कालेज	331	-

(3) 1 जनवरी, 2005 से 28 फरवरी, 2006 तक उक्त गैस एजेन्सियों को गैस कम्पनियों से प्राप्त हुये व्यवसायिक व घरेलू एलपीजी गैस आपूर्ति व वितरण का एजेन्सीवार व माहवार विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। गैस एजेन्सियों को तेल कम्पनियों द्वारा दर्ज उपभोक्ता की संख्या, मौसम के अनुसार खपत, विद्यमान बैकलाग की स्थिति इत्यादि के अनुरूप आपूर्ति दी जाती है जो समय-समय पर घटती बढ़ती रहती है।

(4) 1 जनवरी, 2007 से 31 जनवरी, 2007 तक उक्त एजेन्सियों में उपभोक्ताओं द्वारा कराई गई बुकिंग एवं उन्हें एलपीजी गैस सिलेण्डरों की दी गई आपूर्ति का तिथिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(5) 1 जनवरी, 2005 से 28 फरवरी, 2006 तक उक्त क्षेत्र की वर्णित गैस एजेन्सियों के खिलाफ प्राप्त हुई शिकायतों, एवं किये गये निस्तारण का विवरण परिशिष्ट 3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्न संख्या-82

(स्थगित)

राज्य में आठवीं कक्षा की पुस्तकों का निजी संस्था से प्रकाशन

83. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मण्डल ने आठवीं कक्षा की किताबें निजी संस्था से प्रकाशित करवाने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो उक्त ठेका देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई?

(श्री संयम लोढ़ा)

(2) क्या यह सही है कि उक्त निर्णय से पुस्तकें महंगी हो जाएंगी? प्रत्येक विषय की पुस्तक की कीमत में क्या परिवर्तन आएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) उपरोक्तानुसार।

समान परीक्षा व्यवस्था हेतु जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा बांसवाड़ा को आबंटित राशि

84. श्री अर्जुन सिंह (दानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि समान परीक्षा व्यवस्था की राशि जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बांसवाड़ा कार्यालय को दी गई है? यदि हां, तो कितनी राशि तथा किस-किस सामग्री हेतु? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। मदवार विवरण इस प्रकार से है :-

मद	व्यय राशि
जीप/ट्रक किराया,	27665
जीप मरम्मत	19505
स्टेशनरी	20134
लेजर प्रिन्ट	8850
अलमारियां	5900
योग :-	**82054 रुपये**

तिजारा के विद्यालयों में उर्दू विषय के अध्यापन

85. श्री एमादुद्दीन अहमद खान (तिजारा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की तहसील तिजारा क्षेत्र के विद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) सरकार अब कब तक उक्त विद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाने की व्यवस्था कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर जिले की तहसील तिजारा के निम्न विद्यालयों में उर्दू विषय पढ़ाने की व्यवस्था है :-

क्र. सं.	नाम विद्यालय
1.	रा.उ.मा.वि. तिजारा
2.	रा.मा.वि. टपूकड़ा
3.	राउप्रावि. रभाना
4.	राउप्रावि. बाघोर
5.	राउप्रावि. हसनपुर माफी
6.	राउप्रावि. कहरानी
7.	राउप्रावि.हमीराका

क्र. सं.	नाम विद्यालय
8.	राउप्रावि. विलासपुर
9.	राउप्रावि. चावण्डीकला
10.	राउप्रावि. जैरोली
11.	राउप्रावि. ग्वालदा
12.	राउप्रावि. फुल्लावास
13.	राउप्रावि. सरेटा
14.	राउप्रावि. मायापुर

(2) प्रश्नोत्तर के भाग संख्या-01 के अनुसार।

अतारांकित प्रश्न संख्या-86

(स्थगित)

सिकराय तहसील मुख्यालय में सहायक अभियन्ता कार्यालय की स्थापना

87. श्री रामकिशोर मीणा (सिकराय) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार सिकराय में सहायक अभियन्ता कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। सिकराय क्षेत्र जल संसाधन उपखण्ड, बांदीकुई के अधीन है एवं इस उपखण्ड के वर्तमान कार्यभार को देखते हुए सिकराय में पृथक से उपखण्ड कार्यालय की आवश्यकता नहीं है।

कपासन में नहरों/तालाबों के रख-रखाव पर व्यय

88. श्री बद्रीलाल जाट (कपासन) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पारम्परिक जल स्रोतों के विकास हेतु

(श्री बद्रीलाल जाट)

कार्ययोजना तैयार की गई है? यदि हां, तो किस-किस विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौन सी योजना किस-किस कार्य हेतु तैयार की गई व इस हेतु कितने-कितने बजट का प्रावधान रखा गया? सरकार द्वारा उनको कब तक स्वीकृत कर दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र कपासन के राईपुरिया कलां तालाब से चाकुडी की ओर जाने वाली नहर जिस आराजीयात में निकली है उन आराजीयात के मालिकों को मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस को कितना-कितना व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित सिंहपुर सिंचाई परियोजना स्वीकृत कर दी गई है? यदि नहीं, तो कब तक स्वीकृत कर दी जावेगी?

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन में कौन-कौन सी नहरें कच्ची अथवा पक्की हैं? कच्ची नहरों को कब तक पक्की कर दिया जावेगा?

(5) विधान सभा क्षेत्र कपासन में पिछले वर्ष कौन-कौन से एनीकट स्वीकृत किये गये तथा उन पर कितनी-कितनी लागत आई है?

उत्तर

(1) जी नहीं। पारम्परिक जल स्रोतों का विकास स्थानीय निकायों द्वारा आवश्यकतानुसार अपने संसाधनों से ही किया जाता है।

(2) जी नहीं। रायपुरिया तालाब से चाकुडी की ओर जाने वाली नहर का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1985-86 में कराया गया था। यह कार्यक्रम रोजगारोन्मुखी होने के कारण इसमें भूमि मुआवजा का भुगतान नहीं किया जा सकता था तथा नहर का कार्य सम्बन्धित कास्तकारों की मौखिक सहमति के आधार पर कराया गया था एवं किसी भी प्रभावित कास्तकार द्वारा भूमि के मुआवजे की मांग भी नहीं की गई थी। अत: किसी को मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है।

(3) जी नहीं। यह वित्तीय संसाधनों एवं जल की उपलब्धता तथा योजना की उपादेयता पर निर्भर करेगा।

(4) विधान सभा क्षेत्र कपासन के बांधों की नहरों की कुल लम्बाई 154.43 कि.मी. है जिनमें से 89.46 कि.मी. नहरें कच्ची तथा 64.97 कि.मी. पक्की हैं। वर्तमान में कच्ची नहरों को पक्का करने की योजना विचाराधीन नहीं है। विवरण संलग्न प्रपत्र-"अ" पर अंकित है।

(5) विधान सभा क्षेत्र कपासन में वित्तीय वर्ष 2005-06 में 11 एनीकट राशि रुपये 155.10 लाख के स्वीकृत किये गये हैं तथा इन पर राशि 105.90 लाख रुपये व्यय हुए हैं। विवरण प्रपत्र "ब" पर संलग्न है।

प्रपत्र "अ"

कपासन में जल संसाधन विभाग के अधीन बांधों की कच्ची एवं पक्की नहरों का विवरण

(लम्बाई कि.मी. में)

क्र. सं.	बांध का नाम	नहर का नाम	कुल लम्बाई	कच्ची नहर की लम्बाई	पक्की नहर की लम्बाई
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	बडगांव	मुख्य नहर	25.50	20.35	5.15
		बडगांव माईनर	9.84	7.70	2.14
		करीमपुरिया डिस्ट्रीब्यूटरी	7.56	5.00	2.56
2.	भोपालसागर	नहर नम्बर 1	3.75	2.50	1.25
		नहर नम्बर 2	9.00	7.00	2.00
		नहर नम्बर 3	8.50	6.00	2.50
		नहर नम्बर 4	13.50	10.35	3.15
		नहर नम्बर 5	2.40	1.50	0.90
3.	कपासन	दांयी मुख्य नहर	2.70	1.70	1.00
		बांयी मुख्य नहर	3.65	1.90	1.75
4.	सरौपा	दांयी मुख्य नहर	1.20	1.00	0.20
		बांयी मुख्य नहर	4.05	3.85	0.20
5.	अरनिया	दांयी मुख्य नहर	3.60	2.00	1.60
		बांयी मुख्य नहर	4.90	3.00	1.90
6.	धमाण	दांयी मुख्य नहर	2.70	1.70	1.00
		बांयी मुख्य नहर	3.65	1.90	1.75
7.	कांकरिया	दांयी मुख्य नहर	2.50	1.50	1.00
		बांयी मुख्य नहर	4.00	3.00	1.00

1	2	3	4	5	6
8.	मेवदा	दांयी मुख्य नहर	3.15	2.10	1.05
		बांयी मुख्य नहर	3.45	2.30	1.15
9.	पटोलिया	दांयी मुख्य नहर	1.65	1.00	0.65
		बांयी मुख्य नहर	1.50	1.10	0.40
10.	लुहारिया	दांयी मुख्य नहर	5.76	0	5.76
		बांयी मुख्य नहर	3.00	0	3.00
11.	सांवरिया सरोवर	मुख्य नहर	5.88	0	5.88
		आकिया माईनर	2.04	1.01	1.03
		धनेत	6.50	0	6.50
		लक्ष्मीपुरा	8.50	0	8.50
		योग	**154.43**	**89.46**	**64.97**

प्रपत्र "ब"

कपासन में वित्तीय वर्ष 2005-06 स्वीकृत किये गये एनीकटों का विवरण

(रुपये लाखों में)

क्र. सं.	एनीकट का नाम	तहसील	पंचायत समिति	स्वीकृत राशि	व्यय राशि 1/2007 तक	कार्य की स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
1.	निलोद एनीकट	कपासन	भोपालसागर	21.60	19.02	पूर्ण
2.	मुरला एनीकट कम काजवे	कपासन	भोपालसागर	24.90	21.25	पूर्ण
3.	मोडा खेडा द्वितीय एनीकट	कपासन	कपासन	3.10	2.48	पूर्ण
4.	करूकडा एनीकट	कपासन	कपासन	25.00	22.82	पूर्ण

1	2	3	4	5	6	7
5.	कपासन फीडर	कपासन	कपासन	10.00	8.08	पूर्ण
6.	काकरीया	कपासन	कपासन	10.00	8.17	पूर्ण
7.	डोवनी	कपासन	कपासन	7.00	5.10	पूर्ण
8.	वनाकियाकलां से भंवरकिया रास्ते पर एनीकट	कपासन	कपासन	10.50	7.79	पूर्ण
9.	भीमखण्ड के पास एनीकट	कपासन	भदेसर	5.00	2.78	पूर्ण
10.	वाकली नदी पर सुरखण्ड के पास एनीकट कम काजवे	कपासन	भदेसर	18.00	1.45	प्रगतिरत
11.	कंथारीया एनीकट कम काजवे	कपासन	कपासन	20.00	6.96	प्रगतिरत
			कुल योग :-	**155.10**	**105.90**	

राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यशाला पर व्यय

89. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने वर्ष 2006 में जयपुर में किन-किन मुद्दों पर कार्यशाला का आयोजन किया और आयोजन पर कितना व्यय किया गया? प्रत्येक कार्यशाला के व्यय का पृथक्-पृथक् विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) इन आयोजनों में किन-किन अधिकारियों ने भाग लिया और इस आयोजन पर कितना व्यय किया गया? क्या जिले के बैंको ने भी इसमें व्यय किया है? यदि हां, तो विवरण मय व्यय के सदन की मेज पर रखें।

(3) पांच सितारा होटल में बैंक ने क्या आयोजन किया और उस पर क्या व्यय किया गया?

उत्तर

(1) वर्ष 2006 में राजस्थान राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक ने किसी भी प्रकार की कार्यशाला का आयोजन नहीं किया। अत: कार्यशाला पर हुए व्यय का विवरण शून्य है।

(2) बिन्दु संख्या एक के उत्तर के अनुसार भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण शून्य हैं। जिलों के बैंकों द्वारा व्यय का विवरण भी शून्य है।

(3) वर्ष 2006 में नेशनल को-आपरेटिव एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डवलपमेन्ट बैंक्स फैडरेशन, मुम्बई की 117वीं बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट की बैठक जयपुर में आयोजित हुई। उक्त बैठक पांच सितारा होटल में नहीं बल्कि गोल्ड पैलेस एवं रिसोर्टस, जयपुर में आयोजित हुई। जिस पर कुल व्यय मात्र 1.27 लाख रुपये हुआ है।

रोटू (नागौर) ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड द्वारा फसल बीमा योजनान्तर्गत लाभान्वित सदस्य

90. श्री जयराम जाटव (खैरथल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड रोटू (नागौर) में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? सूची मय नाम पते/जाति के सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सदस्यों के हिस्सा राशि की कुल कितनी-कितनी राशि कब-कब से जमा है? प्रत्येक के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त हिस्सा राशि पर कोई ब्याज देय है? यदि हां, तो किस दर से तथा आज तक किस-किस को कितना-कितना ब्याज दिया गया तथा उक्त हिस्सा राशि बैंक या ग्राम सेवा सहकारी समिति में से किसके खाते में जमा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत दो वर्षो में किसी सदस्य को फसल बीमा योजना के तहत लाभान्वित किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को? मय नाम पते के सूची सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. रोटू (नागौर) में वर्तमान में कुल 501 (पांच सौ एक) सदस्य हैं। इन सदस्यों की मय नाम, पते व जाति की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त 501 सदस्यों की जमा हिस्सा राशि का नामों सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)

(3) जी नहीं। जमा कुल हिस्सा राशि 4,77,052/- रुपये में से 2,78,000/- रुपये केन्द्रीय सहकारी बैंक नागौर में तथा शेष राशि 1,99,052/- रुपये ग्राम सेवा सहकारी समिति रोटू के व्यवसाय में लगी हुई है।

(4) जी हां। लाभान्वित व्यक्तियों की मय नाम पते सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही के माधव नागरिक सहकारी बैंक में नव नियुक्त कार्मिक

91. श्री प्रमोद जैन "भाया" (बारां) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माधव नागरिक सहकारी बैंक सिरोही में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से 31 दिसम्बर, 2006 तक किन-किन पदों पर कितने-कितने आशार्थियों को तद्‌र्थ/अस्थायी/संविदा या अन्य आधार पर नवीन नियुक्तियां दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नव नियुक्त आशार्थियों के नाम, पिता का नाम, जाति व पूर्ण स्थायी व अस्थायी पते आवेदन-पत्र में क्या-क्या दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त नव नियुक्त आशार्थियों में से कोटा एवं जयपुर सम्भाग के रहने वाले आशार्थियों के कराये गये चरित्र सत्यापन रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त नव नियुक्त आशार्थी माह फरवरी, 2007 में किस-किस बैंक या कार्यालय में पद स्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) माधव नागरिक सहकारी बैंक लि., सिरोही में दिनांक 1.1.2004 से 31.12.2006 तक जिन-जिन पदों पर जितने-जितने आशार्थियों को तदर्थ, अस्थायी, संविदा या अन्य आधार पर की गई नवीन नियुक्तियों का विवरण अनुसूची-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त नव नियुक्त आशार्थियों के नाम, पिता का नाम, जाति व पूर्ण स्थायी व अस्थायी पते, जो आवेदन पत्र में दिए गए की सूची अनुसूची-2 पर संलग्न है।

(3) बैंक द्वारा उक्त नव नियुक्त आशार्थियों में से कोटा एवं जयपुर संभाग के रहने वाले आशार्थियों के चरित्र का सत्यापन नहीं करवाया गया है।

(4) उक्त नव नियुक्त आशार्थी माह फरवरी, 2007 में जहां-जहां पदस्थापित है, की सूची अनुसूची-3 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-92

(स्थगित)

डूंगरपुर जिले के विद्यालयों में निर्मित किचन शैड का बकाया भुगतान

93. श्री सुशील कटारा (चौरासी) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि डूंगरपुर जिले के प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अकाल राहत की राशि से किचन शेड बनाये गये हैं? यदि हां, तो किस-किस विद्यालय में? प्रत्येक ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला डूंगरपुर की ग्राम पंचायत वैजा, गन्धवा, झलाई, भीण्डा एवं विकासनगर के किचन शेड का भुगतान बकाया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार इन पंचायतों की बकाया राशि का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट-1)

(2) जी हां। क्योंकि किचन शेड निर्माण कार्य जांच प्रक्रिया में होने से भुगतान नहीं कराया गया।

(3) जी हां। जांच प्रक्रिया पूर्ण होने पर भुगतान करा दिया जावेगा।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अतारांकित प्रश्न संख्या-94

(स्थगित)

बारां कृषि मण्डी द्वारा बकाया एक्सक्लेमेशन राशि का भुगतान प्रकरण

95. श्री गोविन्द सिंह (नसीराबाद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि मण्डी बारां में "आक्शन" प्लेटफार्म के क्षेत्र 600x100" पर कवरिंग के निर्माण के कार्य का ठेका मैसर्स सुजानमल गदिया, अजमेर की फर्म को अधिशाषी अभियन्ता, कोटा द्वारा वर्क आर्डर नं. 856 दिनांक 20 जून, 2001 द्वारा दिया गया था?

(2) क्या यह सही है कि उक्त फर्म ने उक्त कार्य दिनांक 25 सितम्बर, 2003

(श्री गोविन्द सिंह)

को सन्तोषजनक ढंग से पूरा कर दिया जिसके फलस्वरूप उक्त फर्म को फाइनल बिल का भुगतान दिनांक 3 मार्च, 2004 व सिक्यूरिटी डिपोजिट भी दिनांक 15 मार्च, 2004 को वापस लौटा दी गई? यदि हां, तो उक्त फर्म के स्वीकृत एक्सप्लेमेशन क्लेम का पैमेन्ट रुपये 4.64 लाख का भुगतान कब किया गया?

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म को देय उपरोक्त एक्सक्लेमेशन राशि का भुगतान मंजूर होने के बावजूद तीन साल से नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) इस अनुचित विलम्ब के लिये कौन-कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या अब सरकार उक्त फर्म को देय रुपये 4.64 लाख का भुगतान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि कृषि उपज मण्डी समिति बारां में आक्सन प्लेटफार्म के क्षेत्र 600x100" पर कवरिंग के निर्माण के कार्य का कार्यादेश मै. सुजानमल गदिया, अजमेर को खण्ड कार्यालय बारां के आदेश क्रमांक 856-63 दिनांक 20.6.2001 द्वारा दिया गया।

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि उक्त फर्म द्वारा कार्य दिनांक 25.9.2003 को पूर्ण कर दिया गया, अपितु उक्त फर्म द्वारा कार्य दिनांक 15.9.2003 को पूर्ण किया गया एवं अन्तिम बिल का भुगतान दिनांक 3.3.2004 एवं सिक्यूरिटी डिपोजिट का भुगतान दिनांक 15.3.2004 को संवेदक को कर दिया गया। संवेदक द्वारा कार्य का एसकेलेशन बिल राशि रु. 4.64 लाख का भुगतान हेतु प्रस्तुत किया। जांच उपरान्त एसकेलेशन राशि रु. 4.28 लाख भुगतान योग्य पाया गया, जिसका भुगतान किया जा रहा है।

(3) फर्म को देय उपरोक्त एसकेलेशन राशि बोर्ड द्वारा अधिकृत किये जाने के के पश्चात् बजट स्वीकृति का प्रकरण प्रक्रियाधीन होने के कारण राशि का भुगतान लम्बित रहा।

(4) इस विलम्ब के लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है क्योंकि भुगतान में विलम्ब का कारण वित्तीय स्वीकृति का प्रकरण प्रक्रियाधीन होना रहा है।

(5) जी हां। इसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-38 की प्रति)

परिशिष्ट-क

राजकीय विद्यालयों के क्रमोन्नति हेतु मानदण्ड

आधार	माध्यमिक स्तर हेतु मानदण्ड	
जनसंख्या (1991)	सामान्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
छात्रा	3000	2500
अन्तिम कक्षा की छात्रा संख्या	20	20
फीडर विद्यालयों की संख्या	02	02

विद्यालय क्रमोन्नति के अन्य आधार :-

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासकीय आधार
3. क्षेत्रीय शैक्षिक आवश्यकता
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. क्षेत्र में संचालित अन्य विद्यालयों का आपसी अनुपात
6. समग्र स्थिति पर गुणवत्ता का आकलन

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-40 का विवरण)

परिशिष्ट- "अ"

गांव का नाम	आलसर स्रोत से जल प्राप्ति (किलो लीटर/दिन)	स्थानीय स्रोत से जल प्राप्ति (किलोलीटर/दिन)	समग्र जल सेवा स्तर (लीटर/ व्यक्ति/दिन)
पडिहारा व पडिहारी	200	768	83
जेगनिया बीकान	100	50	112
धातरी	100	72	130
बुधवाली	0	42	19

बुधवाली ग्राम में पडिहारा से 100 मिलीलीटर व्यास पाइप द्वारा मई, 2000 तक पम्पिंग कर जल उपलब्ध हुआ।

योजना पर आलसर स्रोत से कम जल प्राप्ति के कारण निम्न प्रकार हैं :-

1. क्षेत्र में दीमक की समस्या व इसके कारण होने वाले लीकेज
2. इन्टरमीडिएट पम्पिंग स्टेशन पर कम विद्युत प्राप्ति व कम डिसचार्ज के पम्प

योजना की डिजाइन गलत नहीं थी अत: कोई दोषी नहीं है।